त्रयोदश माला, खंड 17, अंक 1

सोमवार, 23 जुलाई, 2001

1 श्रावण, 1923 (शक)

FOR REFERNCE ONLY.
NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. D.....52.....
Date.... 8/1/2002....

(खण्ड 17 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

सतेन्द्र सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खण्ड 17, सातवां सत्र, 2001/1923 (शक)
अंक 1, सोमवार, 23 जुलाई, 2001/1 श्रावण, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
तेरहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	(iii)–(xiii)
लोक सभा के पदाधिकारी	(xv)
मंत्रिपरिषद	(xvii)–(xviii)
राष्ट्र गान	1
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
मंत्री का परिचय	1
निधन सम्बन्धी उल्लेख	2-8
प्रश्नों के लिखित उत्तर	9-426
तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 20	9-45
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230	45-426

तेरहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अजय कुमार, श्री एस. (ओट्टापलम)

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा (बुलढाना)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अब्दुल्ला, श्री उमर (श्रीनगर)

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए. पी. (कन्नानौर)

अमीर आलम, श्री (कैराना)

अम्बरीश, श्री (माण्डया)

अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत (अकोला)

अय्यर, श्री मणि शंकर (मयिलादुतुराई)

अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)

अलवी, श्री राशिद (अमरोहा)

अहमद, श्री ई. (मंजेरी)

अहमद, श्री दाऊद (शाहाबाद)

आ

आंग्ले, श्री रमाकांत (मारमागाओ)

आचार्य, श्री प्रसन्न (सम्बलपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजाद, श्री कीर्ति झा (दरभंगा)

आठवले, श्री रामदास (पंढरपुर)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आदि शंकर, श्री (कुड्डालोर)

आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता (करोलबाग)

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट (कनारा)

इ

इन्दौरा, डा. सुशील कुमार (सिरसा)

ई

ईडन, श्री जार्ज (एर्णाकुलम)

उ

उमा भारती, कुमारी (भोपाल)

उराम, श्री जुएल (सुन्दरगढ़)

उस्मानी, श्री ए. एफ. गुलाम (बारपेटा)

ए

ए. नरेन्द्र, श्री (मेडक)

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी. (नामनिर्दिष्ट)

एम. मास्टर मथान, श्री (नीलगिरि)

एलानगोवन, श्री पी. डी. (धर्मपुरी)

ओ

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनूं)

ओवेसी, श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन (हैदराबाद)

क

कटारा, श्री बाबूभाई के. (दोहद)

कटारिया, श्री रतन लाल (अम्बाला)

कटियार, श्री विनय (फैजाबाद)

कथीरिया, डा. वल्लभभाई (राजकोट)

कन्नप्पन, श्री एम. (तिरूचेन्गोड़े)

कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

करूणाकरन, श्री के. (मुकुन्दपुरम)

कलिअप्पन, श्री के. के. (गोबिचेट्टिपालयम)

कश्यप, श्री बली राम (बस्तर)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)

कानूनगो, श्री त्रिलोचन (जगतसिंहपुर)

काम्बले, श्री शिवाजी विट्ठलराव (उस्मानाबाद)

किन्डिया, श्री पी. आर. (शिलांग)

कुप्पुसामी, श्री सी. (मद्रास उत्तर)

कुमार, श्री अरूण (जहानाबाद)

कुमार, श्री वी. धनंजय (मंगलौर)

कुमारासामी, श्री पी. (पलानी)

कुरुप, श्री सुरेश (कोट्टायम)

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मण्डला)

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण (दमोह)

कृपलानी, श्री श्रीचन्द (चित्तौड़गढ़)

कृष्णदास, श्री एन. एन. (पालघाट)

कृष्णन, डा. सी. (पोल्लाची)

कृष्णमराजू, श्री (नरसापुर)

कृष्णमूर्ति, श्री के. बलराम (ओंगोले)

कृष्णमूर्ति, श्री के. ई. (कुरनूल)

कृष्णास्वामी, श्री ए. (श्रीपेरुमबुदुर)

कौर, श्रीमती प्रेनीत (पटियाला)

कौशल, श्री रघुवीर सिंह (कोटा)

ख

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार (बेतूल)

खण्डूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र (गढ़वाल)

खन्ना, श्री विनोद (गुरदासपुर)

खां, श्री अबुल हसनत (जंगीपुर)

खां, श्री मनसूर अली (सहारनपुर)

खां, श्री सुनील (दुर्गापुर)

खांदोकर, श्री अकबर अली (सेरमपुर)

खान, श्री हसन (लद्दाख)

खाबरी, श्री बृजलाल (जालौन)

खुराना, श्री मदन लाल (दिल्ली सदर)

खूंटे, श्री पी. आर. (सारंगढ़)

खैरे, श्री चन्द्रकांत (औरंगाबाद, महाराष्ट्र)

ग

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार (बरेली)

गढ़वी, श्री पी. एस. (कच्छ)

गमांग, श्रीमती हेमा (कोरापुट)

गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव (वाशिम)

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर)

गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)

गांधी, श्रीमती सोनिया (अमेठी)

गाड्डे, श्री राम मोहन (विजयवाड़ा)

गामलिन, श्री जारबोम (अरुणाचल पश्चिम)

गालिब, श्री जी. एस. (लुधियाना)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गावीत, श्री रामदास रूपला (धुले)

गिलुवा, श्री लक्ष्मण (सिंहभूम)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरी)

गुढे, श्री अनंत (अमरावती)

गुप्त, प्रो. चमन लाल (उधमपुर)

गेहलोत, श्री थावरचन्द (शाजापुर)

गोगोई, श्री तरूण (कलियाबोर)

गोयल, श्री विजय (चांदनी चौक)

गोविन्दन, श्री टी. (कासरगौड़)

गोहेन, श्री राजेन (नौगांव)

गौड़ा, श्री जी. पुट्टास्वामी (हसन)

गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)

घ

घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रुगढ़)

च

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश (हावड़ा)

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गुवाहाटी)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत (खजुराहो)

चन्देल, श्री अशोक कुमार सिंह (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश)

चन्देल, श्री सुरेश (हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया, उत्तर प्रदेश)

चिन्नासामी, श्री एम. (करूर)

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई (जूनागढ़)

चेन्नितला, श्री रमेश (मवेलीकारा)

चौटाला, श्री अजय सिंह (भिवानी)

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम (बाड़मेर)

चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल)

चौधरी, श्री ए. बी. ए. गनी खां (मालदा)

चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)

चौधरी, श्री पदमसेन (बहराइच)

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई (बलसाड़)

चौधरी, श्री राम टहल (रांची)

चौधरी, श्री राम रघुनाथ (नागौर)

चौधरी, श्री विकास (आसनसोल)

चौधरी, श्री समर (त्रिपुरा—पश्चिम)

चौधरी, श्री हरिभाई (बनासकांठा)

चौधरी, श्रीमती रीना (मोहनलालगंज)

चौधरी, श्रीमती रेणूका (खम्माम)

चौधरी, श्रीमती संतोष (फिल्लौर)

चौबे, श्री लाल मुनी (बक्सर)

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह (खंडवा)

चौहान, श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर)

चौहान, श्री बालकृष्ण (घोसी)

चौहान, श्री शिवराजसिंह (विदिशा)

चौहान, श्री श्रीराम (बस्ती)

ज

जगतरक्षकन, डा. एस. (अर्कोनम)

जगन्नाथ, डा. मन्दा (नगर कुरनूल)

जगमोहन, श्री (नई दिल्ली)

जटिया, डा. सत्यनारायण (उज्जैन)

जय प्रकाश, श्री (हरदोई)

जयशीलन, डा. ए. डी. के. (तिरूचेंदूर)

जहेदी, श्री महबूब (कटवा)

जाधव, श्री सुरेश रामराव (परभनी)

जाफर शरीफ, श्री सी. के. (बंगलौर उत्तर)

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद (बेतिया)

जायसवाल, श्री जवाहर लाल (चन्दौली)

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद (वाराणसी)

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस (इदुक्की)

जालप्पा, श्री आर. एल. (चिकबलपुर)

जावमा, श्री वनलाल (मिजोरम)

जावीया, श्री जी. जे. (पोरबंदर)

जीगाजीनागी, श्री रमेश सी. (चिक्कोडी)

जैन, श्री पुष्प (पाली)

जोशी, डा. मुरली मनोहर (इलाहाबाद)

जोशी, श्री मनोहर (मुम्बई उत्तर मध्य)

जोस, श्री ए. सी. (त्रिचूर)

झ

झा, श्री रघुनाथ (गोपालगंज)

ठ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. (वडोदरा)

ठाकुर, डा. सी. पी. (पटना)

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई (भंडारा)

ठाकुर, श्री रामशेठ (कुलाबा)

ड

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स (नामनिर्दिष्ट)

डूडी, श्री रामेश्वर (बीकानेर)

डोम, डा. राम चन्द्र (बीरभूम)

ढ

ढिकले, श्री उत्तमराव (नासिक)

त

तिरुनावकरसू, श्री (पुडुक्कोट्टई)

तिवारी, श्री नारायण दत्त (नैनीताल)

तिवारी, श्री लाल बिहारी (पूर्वी दिल्ली)

तिवारी, श्री सुन्दर लाल (रीवा)

तुड़, श्री तरलोचन सिंह (तरनतारन)

तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)

तोमर, डा. रमेश चंद (हापुड़)

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि (देवरिया)

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर (पुरी)

त्रिपाठी, श्री रामनरेश (सिवनी)

थ

थामस, श्री पी. सी. (मुवत्तुपुजा)

द

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू (बापतला)

दत्तात्रेय, श्री बंडारू (सिकन्दराबाद)

दलित इजिलमलाई, श्री (तिरूचिरापल्ली)

दास, श्री नेपाल चन्द्र (करीमगज)

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन (रायगंज)

दाहाल, श्री भीम (सिक्किम)

दिनाकरन, श्री टी. टी. वी. (पेरियाकुलम)

दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी (चिमूर)

दीपक कुमार, श्री (उन्नाव)

दुराई, श्री एम. (वन्डावासी)

दूलो, श्री शमशेर सिंह (रोपड़)

देलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नगर हवेली)

देव, श्री बिक्रम केशरी (कालाहांडी)

देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)

देवी, श्रीमती कैलाशो (कुरुक्षेत्र)

न

नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर)

नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (पणजी)

नागमणि, श्री (चतरा)

नायक, श्री अनन्त (क्योंझर)

नायक, श्री अली मोहम्मद (अनंतनाग)

नायक, श्री ए. वेंकटेश (रायचूर)

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)

नीतीश कुमार, श्री (बाढ़)

प

पटनायक, श्रीमती कुमुदिनी (आस्का)

पटवा, श्री सुन्दर लाल (होशंगाबाद)

पटेल, डा. अशोक (फतेहपुर)

पटेल, श्री आत्माराम भाई (मेहसाना)

पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)

पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी (खरगौन)

पटेल, श्री दह्याभाई वल्लभभाई (दमन और दीव)

पटेल, श्री दिन्शा (कैरा)

पटेल, श्री दीपक (आनंद)

पटेल, श्री धर्म राज सिंह (फूलपुर)

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह (बालाघाट)

पटेल, श्री मानसिंह (मांडवी)

पण्डा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)

पदमानाभम, श्री मुद्रागाड़ा (काकीनाड़ा)

परस्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)

परांजपे, श्री प्रकाश (ठाणे)

पलानीमनिक्कम, श्री एस. एस. (तंजावूर)

पवार, श्री शरद (बारामती)

पवैया, श्री जयभान सिंह (ग्वालियर)

पांजा, डा. रंजीत कुमार (बारासाट)

पांजा, श्री अजित कुमार (कलकत्ता, उत्तर पूर्व)

पांडियन, श्री पी. एच. (तिरुनेलवेली)

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव (बेलगाम)

पाटिल, श्री आर. एस. (बागलकोट)

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड (बीजापुर)

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम. के. (इरन्दोल)

पाटील, श्री उत्तमराव (यवतमाल)

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड (बीड)

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)

पाटील, श्री प्रकाश वी. (सांगली)

पाटील, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)

पाटील, श्री भास्करराव (नांदेड़)

पाटील, श्री लक्ष्मणराव (सतारा)

पाटील, श्री शिवराज वि. (लाटूर)

पाटील, श्री श्रीनिवास (कराड़)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण (मंदसौर)

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)

पायलट, श्रीमती रमा (दौसा)

पार्थसारथी, श्री बी. के. (हिन्दुपुर)

पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)

पासवान, डा. संजय (नवादा)

पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)

पासवान, श्री रामचन्द्र (रोसेड़ा)

पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)

पासी, श्री राजनारायण (बांसगांव)

पासी, श्री सुरेश (चायल)

पुगलिया, श्री नरेश (चन्द्रपुर)

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)

पोन्नुस्वामी, श्री ई. (चिदंबरम)

प्रधान, डा. देवेन्द्र (देवगढ़)

प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)

प्रभु, श्री सुरेश (राजापुर)

प्रमाणिक, प्रो. आर. आर. (मथुरापुर)

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास (चामराजनगर)

प्रेमाजम, प्रो. ए. के. (वडागरा)

फ

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (नालन्दा)

फारूक, श्री एम. ओ. एच. (पांडिचेरी)

फूलन देवी, श्रीमती (मिर्जापुर)

ब

बंगरप्पा, श्री एस. (शिमोगा)

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)

बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)

बखला, श्री जोवाकिम (अलीपुरद्वारस)

बघेल, प्रो. एस. पी. सिंह (जलेसर)

बचदा, श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा)

बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता दक्षिण)

बनातवाला, श्री जी. एम. (पोन्नानी)

बब्बन राजभर, श्री (सलेमपुर)

बब्बर, श्री राज (आगरा)

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह (हिसार)

बराड़, श्री जे. एस. (फरीदकोट)

बर्मन, श्री रनेन (बलूरघाट)

बलिराम, डा. (लालगंज)

बसवनागौड़, श्री कोलुर (बेल्लारी)

बसवराज, श्री जी. एस. (तुमकुर)

बसु, श्री अनिल (आरामबाग)

बालयोगी, श्री जी. एम. सी. (अमालापुरम)

बालू, श्री टी. आर. (मद्रास दक्षिण)

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह (जोधपुर)

बिश्वास, श्री आनन्द मोहन (नवद्वीप)

बुन्देला, श्री सुजानसिंह (झांसी)

बेगम, नूर बानो (रामपुर)

बेहरा, श्री पद्मनाव (फूलबनी)

बैंदा, श्री रामचन्द्र (फरीदाबाद)

बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री (जबलपुर)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)

बोचा, श्री सत्यनारायण (बोब्बिली)

बोस, श्रीमती कृष्णा (जादवपुर)

बौरी, श्रीमती संध्या (विष्णुपुर)

ब्रह्मनैया, श्री ए. (मछलीपटनम)

भ

भगत, प्रो. दुखा (लोहरदगा)

भगोरा, श्री ताराचन्द (बांसवाड़ा)

भडाना, श्री अवतार सिंह (मेरठ)

भाटिया, श्री आर. एल. (अमृतसर)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भूरिया, श्री कांतिलाल (झाबुआ)

भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (मुंगेर)

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)

मकवाना, श्री सवशीभाई (सुरेन्द्रनगर)

मलिक, श्री जगन्नाथ (जाजपुर)

मलयसामी, श्री के. (रामनाथपुरम)

मल्याला, श्री राजैया (सिद्दीपेट)

मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी. (दावणगेरे)

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार (दक्षिण दिल्ली)

महंत, डा. चरणदास (जांजगीर)

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, श्री बीर सिंह (पुरुलिया)

महतो, श्रीमती आभा (जमशेदपुर)

महरिया, श्री सुभाष (सीकर)

महाजन, श्री वाई. जी. (जलगांव)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महाले, श्री हरीभाऊ शंकर (मालेगांव)

मांझी, श्री रामजी (गया)

माझी, श्री परसुराम (नवरंगपुर)

मान, श्री जोरा सिंह (फिरोजपुर)

मान, श्री सिमरनजीत सिंह (संगरूर)

माने, श्री शिवाजी (हिंगोली)

माने, श्रीमती निवेदिता (इचलकरांजी)

मायावती, कुमारी (अकबरपुर)

मारन, श्री मुरासोली (मद्रास मध्य)

मिश्र, श्री राम नगीना (पड़रौना)

मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिल्हौर)

मीणा, श्री भेरूलाल (सलूम्बर)

मीणा, श्रीमती जस कौर (सवाई माधोपुर)

मुखर्जी, श्री एस. बी. (कृषनगर)

मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुनि लाल, श्री (सासाराम)

मुनियप्पा, श्री के. एच. (कोलार)

मुरलीधरन, श्री के. (कालीकट)

मुरुगेसन, श्री एस. (तेनकासी)

मुर्मू, श्री रूपचन्द (झाड़ग्राम)

मुर्मू, श्री सालखन (मयूरभंज)

मूर्ति, श्री ए. के. (चेंगलपट्टू)

मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर (कनकपुरा)

मूर्ति, श्री एम. वी. वी. एस. (विशाखापत्तनम)

मेहता, श्रीमती जयवंती (मुंबई दक्षिण)

मोल्लाह, श्री हन्नान (उलूबेरिया)

मोहन, श्री पी. (मदुरै)

मोहले, श्री पुन्नू लाल (बिलासपुर)

मोहिते, श्री सुबोध (रामटेक)

मोहोल, श्री अशोक ना. (खेड़)

य

यादव, श्री अखिलेश (कन्नौज)

यादव, डा. (श्रीमती) सुधा (महेन्द्रगढ़)

यादव, डा. जसवंतसिंह (अलवर)

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद (गोड्डा)

यादव, श्री दिनेश चन्द्र (सहरसा)

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

यादव, श्री देवेन्द्र सिंह (एटा)

यादव, श्री बलराम सिंह (मैनपुरी)

यादव, श्री भालचन्द्र (खलीलाबाद)

यादव, श्री मुलायम सिंह (सम्भल)

यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)

यादव, श्री शरद (मधेपुरा)

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुबनी)

येरननायडू, श्री के. (श्रीकाकुलम)

र

रंगपी, डा. जयन्त (स्वशासी जिला असम)

रमण, डा. (राजनंदगांव)

रमैया, डा. बी. बी. (एलूरू)

रवि, श्री शिवराम सिंह (बिजनौर)

राजवंशी, श्री माधव (मंगलदोई)

राजा, श्री ए (पेरम्बलूर)

राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार)

राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)

राजेन्द्रन, श्री पी. (क्विलोन)

राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री (पूर्णिया)

राठवा, श्री रामसिंह (छोटा उदयपुर)

राणा, श्री काशीराम (सूरत)

राणा, श्री राजू (भावनगर)

राधाकृष्णन, श्री वरकला (चिरायिंकिल)

राधाकृष्णन, श्री सी. पी. (कोयम्बटूर)

राधाकृष्णन, श्री पोन (नागरकोइल)

राम सजीवन, श्री (बांदा)

राम, श्री ब्रजमोहन (पलामू)

रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन. (टिंडिवनाम)

रामशकल, श्री (राबर्टसगंज)

रामुलू, श्री एच. जी. (कोप्पल)

रामैया, श्री गुनीपाटी (राजमपेट)

राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)

राय, श्री विष्णु पद (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)

राय, श्री सुबोध (भागलपुर)

राय प्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)

राव, श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण (राजामुन्दरी)

राव, श्री गंता श्रीनिवास (अनकापल्ली)

राव, श्री डी. वी. जी. शंकर (पार्वतीपुरम)

राव, श्री वाई. वी. (गुंटूर)

राव, श्री सीएच. विद्यासागर (करीमनगर)

राव, श्रीमती प्रभा (वर्धा)

रावत, प्रो. रासासिंह (अजमेर)

रावत, श्री प्रदीप (पुणे)

रावत, श्री रामसागर (बाराबंकी)

रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण मध्य)

राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण (पाटन)

रिजवान जहीर, श्री (बलरामपुर)

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

रूडी, श्री राजीव प्रताप (छपरा)

रेड्डी, श्री ए. पी. जितेन्द्र (महबूबनगर)

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री एन. आर. के. (चित्तूर)

रेड्डी, श्री एस. जयपाल (मिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर (नालगोंडा)

रेड्डी, श्री चाडा सुरेश (हनमकोण्डा)

रेड्डी, श्री जी. गंगा (निजामाबाद)

रेड्डी, श्री बी. वी. एन. (नांदयाल)

रेड्डी, श्री वाई. एस. विवेकानन्द (कुडप्पा)

रेनु कुमारी, श्रीमती (खगड़िया)

ल

लाहिड़ी, श्री समीक (डायमंड हार्बर)

लेपचा, श्री एस. पी. (दार्जिलिंग)

व

वंग्चा, श्री राजकुमार (अरुणाचल पूर्व)

वनगा, श्री चिंतामन (दहानू)

वर्मा, प्रो. रीता (धनबाद)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (कैसरगंज)

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)

वर्मा, श्री रवि प्रकाश (खीरी)

वर्मा, श्री राममूर्ती सिंह (शाहजहापुर)

वर्मा, श्री राजेश (सीतापुर)

वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)

वाघेला, श्री शंकर सिंह (कपड़वंज)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)

वाडियार, श्री एस. डी. एन. आर. (मैसूर)

विजयन, श्री ए. के. एस. (नागापट्टिनम)

विजया कुमारी, श्रीमती डी. एम. (भद्राचलम)

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)

वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा (नेल्लौर)

वेंकटस्वामी, डा. एन. (तिरूपति)

वेंकटेस्वरलु, प्रो. उम्मारेड्डी (तेनाली)

वेंकटेस्वरलु, श्री बी. (वारंगल)

वेणुगोपाल, डा. एस. (आदिलाबाद)

वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरुपत्तूर)

वेत्रिसेलवन, श्री वी. (कृष्णागिरि)

वैको, श्री (शिवकाशी)

व्यास, डा. गिरिजा (उदयपुर)

श

शर्मा, कैप्टन सतीश (रायबरेली)

शर्मा, वैद्य विष्णु दत्त (जम्मू)

शशि कुमार, श्री (चित्रदुर्ग)

शहाबुद्दीन, मोहम्मद (सिवान)

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम (शिमला)

शाक्य, श्री रघुराज सिंह (इटावा)

शान्ता कुमार, श्री (कांगड़ा)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद (बारामूला)

शिंदे, श्री सुशील कुमार (शोलापुर)

शिवकुमार, श्री वी. एस. (तिरुअनन्तपुरम)

शुक्ल, श्री श्यामाचरण (महासमुन्द)

शेरवानी, श्री सलीम आई. (बदायूं)

श्रीकांतप्पा, श्री डी. सी. (चिकमगलूर)

श्रीनिवासन, श्री सी. (डिंडीगुल)

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा (अनन्तपुर)

ष

षणमुगम, श्री एन. टी. (वेल्लौर)

स

संकेश्वर, श्री विजय (धारवाड़ उत्तर)

संखवार, श्री प्यारे लाल (घाटमपुर)

संगमा, श्री पूर्णो ए. (तुरा)

संघाणी, श्री दिलीप (अमरेली)

सईद, श्री पी. एम. (लक्षद्वीप)

सईदुज्जमा, श्री (मुजफ्फरनगर)

सनदी, प्रो. आई. जी. (धारवाड़ दक्षिण)

सर, श्री निखिलानन्द (बर्दवान)

सरकार, डा. बिक्रम (पंसकुरा)

सरडगी, श्री इकबाल अहमद (गुलबर्गा)

सरोज, श्री तूफानी (सैदपुर)

सरोज, श्रीमती सुशीला (मिसरिख)

सरोजा, डा. वी. (रासीपुरम)

सांगतम, श्री के. ए. (नागालैंड)

सांगवान, श्री किशन सिंह (सोनीपत)

साथी, श्री हरपाल सिंह (हरिद्वार)

सामन्तराय, श्री प्रभात (केन्द्रपाडा)

साय, श्री विष्णुदेव (रायगढ़)

साहू, श्री अनादि (बरहामपुर)

साहू, श्री ताराचंद (दुर्ग)

सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी (बोलनगीर)

सिंह, कुंवर अखिलेश (महाराजगंज, उ.प्र.)

सिंह, कुंवर सर्वराज (आंवला)

सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र (रोहतक)

सिंह, चौधरी तेजवीर (मथुरा)

सिंह, डा. रामलखन (भिण्ड)

सिंह, राजकुमारी रत्ना (प्रतापगढ़)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप (सिधी)

सिंह, श्री चन्द्र भूषण (फरुखाबाद)

सिंह, श्री चन्द्र विजय (मुरादाबाद)

सिंह, श्री चन्द्रनाथ (मछलीशहर)

सिंह, श्री चरनजीत (होशियारपुर)

सिंह, श्री छत्रपाल (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री जयभद्र (सुल्तानपुर)

सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद (कोडरमा)

सिंह, श्री टीएच. चाओबा (आंतरिक मणिपुर)

सिंह, श्री दिग्विजय (बांका)

सिंह, श्री प्रभुनाथ (महाराजगंज, बिहार)

सिंह, श्री बलबीर (जालन्धर)

सिंह, श्री बहादुर (बयाना)

सिंह, श्री बृज भूषण शरण (गोंडा)

सिंह, श्री महेश्वर (मंडी)

सिंह, श्री राजो (बेगुसराय)

सिंह, श्री राधामोहन (मोतिहारी)

सिंह, श्री राम प्रसाद (आरा)

सिंह, श्री रामजीवन (बलिया, बिहार)

सिंह, श्री रामपाल (डुमरियागंज)

सिंह, श्री रामानन्द (सतना)

सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)

सिंह, श्री विश्वेन्द्र (भरतपुर)

सिंह, श्री साहिब (बाहरी दिल्ली)

सिंह, श्रीमती कान्ति (बिक्रमगंज)

सिंह, श्रीमती श्यामा (औरंगाबाद, बिहार)

सिंह, सरदार बूटा (जालौर)

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद (वैशाली)

सिकदर, श्री तपन (दमदम)

सिन्हा, श्री मनोज (गाजीपुर)

सिन्हा, श्री यशवन्त (हजारीबाग)

सिंह देव, श्री के. पी. (ढेंकानाल)

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती) (पेद्दापल्ली)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई. एम. (शिवगंगा)

सुधीरन, श्री वी. एम. (अलेप्पी)

सुनील दत्त, श्री (मुम्बई उत्तर पश्चिम)

सुब्बा, श्री एम. के. (तेजपुर)

सुमन, श्री रामजीलाल (फिरोजाबाद)

सुरेश, श्री कोडीकुनील (अडूर)

सेठ, श्री लक्ष्मण (तामलुक)

सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेन, श्रीमती मिनाती (जलपाईगुड़ी)

सेनगुप्ता, डा. नीतिश (कोन्टाई)

सेल्वागनपति, श्री टी. एम. (सेलम)

सोमैया, श्री किरीट (मुम्बई उत्तर पूर्व)

सोराके, श्री विनय कुमार (उदुपी)

सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह (गोधरा)

स्वाइं, श्री खारबेल (बालासोर)

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल (करनाल)

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द (जौनपुर)

ह

हंसदा, श्री थामस (राजमहल)

हक, मोहम्मद अनवारूल (शिवहर)

हमीद, श्री अब्दुल (धूबरी)

हसन, श्री मोइनुल (मुर्शिदाबाद)

हान्दिक, श्री विजय (जोरहाट)

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (किशनगंज)

हौकिप, श्री होलखोमांग (बाह्य मणिपुर)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री जी. एम. सी. बालयोगी

उपाध्यक्ष

श्री पी. एम. सईद

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री पी. एच. पांडियन

श्री श्रीनिवास पाटील

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

श्री के येरननायडू

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

भारत सरकार

मंत्रिपरिषद

मंत्रिमंडल के सदस्य

श्री अटल बिहारी वाजपेयी	प्रधानमंत्री तथा ऐसे मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी, जिनका प्रभार विशिष्ट तौर पर किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किया गया है अर्थात् : (1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, (2) योजना, (3) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, (4) परमाणु ऊर्जा (5) अंतरिक्ष
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	गृह मंत्री
श्री अनन्त कुमार	पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री
श्री टी. आर. बालू	पर्यावरण और वन मंत्री
श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा	रसायन और उर्वरक मंत्री
श्री जगमोहन	शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री
श्री अरूण जेटली	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री
डा. सत्यनारायण जटिया	श्रम मंत्री
श्री मनोहर जोशी	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
डा. मुरली मनोहर जोशी	मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री
श्री प्रमोद महाजन	संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
श्री मुरासोली मारन	वाणिज्य और उद्योग मंत्री
श्री एम. वैंकय्या नायडू	ग्रामीण विकास मंत्री
श्री राम नाईक	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
श्री नीतीश कुमार	रेल मंत्री
श्री जुएल उराम	जनजातीय कार्य मंत्री
श्री राम विलास पासवान	संचार मंत्री
श्री सुन्दर लाल पटवा	खान मंत्री
श्री सुरेश प्रभु	विद्युत मंत्री
श्री काशीराम राणा	वस्त्र मंत्री
श्री अर्जुन सेठी	जल संसाधन मंत्री
श्री शांता कुमार	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
श्री अजित सिंह	कृषि मंत्री
श्री जसवन्त सिंह	विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री
श्री यशवन्त सिन्हा	वित्त मंत्री
श्रीमती सुषमा स्वराज	सूचना और प्रसारण मंत्री
डा. सी. पी. ठाकुर	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
कुमारी उमा भारती	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री
श्री शरद यादव	नागर विमानन मंत्री

राज्य मंत्री
(स्वतन्त्र प्रभार)

श्रीमती मेनका गांधी	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री एम. कन्नप्पन	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्रीमती वसुन्धरा राजे	लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री

श्री अरूण शौरी	विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी	इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री रमेश बैस	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती विजया चक्रवर्ती	जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री श्रीराम चौहान	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बंडारू दत्तात्रेय	शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री संतोष कुमार गंगवार	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील	खान मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो. चमन लाल गुप्त	नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. वल्लभभाई कथीरिया	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री कृष्णमराजू	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री वी. धनंजय कुमार	वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती सुमित्रा महाजन	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुभाष महरिया	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती जयवंती मेहता	विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सत्यव्रत मुखर्जी	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मुनि लाल	श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री श्रीपाद येसो नाईक	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री उमर अब्दुल्ला	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. देवेन्द्र प्रधान	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पोन राधाकृष्णन	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ए. राजा	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ओ. राजगोपाल	संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. रमण	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सीएच. विद्यासागर राव	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बची सिंह रावत "बचदा"	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री
श्री तपन सिकदर	संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री दिग्विजय सिंह	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री टीएच. चाओबा सिंह	कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ईश्वर दयाल स्वामी	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो. रीता वर्मा	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बालासाहिब विखे पाटील	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री हुकमदेव नारायण यादव	पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा

सोमवार, 23 जुलाई, 2001/1 श्रावण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

राष्ट्र गान

(राष्ट्र गान की धुन बजाई गई।)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

[अनुवाद]

सदस्यों द्वारा शपथ-ग्रहण

अध्यक्ष महोदय : हाल के उपचुनावों में नव–निर्वाचित सदस्यों के नाम शपथ–ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करने के लिए महासचिव द्वारा पुकारे जाएंगे।

श्री दलित इजिलमलाई (तिरूचिरापल्ली)

श्री राममूर्ती सिंह वर्मा (शाहजहांपुर)

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर)

पूर्वाह्न 11.07 बजे

[हिन्दी]

मंत्री का परिचय

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रि–परिषद के अपने नए सहयोगी, श्री अजित सिंह जी का सदन से परिचय कराना चाहता हूं।

श्री अजित सिंह – कृषि मंत्री

पूर्वाह्न 11.08 बजे

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, चूंकि आज हम ढाई महीने के अंतराल पर मिल रहे हैं, अतएव मुझे दुख के साथ सभा को नेपाल नरेश, महामहिम बीरेन्द्र बीर बिक्रम शाह देव, वर्तमान सदस्य श्याम लाल बंसीवाल और अपने नौ भूतपूर्व सहयोगियों, अर्थात् सर्वश्री जैड. एम. कहांडोले, अमृत नहाटा, एन. टोम्बी सिंह, सुधाकर राव नाईक, जी. वाई. कृष्णन, रामधन, पी. रामचन्द्रन, जगन्नाथ कौशल और सी. आर. पट्टाभि रमन के दुखद निधन की जानकारी देनी है।

यह सभा नेपाल नरेश, महामहिम महाराज बीरेन्द्र बीर बिक्रम शाह देव, महारानी ऐश्वर्य राज्य लक्ष्मी देवी शाह तथा नेपाल के शाही परिवार के अन्य सदस्यों के 1 जून, 2001 को हुए दुखद एवं असामयिक निधन पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है।

महाराजा बीरेन्द्र एक दूरद्रष्टा थे, जिन्हें भावी पीढ़ियां नेपाल में शांतिपूर्ण राजनैतिक परिवर्तन और बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए स्मरण करेंगी। यह सभा भारत के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने और क्षेत्रीय सहयोग का निर्माण करने में उनकी मुख्य भूमिका की सराहना करती है।

इस देश की जनता और नेतृत्व, उनकी मित्रता को सदैव याद रखेगा। यह सभा नेपाल की जनता, नेपाल सरकार और नेपाल के शाही परिवार के सभी सदस्यों को अपनी हार्दिक संवेदना प्रेषित करती है।

श्री श्याम लाल बंसीवाल राजस्थान के टोंक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के वर्तमान सदस्य थे। वह 1996–97 के दौरान 11वीं लोक सभा के भी सदस्य रहे।

वह एक सुप्रसिद्ध राजनैतिक कार्यकर्ता और सक्रिय सांसद थे। वह खाद्य, नागरिक पूर्ति और वितरण संबंधी समिति एवं याचिका समिति के सदस्य थे।

श्री बंसीवाल एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे तथा उन्होंने गरीबों, दलितों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अथक कार्य किया।

श्री श्याम लाल बंसीवाल का निधन 54 वर्ष की आयु में कुछ समय बीमार रहने के बाद 22 मई, 2001 को नई दिल्ली में हुआ।

श्री जैड.एम. कहांडोले ने 1967 से 1977, 1980 से 1984, 1991 से 1996 और 1998 से 1999 तक क्रमशः चौथी, पांचवीं, सातवीं, दसवीं और बारहवीं लोक सभा में महाराष्ट्र के माले–गांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक सक्रिय संसदविद, श्री कहांडोले ने विभिन्न संसदीय और परामर्शदात्री समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया।

व्यवसाय से कृषक, श्री कहांडोले ने 1962 से 1967 तक कृषि और सहकारी समिति, जिला परिषद्, नासिक के चेयरमैन के रूप में कार्य किया।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता, श्री कहांडोले जंगल कामगार सोसायटी के संस्थापक थे। उन्होंने आदिवासियों के उत्थान और उन्हें जागरूक बनाने के लिए अथक कार्य किया।

श्री जैड.एम. कहांडोले का निधन 19 अप्रैल, 2001 को मुंबई, महाराष्ट्र में 71 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री अमृत नहाटा 1967 से 1979 तक चौथी से छठी लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने राजस्थान के बाड़मेर और पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

वह एक योग्य संसदविद् थे और उन्होंने 1977 से 1979 तक प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता, श्री नहाटा ने अपने राज्य में विभिन्न पदों पर सराहनीय कार्य किया। वह 1969–70 के दौरान रेड क्रास सोसायटी, जोधपुर और 1969–71 के दौरान अखिल भारतीय शांति परिषद् के सचिव रहे। उन्होंने सहकारिता आंदोलन, परिवार नियोजन कार्यक्रम, शहरी सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में भी भाग लिया तथा सार्वजनिक स्वच्छता और मद्य निषेध के लिए भी कार्य किया।

संपादक के रूप में उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक "आस्पैक्ट" का संपादन किया और अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद किया। वह राजस्थान के प्रमुख समाचार–पत्रों के संपादकीय पृष्ठ के लिए नियमित रूप से लेख लिखते थे। उन्होंने तीन फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया।

श्री अमृत नहाटा का निधन 26 अप्रैल, 2001 को नई दिल्ली में 73 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री एन. टोम्बी सिंह 1971 से 1979 तक पांचवीं और छठी लोक सभा तथा 1984 से 1991 तक आठवीं और नौवीं लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने मणिपुर के आंतरिक मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व श्री सिंह 1967 से 1969 तक मणिपुर विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया।

एक योग्य संसदविद्, श्री सिंह प्राक्कलन समिति सहित विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। वह 1990 में संचार मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे।

व्यवसाय से शिक्षक, श्री सिंह एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनकी समाज सुधार में अत्यधिक रुचि थी तथा उन्होंने मणिपुर के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। वह विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और खेलकूद संगठनों के साथ संबद्ध रहे।

एक मजदूर नेता, श्री सिंह 1957–67 के दौरान गवर्नमेंट प्रेस एम्पलाईज एसोसिएशन और 1965–67 के दौरान इम्फाल म्यूनिसिपल एम्पलाईज एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। श्री सिंह एक विख्यात पत्रकार थे और वह 1985 में हुई आल इंडिया स्माल न्यूज पेपर्स एडिटर्स कांफ्रैंस के प्रेसीडेंट थे। वह अंग्रेजी साप्ताहिक "मणिपुर टाइम्स" तथा अंग्रेजी दैनिक "मणिपुर मेल" के संस्थापक संपादक थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी थीं।

श्री एन. टोम्बी सिंह का निधन 75 वर्ष की आयु में कुछ समय बीमार रहने के बाद 6 मई, 2001 को इम्फाल, मणिपुर में हुआ।

श्री सुधाकर राव नाईक 1998–99 के दौरान महाराष्ट्र के वाशिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से बारहवीं लोक सभा के सदस्य थे।

इससे पूर्व श्री नाईक 1977–78 के दौरान महाराष्ट्र विधान परिषद तथा 1978 से 1993 के दौरान महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य थे। श्री नाईक एक योग्य प्रशासक थे तथा वह 1977–78, 1985–86 और 1988 से 1991 के दौरान राज्य सरकार में मंत्री रहे तथा इस दौरान उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। वह 1991 से 93 के दौरान महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री रहे और 1994–95 के दौरान हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे।

श्री नाईक अक्तूबर, 1999 में पुनः महाराष्ट्र विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। वह राज्य सरकार की जल संसाधन संबंधी समिति के सदस्य भी रहे।

वह एक सक्रिय सांसद थे और 1998–99 के दौरान कृषि संबंधी समिति के सदस्य भी रहे।

उनकी साहित्य में अभिरुचि थी तथा वह मराठी साप्ताहिक "ग्राम स्वराज्य" और "सोनाली" के संपादक थे।

व्यवसाय से कृषक श्री नाईक एक सक्रिय राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था।

श्री सुधाकर राव नाईक का निधन 67 वर्ष की आयु में 10 मई, 2001 को मुंबई में हुआ।

श्री जी.वाई. कृष्णन 1967 से 1984 तक कर्नाटक के कोलार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चौथी से सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

श्री कृष्णन 1990 से 1996 तक राज्य सभा के भी सदस्य थे। वह कुशल प्रशासक थे तथा उन्होंने 1995–96 के दौरान नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया।

श्री कृष्णन एक सक्रिय संसदविद् थे तथा वह विभिन्न संसदीय और परामर्शदात्री समितियों के सदस्य रहे।

कृषक परिवार में जन्मे श्री कृष्णन एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित मजदूरों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अथक कार्य किया।

श्री कृष्णन एक मजदूर नेता थे और उन्होंने विभिन्न मजदूर संघों में कार्य किया।

व्यवसाय से वकील श्री कृष्णन विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए थे।

उन्होंने अनेक देशों की यात्रा की और वह 1976 में रूस की यात्रा पर गए संसदीय शिष्ट मंडल के सदस्य थे। वह सोसायटी फॉर इंडो–रोमानिया फ्रैंडशिप के उपाध्यक्ष और सोसायटी फॉर इंटरनेशनल फ्रैंडशिप नई दिल्ली के उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष थे।

श्री जी.वाई. कृष्णन का निधन कुछ समय बीमार रहने के पश्चात 71 वर्ष की आयु में 20 मई, 2001 को बंगलौर, कर्नाटक में हुआ।

श्री रामधन 1967 से 1979 तक चौथी से छठी लोक सभा और 1984 से 1991 तक आठवीं और नौवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश में लालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वह एक सक्रिय संसदविद् थे और विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। वह 1977 से 1979 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति तथा 1979 में सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सभापति रहे। उन्होंने 1990 से 1995 तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री रामधन ने अपने स्कूल के दिनों से ही स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना शुरू कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें भारतीय रक्षा नियमों के अंतर्गत 2 वर्ष तक जेल में रखा गया था।

पेशे से अधिवक्ता और पत्रकार श्री रामधन ने 1948 से 1954 के दौरान वाराणसी के हिन्दी दैनिक "आज" और "संसार" लखनऊ के "स्वतंत्र भारत" तथा इलाहाबाद की "अमृत बाजार पत्रिका" के संवाददाता के रूप में कार्य किया।

श्री रामधन ने अनेक देशों की यात्रा की तथा वह 1977 के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा के भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य थे।

एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में श्री रामधन ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और भूमिहीन मजदूरों के कल्याण के लिए अथक कार्य किया। वह विभिन्न विकास संबंधी निकायों में भी रहे। उन्होंने ग्रामीण विकास तथा अल्पसंख्यक वर्ग की समस्याओं के समाधान में भी अत्यधिक रुचि ली।

श्री रामधन का निधन 23 मई, 2001 को 80 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ।

श्री पी. रामचन्द्रन 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने तमिलनाडु के मद्रास–सेंट्रल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व श्री रामचंद्रन 1957 से 1967 तक तत्कालीन मद्रास राज्य विधान सभा के सदस्य रहे।

एक कुशल प्रशासक, श्री रामचंद्रन 1977 से 1979 तक केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री रहे। वह 1982 से 1988 तक केरल के राज्यपाल भी रहे।

पेशे से कृषक श्री रामचंद्रन एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे।

श्री पी. रामचंद्रन का निधन 23 मई, 2001 को कुछ समय बीमार रहने के बाद, 80 वर्ष की आयु में चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ।

श्री जगन्नाथ कौशल 1980 से 1989 तक सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के चंडीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक कुशल प्रशासक, श्री कौशल 1982 से 1984 तक केन्द्रीय विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री रहे।

वह एक सक्रिय संसदविद् थे। वह अनेक संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। उन्होंन 1987 से 1989 तक विशेषाधिकार समिति के सभापति के रूप में कार्य किया। वह 1987–88 के दौरान बोफोर्स सौदे की जांच के लिए गठित संयुक्त समिति के सदस्य भी रहे।

इससे पूर्व श्री कौशल 1952 से 1954 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। उन्होंने 1962 से 1964 तक राज्य सभा की आवास समिति के सभापति के रूप में कार्य किया।

श्री जगन्नाथ कौशल 1976 से 1979 तक बिहार के राज्यपाल रहे।

पेशे से वकील, श्री कौशल ने 1965 और 1967 के दौरान पंजाब और 1969 से 1976 तक हरियाणा के महाधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया।

श्री कौशल ने अनेक देशों की यात्रा की तथा उन्होंने संयुक्त राष्ट्र समुद्र सम्मेलन और फिनलैंड में आयोजित अंतर–संसदीय संघ सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया। वह 1962 के दौरान तत्कालीन सोवियत संघ और मंगोलिया की यात्रा पर गए भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य भी थे।

श्री जगन्नाथ कौशल का निधन कुछ समय बीमार रहने के पश्चात 31 मई, 2001 को 86 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में हुआ।

श्री सी. आर. पट्टाभि रमण 1957 से 1967 तक दूसरी और तीसरी लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने तमिलनाडु के तत्कालीन कुम्बकोणम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री रमण एक कुशल प्रशासक थे और उन्होंने 1962 से 1966 तक विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में केन्द्रीय उपमंत्री के रूप में तथा 1966–67 के दौरान विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया।

वह एक सक्रिय संसदविद् थे तथा उन्होंने लोक लेखा समिति सहित विभिन्न संसदीय और संयुक्त समितियों के सभापति और सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, श्री रमण ने 1927 के दौरान साइमन कमीशन के बहिष्कार और 1929 से 1932 तक इंग्लैण्ड में इंडिया लीग की गतिविधियों में भाग लिया।

पेशे से वकील श्री रमण विभिन्न शिक्षा और कानूनी संस्थाओं से जुड़े रहे। श्री रमण ने अनेक देशों की यात्रा की, वह 1959 के दौरान वारसा, पौलैंड में हुए अंतर–संसदीय सम्मेलन में भारतीय शिष्ट मंडल तथा 1961 के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा के सोलहवें सत्र के भारतीय शिष्ट मंडल के सदस्य थे।

श्री रमण एक सुविख्यात सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे तथा उन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अथक कार्य किया। श्री रमण एक विद्वान थे और उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखीं।

श्री सी.आर. पट्टाभि रमण का निधन कुछ समय बीमार रहने के पश्चात 19 जून, 2001 को 95 वर्ष की आयु में चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.22 बजे

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

दूरसंचार सुविधाएं

***1. श्री अशोक ना. मोहोल :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण, आदिवासी और सुदूर क्षेत्रों में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय किया जाएगा;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में 1000 या इससे अधिक लाइनों वाले सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को ऑप्टीकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.) या माइक्रोवेव प्रणाली के साथ जोड़ने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इन सभी एक्सचेंजों को ऑप्टीकल फाइबर केबल से कब तक जोड़ दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ङ) चालू वित्तीय वर्ष 2001–2002 के दौरान देश के सुदूर क्षेत्रों सहित ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में 1616 नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की योजना है। इनमें से 1352 एक्सचेंज ग्रामीण क्षेत्रों में और 264 एक्सचेंज आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। इन एक्सचेंजों को स्थापित करने में कुल व्यय लगभग 888.80 करोड रु. होने का अनुमान है। राज्य–वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

1000 या इससे अधिक लाइनों वाले सभी एक्सचेंजों को मार्च 2002 तक ऑप्टीकल फाइबर या माइक्रोवेव प्रणाली जैसे विश्वसनीय माध्यम से जोड़ दिए जाने की संभावना है।

विवरण

वर्ष 2001–02 के दौरान देश के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित नए टेलीफोन एक्सचेंजों एवं उन पर होने वाले संभावित व्यय से संबंधित राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2001–02 के दौरान प्रस्तावित नए एक्सचेंजों की संख्या			संभावित व्यय (करोड़ रु. में)
		ग्रामीण क्षेत्र	आदिवासी क्षेत्र	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	150	10	160	88.00
2.	अंडमान–निकोबार	2	1	3	1.65
3.	असम	24	6	30	16.50
4.	बिहार	110	0	110	60.5
5.	झारखंड	0	90	90	52.8
6.	गुजरात	107	20	127	69.85
7.	हरियाणा	30	0	30	16.50
8.	हिमाचल प्रदेश	50	10	60	33.00
9.	जम्मू–कश्मीर	20	0	20	11.00
10.	कर्नाटक	105	20	125	68.75

1	2	3	4	5	6
11.	केरल	36	4	40	22.00
12.	मध्य प्रदेश	21	2	23	12.65
13.	छत्तीसगढ़	14	28	42	23.10
14.	महाराष्ट्र	194	0	194	106.70
15.	गोवा	6	0	6	3.30
16.	मेघालय	0	4	4	2.20
17.	मिजोरम	0	2	2	1.10
18.	त्रिपुरा	2	2	4	2.20
19.	अरुणाचल प्रदेश	0	4	4	2.20
20.	मणिपुर	2	1	3	1.65
21.	नागालैंड	0	3	3	1.65
22.	उड़ीसा	25	25	50	27.50
23.	पंजाब	68	0	68	37.40
24.	राजस्थान	96	4	100	55.00
25.	तमिलनाडु	35	0	35	19.25
26.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	74	4	78	42.90
27.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	25	0	25	13.75
28.	उत्तरांचल	17	3	20	11.00
29.	पश्चिम बंगाल	135	21	156	85.80
30.	सिक्किम	4	0	4	2.20
	जोड़	1352	264	1616	888.80

एअर इंडिया के प्रबंध निदेशक की सेवाएं समाप्त करना

*2. **श्री सुनील खां :**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया के प्रबंध निदेशक की सेवाएं कुछ महीने पहले समाप्त कर दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) एअर इंडिया के प्रबंध निदेशक की सेवाएं समाप्त नहीं की गई हैं वरन उन्हें निलंबित किया गया है। दिनांक 18.10.2000 को

एअर इंडिया लिमिटेड के तत्कालीन कार्यकारी मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा एक रिपोर्ट भेजी गई थी जो एअर इंडिया के प्रबंध–निदेशक श्री एम.पी. मेसकरेन्हस समेत एअर इंडिया के वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने पद के दुरुपयोग के बारे में है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि यू.के. के भूतपूर्व जनरल सेल्ज एजेंट (जी.एस.ए.) की मैसर्स वेलकम ट्रैवल्ज के पक्ष में अनुचित उदारता बरती गई है। इन आरोपों की जांच नागर विमानन मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा कराई गई। जांच की प्रथम दृष्टि में यह पता चला कि श्री एम.पी. मेसकरेन्हस, प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लिमिटेड (ए आई एल) ने एअर इंडिया लिमिटेड के कुछ अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके कदाचार किया, साथ ही साथ उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मैसर्स वेलकम ट्रैवल्स, भूतपूर्व जी एस ए, यू.के. के प्रति अवांछित पक्ष दिखाया जिसके अनुसार भूतपूर्व जी एस ए को उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) की रिस्ट्रक्चरिंग करके गलत तरीके से लाभ पहुंचाया और इससे वर्ष 1992–93 तथा 1997–98 की समयावधि के दौरान एअर इंडिया लिमिटेड के हितों को नुकसान पहुंचाया जिसके फलस्वरूप मैसर्स वैलकम ट्रैवल्स को गलत ढंग से फायदा मिला जबकि इसकी वजह से एअर इंडिया लिमिटेड को घाटा हुआ जो 2.79 करोड़ रु. से कहीं अधिक का था। चूंकि ऐसी आशंका थी कि उनके पद पर बने रहने से सही और निष्पक्ष जांच और अनुशासनिक कार्यवाहियां कहीं प्रभावित न हों, इसलिए श्री मेसकरेन्हस को दिनांक 22.5.2001 के आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया गया।

2. दिनांक 23.5.2001 को केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से भी दिनांक 12.6.2001 को प्रथम स्तरीय सलाह के लिए अनुरोध किया गया है।

3. दिनांक 22.5.2001 को इस बारे में एक पत्र केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा गया था जिसने दिनांक 7 जून, 2001 को एक प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज कर ली है।

4. श्री मेसकरेन्हस ने क्योंकि इस मामले में दिनांक 13 जून, 2001 को मुबंई हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर दी है और अब यह मामला न्यायाधीन है।

नदियों के अतिरिक्त जल को अन्यत्र ले जाना

***3. श्री राजनारायण पासी :**
श्री पी. डी. एलानगोवन :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्र में गिरने वाली देश की नदियों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन नदियों के अतिरिक्त जल के संग्रहण के उद्देश्य से इसे कम जल वाली नदियों में ले जाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मुद्दे पर योजना आयोग के साथ बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (घ) देश में वर्षा और हिमपात के रूप में 4000 घन कि.मी. औसत वार्षिक वर्षापात होता है। इसमें से, 1869 घन कि.मी. जल विभिन्न नदी बेसिनों में औसत वार्षिक अपवाह के रूप में बह जाता है। यह आकलन किया गया है कि उपयोग योग्य सतही जल की मात्रा 690 घन कि.मी. और भूजल 432 घन कि. मी. है, जो कुल मिलाकर 1122 घन कि.मी. है। इसकी तुलना में वर्तमान उपयोग लगभग 605 घन कि.मी. है, यह अनुमान है कि शेष जल बगैर उपयोग के ही मुख्यतः गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी और नर्मदा के माध्यम से समुद्र में बह जाता है। सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) तथा केन्द्रीय जल आयोग ने जल संसाधनों के विकास के लिए वर्ष 1980 में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की थी, जिसमें जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल को जल की कमी वाले बेसिनों में हस्तांतरित करने के वास्ते विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों तथा हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है। इस योजना में प्रायद्वीपीय नदी–विकास घटक के तहत 17 जल हस्तांतरण संपर्कों तथा हिमालयी नदी विकास घटक के तहत 14 जल हस्तांतरण संपर्कों की योजना की गई है। इस पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए, भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ–साथ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के जल संतुलन और व्यवहार्यता अध्ययन करने के वास्ते जुलाई, 1982 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन डब्ल्यू डी ए) की स्थापना की थी। मौजूदा आकलित अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों को जल हस्तांतरण करने के वास्ते प्रस्तावित सभी 31 अंतर्बेसिन हस्तांतरण संपर्कों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने सभी 31 संपर्कों की पूर्व–व्यवहार्यता (प्री–फिजीबिलिटी) पूरी कर ली है। प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के तहत भी 5 संपर्कों की व्यवहार्यता पूरी कर ली गई है।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के संबंध में हुई प्रगति पर, इस मंत्रालय की वार्षिक योजना को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित वार्षिक योजना विचार–विमर्श में योजना आयोग के साथ विचार–विमर्श किया जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के कार्य में हुई प्रगति पर आवधिक विचार–विमर्श, इसके शासी निकाय में किया जाता है, जिसमें योजना आयोग का प्रतिनिधि भी भाग लेता है।

विवरण

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा जिन प्रस्तावित जल हस्तांतरण संपर्कों की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार की गई हैं, उनकी सूची इस प्रकार है

प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक

1. महानदी (मणिभद्र)–गोदावरी (दौलेस्वरम) संपर्क
2. गोदावरी (पोलावरम)–कृष्णा (विजयवाड़ा) संपर्क
3. गोदावरी (इंचमपल्ली)–कृष्णा (पुलिचिंताला) संपर्क
4. पार–तापी संपर्क
5. केन–बेतवा संपर्क
6. कालीसिंध–चंबल संपर्क
7. पम्बा–अचनकोविल–वैगई संपर्क
8. गोदावरी (इंचमपल्ली)–कृष्णा (नागार्जुन सागर) संपर्क
9. गोदावरी (इंचमपल्ली निचला बांध)–मुसी और कृष्णा (नागार्जुन सागर टेल पॉन्ड) संपर्क
10. दमन गंगा–तंसा संपर्क
11. बेडती–वर्दा संपर्क
12. नेत्रवती–हेमावती संपर्क
13. कृष्णा (नागार्जुन सागर)–पेन्नार (सोमसिला) संपर्क
14. कृष्णा (श्री सैलम)–पेन्नार (पोदत्तूर) संपर्क
15. कृष्णा (अलमट्टी)–पेन्नार संपर्क
16. पेन्नार (सोमसिला)–कावेरी (ग्रैंड अनीकट) संपर्क
17. कावेरी (कट्टालै)–वैगई–गुंडार संपर्क

हिमालयी नदी विकास घटक

1. कोसी–मेची संपर्क
2. कोसी–घाघरा संपर्क
3. गंडक–गंगा संपर्क
4. घाघरा–यमुना संपर्क
5. शारदा–यमुना संपर्क
6. यमुना–राजस्थान संपर्क
7. राजस्थान–साबरमती संपर्क
8. चुनार–सोन बैराज संपर्क
9. सोन बांध–गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां संपर्क
10. ब्रह्मपुत्र–गंगा संपर्क (मानस–संकोश–तीस्ता–गंगा)
11. फरक्का–सुन्दरवन संपर्क
12. गंगा–दामोदर–सुवर्णरेखा संपर्क
13. सुवर्णरेखा–महानदी संपर्क
14. जोगीघोपा–तीस्ता–फरक्का संपर्क

नोट : ऊपर दिए गए सभी संपर्कों के पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं।

डाक दरों में वृद्धि

***4. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री शिवाजी माने :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में डाक दरों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो डाक दरों में संशोधन करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 2001 को पुस्तक वर्ष घोषित किया है;

(घ) यदि हां, तो पुस्तक वर्ष के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं पर इस डाक वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ङ) क्या भारतीय प्रकाशक संघ ने सरकार से इस संबंध में कोई अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (छ) सरकार ने कुछ सेवाओं के संबंध में 1 जून, 2001 से डाक दरों में संशोधन किया है। डाक सेवाओं की दरें निर्धारित करते समय आम आदमी के हितों, ऐसी सेवाओं को प्रदान करने की लागत तथा समाज के सभी ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में डाक सेवाओं की भूमिका को ध्यान में रखा गया है। इन डाक सेवाओं की दरों में वृद्धि करने से भी इनमें से अधिकांश सेवाएं अपनी प्रचालन लागत से भी बहुत कम राजस्व अर्जित कर पाएंगी। संघ सरकार ने वर्ष 2001–2002 को पुस्तक वर्ष घोषित किया है। तथापि, डाक दर में संशोधन का प्रभाव महसूस नहीं किया जाएगा क्योंकि कुछ डाक दरों में 10 से 14 वर्षों के अंतराल के बाद मामूली संशोधन किया किया गया है। इसके अतिरिक्त, 50/– रु. के मूल्य तक के मुद्रित पुस्तकों वाले मूल्यदेय पैकेट पर 2.50 रुपये का रियायती शुल्क देय है।

भारतीय प्रकाशक संघ ने मौजूदा दर बनाए रखने का अनुरोध किया तथा इच्छा जताई कि अगले 10 वर्षों तक दरों में कोई संशोधन न किया जाए। डाक दरों में वृद्धि से संबंधित मामले पर, जैसा कि भारतीय प्रकाशक संघ द्वारा उठाया गया था, 9 अप्रैल, 2001 को एक अंतर मंत्रालय स्तर की बैठक में विचार किया गया जिसमें भारतीय प्रकाशक संघ के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि डाक दरों में 10 वर्ष के अंतराल के बाद संशोधन किया गया है और यह मामूली वृद्धि है। ऐसे आवधिक संशोधनों से बचा नहीं जा सकता है।

[हिन्दी]

बाल श्रम

***5. श्री थावरचन्द गेहलोत** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नवीनतम जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों की राज्य वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा बाल श्रम प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1998, 1999 और 2000 में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में कब तक बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है और इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और क्या कार्ययोजना बनाई गई है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) देश में बाल श्रम संबंधी प्रामाणिक सूचना दसवर्षीय जनगणना के माध्यम से तैयार की जाती है। 1991 की जनगणना के अनुसार, भारत में कामकाजी बच्चों की संख्या 11.28 मिलियन है। बाल श्रम संबंधी राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। 2001 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए हैं।

(ख) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक अनुसूची के भाग 'क' में दिए गए किसी भी व्यवसाय अथवा किसी भी कर्मशाला जिसमें अनुसूची की भाग 'ख' में रखी गई प्रक्रियाएं चलाई जा रही हों, में नियोजित नहीं होगा या उसे कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। अनुसूची में तकनीकी सलाहकार समिति की सलाह पर व्यवसाय और प्रक्रियाएं जोड़ी जाती हैं। 1986 में अनुसूची में 5 व्यवसाय और 11 प्रक्रियाएं थीं। 1994 में उसमें 7 व्यवसाय और 18 प्रक्रियाएं थीं। 1999 में जोड़े गए 6 व्यवसायों और 33 प्रक्रियाओं और 2000 में जोड़ी गई 6 प्रक्रियाओं के बाद अब इनकी संख्या क्रमशः 13 तथा 57 है।

भारत सरकार बाल श्रमिकों के कल्याण आर पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना और स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान नामक दो योजनाएं चला रही है। 1998 के बाद 24 नई राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं मंजूर की गई हैं जिससे 13 बाल श्रम बहुल राज्यों में परियोजना वाले जिलों की संख्या 100 हो गई है। सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों की सिफारिश पर स्वयंसेवी संगठनों को परियोजनाएं मंजूर की जाती हैं।

(ग) बाल श्रम एक जटिल सामाजिक–आर्थिक समस्या है, जिसके लिए दीर्घ काल तक लगातार प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। समस्या की प्रकृति और व्यापकता को देखते हुए, कार्य से हटाए जाने और पुनर्वास के लिए सतत और क्रमिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। नई दिल्ली में जनवरी, 2001 को आयोजित बाल श्रम पर राष्ट्रीय सम्मेलन में यह संकल्प भी लिया गया था कि बाल श्रम के संपूर्ण उन्मूलन के सभी प्रयास किए जाएं। तथापि, सरकार का यह प्रयास रहेगा कि वर्ष 2005 तक जोखिमकारी व्यवसायों से बाल श्रम का उन्मूलन हो जाए।

विवरण

1971, 1981 और 1991 की जनगणना के अनुसार कामकाजी बच्चों का राज्य वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1971 कामगार	1981 कामगार	1991 कामगार
1	2	3	4
1 आंध्र प्रदेश	1,627,492	1,951,312	1,661,940
2 असम	239,349*	**	327,598
3 बिहार	1,059,359	1,101,764	942,245
4 गुजरात	518,061	616,913	523,585
5 हरियाणा	137,826	194,189	109,691
6 हिमाचल प्रदेश	71,384,	99,624	56,438
7 जम्मू और कश्मीर	70,489	258,437	**
8 कर्नाटक	808,719	1,131,530	976,247
9 केरल	111,801	92,854	34,800
10 मध्य प्रदेश	1,112,319	1,698,597	1,352,563
11 महाराष्ट्र	988,357	1,557,756	1,068,418
12 मणिपुर	16,380	20,217	16,493
13 मेघालय	30,440	44,916	34,633
14 नागालैंड	13,726	16,235	16,476
15 उड़ीसा	492,477	702,293	452,394
16 पंजाब	232,774	216,939	142,868
17 राजस्थान	587,389	819,605	774,199
18 सिक्किम	15,661	8,561	5,598
19 तमिलनाडु	713,305	975,055	578,889
20 त्रिपुरा	17,490	24,204	16,478
21 उत्तर प्रदेश	1,326,726	1,434,675	1,410,086
22 पश्चिम बंगाल	511,443	605,263	711,691
23 अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	572	1,309	1,265
24 अरुणाचल प्रदेश	17,925	17,950	12,395
25 चंडीगढ़	1,086	1,986	1,870
26 दादरा और नगर हवेली	3,102	3,615	4,416
27 दिल्ली	17,120	25,717	27,351
28 दमण और दीव	7,391	9,378	941
29 गोवा			4,656
30 लक्षद्वीप	97	56	34
31 मिजोरम	***	6,314	16,411
32 पांडिचेरी	3,725	3,606	2,680
कुल	10,753,985	13,640,870	11,285,349

* मिजोरम के आंकड़े भी शामिल हैं जो उस समय असम का हिस्सा था।

** जनगणना नहीं कराई जा सकी।

*** मिजोरम के संबंध में 1971 की जनगणना के आंकड़े असम के आंकड़ों में शामिल हैं।

पाद टिप्पणी : 1991 के आंकड़े 5–14 वर्ष की आयु वर्ग से संबंधित हैं।

[अनुवाद]

गांवों में टेलीफोन सेवाएं

***6. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी :**
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक भागों में ग्राम टेलीफोन सेवा ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) हालांकि गांवों में संतोषजनक टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं, तथापि ऐसे क्षेत्र भी हैं, जहां असंतोषजनक पावर आपूर्ति, सड़क अवसंरचना और अनुरक्षण की अपर्याप्त सुविधाओं आदि जैसे कारणों से इन सेवाओं का उपयुक्त कार्यकारण सुनिश्चित करना संभव नहीं हो सका है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) मार्च, 2002 के अंत तक सभी एक्सचेंजों में विश्वसनीय पारेषण माध्यम प्रदान करना।

(ii) लंबी अवधि तक होने वाले पॉवर ब्रेक डाउन को देखते हुए जनरेटर सैट प्रदान करना।

(iii) एनालॉग एक्सचेंजों के स्थान पर डिजिटल एक्सचेंज लगाना।

(iv) बाह्य संयंत्र का पुनः स्थापन/उन्नयन।

(v) चरणबद्ध रूप से डब्ल्यू एल एल पर वीपीटी प्रदान करना।

(vi) टेलीफोन एक्सचेंजों से रोजाना वीपीटी की जांच करना।

(vii) वीपीटी की शीघ्र पुनःस्थापना के लिए प्रत्येक एसएसए में कोर ग्रुप बनाना।

[हिन्दी]

नई सिंचाई योजनाएं

***7. श्री राम टहल चौधरी** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु और सीमांत कृषकों के लिए नई सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन पर अधिक बल देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी राशि आबंटित की गई; और

(घ) उन जिलों के राज्य–वार नाम क्या हैं, जिनमें ये योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (घ) लघु सिंचाई को महत्व देने वाली तथा लघु और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। दिनांक 1.4.1999 को शुरू की गई स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) में अन्य बातों के साथ–साथ गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले किसानों के लाभ के लिए लघु सिंचाई स्कीमें शुरू करने का प्रावधान है। किसानों के मामले में प्रति किसान यह सब्सिडी 30 प्रतिशत तक देय होगी जो अधिकतम 7500 रुपये तक सीमित होगी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभग्राहियों के लिए 50 प्रतिशत तक देय होगी बशर्ते कि यह राशि 10000 रुपये से अधिक न हो तथा समूह परियोजनाओं के लिए यह सब्सिडी 50 प्रतिशत तक है, लेकिन इसकी कोई वित्तीय सीमा नहीं है। पिछले दो वर्षों अर्थात 1999–2000 तथा 2000–2001 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्रमशः 806.25 लाख रुपये और 1230.05 लाख रुपये तक की सब्सिडी मुहैया कराई गई है। ये स्कीमें परियोजना–वार शुरू की जाती हैं तथा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का कार्यान्वयन सारे देश में होता है।

चल रहे केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में लघु तथा सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए देश में निर्दिष्ट सिंचाई कमानों में भूजल निकासी तथा स्प्रिंक्लर और ड्रिप सिंचाई व्यवस्था शुरू करने का भी प्रावधान है। पूर्व एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) प्रणाली के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों को आनुपातिक आधार पर सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। पिछले दो वर्षों अर्थात 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्रमशः 304.89 लाख रुपये और 330.63 लाख रुपये की सब्सिडी जारी की गई है।

प्लास्टिकल्चर इंटरवेंशन द्वारा बागवानी के विकास संबंधी केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत लघु और सीमांत किसानों को भी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के लिए केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाती है। वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत जारी की गई निधियां क्रमशः 9510 लाख रुपये और 1820 लाख रुपये हैं।

इसके अतिरिक्त, मुख्यतः लघु और सीमांत किसानों को लाभ मुहैया कराने वाले लघु सिंचाई शीर्ष के तहत राज्य क्षेत्र में होने वाले व्यय में पिछले कुछ वर्षों से अत्यधिक वृद्धि हो रही है।

[अनुवाद]

बेरोजगार व्यक्ति

***8. श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री जी. एस. बसवराज :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1993–94 के आंकड़ों की तुलना में हाल के वर्षों में बेरोजगारी की दर में वृद्धि हुई है;

(ख) वर्तमान में देश में कुल कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) रोजगार तथा बेरोजगारी के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा पंचवर्षीय आधार पर आयोजित श्रम सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 1999–2000 के दौरान आयोजित अंतिम सर्वेक्षण से पता चलता है कि सामान्य प्रमुख तथा गौण स्थिति (यूपीएसएस) दृष्टिकोण के अनुसार वर्ष 1999–2000 में बेरोजगारी दर में वर्ष 1993–94 की तुलना में आंशिक वृद्धि हुई है। 1 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार देश में लगभग 90 लाख बेरोजगार व्यक्ति थे। बेरोजगारी की दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कम थी।

रोजगार सृजन हेतु आयोजना पंचवर्षीय योजनाओं का एक भाग है। नौवीं योजना दृष्टिकोण में उत्पादक रोजगार जोकि बेरोजगारी तथा अल्प–रोजगार की उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन सैक्टरों, सब–सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकीयों पर संकेन्द्रण से विकासात्मक प्रक्रिया में स्वतः ही सृजित होगा, को प्राथमिकता दिए जाने की परिकल्पना की गई है।

सरकार रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन हेतु विशेष कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्व–रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा रोजगार आश्वासन योजना, रोजगार उपलब्ध करवाने वाले प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं। शहरी क्षेत्रों में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) 1.12.97 से चल रही है, जिसमें गरीबों को भी लाभप्रद रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय प्लान स्कीम के रूप में प्रधान मंत्री रोजगार योजना कार्यान्वित की जा रही है।

[हिन्दी]

बिहार में जल स्तर का ऊपर उठाया जाना

***9. श्री राजो सिंह :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भू–जल बोर्ड का विचार उनके मंत्रालय के सहयोग से देश के विभिन्न राज्यों में भू–जल स्तर को ऊपर उठाने हेतु विभिन्न योजनाएं लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजनाओं को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययन पर अपनी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों में प्रायोगिक आधार पर भूमि जल पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन संबंधी प्रयोग किए हैं। सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के लिए 25.00 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। इस स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित प्रस्तावों के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अनुमोदित प्रस्तावों का क्रियान्वयन 1–2 वर्षों में करने की संभावना है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	स्कीमें (संख्या)	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	10	54.55	क्रियान्वयनाधीन
2.	असम	1	56.69	क्रियान्वयनाधीन

1	2	3	4	5
3.	बिहार	4	18.69	क्रियान्वयनाधीन
4.	दिल्ली	14	86.43	चार स्कीमें पूरी कर ली गईं और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
5.	गुजरात	3	18.95	क्रियान्वयनाधीन
6.	हरियाणा	8	139.12	तीन स्कीमें पूरी कर ली गई हैं और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
7.	हिमाचल प्रदेश	6	81.65	तीन स्कीमें पूरी हो गईं और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
8.	जम्मू और कश्मीर	11	190.19	एक स्कीम पूरी हो गई है और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
9.	झारखंड	6	28.04	क्रियान्वयनाधीन
10.	कर्नाटक	1	13.75	क्रियान्वयनाधीन
11.	केरल	9	67.62	पांच स्कीमें पूरा होने के अंतिम चरण पर हैं और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
12.	मध्य प्रदेश	5	53.85	चार स्कीमें पूरी कर ली गईं और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
13.	महाराष्ट्र	3	76.63	क्रियान्वयनाधीन
14.	मेघालय	1	28.00	क्रियान्वयनाधीन
15.	मिजोरम	1	28.00	क्रियान्वयनाधीन
16.	नागालैंड	1	70.00	क्रियान्वयनाधीन
17.	उड़ीसा	2	437.40	क्रियान्वयनाधीन
18.	पंजाब	15	251.49	छः स्कीमें पूरी कर ली गई हैं और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
19.	राजस्थान	13	84.27	एक स्कीम पूरी हो गई है और शेष क्रियान्वयनाधीन है।
20.	तमिलनाडु	8	198.98	एक स्कीम पूरी हो गई है और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
21.	उत्तर प्रदेश	5	37.21	क्रियान्वयनाधीन
22.	उत्तरांचल	1	2.00	क्रियान्वयनाधीन
23.	पश्चिम बंगाल	8	167.82	क्रियान्वयनाधीन

सेल्यूलर सेवाएं

***10. श्री माणिकराव होडल्या गावित :**
श्री टी. गोविन्दन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी सेल्यूलर ऑपरेटरों/कंपनियों से प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए हैं ताकि वे अपने ग्राहकों को प्रशुल्क प्रभारों, जमानत जमा राशि; आने वाली कालों की दर आदि को घटाकर और अधिक आकर्षक शर्तों पर सेवाएं प्रदान कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं की संख्या में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(घ) सरकार द्वारा अपनी सेल्यूलर/मोबाइल सेवा में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का विचार मोबाइल टेलीफोनों पर आने वाली कॉलों को निःशुल्क करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) बीएसएनएल और एमटीएनएल फायदे में चल रही कंपनियां हैं

और दूरसंचार क्षेत्र में इनकी प्रमुख बाजार हिस्सेदारी है। ये भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित पैरामीटरों के भीतर प्रतिस्पर्धी टैरिफ पैकेजों को निर्धारित करने में सक्षम हैं।

(ग) एमटीएनएल ने संलग्न विवरण में दर्शाए गए अनुसार 27 जून, 2001 से टैरिफ ढांचे को आशोधित किया है। इन आशोधनों के परिणामस्वरूप एमटीएनएल में नए सेल्यूलर कनेक्शनों के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की गति में वृद्धि हुई है। जहांकि पहले दिल्ली और मुंबई दोनों महानगरों में प्रतिदिन 4 से 5 रजिस्ट्रेशन कराए जाते थे, वहीं अब दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 40 और मुंबई में प्रतिदिन लगभग 55 रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं।

बीएसएनएल ने अप्रैल, 2001 से अपनी प्रीपेड कार्ड सेवा शुरू की है। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं की संख्या 300 से बढ़कर 4000 हो गई है।

(घ) एमटीएनएल द्वारा सेल्यूलर सेवा में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) नेटवर्क का अधिकतम उपयोग किया जा रहा हे ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को इसमें शामिल किया जा सके तथा साथ ही निकटवर्ती क्षेत्रों में नए बेस पारेषण केन्द्र (बीटीएस) चालू किए जा रहे हैं।

(ii) सेवा को बाजार में लाने के लिए पर्याप्त संख्या में फ्रैंचाइजी बनाए जा रहे हैं।

(iii) रोमिंग सुविधा का देश के भीतर सभी स्थानों पर विस्तार किया जा रहा है।

(iv) जल्दी ही प्रीपेड सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है।

बीएसएनएल ने अब तक बिहार के पटना, हाजीपुर, आरा, बिहारशरीफ, राजगीर और बाढ़ शहरों में सेल्यूलर सेवा शुरू की है। इसने प्रणाली को स्थायित्व प्रदान करने के उपाय भी किए हैं।

(ङ) और (च) जीएसएम सेल्यूलर नेटवर्क पर इनकमिंग कॉलों को निःशुल्क करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, डब्ल्यूएलएल सीमित मोबाइल सेवा में इनकमिंग कॉलें निःशुल्क हैं।

विवरण

एमटीएनएल द्वारा 'डॉल्फिन' सेल्यूलर टैरिफ ढांचे में 27 जून, 2001 से आशोधन

	27 जून से पहले टैरिफ	27 जून, 2001 से टैरिफ	
		योजना ए	योजना बी
किराया (रु.)	400	250	375
एयरटाईम आउटगोइंग प्रति 30 सेकंड (रु.)	1.35	1.00	0.70
एयरटाईम इनकमिंग प्रति 30 सेकंड (रु.)	0.75	0.75	0.75
पल्स रेट : 30 सेकंड			

[अनुवाद]

आई.एस.डी. रैकेट

***11. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों में चल रहे आईएसडी घोटालों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे घोटालों के कारण सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में भी ऐसे घोटाले का पता लगा है;

(घ) यदि हां, तो उक्त घोटाले में कितने कर्मचारी सम्मिलित हैं और इसके परिणामस्वरूप भारत संचार निगम लिमिटेड को कितना नुकसान उठाना पड़ा है; और

(ङ) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और भविष्य में ऐसी प्रवृत्तियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आईएसडी के दुरुपयोग से संबंधित 75 मामलों का पता लगाया गया है जिसके परिणामस्वरूप

बीएसएनएल को राजस्व हानि हुई है। इन मामलों में 136 कर्मचारी/अधिकारी लिप्त पाए गए। इन मामलों में से 28 मामलों में बीएसएनएल को हुई राजस्व हानि लगभग 4.62 करोड़ रु. है और शेष मामलों में हानि का आकलन नहीं हो सका है। ऐसी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) पुरानी प्रौद्योगिकी वाले अधिकांश एक्सचेंजों के स्थान पर नए डिजिटल एक्सचेंज स्थापित कर दिए गए हैं।

(ii) केवल दूरसंचार से ही संबंधित धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने और उनकी जांच–पड़ताल करने के लिए चार महानगरों में समर्पित सीबीआई सेल गठित किए गए हैं।

(iii) इन मामलों में लिप्त पाए गए कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है।

(iv) दोषी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए सेवा प्रदाताओं और जांच एजेंसियों के बीच सतत समन्वय स्थापित किया जाता है।

(v) एक्सचेंज स्तरों पर जांच बढ़ा दी गई है।

[हिन्दी]

नवगठित राज्यों में खेलों का विकास

***12. श्री पुन्नू लाल मोहले :**
श्री पी. आर. खूंटे :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रतिवर्ष युवाओं और खेलों के विकास हेतु नेहरू युवा केन्द्रों पर व्यय की जा रही राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या सरकार का विचार नवगठित राज्यों, विशेषकर छत्तीसगढ़, में खेलों के विकास हेतु कोई विशेष कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) नेहरू युवा केन्द्रों के लिए अनुदान नेहरू युवा केन्द्र संगठन को एकमुश्त में उन केन्द्रों के कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के संचालन के लिए जारी किए जाते हैं। इसके पश्चात, उक्त संगठन द्वारा अनुदान, अलग–अलग केन्द्र को प्रचलित दर पर जारी किए जाते हैं जो फिलहाल 1.5 लाख रुपये प्रति केन्द्र प्रति वर्ष है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, इन केन्द्रों के लिए अनुदानों की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है, जिससे प्रत्येक राज्य में युवा विकास संबंधी कार्यक्रमों के लिए खर्च की गई धनराशि का पता चलता है।

(ख) से (घ) किसी अन्य राज्य के समान, छत्तीसगढ़ सहित नवगठित राज्य, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की, खेलों के विकास हेतु निरंतर रूप से चल रही योजनाओं के अंतर्गत, उपलब्ध सहायता का लाभ उठा सकते हैं, जिसके लिए वे व्यवहार्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। नवगठित राज्यों के लिए इस बारे में किसी विशेष कार्यक्रम पर इस समय विचार नहीं किया जा रहा है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	खर्च की गई धनराशि		
		1998–99	1999–2000	2000–2001
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	11179276	10949755	8711153
2.	असम	11328412	13979593	9637383
3.	बिहार	22117790	19821043	21338155
4.	गुजरात	8084645	8739100	7388556
5.	हरियाणा	8362348	8614958	7610633
6.	हिमाचल प्रदेश	5911867	7179770	5957961
7.	जम्मू व कश्मीर	5867515	6492309	5944336
8.	कर्नाटक	9669128	9553719	6849791
9.	नागालैण्ड	2235540	2868379	2176306
10	केरल	7837403	11805284	5320687
11.	मध्य प्रदेश	22377380	22357200	21304705
12.	महाराष्ट्र	13213326	14232882	14583950
13.	मणिपुर	4887696	5464148	4007109

1	2	3	4	5
14.	मेघालय	1559013	2264231	1984623
15.	उड़ीसा	8311700	10100067	7656852
16.	पंजाब	6282386	7160464	6568087
17.	राजस्थान	12479776	12605554	12634187
18.	सिक्किम	2465059	1552242	1291193
19.	तमिलनाडु	13489016	14400293	10288815
20.	त्रिपुरा	1720640	2297825	1363344
21.	उत्तर प्रदेश	28898424	27041049	25386434
22.	पश्चिम बंगाल	12599059	13177998	12089218
23.	अरुणाचल प्रदेश	1199579	1384500	919480
24.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2177288	2569941	2511960
25.	चंडीगढ़	353325	356652	449705
26.	दिल्ली	1765038	2075464	2297870
27.	गोवा	1376200	630886	631940
28.	मिजोरम	1155952	1592477	995143
29.	दादरा व नगर हवेली	303969	269093	312991

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को घाटा

***13. श्री सुन्दर लाल तिवारी :**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 21 मई, 2001 के *राष्ट्रीय सहारा* में प्रकाशित समाचार के अनुसार नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए ए आई) को भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) उक्त रिपोर्ट में उल्लिखित निजी एयरलाइनों पर कितनी धन राशि बकाया है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त एयर लाइनों से इस धन राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) राष्ट्रीय सहारा ने अपने दिनांक 21 मई, 2001 के समाचार–पत्र में दो मदों के बारे में रिपोर्ट छापी है जो (i) निविदा आमंत्रित करने की त्रुटिपूर्ण क्रिया विधि की वजह से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए ए आई) को हानि तथा (ii) त्रुटिपूर्ण निर्णय की वजह से भारतीय तेल निगम (आई ओ सी) की हानि से संबंधित हैं। जहां तक भारतीय तेल निगम को त्रुटिपूर्ण निर्णय की वजह से हानि का संबंध है, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से भारतीय तेल आयोग की निजी एयरलाइनों की तरफ बकाया राशि, राशि वसूली के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से सूचना एकत्र की जा रही है। जहां तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हुई हानि का संबंध है, यह सच है कि नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में यह टिप्पणी की है कि निःशुल्क दुकानों संबंधी ठेका उच्चतम बोली–कर्ता को नहीं दिया जा सकता चूंकि प्रबंधन की यह चूक थी कि उसने विभागीय रूप में निःशुल्क दुकानें चलाने के लिए जो बोलियां आमंत्रित कीं वे बिना विशेषज्ञता प्राप्त वाली थीं और जबकि मूल निविदा की शर्तों से हटकर एक ग्राही के बतौर दुकानें चलाने के लिए मौजूदा पार्टियों से गलत ढंग से वित्तीय बोलियां प्राप्त की गईं, जबकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को जून, 2000 तक 168.75 करोड रु. की कुल आय से हाथ धोना पड़ा। इस बारे में तथ्य इस प्रकार हैं :

जून, 1995 में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और तिरूवनंतपुरम स्थित पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पहचान शुदा अतिरिक्त क्षेत्रों में निःशुल्क शापिंग आर्केडेज स्थापित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की आर्थिक सहायता हेतु कंसल्टेंट/कंसोलिडेटरों के चयन के लिए पूर्व–अर्हता विश्व स्तरीय निविदाएं आमंत्रित की थीं। जनवरी, 1996 में, एक समिति ने यह अनुभव किया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क दुकानें चलाने के बारे में पर्याप्त अनुभव प्राप्त नहीं है अतः समिति ने निःशुल्क दुकानों को चलाने हेतु एक ग्राही के चयन के बारे में निर्णय लिया और उसने प्राप्त बोलियों में से चार पार्टियों को शार्ट लिस्ट किया। तदनुसार अगस्त, 1996 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इन शार्ट–लिमिटेड की गई पार्टियों को कहा कि वे अपनी वित्तीय बोलियां प्रेश

करें। उनको न केवल प्रारंभ में पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पहचान शुदा अतिरिक्त क्षेत्रों में वरन निर्माणाधीन मुंबई के नए टर्मिनल–2 सी के लिए भी निःशुल्क दुकानों की स्थापना के लिए बोलियां प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। जून, 1996 में व्यापक शर्तों को अंतिम रूप दिया गया। अगस्त, 1996 में वित्तीय बोलियां प्राप्त हुईं। मैसर्स लायन सिटी होल्डिंग, सिंगापुर की बोली मुबंई के टर्मिनल–2 सी के लिए उच्चतम थी, जबकि मैसर्स वीटनौर, स्विटजरलैंड की बोली अतिरिक्त क्षेत्र के लिए उच्चतम थी। सभी बोलीकर्ताओं को कहा गया था कि वे दोनों सेगमेंटों के बारे में उच्चतम प्रस्ताव के समरूप हो। मैसर्स लायन सिटी होल्डिंग, सिंगापुर जिसका रैंक तकनीकी प्रस्तुतिकरण में अपेक्षाकृत उच्च था चूंकि उसने मैसर्स वीटनौर के साथ मैच करने के लिए आने प्रस्ताव को बढ़ाने का प्रस्ताव किया था और इस तरह उनको कहा गया था कि वे अपनी जमा बयाना राशि (ई एम डी) कर पुनः वैधीकरण कर ले। मैसर्स लायन सिटी ने अपनी ई एम डी का पुनर्वैधीकरण नहीं किया और इस तरह उनका प्रस्ताव अमान्यकृत हो गया। मुंबई के टर्मिनल–2 सी को डिलिंक करने चूंकि वह अभी निर्माणाधीन था और मैसर्स वीटनौर के प्रस्ताव पर भी विचार करने के बारे में भी निर्णय लिया गया।

मैसर्स वीटनौर के साथ ठेका संबंधी शर्तों के बारे में बातचीत करते समय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकारण ने निविदा क्रियाविधि में कुछ कानूनी अशक्तता पाई, यानी जो वर्ष 1995 में आमंत्रित निविदाओं के लिए पूर्वअर्हता भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सहायता के लिए कंसल्टेंट/कंसोलिडेटरों के संबंध में थी। जबकि अंतिम प्रस्तावित अवार्ड ग्राहियों के लिए था। मई, 1998 में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस कानूनी अशक्तता की वजह से निविदा को रद्द करने का निर्णय लिया था। यदि, निविदाएं अवार्ड कर दी गई होतीं तो इससे कानूनी पेचीदगी और कोर्ट केस की स्थिति बन गई होती।

एम.एस. अहलुवालिया समिति

***14. मोहम्मद शहाबुद्दीन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रतिवर्ष एक करोड़ व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मोंटेक सिंह अहलुवालिया समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कतिपय क्षेत्रों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो ये कौन–कौन से क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित संस्थाओं के नाम क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार इन क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठा रही है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ङ) टॉस्क फोर्स की रिपोर्ट सरकार को 1 जुलाई, 2001 को प्रस्तुत की गई। टॉस्क फोर्स द्वारा रोजगार सृजन रणनीति हेतु पांच प्रमुख क्षेत्रों में कार्रवाई करने की संस्तुति की गई है।

> विशेष रूप से श्रम बल के निम्न आय वर्गों में आय बढ़ाने की क्षमता रखने वाले क्षेत्रों के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर में बढ़ोतरी सुनिश्चित करना।

> नए रोजगार सृजन के लिए प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र में उपयुक्त नीतियों का अनुसरण करना। ये क्षेत्र स्तरीय नीतियां सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि करने के उद्देश्य के साथ व्यापक रूप से जुड़ी हुई होनी चाहिए।

> सामान्य विकास के संवर्धन की नीतियों से समुचित रूप से लाभान्वित न हो सकने वाले संवेदनशील समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए लक्षित विद्यमान गतिविधियों से आय सृजन में वृद्धि करने हेतु अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए विशेष कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।

> श्रम बल की गुणवत्ता को बढ़ाने वाली तथा उच्च कोटि के रोजगार सृजन में वृद्धि करने में सक्षम शिक्षा तथा कौशल विकास की उपयुक्त नीतियों का अनुसरण करना।

> श्रम बाजार को नियंत्रित करने वाली नीति एवं विधिक वातावरण, जोकि विशेष रूप से संगठित क्षेत्र में श्रम की खपत को प्रोत्साहित करते हैं, को सुनिश्चित करना।

टॉस्क फोर्स ने कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों, खाद्य प्रसंस्करण, लघु उद्योग, सेवा क्षेत्र, यात्रा एवं पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, आवास एवं जमीन–जायदाद विकास तथा निर्माण, सड़क परिवहन, वितरण व्यवसाय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा नए उभरते हुए सेवा क्षेत्रों का निर्धारण

किया है, जहां गुणवत्तात्मक रोजगार की पर्याप्त संभावनाओं का उपयोग किया जा सकता है।

टॉस्क फोर्स की रिपोर्ट अभी हाल में सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है तथा रिपोर्ट पर सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् आगामी कार्रवाई की जाएगी।

बालक श्रम उत्सादन अधिनियम

***15. श्री महेश्वर सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1997–98 और 1998–99 के दौरान बाल श्रम उन्मूलन के लिए क्रमशः 78 करोड़ रुपये और 50 करोड़ रुपये के कुल आबंटन में से क्रमशः केवल 13 करोड़ रुपये और 27 करोड़ रुपये ही उपयोग में लाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) बाल श्रम कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) सरकार द्वारा आबंटित निधियों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) यह सच है कि वर्ष 1997–98 तथा 1998–99 के दौरान विभिन्न बाल श्रम योजनाओं पर किया गया व्यय आबंटित बजट से कम रहा। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत निधि के उपयोग में कमी की वजह यह रही कि नौवीं योजना में परियोजना को जारी रखने का अनुमोदन विलंब से प्राप्त हुआ। जिसके कारण परियोजनाएं 1999 में स्वीकृत की जा सकीं जबकि 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997–98 में ही शुरू हो चुकी थी। तथापि, निधि के उपयोग में निरंतर वृद्धि होती रही। वित्त वर्ष 1999–2000 में यह 37 करोड़ रुपये और 2000–2001 में 38 करोड़ रुपये था जबकि इनके लिए बजट आबंटन क्रमशः 34 करोड़ रुपये तथा 36 करोड़ रु. था। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के उपयोग के स्तर को देखते हुए वित्त वर्ष 2001–2002 के लिए अधिक आबंटन हुआ है अर्थात् इस वित्त वर्ष के लिए बाल श्रम परियोजनाओं हेतु 67 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

निधि की उपलब्धता तथा पिछले 2 वर्षों में उपयोग स्तर में वृद्धि के कारण सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना वाले जिलों की संख्या 1997–98 के 76 से बढ़ाकर 1999–2000 में 96 कर दी थी और मौजूदा वित्त वर्ष में उसे बढ़ाकर 100 कर दिया गया है।

[अनुवाद]

परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु राज्यों को शक्तियां प्रदान करना

***16. श्री नरेश पुगलिया** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनेक सिंचाई और अन्य विकास परियोजनाएं स्वीकृति हेतु गत तीन वर्षों से केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई अथवा कितनी परियोजनाएं किसी न किसी आधार पर राज्य सरकारों को वापस कर दी गईं;

(घ) शेष परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार पांच हैक्टेयर तक वन भूमि वाली सिंचाई और अन्य विकास परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वानिकी मंजूरी हेतु 1998 से जून, 2001 तक की अवधि में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई और विकासात्मक परियोजनाओं के लिए 3500 से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। सभी परियोजनाओं की विस्तृत सूची लंबी और बोझिल होगी। संक्षिप्त रूप में एक विवरण संलग्न है जिसमें राज्यवार प्राप्त हुई परियोजनाएं व उनकी मौजूदा स्थिति दर्शाई गई है।

(घ) अंतिम निर्णय के लिए मंत्रालय लगभग 4.4 प्रतिशत प्रस्तावों पर कार्रवाई कर रहा है। मंत्रालय ऐसे सभी प्रस्तावों को 90 दिनों के अंदर मंजूर करने के लिए प्रतिबद्ध है जो हर दृष्टि से पूर्ण हो। लगभग 14.8 प्रतिशत प्रस्ताव अधूरे हैं और इन प्रस्तावों पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका क्योंकि राज्य सरकारों से अपेक्षित ब्यौरे मांगे गए हैं। इस प्रकार, इन परियोजनाओं को मंजूर करने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

(ङ) और (च) जनहित मुकदमा डब्ल्यू पी (सी) संख्या 202/95 को ध्यान में रखते हुए जो उच्चतम न्यायालय में चल रहा है जिसमें राज्य सरकारों द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का कार्यान्वयन एक मुख्य मामला है जिसकी पुनरीक्षा की जा रही है, अतः फिलहाल अधिनियम में संशोधन करना उपयुक्त नहीं होगा।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	मंजूर	नामंजूर	सूचना के अभाव में नामंजूर	राज्यों को वापस किए गए/वापस लिए गए	मंत्रालय के विचाराधीन	राज्यों से मांगे गए अपेक्षित ब्यौरे
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	असम	52	19	24	0	3	6	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	24	17	0	0	0	4	3
3.	आंध्र प्रदेश	88	46	24	5	1	2	10
4.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	18	12	0	0	0	0	6
5.	बिहार	14	7	1	0	2	1	3
6.	दादरा एवं नगर हवेली	78	55	0	0	1	1	21
7.	गुजरात	314	224	4	4	7	9	66
8.	हरियाणा	172	132	4	9	0	4	23
9.	हिमाचल प्रदेश	222	99	9	40	6	6	62
10.	मणिपुर	3	2	0	0	1	0	0
11.	मेघालय	15	14	0	0	1	0	0
12.	मिजोरम	8	4	0	0	0	2	2
13.	चंडीगढ़	11	7	0	0	0	1	3
14.	दिल्ली	7	1	0	0	1	0	5
15.	गोवा	11	5	1	0	0	2	3
16.	पंजाब	489	323	6	28	5	11	116
17.	उड़ीसा	99	54	4	4	5	9	23
18.	मध्य प्रदेश	142	69	38	6	8	6	15
19.	महाराष्ट्र	372	211	40	7	6	47	61
20.	राजस्थान	137	78	7	8	15	16	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	कर्नाटक	117	52	19	13	3	7	23
22.	केरल	33	23	1	2	1	1	5
23.	तमिलनाडु	63	51	3	3	0	1	5
24.	त्रिपुरा	83	74	3	0	3	1	2
25.	सिक्किम	14	13	0	0	0	1	0
26.	पश्चिम बंगाल	10	5	2	0	0	1	2
27.	उत्तर प्रदेश	120	86	2	3	12	3	14
28.	उत्तरांचल	762	654	23	19	29	7	30
29.	छत्तीसगढ़	25	21	1	0	0	1	2
30.	झारखंड	35	14	1	8	1	6	5
	कुल	3538	2372	217	159	111	156	523

[हिन्दी]

विमानपत्तनों का विस्तार और उन्नयन

***17. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उन विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है, जिनका पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उन्नयन और विस्तार संबंधी कार्य किया गया है;

(ख) इस कार्य के लिए प्रत्येक विमानपत्तन पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 2001-2002 के दौरान यह कार्य कुछ अन्य विमानपत्तनों पर भी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार कुछ विमानपत्तनों का दर्जा बढ़ाकर उनको अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के समतुल्य लाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) वर्ष 1998-99 में भुवनेश्वर, गोवा, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और तिरूवनंतपुरम हवाई अड्डों में विस्तार तथा कोटि-उन्नयन का कार्य किया गया है। कोलकाता, चेन्नई, तेजपुर, इलाहाबाद, कोचीन, मुंबई, दिल्ली, आगरा, श्रीनगर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, पटना, सिल्चर और लेह में प्रमुख संचार दिक्चालनात्मक प्रणाली (सी एन एस) विमान यातायात प्रबंधन (ए टी एम) परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। वर्ष 1999-2000 में पटना, इंदौर, जबलपुर, राजकोट, बेंगलूर, तिरूपति, विजयवाड़ा, सिल्चर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और तिरूवनंतपुरम में कोटिउन्नयन एवं विस्तार का कार्य पूरा किया गया है। वर्ष 1999-2000 में नागपुर, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, इलाहाबाद, तिरूवनंतपुरम, अहमदाबाद, वाराणसी, मेंगलूर, गुवाहाटी, उदयपुर, भोपाल, इंदौर, औरंगाबाद, कालीकट, कोचीन, तूरा, लेंगपुई, कर्गिल, जयपुर, चंडीगढ़, आगरा, ग्वालियर, भुज, जामनगर और पुणे में प्रमुख संचार दिक्चालन प्रणाली/ विमान यातायात प्रबंधन का कार्य पूरा किया गया। वर्ष 2000-01 में बड़ोदा, अहमदाबाद, पोर्टब्लेयर, इम्फाल, त्रिची, कालीकट, हैदराबाद, बागडोगरा, गुवाहाटी, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और तिरूवनंतपुरम में स्तरोन्नयन तथा विकास का कार्य किया गया। वर्ष के दौरान अहमदाबाद, औरंगाबाद, भोपाल, मेंगलूर, जम्मू और इम्फाल में प्रमुख संचार दिक्चालन प्रणाली/विमान यातायात *प्रबंधन कार्य किए गए। उपर्युक्त कार्यों* पर सन् 1998-99 में 319.87 करोड़ रु., वर्ष 1999-2000 में 360.63 करोड़ रु. और वर्ष 2000-2001 में 348.68 करोड़ रु. व्यय किए गए। मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई और तिरूवनंतपुरम स्थित प्रमुख

हवाई अड्डों पर व्यय की गई राशि क्रमशः 117.72, 42.98, 144.66, 82.26 और 13.99 करोड़ रु. है।

चालू वर्ष के दौरान कांगड़ा, जयपुर, जम्मू, लेह, लखनऊ, पठानकोट, वाराणसी, भुवनेश्वर, गया, भुज, जबलपुर, पोरबंदर, राजामुंदरी, अगरतला, दीमापुर, गुवाहाटी, तेजपुर, लीलाबाड़ी और इम्फाल में हवाई अड्डा कोटिउन्नयन एव विस्तार का कार्य आरंभ किया गया है।

(ङ) और (च) इस समय और किसी भी हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

राज्य सरकारों पर इंडियन एयरलाइंस की देय धनराशि

***18. श्री टी. एम. सेल्वागनपति :** क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 20 मई, 2001 की स्थिति के अनुसार इंडियन एयरलाइंस और इसकी अनुषंगी एयरलाइंस की विभिन्न राज्य सरकारों पर क्रेडिट आधार पर और एजेंटों के माध्यम से जारी किए गए टिकटों की कुल कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइंस और इसकी अनुषंगी एयरलाइंस ने हाल ही में क्रेडिट के आधार पर राज्य सरकारों को टिकट जारी करना बंद कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) संबंधित राज्य सरकारों से बकाया धनराशि की वसूली के लिए इंडियन एयरलाइंस द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) 20 मई, 2001 की स्थिति के अनुसार, इंडियन एयरलाइंस को विभिन्न राज्य सरकारों से कुल 2.28 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करनी है जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। उधार सुविधा के तहत टिकटों की बिक्री सीधे ही की जाती है तथा एजेंटों के माध्यम से नहीं।

(ख) से (घ) उधार सुविधा से प्रभावित बिक्री पर लगातार निगरानी रखी जाती है। भुगतान में देरी के मामलों पर तत्काल संबंधित पार्टियों के साथ कार्रवाई की जाती है जिससे देय राशि उगाही जा सके। बहुत अधिक बकाया हो जाने तथा भुगतान में अनुचित देरियों के मामले में, उधार सुविधा वापस ले ली जाती है अथवा इसे अस्थाई रूप से बंद कर दिया जाता है अथवा देयताओं का निपटारा होने तक पार्टी को उधार सुविधा के तहत टिकटों की बिक्री को सीमित कर दिया जाता है। वे सरकारी विभाग जिनकी उधार सुविधा वापस ले ली गई/स्थगित की गई अथवा जिन्हें पिछले एक वर्ष के दौरान सीमित उधार बिक्री श्रेणी में रखा गया था वे कोलकाता दूरदर्शन, आपूर्ति और निपटान निदेशक, कोलकाता, मुख्य सचिव, केरल और तमिलनाडु राज्य सरकार, लोक निर्माण विभाग जैसे संगठन थे।

विवरण

उन राज्य सरकारों के विभागों की सूची जिन पर टिकटों की राशि बकाया है

राज्य सरकार	विभाग	20.5.2001 की स्थिति के अनुसार बकाया (लाख रु. में)
1	2	3
पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल के गवर्नर के सचिव	0.16
	डीजी एंड आईजीपी पश्चिम बंगाल	0.63
	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	0.51
बिहार	बिहार गवर्नर के एडीसी	0.73
	बिहार के गवर्नर के मुख्य सचिव	0.91
त्रिपुरा	त्रिपुरा के गवर्नर के सचिव	0.52
उड़ीसा	मुख्य मंत्री के विशेष अधिकारी व सचिव	0.10
गोवा	गोवा के गवर्नर	0.04
गुजरात	मुख्य मंत्री, गुजरात	0.92
	जीएडी, गुजरात सरकार	1.68
महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य पुलिस	0.32
	महाराष्ट्र के गवर्नर	1.40
	गृह विभाग, महाराष्ट्र सरकार	1.92
	महाराष्ट्र विधान सचिवालय	0.37
	डेस्क अधिकारी, जनजाति विकास, महाराष्ट्र	0.15

1	2	3
उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश सरकार सचिवालय, लखनऊ	2.19
तमिलनाडु	कृषि विभाग	27.26
	सरकार के सचिव	2.69
	वित्त विभाग	52.22
	माननीय गवर्नर	3.53
	राज्य लोक निर्माण विभाग	65.92
	सार्वजनिक विभाग	6.14
	राज्य विधान सभा	2.03
	पुलिस महानिदेशक	26.40
आंध्र प्रदेश	सरकार के सचिव	1.83
	माननीय गवर्नर	11.60
केरल	सचिव	15.86
	माननीय गवर्नर	2.71
	राजस्व बोर्ड	0.66
	कुल	227.94

एअर इंडिया और अन्य एयरलाइंस के बीच द्विपक्षीय समझौते

*19. **श्री राम प्रसाद सिंह :**

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया और विभिन्न एयर लाइंस के बीच वर्ष 1999 से पूर्व हुए समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान किए गए ऐसे समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान एअर इंडिया और अन्य एयरलाइंस द्वारा आपस में सीटों के तालमेल के अंतर्गत कितनी सीटों का उपयोग किया गया;

(घ) क्या इसके परिणामस्वरूप एअर इंडिया की आबंटित अपनी सीटों का बड़ी संख्या में अन्य एयरलाइंस द्वारा प्रयोग किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) द्विपक्षीय विमान सेवा करार सरकारों द्वारा किए जाते हैं न कि विमान कंपनियों द्वारा। वर्ष 1999 से पूर्व, विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा करारों के अधीन प्रति वर्ष दोनों ओर के लिए लगभग 31.8 मिलियन सीटें उपलब्ध थीं।

(ख) वर्ष 1999 से 22 देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा करारों के अधीन प्रति वर्ष दोनों ओर के लिए लगभग 5.7 मिलियन अतिरिक्त सीटें और बढ़ा दी गई हैं।

(ग) वर्ष 1999 से भारतीय और विदेशी विमानकंपनियों द्वारा सीटों का उपयोग उनकी अपनी हकदारियों की प्रतिशतता के बतौर निम्नानुसार है :

	1999 ग्रीष्म	2000 ग्रीष्म	2001 ग्रीष्म
भारतीय विमान कंपनियां			
एअर इंडिया	27 प्रतिशत	26 प्रतिशत	27 प्रतिशत
इंडियन एयरलाइंस	12 प्रतिशत	12 प्रतिशत	12 प्रतिशत
कुल	39 प्रतिशत	38 प्रतिशत	39 प्रतिशत
विदेशी विमान कंपनियां	65 प्रतिशत	64 प्रतिशत	65 प्रतिशत

(घ) और (ङ) एअर इंडिया ने जबसे पारस्परिकता आधार पर क्षमता हकदारियों का आदान–प्रदान किया है तब से द्विपक्षीय करारों की वजह से विदेशी विमानकंपनियों के प्रति कोई सीट नहीं गंवाई है। एअर इंडिया का सीट गुणक हमेशा अपेक्षाकृत ऊंचा ही रहा है।

[हिन्दी]

कर्मचारी भविष्य निधि-कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया धनराशि

*20. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य

बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित कितनी बकाया धनराशि चूककर्ता उपक्रमों से वसूल की जानी थी;

(ख) क्या चूककर्त्ता उपक्रमों की ओर बकाया धनराशि को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) में दर्ज करवा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी राज्य बीमा योजना और कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में चूककर्ता उपक्रमों पर बकाया राशि क्रमशः 649.80 करोड़ रुपये तथा 1184.00 करोड़ रुपये की थी।

कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि की क्रमशः 188.98 करोड़ रुपये और 553.27 करोड़ रुपये तक की बकाया राशि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास पंजीकृत कंपनियों से संबंधित है।

ऐसी कंपनियां जो औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) में पंजीकृत हैं, से रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (सिका) की धारा 22 के अंतर्गत वसूलियां स्थगित हैं। उन सभी मामलों में जिनमें कोई स्थगन नहीं है, बकाया राशियों की वसूली के लिए कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार आवश्यक कानूनी एवं दांडिक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें लगाना

1. **डा. जसवंतसिंह यादव :**
   श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान और महाराष्ट्र के डाकघरों में स्थान–वार कितनी बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें लगाई गईं; और

(ख) सरकार द्वारा राज्यों में चालू वर्ष के दौरान ऐसी और मशीनें लगाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) राजस्थान में कुल 106 बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें (एमपी सीएम) तथा महाराष्ट्र में 317 बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें स्थापित की गई हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र में स्थगित की गई बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की संख्या का स्थान–वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण–I और II में दिया गया है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत से ही बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना करने का काम एक योजना कार्यकलाप के रूप में शुरू किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में राजस्थान और महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण प्रधान डाकघरों में बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना करने की डाक विभाग की व्यापक योजना है। ये मशीनें कम्प्यूटरों तथा केन्द्रीय सर्वर का उपयोग करते हुए लोकल एरिया नेटवर्क परिवेश में स्थापित की जाएंगी। इससे डाकघरों में फ्रंट तथा बैक ऑफिस दोनों के कार्यों में सुविधा होगी। विभाग का प्रस्ताव वर्तमान वित्तीय वर्ष में राजस्थान और महाराष्ट्र के निम्नलिखित प्रधान डाकघरों में बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें स्थापित करने का है।

राजस्थान	महाराष्ट्र
अजमेर	इच्छलकरंजी
बांसवाड़ा	कल्याण सिटी
भरतपुर	नागपुर सिटी
दौसा	नासिक रोड
हनुमानगढ़	शिवाजी नगर
जयपुर जीपीओ	
जवाहर नगर (जयपुर)	
झुंझुनू	
शास्त्री नगर प्रधान डाकघर (जयपुर)	
उदयपुर	

विवरण-I

राजस्थान में संस्थापित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थानवार सूची

क्र.सं.	स्थान	बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर प्रधान डाकघर	4
2.	अलवर प्रधान डाकघर	2

1	2	3
3.	एपी सांगानेर, जयपुर	1
4.	बाड़मेर प्रधान डाकघर	2
5.	भरतपुर प्रधान डाकघर	2
6.	भीलवाड़ा प्रधान डाकघर	2
7.	भोपालगढ़, उदयपुर	1
8.	बीकानेर प्रधान डाकघर	4
9.	बिलारा, जोधपुर	1
10.	चित्तौड़गढ़ प्रधान डाकघर	2
11.	चोपासनी रोड जोधपुर	1
12.	चुरू	3
13.	कलक्ट्रेट, जयपुर	1
14.	दौसा प्रधान डाकघर	2
15.	धौलपुर प्रधान डाकघर	1
16.	गांधीनगर, जयपुर	3
17.	हल्दियों का रास्ता, जयपुर	1
18.	हाई कोर्ट, जयपुर	2
19.	जयपुर सिटी	5
20.	जयपुर, जीपीओ	7
21.	जयपुर, आर एस	2
22.	जैसलमेर प्रधान डाकघर	3
23.	जवाहर नगर, जयपुर	2
24.	जोधपुर प्रधान डाकघर	4
25.	जोधपुर कचहरी	2
26.	जौहरी बाजार, जयपुर	1
27.	कांकरोली प्रधान डाकघर	1
28.	कोटा सिटी उप डाकघर	3
29.	कोटा प्रधान डाकघर	2
30.	लूनी, जालौर	1
31.	एम.डी. अलवर प्रधान डाकघर	1
32.	एम.आई. रोड, जयपुर	1
33.	मालवीय नगर, जयपुर	1
34.	माउंट आबू उप डाकघर	1
35.	एनजी मंडी कोटा प्रधान डाकघर	2
36.	ओसिया, जोधपुर	1
37.	फलौदी, जोधपुर	1
38.	पुष्कर उप डाकघर	1
39.	राजस्थान सचिवालय, जयपुर	2
40.	राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर	2
41.	सांगानेर बाजार, जयपुर	1
42.	सवाई माधोपुर प्रधान डाकघर	1
43.	शास्त्री सर्किल, उदयपुर	3
44.	शाहपुरा प्रधान डाकघर, जयपुर	2
45.	शास्त्री नगर, प्रधान डाकघर, जयपुर	2
46.	शास्त्री नगर जोधपुर प्रधान डाकघर	2
47.	सीकर प्रधान डाकघर	2
48.	सिरोही प्रधान डाकघर	2
49.	श्रीगंगानगर प्रधान डाकघर	3
50.	सूरजपोल उदयपुर	1
51.	त्रिपोलिया बाजार, जयपुर	2
52.	उदयपुर सिटी	1
53.	उदयपुर प्रधान डाकघर	3
	कुल	106

विवरण-II

महाराष्ट्र में संस्थापित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थानवार सूची

क्र.सं.	स्थान	बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की संख्या
1	2	3
1.	आनन्दी बाजार, अहमदनगर	1
2.	अहमदनगर प्रधान डाकघर	1
3.	एयर पोर्ट डाकघर, मुंबई	1
4.	अकोला प्रधान डाकघर	2
5.	अकुरदी, पुणे	2
6.	अकलुज, शोलापुर	1
7.	अलीबाग	2
8.	अंबाद आई ई, नासिक	1
9.	अमरावती कैंप	2
10.	अमरावती प्रधान डाकघर	2
11.	अंधेरी प्रधान डाकघर, मुबंई	1
12.	अंधेरी आर एस, मुबंई	3
13.	औरंगाबाद प्रधान डाकघर	3
14.	आजाद नगर, मुंबई	2
15.	बदनेरा, अमरावती	1
16.	बाजीराव रोड, पुणे	1
17.	भंडारा	2
18.	बांदरा, मुबंई	3
19.	भुसावल प्रधान डाकघर	1
20.	बोरीविली प्रधान डाकघर, मुंबई	2
21.	बोरीविली वेस्ट, मुंबई	2
22.	बुलडाणा	2
23.	कलेक्टर कॉम्प्लेक्स, ओर्स, सिंधुदुर्ग	1
24.	चकाला एमआईडीसी, मुंबई	2
25.	चालीस गांव	1
26.	चन्द्रपुर सिटी प्रधान डाकघर	1
27.	चन्द्रपुर प्रधान डाकघर	2
28.	चेम्बूर, मुंबई	2
29.	चिंचवाड़ ईस्ट, पुणे	3
30.	चिपलूण प्रधान डाकघर (रत्नागिरी)	2
31.	चर्चगेट, मुंबई	4
32.	सीआईए औरांगाबाद	1
33.	सीआईडीसीओ कालोनी, औरंगाबाद	1
34.	कोलाबा साउथ, मुंबई	2
35.	दादर, मंबई	4
36.	दहानु रोड, मुंबई	1
37.	दहीसर, मुंबई	2
38.	दपोली (रत्नागिरी)	1
39.	डोंड	1
40.	देहू रोड कैंट (पुणे)	1
41.	धुले	2
42.	दक्खन जिमखाना, पुणे	3
43.	एक्स सर्विस मैन कालोनी, पुणे	1
44.	एफसीआई, मुंबई	2
45.	घाटकोपर वेस्ट, मुंबई	4
46.	गिरगांव प्रधान डाकघर, मुंबई	2
47.	गोल कालोनी, मुंबई	1
48.	गोंदिया	2

1	2	3
49.	पूर्वी गोरे गांव, मुंबई	1
50.	हदपसर, पुणे	1
51.	इच्छलकरंजी	2
52.	अंतर्राष्ट्रीय एयर पोर्ट, मुंबई	2
53.	जयसिंहपुर (कोल्हापुर)	1
54.	जालना प्रधान डाकघर	1
55.	जामखेड़ (अहमदनगर)	1
56.	जुहू, मुंबई	1
57.	कालाबा देवी प्रधान डाकघर, मुंबई	5
58.	कल्याण प्रधान डाकघर	2
59.	पूर्वी कांदिविली, मुंबई	1
60.	पश्चिम कांदिविली, मुंबई	1
61.	कनकावली (सिंधुदुर्ग)	1
62.	कराड प्रधान डाकघर	2
63.	कारजाट (अहमदनगर)	1
64.	करमाला (शोलापुर)	1
65.	खड़की, पुणे	1
66.	कोल्हापुर प्रधान डाकघर	2
67.	कोल्हापुर आर एस	1
68.	कोंकण भवन, नवी मुंबई	2
69.	कोपर गांव (अहमदनगर)	1
70	कोरेगांव (सतारा)	1
71.	कोथरुड, पुणे	1
72.	कुडाल (सिंधुदुर्ग)	1
73.	कुर्ला, मुंबई	4
74.	कुर्ला स्पीड पोस्ट ब्युरो	1
75.	लातूर	1
76.	लक्ष्मीपुरी कोल्हापुर	1
77.	लोकमान्यनगर, पुणे	1
78.	लोनी बीके (अहमदनगर)	1
79.	महाबलेश्वर	1
80.	माहिम, मुंबई	3
81.	पूर्वी मलाड, मुंबई	1
82.	मलाड एनडी, मुंबई	1
83.	मालेगांव प्रधान डाकघर	1
84.	मालवान प्रधान डाकघर	1
85.	मान्डवी प्रधान डाकघर	1
86.	मंत्रालय, मुंबई	2
87.	मार्केट यार्ड, पुणे	1
88.	माटुंगा, मुंबई	3
89.	मिराज स्टेशन रोड (सांगली)	1
90.	मिराज प्रधान डाकघर	1
91.	मॉडल कालोनी, पुणे	1
92.	मोतीलाल नगर, मुंबई	2
93.	मुलुंड (पश्चिम), मुंबई	2
94.	मुंबई सेंट्रल, मुंबई	2
95.	मुंबई जीपीओ	21
96.	नागपुर सिटी	26
97.	नारायणगांव, पुणे	1
98.	नरीमन प्वाइंट	4
99.	नासिक प्रधान डाकघर	5
100.	नासिक आईई	1

1	2	3
101.	नासिक रोड प्रधान डाकघर	2
102.	नौपाडा, मुंबई	2
103	नवीपेठ, पंढरपुर	1
104.	नेवासा (अहमदनगर)	1
105.	ओगालेवाडी (पुणे)	1
106.	पारमेर (अहमदनगर)	1
107.	पंढरपुर प्रधान डाकघर	1
108.	परवेल सिटी डाकघर	1
109.	पार्वती, पुणे	1
110.	पिम्परी चिंचवाड़ा न्यू टाउन डिवलपमेंट (पुणे)	1
111.	फालटन, मुंबई	1
112.	पिम्परी कालोनी	1
113.	पिम्परी पीएफ, पुणे	2
114.	पुणे कैंट	1
115.	पुणे सिटी प्रधान डाकघर	3
116.	पुणे प्रधान डाकघर	4
117.	राहोरी (अहमदनगर)	1
118.	राहोरी एमपीकेबी (अहमदनगर)	1
119.	राजगुरुनगर (पुणे)	1
120.	राजौर (अहमदनगर)	1
121.	रत्नागिरी प्रधान डाकघर	2
122.	आरएमएस एफ डिवीजन, नागपुर	2
123.	सचापीर (पुणे)	1
124.	सदाशिवपेठ, पुणे	1
125.	साहूपुरे (कोल्हापुर)	1
126.	साकीनाका, मुंबई	5
127.	संगमनेर	1
128.	सांगली प्रधान डाकघर	3
129.	संगोला (शोलापुर)	1
130.	सानीबरपेट कोल्हापुर	1
131.	शांताक्रुज (पूर्वी), मुंबई	1
132.	शांताक्रुज (पश्चिम), मुंबई	2
133.	सतारा सिटी	2
134.	सतारा प्रधान डाकघर	2
135.	सावंतवाडी, मुंबई	1
136.	शिवगांव	1
137.	शिरडी	1
138.	शिवाजीगनर प्रधान डाकघर, पुणे	2
139.	श्रीरामपुर प्रधान डाकघर	1
140.	सियोन, मुंबई	3
141.	सोलापुर सिटी	1
142.	सोलापुर दाजलीपेठ	1
143.	सोलापुर प्रधान डाकघर	2
144.	सोलापुर मार्केट	1
145.	एसपी कालेज, पुणे	2
146.	स्पीड पोस्ट ब्यूरो (विलेपार्ले)	1
147.	स्टाक एक्सचेंज, मुंबई	4
148.	स्टाक होल्डिंग, मुंबई	2
149.	ताजनापेट अकोला	2
150.	थाणे प्रधान डाकघर	2
151.	थाणे आरएस	1
152.	टाउन हाल, मुंबई	3

1	2	3
153.	उमरेज (सतारा)	1
154.	वाशी, नवी मुंबई	2
155.	वसई रोड	1
156.	वेनगुरुला	1
157.	विलेपार्ले, मुंबई	1
158.	विरार डाकघर, मुंबई	1
159.	विलेपार्ले आरएस, मुंबई	2
160.	वीडब्ल्यूटीसी	1
161.	वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई	2
162.	वाई, सतारा	1
163.	वर्धा प्रधान डाकघर	2
164.	वोर्ली नाका, मुंबई	2
165.	वोर्ली नाका पासपोर्ट, मुंबई	1
166.	यवतमाल	1
167.	यरवदा	1
168.	वासिम	1
	कुल	317

राष्ट्रीय राजमार्ग-161 पर चल रहा कार्य

2. **श्री सुरेश रामराव जाधव :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 161 पर वर्ष 1999 में शुरू किए गए कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) कार्य को पूरा करने में विलंब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या नए कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) महाराष्ट्र में कोई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 161 नहीं है। प्रश्न में उल्लिखित रा.रा. संभवतः राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 16 है। महाराष्ट्र में रा. रा. 16 की 57 किमी. लंबाई में से सीमा सड़क संगठन द्वारा जनवरी, 2000 में 24 किमी. में कार्य शुरू किया गया है तथा निर्माण, सतह बनाने और ढांचे की प्रगति क्रमशः 45 प्रतिशत, 11 प्रतिशत और 52 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) यह कार्य लक्ष्य के अनुसार चल रहा है।

एअर इंडिया के राजस्व में वृद्धि

3. **श्री बसुदेव आचार्य :**
श्री समर चौधरी :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 2000 से फरवरी, 2001 तक की अवधि के दौरान एअर इंडिया का गैर–निष्पादित राजस्व 144 करोड़ रुपये से बढ़कर 288 करोड़ रुपये हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, हां। गैर–प्रचालनात्मक राजस्व में वृद्धि होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

(i) ब्याज अर्जन में वृद्धि।

(ii) चालू वर्ष के दौरान बिना दावा वाले यातायात साख में वृद्धि और

(iii) भारत में तेल कंपनियों के साथ हुए मूल्य विवाद के कारण पूर्व के वर्षों में किए गए उपबंधों को वर्ष 2000–01 में पुनः लागू किया जाना और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से पार्किंग प्रभारों की वापसी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों से भविष्य निधि की बचत राशि

4. **श्री बली राम कश्यप :**
श्री अशोक अर्गल :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों में वर्ष 1999 से 2000 के बीच श्रमिकों की भविष्य निधि के रूप में कितनी राशि बचत के रूप में जमा की गई और उन बैंकों के नाम क्या हैं; और

(ख) चालू वर्ष में सावधि जमा पर कितनी ब्याज राशि प्राप्त हुई?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत बनाई गई तीन स्कीमों के उपबंधों के अनुसार, सांविधिक अंशदान को भारतीय स्टेट बैंक में जमा करवाया जाता है। उक्त स्कीमों के अंतर्गत 1998 से 2000 हेतु भारतीय स्टेट बैंक के बचत खातों में कुल नकद शेष निम्नलिखित रूप में था :

31 मार्च की स्थिति के अनुसार शेष (रुपयों में)

1998	389,96,58,023.98
1999	371,18,83,280.97
2000	461,53,53,398.68

(ख) सावधि जमाओं में कोई निवेश नहीं किया जाता है।

लंबित सिंचाई परियोजनाएं

5. **श्री त्रिलोचन कानूनगो** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक पूरी नहीं हुई बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के राज्य–वार क्या नाम हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को कब शुरू किया गया, प्रत्येक परियोजना की प्रारंभिक लागत और पूरा होने की लक्षित तिथि क्या थी;

(ग) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत क्या है और उन्हें कब तक पूरा कर लिया जाएगा; और

(घ) उड़ीसा के इन्द्र, ओंग, उपरि कोलाब और उपरि सुखताल सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान और भौतिक स्थिति क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) राज्य–वार चल रही वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

किसी भी परियोजना का पूरा होना इसके आकार, भूमि अधिग्रहण, राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों से स्वीकृति प्राप्त करने, निर्माण के साथ–साथ परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास उपायों का कार्यान्वयन, भू–वैज्ञानिक स्थितियों इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। इतना ही महत्व राज्य सरकारों द्वारा अलग–अलग परियोजनाओं को आबंटित निधियों का भी है।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण-I

चल रही वृहद और मध्यम परियोजनाओं के वित्तीय और वास्तविक ब्यौरे

आंध्र प्रदेश

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	किस योजना में शुरू की गई	अनुमानित लागत मूल	अनुमानित लागत नवीनतम
1	2	3	4	5
वृहद परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)				
1.	नागार्जुन सागर	II	91.12	1025.00
2.	श्रीराम सागर चरण–I	III	40.10	2425.00
3.	वम्सधारा चरण–I	IV	8.78	109.00
4.	पुलिबेंदुला शाखा नहर	IV	2.98	110.14
5.	सोमसिला	V	17.28	467.00
6.	सिंगुर	V	29.75	180.00
7.	येलेरू जलाशय (जल आपूर्ति स्कीम)	VI	107.35	335.34
8.	श्रीसैलम दायां तट नहर	VI	220.22	1600.00
9.	श्रीसैलम बायां तट नहर	VI		1260.00
10.	तेलुगु गंगा	VI		2347.00
11.	जुराला (प्रियदर्शनी)	VI		545.82
12.	वंशधारा चरण–II (निरादी बैराज)	VI		749.83
	कुल			11154.13

1	2	3	4	5
मध्यम परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गई)				
1.	थांडवा जलाशय	III	1.99	17.28
2.	कानुपुर नहर	III	0.70	20.30
3.	वेंगलराया सागरम	V	8.65	27.48
4.	वोट्टवागु	V	5.40	38.06
5.	मड्डुवालसा	V	8.45	49.47
6.	चेय्यरू	V	6.04	33.50
7.	तालिपेरू	V	9.06	38.37
8.	गुंडलावागु	V	1.16	7.22
9.	सतनाला	V	3.21	25.75
10.	झंझावती	V		48.50
11.	येर्रकालवा जलाशय	V	10.40	43.24
12.	मड्डीगेड्डा	V	1.55	4.69
13.	थामिलेरू	V		9.83
14.	वरदराजा स्वामी गुडी	V	13.97	18.21
15.	आंध्र जलाशय	VII	5.40	16.89
16.	बुग्गावांका	VII	4.86	23.43
17.	ऊपरी कौलासनाला	VII	20.48	22.26
18.	चालामाला वागु	VII	3.66	22.14
19.	माड्डिलेरू	VIII	17.00	38.56
	कुल			505.18

असम

वृहद परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गई)				
1.	धनासिरी	V	15.83	244.80
2.	बोरदिकराई	V	3.56	48.03
3.	एकीकृत कोलांग	V	4.57	80.55
4.	चम्पामती	VI	15.32	80.00
	कुल			433.38
मध्यम परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गई)				
1.	कोलोंगा	V	0.51	5.38
2.	बुरीदेहिंग	वार्षिक योजना 78-80	1.14	22.20
3.	बोरोलिया	वार्षिक योजना 78-80	6.77	54.57
4.	पहुमारा	वार्षिक योजना 78-80	5-00	32.20
	रूपाही	वार्षिक योजना 78-80	1.83	8.19
5.	हवाईपुर लिफ्ट	VI	1.99	14.93
	कुल			137.47

बिहार

वृहद परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गई)				
1.	पश्चिमी कोसी नहर	III	13.49	693.88
2.	अजोय बैराज	V	115.24	206.89
3.	औरंगा	V	125.40	699.36
4.	बागमती	V	5.78	154.73
	वाणसागर	V	91.31	234.00
5.	बटेश्वरस्थाल पंप फेज–I	V	13.88	175.85
6.	दुर्गावती	V	26.30	266.97
7.	कोनार	V		373.00

1	2	3	4	5
8.	उत्तरी कोयल	V	439.00	814.74
9.	सुवर्णरेखा	V	1428.00	2376.15
10.	तिलैया	V		301.79
11.	ऊपरी किऊल परियोजना (शेष भुगतान के तहत)	V	8.07	109.93
12.	वरनार	VII	8.03	230.43
13.	पूर्वी कोसी नहर चरण–II	VII		156.32
14.	गण्डक चरण–II	VII		578.27
15.	पुनासी	VII		219.05
	कुल			7591.36

मध्यम परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गई)

1.	बताने	V	4.01	39.95
2.	बटेश्वरस्थान पंप नहर फेज–II	V	2.97	37.87
3.	गुमानी	V	3.84	83.72
4.	झरझरा	V	4.47	39.42
5.	कंसजोर	V	8.66	48.55
6.	सकरीगली	V	0.61	9.82
7.	तोराई	V	2.75	62.67
8.	बिलासी	वा.यो. 78-80	1.46	19.61
9.	डकरानाला पंप फेज–I	वा.यो. 78-80	8.43	56.87
10.	सिंधवारनी	VI	4.45	34.10
11.	सानुआ	VI	8.92	59.57
12.	सुरू	VI	3.12	21.42
13.	ऊपरी संख	VI	9.18	73.92
14.	भैरवा	VII	20.19	40.92
15.	डकरानाला पंप फेज–II	VII	4.76	11.48
16.	धनसिंहटोली	VII		23.59
17.	कंस	VII	1.37	44.18
18.	कटरी	VII		37.90
19.	कसो	VII	16.14	19.75
20.	लतरातू	VII	10.98	42.17
21.	मलाई	VII		9.98
22.	नकटी	VII	0.71	32.43
23.	ओरनी	VII	2.96	43.55
24.	पांच केरो	VII	9.55	31.28
25.	राम रेखा	VII		29.09
26.	सुरंगी	VII	2.15	24.91
27.	बासुकी	VIII		27.04
28.	सलैया	VIII		22.71
29.	सतपोतका	VIII		26.71
	तपकारा जलाशय (राज्य सरकार द्वारा पहले एक पूर्ण परियोजना के रूप में इसकी सूचना दी गई थी।)			
	कुल			1055.18

झारखण्ड

वृहद परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गई)

1.	अजय बैराज	V	116.00	206.89
2.	सुवर्णरेखा	V	1428.00	1502.22
3.	औरंगा	VII	125.40	699.36
4.	कोनार	V	93.61	313.00
5.	उत्तरी कोयल	V	439.00	814.72
6.	पुनासी	VII	221.65	185.82

1	2	3	4	5
7.	तिलैया	V	46.74	301.79
8.	गुमानी	V	3.84	83.72
	कुल		2473.24	4167.52

मध्यम परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)

1.	बताने	V	4.01	40.06
2.	भैरवा	VII	20.19	40.92
3.	बासुकी	VIII		27.04
4.	धनसिंहटाल	VII		21.83
5.	झरझरा	V	4.47	39.42
6.	कटरी	VII		45.65
7.	कंसजोर	VII	8.66	37.41
8.	कंस	V	1.37	44.18
9.	केसो	VII	16.14	19.75
10.	लतराती	VII	10.98	45.72
11.	नकटी	VII	0.75	32.43
12.	पांचखेडा	VII	9.64	31.28
13.	रामरेखा	VII		29.09
14.	सकरीगली	V	0.61	11.88
15.	सुरंगी	VII	2.15	26.00
16.	सोनुआ	VI	8.92	59.27
17.	सुरू	VI	3.12	21.42
18.	सलाल्या	VIII		22.71
19.	सटपोटका	VIII		26.71
20.	तोराई	V	2.96	62.57
21.	उपरी संख	VII	9.19	73.92
	कुल		103.02	759.26

1	2	3	4	5
	गोवा			
वृहद परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)				
1.	सलौली	IV	9.61	153.00
	तिल्लारी (आई.एस.)	V	141.22	320.63
	कुल			473.63
मध्यम परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)				
1.	मंडोवी	V	13.11	40.00
	कुल			40.00
	गुजरात			
वृहद परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)				
1.	दमनगंगा (आई.एस.)	IV	24.40	235.06
2.	पानम	IV	10.66	106.79
3.	साबरमती	IV	17.59	123.57
4.	करजन	V	37.20	280.98
5.	सुखी	V	23.11	121.36
6.	सिपू	वा.यो. 78-80	18.80	102.44
7.	वातरक	वा.यो. 78-80	43.71	63.77
8.	सरदार सरोवर (आई.एस.)	VI	6406.04	22176.95
9.	जंखारी	VI	18.70	90.00
	कुल			23300.92
मध्यम परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)				
1.	हिरन (एस)–II	IV	3.05	11.10
2.	वेर–II	V	2.28	28.26
3.	देव	V	3.88	56.98

1	2	3	4	5
4.	केलिया	VI	2.84	31.10
5.	हार्नव–II	VI	3.49	9.01
6.	झुज	VI	5.36	51.71
7.	मुक्तेश्वर	VI	19.37	40.44
8.	कुंड–II	VII	–	61.34
9.	गोमा	VIII	47.59	47.59
10.	कोलियारी	VIII		8.41
11.	ओजाट–II	VIII		81.08
12.	वारतू–II	VIII		46.38
13.	लिबड़ी–भोगावो–II	VII		43.85
	कुल			517.25

हरियाणा

वृहद परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गई)

1.	गुड़गांव नहर	III	2.88	65.00
2.	लोहारू लिफ्ट	IV	4.13	81.46
3.	जे.एल.एन. लिफ्ट सिंचाई	V	40.00	245.75
4.	एस.वाई.एल. परियोजना (पंजाब का हिस्सा)	V	59.70	601.00
5.	रेवाड़ी लिफ्ट चरण–II	VIII		39.60
	कुल			1032.81

मध्यम परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गई)

शून्य

हिमाचल प्रदेश

वृहद परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गई)

1.	शाह नहर सिंचाई परियोजना	VIII	143.32	150.78

1	2	3	4	5
मध्यम परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गई)				
1.	बाल्ह घाटी	VI	3.03	12.02
2.	भाबूर साहब लिफ्ट फेज–II	VII	4.26	11.42
	कुल			23.44

जम्मू और कश्मीर

वृहद परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गई)

1.	रावी–तावी सिंचाई नहर	V	29.84	113.97

मध्यम परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गई)

1.	मरवाल लिफ्ट	IV	2.41	24.02
2.	लेथपोरा लिफ्ट	IV	0.95	7.32
3.	न्लू करेवा भंडारण	IV	0.94	4.50
4.	कोइल लिफ्ट	V	2.38	15.65
5.	राजपोरा लिफ्ट	वा.यो. 79-80	2.13	11.00
6.	ट्राल लिफ्ट	सा.यो. 79-80	6.13	69.21
7.	राफियाबाद उच्च लिफ्ट	VII	-	35.48
8.	दादी नहर	VII	-	10.91
	कुल			178.09

कर्नाटक

वृहद परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गई)

1.	भद्रा	I	31.93	155.23
2.	तुंगभद्रा बांध और एल.बी.सी.	I	33.41	319.09
3.	तुंगभद्रा एच.एल.सी. (आई.एस.)	II	2.57	79.48

1	2	3	4	5
4.	काबिनी**	II		480.00
5.	मलप्रभा	III	19.91	703.71
6.	हरांगी**	III		373.00
7.	हेमावती**	वा.यो 66-69		2100.00
8.	ऊपरी कृष्णा चरण–I	V	58.20	3785.46
9.	करंजा	V	98.00	340.00
10.	बेन्निथोरे	V	73.25	153.00
11.	हिप्पारगी बैराज	V	418.77	524.21
	दूधगंगा (आई.एस.)	VI		110.00
12.	वराही	VII		122.50
13.	ऊपरी तुंगा	VIII		877.75
14.	यागाची**	VIII		239.70
	कुल			10363.13

मध्यम परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गई)

1.	मंचनबेले	iV	0.77	62.40
2.	इग्गलुर**	IV		70.00
3.	वोटहोले	V	2.05	47.50
4.	अमरजा	V	5.70	82.00
5.	निचली मुल्लामारी	V	8.37	100.00
6.	मस्कीनाला	V	3.11	29.95
7.	फीडरचैनल से रानीकेरे	V		9.49
8.	चुल्कीनाला	V	3.80	53.50
9.	अरकावती**	V	0.65	106.50
10.	चिकलीहोले**	V		17.35
11.	उड़थोरेहल्ला**	V		144.10
12.	हिरेहल्ला	VI	6.35	120.81
13.	गंडोरीनाला	VIII	7.71	153.00
14.	हचानाकोप्लू**	VIII		22.50
15.	कम्सामुद्रा**	VIII		18.00
	कुल			1037.10

**कावेरी बेसिन में होने के कारण परियोजनाएं योजना निधियों में शामिल नहीं।

केरल

वृहद परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)

1.	कल्लड़ा	III	13.28	698.00
2.	कन्हीरापुझा	III	3.65	100.00
3.	पझासी	III	4.42	137.00
4.	मुवत्तुपुझा	V	48.08	455.00
5.	इदमलयार	VI	17.85	107.00
6.	बेदोरेपुझा (चलीयार)	VIII		645.00
7.	कुरियारकुट्टी कराप्पारा	VIII		140.00
	कुल			2282.00

मध्यम परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)

1.	अट्टापाडी	V		120.00
2.	करापुझा	V	7.60	225.00
3.	बाणसुरसागर	VIII		36.14
4.	मीनाचिल	VIII		128.00
5.	वमनपुरम	VIII	36.40	260.00
	कुल			769.14

मध्य प्रदेश

वृहद परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)

1.	भान्डेर नहर	I	2.04	27.79

1	2	3	4	5
2.	बारना	II	5.55	34.26
3.	जोंक डाइवर्जन	IV	4.13	49.99
4.	कोलार	IV	139.14	195.00
5.	महानदी जलाशय	IV	15.34	1223.45
6.	पैरी	IV	4.97	40.00
7.	सिंध फैज–I	IV	4.95	56.43
8.	बाणसागर (आई.एस.) यूनिट–I	V	91.31	936.00
	बाणसागर (आई.एस.) यूनिट–II	V	344.66	344.66
9.	बरियारपुर एल.बी.सी.	V	18.40	204.43
10.	कोदार	V	2.94	49.83
	राजघाट (आई.एस.) यूनिट–I	V	61.61	150.30
	राजघाट (आई.एस.) यूनिट–II	V	309.21	523.41
11.	रानी अवंती बाई सागर (बारगी) (एन.वी.डी.ए.)	V	566.34	759.00
12.	अपर वैनगंगा	V	50.60	249.72
13.	उर्मिल (आई.एस.)	V	6.41	22.01
	बावनथाडी (आई.एस.) यूनिट–I	VI	74.06	95.28
	बावनथाडी (आई.एस.) यूनिट–II	VI	52.75	52.75
14.	इंदिरा सागर (एनवीडीए)	VI	752.16	1574.00
15.	जोबत (एनवीडीए)	VI	30.75	67.23
16.	महान	VI	39.00	155.10
17.	माही	VI	61.52	192.85
18.	मान (एनवीडीए)	VI	44.10	96.13
19.	सिंध फेज–II	VI	510.94	607.67
20.	हसदेवबांगो	वा.यो. 78-80	115.30	858.31
2.1	थनवर	वा.यो. 78-80	24.38	27.22
22.	बारगी डाईवर्जन (एनवीडीए)	VIII	1101.23	1554.50
23.	ओमकारेश्वर (एनवीडीए)	VIII	350.00	755.00
24.	पेंच डाईवर्जन	VIII	91.60	184.04
	कुल			11086.36

मध्यम परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)

1.	बालार	V	2.67	14.64
2.	बंजार	V	2.09	11.72
3.	बिलासपुर व्यपवर्तन	V	0.96	12.58
4.	घुंघट्टा	V	19.10	60.00
5.	मकरोदा	V	1.81	18.00
6.	माण्ड व्यपवर्तन	V	2.89	70.00
7.	मटयारी	V	4.89	71.83
8.	शिवनाथ व्यपवर्तन	V	0.42	22.00
9.	बाह	VI	19.38	54.30
10.	बांडियानाला	VI	1.80	20.00
11.	बरनाई	VI	4.26	23.02
12.	छिरपानी	VI	8.75	43.70
13.	देजला–देवादा	VI	16.43	60.00
14.	गेज	VI		53.00
15.	कोसरटेडा	VI	6.01	53.01
16.	कुंवारी लिफ्ट	VI	1.03	5.31
17.	लखन्दर	VI	4.27	50.00

1	2	3	4	5
18.	महुअर	VI		47.32
19.	सागर	VI	10.68	31.99
20.	बुधना	वा.यो. 78-80	2.00	32.54
21.	बुन्दाला	वा.यो. 78-80	2.18	19.83
22.	चन्दोरा	वा.यो. 78-80	2.92	19.93
23.	चौराल	वा.यो. 78-80	3.96	44.00
24.	धोलाबाड़	वा.यो. 78-80	4.64	26.60
25.	दुधी	वा.यो. 78-80	2.86	31.00
26.	गोमुख	वा.यो. 78-80	3.51	45.50
27.	कालियासोते	वा.यो. 78-80	7.84	69.52
28.	रामपुर खुर्द	वा.यो. 78-80	1.51	27.00
29.	तिल्लर	वा.यो. 78-80	5.77	46.11
30.	गोपद लिफ्ट	VII		17.24
31.	बरछार	VIII		20.87
	कुल			1122.56

छत्तीसगढ़

वृहद परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)

1.	जोक व्यपवर्तन	IV	4.13	49.99
2.	महानदी जलाशय	IV	15.34	1223.45
3.	पैरी	IV	4.97	40.00
4.	कोदार	V	2.94	49.83
5.	हसदेव बांगो	वा.यो. 78-80	115.30	858.31
	कुल			2221.58

मध्यम परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)

1.	बालार	V	2.67	14.64
2.	बिलासपुर व्यपवर्तन	V	0.96	12.58
3.	घुंघट्टा	V	19.10	60.00
4.	माण्ड व्यपवर्तन	V	2.89	70.00
5.	शिवनाथ व्यपवर्तन	V	0.42	22.00
6.	बरनाई	VI	4.26	23.02
7.	छिरपानी	VI	8.75	43.70
8.	गज	VI		53.00
9.	कोसरटेडा	VI	6.01	53.01
	कुल			351.95

महाराष्ट्र

वृहद परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)

1.	खड़कवासला	II	11.62	343.86
2.	भीमा	III	42.58	918.56
3.	कृष्णा	III	27.66	659.07
4.	कुकादी	वा.यो. 66-69	17.90	1044.93
5.	ऊपरी गोदावरी	वा.यो. 66-69	14.20	133.23
6.	वारना	वो.यो. 66-69	31.08	992.82
7.	ऊपरी तापी	IV	12.09	172.12
8.	ऊपरी वर्धा	V	39.88	661.86
9.	भातसा	V	164.11	322.49
10.	चसकमन	V	22.48	357.77
11.	दुधगंगा (आई.एस.)	V	204.58	798.65
12.	जयकवाडी चरण–I व II	V	127.36	796.87
13.	नान्दुर मधमेश्वर (ए)	V		284.26
14.	नान्दुर मधमेश्वर (एन)	V	72.66	294.11
15.	ऊपरी पेनगंगा	V	84.48	1050.00

1	2	3	4	5
16.	ऊपरी प्रवरा	V	15.87	287.14
17.	वाघुर	V	12.28	189.32
18.	उरमोदी	VI	18.85	361.19
18.	अरुणावती	VI	66.48	202.73
20.	गोसीखुर्द	VI	461.19	2091.00
21.	ह्यूमन	VI		370.04
22.	तारवा	VI	27.00	48.96
23.	कोयना कृषणा एलआईएस	VI	259.10	1083.00
23.	लेंडी (आई.एस.)	VI		204.50
24.	निचली तिरना (प्रवाह)	VI	37.65	129.67
24.	निचली तिरना (लिफ्ट)	VI		53.71
25.	निचली वर्धा	VI		540.14
26.	निचली वुन्ना	VI	87.55	261.33
27.	पुनाड	VI	29.92	115.62
28.	तालम्बा	VI	289.09	388.19
29.	तुलतुली	VI		169.40
30.	वान	VI	46.85	228.40
31.	बावनथाडी (आई.एस.)	वा.यो. 78-80	34.77	124.17
32.	सूर्य	वा.यो. 78-80	19.35	175.14
33.	तिल्लारी (आई.एस.)	वा.यो. 78-80	76.00	167.70
34.	विष्णुपुरी	वा.यो. 78-80	78.93	196.60
35.	बेम्बला	VIII		307.82
36.	भामा अस्खेदा	VIII		393.29
37.	गुंजादनी	VIII		285.31
38.	जनाई शिरसाई	VIII		133.24
39.	खंदक पुरना	VIII		177.65
40.	नीरा देवघर	VIII		510.84
41.	सिना कोलेगांव	VIII		228.00
42.	सिना मधा एलआईएस	VIII		73.00
43.	निचली दुधना	VIII	53.21	347.83
44.	निचली पेनगंगा	VIII		1402.83
	कुल			20078.36

मध्यम परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)

1.	अंजना पलसी	V	3.19	30.24
2.	अरन (पिम्परी)	V	2.89	71.28
3.	बहुला	V	5.92	36.19
4.	पेन्नानादी	V		13.25
5.	चिकोतरा	V	4.28	80.89
6.	एरधा	V		16.05
7.	हिवरा	V	3.44	13.35
8.	जंगमहट्टी	V	11.28	24.25
9.	जवलगांव	V	2.38	22.11
10.	कदवी	V	3.47	69.74
11.	कसारी	V	6.15	28.99
12.	कुम्भी	V	5.16	48.63
13.	मंगरूलपुर	V		15.59
14.	मोर	V	0.91	36.18
15.	पेधारी नल्ला	V	0.83	9.34
16.	पुरना [illegible]	V	1.89	12.71
17.	तलानी	V		7.00
18.	तेम्भापुरी	V	18.09	20.42
19.	अमरावती	VI	4.63	38.64

1	2	3	4	5
20.	बोरदाहेगांव	VI	16.27	18.19
21.	बोरी (एस)	VI		44.58
22.	देहाली	VI	6.48	39.66
23.	देवगड	VI	24.64	168.32
24.	डोंगेरगांव (सी)	VI	2.15	16.05
25.	हतवाने	VI	19.55	203.82
26.	जाम	VI	42.63	52.12
27.	करवप्पालल्ला	VI	4.70	24.13
28.	कसरसाई	VI	2.70	31.99
29.	मसालगा	VI	10.51	17.47
30.	मुन	VI	5.35	55.26
31.	नाग्यसाक्य (पंजन)	VI	2.50	19.59
32.	पकादी गुदम	VI	1.64	20.23
33.	पतगांव	VI	7.39	78.88
34.	सकोल	VI	10.88	12.37
35.	संख	VI	3.53	41.66
36.	शिवनी तकली	VI	34.76	46.31
37.	सोनवाड	VI	3.14	25.93
38.	तंजनपुर लिफ्ट सिंचाई	VI		18.19
39.	ऊपरी मनार	VI	26.18	108.65
40.	उमर जारी	वा यो. 78-80		11.52
41.	वाडीवाले	वा.यो. 78-80	3.30	29.86
42.	अंधली	VII		17.94
43.	मदन टैंक	VII	3.08	20.56
44.	जाम्बरे	VIII		50.03
45.	कटंगी (एलआईएस)	VIII		10.59
46.	निचली चुलबंद	VIII		50.33
47.	मोहम्मद वादी	VIII		189.90
48.	सोंड्य तोला एलआईएस	VIII		13.33
49.	उतावली	VIII	35.78	43.25
50.	अक्कलपाडा	VIII		84.74
51.	अंजनी	VIII	4.91	41.90
52.	चन्द्रभागा	VIII	35.30	112.51
53.	चपदोह	VIII	6.08	10.00
54.	चित्री	VIII		73.50
55.	दारा	VIII		23.23
56.	गदनादी	VIII		122.79
57.	गोदावरी नदी	VIII		25.22
58.	गुल	VIII		34.60
59.	जमखेदी	VIII		26.31
60.	कजाला	VIII		11.21
61.	कलमाथरी	VIII		9.66
62.	कर	VIII	44.71	44.71
63.	कराजखेदा (एलआईएस)	VIII		22.64
64.	कश्यपी	VIII		27.58
65.	कोरादीनल्ला	VIII		21.25
66.	लाल नल्ला	VIII		23.66
67.	मोरना गुरेघर	VIII	9.42	101.50
68.	नगन	VIII		58.75
69.	नागेवादी	VIII		48.21
70.	नारंगी सारंगी	VIII		18.85
71.	नवरगांव	VIII	5.26	44.95

1	2	3	4	5
72.	पेन तकली	VIII	31.41	129.83
73.	प्रकाश बंधारा	VIII		99.56
74.	पुर्ना	VIII		132.33
75.	रेनापुर	VIII	7.36	16.62
76.	साकत	VIII		16.46
77.	सोनपुर तोम्ता	VIII		5.30
78.	सुलवादे बंधारा	VIII		104.94
79.	स्याकी	VIII		17.29
80.	तोरना	VIII		14.94
81.	ऊपरी मांजरा	VIII		37.42
82.	विरचेक	VIII		22.86
83.	वाडी सेवाडी	VIII		30.33
84.	वघोली बूटी	VIII		10.99
85.	वाकोद	VIII		11.42
	कुल			3713.62

मणिपुर

वृहद परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)

1.	थोबल	वा.यो. 78-80	47.25	390.00
2.	खुगा	VI	15.00	150.29
	कुल			540.29

मध्यम परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)

1.	सिंग्दा	V	7.93	57.00
2.	दोलाइथाबी	VIII	18.86	45.00
	कुल			102.00

1	2	3	4	5

मेघालय

वृहद परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)

शून्य

मध्यम परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)

1.	रंगाइ घाटी	VIII	16.30	30.00

नागालैंड

वृहद परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)

शून्य

मध्यम परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)

शून्य

उड़ीसा

वृहद परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)

1.	पोट्टेरू	IV	14.81	148.07
2.	रेंगाली बांध	IV	57.93	40.77
	रेंगाली सिंचाई	IV	233.64	2316.77
3.	ऊपरी कोलाब बांध	V	7.58	48.81
	ऊपरी कोलाब सिंचाई	V	16.47	304.00
4.	ऊपरी इन्द्रावती बांध	V	34.92	176.16
	ऊपरी इन्द्रावती सिंचाई	वा.यो. 78-80	42.74	718.70
	सुबर्णरेखा (आई.एस.)	VII	1013.62	1270.50
5.	महानदी चित्रोत्पला	VII	39.93	150.00
6.	कानुपुर सिंचाई	VIII	268.65	330.89
	कुल			5504.67

1	2	3	4	5
मध्यम परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)				
1.	हरीहरजोर	वा.यो. 78-80	7.26	90.46
2.	हाराभंगी	वा.यो. 78-80	9.10	156.56
3.	ऊपरी जोंक	वा.यो. 78-80	12.78	141.22
4.	बधुवा चरण–II	वा.यो. 78-80	3.28	79.20
5.	बड़ानाला	VI	11.39	144.88
6.	देव	VI	52.23	123.55
7.	बघालटी	VI	45.44	82.05
8.	सपुआबड़ाजोर	VI	14.57	88.48
9.	बिरूपा गंगाली आइलैंड सिंचाई	VII	4.63	16.44
10.	दारजंग चरण–II	VIII	7.20	7.20
11.	तितलागढ़ चरण–II	VIII	21.13	54.37
12.	मनजोरी	VIII	43.23	8.22
	कुल			1065.63
	पंजाब			
वृहद परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)				
	सतलज–यमुना संपर्क नहर			
(क)	मुख्य नहर (आईएस)	VI	176.00	601.25
(ख)	पंजाब को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना	VI	–	152.29
	रणजीतसागर बांध	VI	263.16	2625.99
	कुल			3379.53
मध्यम परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)				
1.	तलवारा के नीचे एच.पी. को सिंचाई	VIII	88.49	88.49

1	2	3	4	5
	राजस्थान			
वृहद परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)				
1.	जाखम	III	2.33	104.00
	गुड़गांव नहर (आई.एस.)	III	2.88	35.40
2.	माही बजाज सागर (आई.एस.)	IV	31.36	1016.98
3.	सोम कमला अम्बा	V	4.48	183.92
4.	आई.जी.एन.पी. चरण–II	V	89.12	2267.44
	नर्मदा (एस.एस.पी.) (आई.एस.)	VI	467.53	548.00
5.	बीसलपुर सिंचाई	VII	173.03	228.30
6.	सिधमुख नोहर	वा.यो. 90-92	143.59	308.77
	कुल			4692.81
मध्यम परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)				
1.	पंचाना	V	1.03	52.00
2.	छापी	VI	5.91	66.00
3.	सावनभादों	VI	4.19	32.00
4.	परवान लिफ्ट	VI	3.79	29.00
5.	चौली	VIII	28.87	45.00
6.	बेथाली	VIII	13.07	16.24
	कुल			240.24
	तमिलनाडु			
वृहद परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)				
शून्य				

1	2	3	4	5
मध्यम परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)				
1.	इरूक्कानगुड़ी	VIII		28.70
2.	नंगनजियार	VI		37.36
	कुल			66.06
		त्रिपुरा		
वृहद परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)				
शून्य				
मध्यम परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)				
1.	गुमती	V	5.88	50.00
2.	खोवाई	VI	7.10	59.75
3.	मनु	VI	8.19	44.25
	कुल			154.00
		उत्तर प्रदेश		
वृहद परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)				
1.	वेवर फीडर	III	27.91	59.90
2.	शारदा सहायक	III	64.84	1290.00
3.	मौधाबांध	V	66.82	127.90
4.	चित्तौड़गढ़ जलाशय	V	34.06	36.70
5.	मध्य गंगा नहर	V	66.01	615.00
6.	सरयू नहर	V	78.68	2810.00
7.	पूर्वी गंगा नहर	V	48.46	579.00
8.	सोन पंप नहर	V	5.64	72.55
9.	ज्ञानपुर पंप नहर	V	110.51	159.88
10.	राजघाट बांध (उत्तर प्रदेश का हिस्सा) (आई.एस.)	V	123.22	150.30
	राजघाट नहर (उ.प्र.)	V	126.43	230.95
	बाणसागर बांध (उ.प्र. का हिस्सा) (आई.एस.)	V	91.31	234.00
	बाणसागर नहर (उ.प्र.)	V	169.52	268.00
	बाणसागर नहर (म.प्र.) (उ.प्र. का हिस्सा)	V	27.92	27.92
11.	कनहर सिंचाई	V	–	240.00
12.	चंबल लिफ्ट	78-79		91.00
13.	टेहरी बांध (उ.प्र. का हिस्सा)	79-80	197.92	711.14
14.	हिंडण कृष्णी दोआब में खरीफ चैनल मुहैया कराना	79-80	15.53	56.00
15.	जरौली पंप नहर	90-91	47.92	48.22
	कुल			7808.46
मध्यम परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)				
1.	गुंता नाला बांध	VI	1.85	24.00
2.	पथराई बांध	VII	12.54	48.33
	कुल			72.33
		उत्तरांचल		
वृहद परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गईं)				
1.	लकवर व्यासी	V	140.97	578.40
2.	जमरानी बांध	V	61.25	433.00
	कुल			1011.40

1	2	3	4	5
मध्यम परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गई)				
शून्य				
		पश्चिम बंगाल		
वृहद परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गई)				
1.	बराज सिंचाई डीवीसी	I		60.00
2.	कंग्साबती	II	25.26	280.00
3.	तीस्ता बैराज चरण–I फेज–I	V	69.72	1117.00
	सुवर्णरेखा (आई.एस)	वा.यो. 90-92	228.82	595.00
	कुल			2112.00
मध्यम परियोजनाएं (आठवीं योजना से नौवीं योजना में लाई गई)				
1.	हिंगलो	III	0.98	14.50
2.	बाराभूम	V	0.73	2.90
3.	बैको	V	0.64	4.69
4.	गोलामरजोरे	V	0.52	2.46
5.	लिपानियाजोरे	V	0.73	3.45
6.	मोतेरजोरे	V	0.40	1.90
7.	पार्गा	V	0.42	2.50
8.	पटलोई	V	0.90	6.00
9.	साली व्यपवर्तन	V	0.75	3.75
10.	साली सिंचाई	V	0.31	2.25
11.	टाटको	V	0.98	9.60
12.	फुटियारी	VII		13.08
13.	हुनुमन्ता	VII	0.83	6.39
14.	कैरिंओर	VII		3.06
15.	खेरा बेरा	VII		2.98
16.	रामचन्दरपुर	VII	0.62	6.00
17.	रानीचक पम्प सिंचाई जल निकास	VII		4.91
	कुल			90.42

विवरण-II

क्र.सं.	परियोजना का नाम	किस योजना में शुरू की गई	नवीनतम अनुमानित लागत	3/2000 की समाप्ति तक व्यय	चरम क्षमता	3/2000 की समाप्ति तक सृजित क्षमता
1.	ऊपरी कोलाब	V	304.00	266.92	88.76	62.83
2.	निचली इन्द्रा	IX	211.70	8.71	38.76	शून्य
3.	ऊपरी सुकतेल*	वा.यो. 1978–80	7.88	7.889	1.86	1.86
4.	ओंग	IX	228.30	–	34.50	शून्य

*परियोजना 1990-92 में पूर्ण।

उड़ानों का मूल्य निर्धारण तंत्र

6. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कैरियर एअर इंडिया सहित अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए मूल्य निर्धारण तंत्र को मुक्त करने के कदम के कारण परेशान हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस द्वारा इस संबंध में क्या सुझाव दिए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए किराया तंत्र में परिवर्तन किए जाने का एक प्रस्ताव है। इस संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची

7. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में केरल में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में जिला–वार कितने व्यक्ति हैं;

(ख) लंबित टेलीफोन कनेक्शनों को निपटानें में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) इन कनेक्शनों को कब तक उपलब्ध करवा दिए जाने की संभावना है; और

(घ) राज्य में दूरसंचार विस्तार योजना हेतु नवीन प्रौद्योगिकी उपकरण प्रदान किए जाने का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 30.06.2001 की स्थिति के अनुसार, प्रतीक्षा सूची में 838638 आवेदक हैं और जिनका जिलेवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

जिले/संघ शासित राज्य का नाम	प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या
1	2
कसानगोड	39384
कन्नानोर	74501
कालीकट	83455
वायनाड	26392
मालाप्पुरम	109523
पालघाट	50713
त्रिचूर	71344
एर्नाकुलम	57941
इदुक्की	33414
कोट्टायम	48125
अल्लेप्पी	70723
पथानम्थिट्टा	23580
क्विलोन	88381
तिरूवनंतपुरम	58862
केरल राज्य का कुल जोड़	**836338**
संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप	143
संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी (मोहे)	2157
केरल सर्किल का कुल जोड़	**838638**

(ख) अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, जलवायु और लोगों की आवासीय अवस्थिति के कारण केरल सर्किल की अपनी विशेष समस्याएं हैं। मई से दिसम्बर के अंत तक चलने वाली वर्षा ऋतु से विकास कार्य के लिए बहुत कम कार्यदिवस बच पाते हैं। केरल में लोगों की आवासीय बस्तियां इस प्रकार हैं कि टेलीफोनों की मांग टेलीफोन एक्सचेंजों के सेवा क्षेत्रों में लगभग समान रूप से फैली हुई है। इससे निपटने के लिए, विभाग केरल सर्किल के लिए निरंतर उच्च लक्ष्य रखने के प्रयत्न कर रहा है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में सीधी एक्सचेंज लाइनें (डीईएल) प्रदान करने में लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है। 98–99, 99–2000 और 2000–2001 में क्रमशः 271065, 350055 और 456444 सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान की गई थीं। केरल के लिए इस वर्ष 7.18 लाख लाइनों का लक्ष्य रखा गया है, जो सबसे ऊंचा लक्ष्य है। केरल सर्किल में मांग पर फोन उपलब्ध कराने तक यही प्रवृत्ति जारी रखी जाएगी।

(ग) कनेक्शनों के लिए पंजीकृत वर्तमान आवेदकों को वर्ष 2002–2003 में प्रदान कर दिए जाने की संभावना है।

(घ) राज्य में दूरसंचार विस्तार योजना के लिए दिए गए नई प्रौद्योगिकी उपस्करों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

ओसीबी	676076 लाइनें
एएक्सएफ	201566 लाइनें
5 ईएसएस	116956 लाइनें

और वर्ष 2001–2002 के लिए योजना निम्नलिखित है :

ओसीबी	272500 लाइनें
एएक्सई	39900 लाइनें
5 ईएसएस	324500 लाइनें

महाराष्ट्र में पर्यावरण प्राधिकारी की नियुक्ति

8. **श्री चिंतामन वनगा** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में पर्यावरण प्राधिकारियों की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन स्थानों के नाम तथा ऐसे प्राधिकारियों की नियुक्ति के क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या कुछ प्राधिकारियों का कार्यकाल पहले ही खत्म हो गया है और इसे समय–समय पर विस्तार दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) **दहानु तालुका पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरण (डीटीईपीए)** :

दहानु तालुका के पारिस्थितिकीय दृष्टि से नाजुक क्षेत्रों की सुरक्षा करने तथा इस क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए और भारत सरकार द्वारा जारी दहानु तथा तटीय विनियम क्षेत्र अधिसूचनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए दहानु तालुका पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरण का गठन दिनांक 19 दिसंबर, 1996 के का.आ. संख्या 884(इ) के तहत किया गया था। इस प्राधिकरण का गठन शुरू में दो वर्ष की अवधि के लिए किया गया था तथा प्राधिकरण को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए इसके कार्यकाल को समय–समय पर बढ़ाया गया था। प्राधिकरण का कार्यकाल 18.12.2001 को समाप्त होगा।

महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एमसीजैडएमए) :

महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण का गठन महाराष्ट्र राज्य के तटीय क्षेत्रों में तटीय प्रदूषण की गुणता की सुरक्षा करने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, उपशमन और नियंत्रण के लिए उपाय करने हेतु दिनांक 26 नवंबर, 1998 को का.आ. संख्या 1003 (ई) के तहत किया गया था। प्रारंभ में, प्राधिकरण का गठन दो वर्ष की अवधि के लिए किया गया था और प्राधिकरण को सौंपे गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए छह माह की अवधि के लिए इसका पुनर्गठन 13 मार्च, 2001 को किया गया था।

[हिन्दी]

एअर इंडिया का बकाया

9. **श्रीमती सुशीला सरोज** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस की अति विशिष्ट व्यक्तियों/परम विशिष्ट व्यक्तियों पर भारी बकाया राशि है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इंडियन एयरलाइंस द्वारा उनसे इस बकाया राशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) क्रेडिट पर टिकटों को जारी करने संबंधी सुविधा यात्रियों को व्यक्तिगत तौर पर नहीं दी जाती है कभी–कभी, अत्यधिक तात्कालिक आवश्यकता के मौके पर, टिकटों से किराए की अदायगी कैश के स्थान पर चैक से स्वीकार कर ली जाती है। बहुत कम ऐसे मामले हैं जब चैक डिस्आनर हुए हैं और जिसकी बाबत 2.95 लाख रु. की राशि बकाया है। देय राशियों की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

गुलबर्गा एयरपोर्ट का निर्माण

10. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा** :
श्री जी. एस. बसवराज :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक के गुलबर्गा में एयरपोर्ट के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा उक्त एयरपोर्ट के निर्माण हेतु भूमि अधिगृहीत की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त एयरपोर्ट का निर्माण कार्य कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) गुलबर्गा की हवाई पट्टी कर्नाटक राज्य सरकार की है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की गुलबर्गा में हवाई अड्डे के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

बीड़ी कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

11. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान बीड़ी कामगारों के लिए आवास, शिक्षा और मनोरंजन जैसी गतिविधियों के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार ने बीड़ी कामगारों के बच्चों की शिक्षा हेतु कोई योजना शुरू की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बीड़ी कर्मकारों के कल्याण हेतु आवास, शिक्षा तथा मनोरंजन संबंधी कार्यकलापों के अंतर्गत निधि का आबंटन निम्नवत है :

(रुपये हजारों में)

उप–शीर्ष	1998–99	1999–2000	2000–01
1. आवास	33323	46776	85868
2. शिक्षा	106923	128229	198214
3. मनोरंजन	1730	1822	2662
योग	141976	176827	286744

(ख) और (ग) सरकार, बीड़ी कर्मकारों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं हेतु निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है :

1. छात्रवृत्ति प्रदान करना (घरखाता बीड़ी कर्मकारों सहित)।
2. स्कूल जाने वाले बच्चों को एक सैट वर्दी, स्लेटों, कापियों और पाठ्य–पुस्तकों की आपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता की कंपोजिट योजना।
3. हाई स्कूल से आगे अंतिम विश्वविद्यालय/बोर्ड परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहनों की अदायगी।
4. बीड़ी कर्मकारों की बालिकाओं को स्कूलों में हजिरी के आधार पर प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

विश्व जूनियर मेन्स वॉलीबाल के लिए टूर्नामेंट

12. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व जूनियर मेन्स वॉलीबाल चैम्पियनशिप हेतु एशियन क्वालीफिकेशन टूर्नामेंट मई 2001 में इस्लामाबाद में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले देशों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस टूर्नामेंट में भारत की भागीदारी संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के साथ खेलने को स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले देशों के नाम कोरिया, सऊदी अरब, जापान, ईरान, पाकिस्तान, भारत, चीनी–ताइपेई, आस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) सभी संबंधित तथ्यों पर विचार करने के पश्चात, सरकार की यह राय है कि वर्तमान परिस्थितियां, दो देशों के

बीच किसी द्विपक्षीय शृंखलाओं में भाग लेने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अभी पूर्ण रूपेण सही नहीं है।

[हिन्दी]

गुजरात में जलस्तर को ऊपर उठाना

13. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में जलस्तर को ऊपर उठाने हेतु कोई योजना केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की गई है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) परियोजना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं;

(घ) क्या परियोजना को अन्य राज्यों में क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाए हैं; और

(च) यदि हां, तो परियोजना को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) गुजरात सरकार ने वित्तीय सहायता के लिए भूजल पुनर्भरण घटक वाली निम्नलिखित दो परि–योजनाओं को प्रस्तुत किया है :

(i) 305.64 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से "अति दोहित जलाभृत्तों (गुजरात) में सतही जल पुनर्भरण का संवर्धन"। इस परियोजना में चेक बांधों, परिस्रवण टैंकों, भूमिगत चेक बांधों, स्प्रीडिंग चैनल, ग्रामीण तालाबों को भरना, कुओं का पुनर्भरण, नदियों में इंजेक्शन कुएं, ग्रामीण तालाबों को गहरा करना, धारोई नहर कमान क्षेत्र में भूजल का संयुक्त उपयोग, वृक्षारोपण और भूमि जल संरक्षण कार्यों जैसे लघु सिंचाई कार्यों के निर्माण की योजना है। इस प्रस्ताव को दिनांक 5.2.2001 को आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से नीदरलैंड शाही दूतावास को वित्तीय सहायता के वास्ते भेज दिया गया है। नीदरलैंड सरकार की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

(ii) 1160.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से "गुजरात लवणतारोधी परियोजना"। इस परियोजना में क्रमवार तीन उपायों अर्थात प्रबंधन में सुधार, पुनर्भरण में वृद्धि तथा लवणता नियंत्रण के माध्यम से लवणता प्रवेश संबंधी समस्या का निपटान करने का लक्ष्य है। इस परियोजना को वित्तीय सहायता के लिए दिनांक 14.6.2000 को आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से विश्व बैंक को भेजा गया है। इस पर विश्व बैंक की प्रतिक्रिया प्राप्त होनी है।

(घ) से (च) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययनों" संबंधी अपनी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत देश के विभिन्न राज्यों में प्रायोगिक आधार पर भूजल पनुर्भरण और वर्षा जल संचयन संबंधी प्रयोग किया है। सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के लिए 25.00 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अनुमादित प्रस्तावों को 1 से 2 वर्षों के अंदर कार्यान्वित किए जाने की संभावना है।

विवरण

भूजल पुनर्भरण स्कीमों से संबंधित अनुमोदित प्रस्तावों के राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य	स्कीमें (संख्या)	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	10	54.55	क्रियान्वयनाधीन
2.	असम	1	56.69	क्रियान्वयनाधीन
3.	बिहार	4	48.69	क्रियान्वयनाधीन
4.	दिल्ली	14	86.43	चार स्कीमें पूरी कर ली गईं और शेष क्रियान्वयना–धीन हैं।
5.	गुजरात	3	18.95	क्रियान्वयनाधीन
6.	हरियाणा	8	139.12	तीन स्कीमें पूरी कर ली गईं और शेष क्रियान्वयना–धीन हैं।

1	2	3	4	5
7.	हिमाचल प्रदेश	6	81.65	तीन स्कीमें पूरी कर ली गईं और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
8.	जम्मू और कश्मीर	11	190.19	एक स्कीम पूरी हो गई है और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
9.	झारखण्ड	6	28.04	क्रियान्वयनाधीन
10.	कर्नाटक	1	13.75	क्रियान्वयनाधीन
11.	केरल	9	67.62	पांच स्कीमें पूरा होने के अंतिम चरण पर हैं और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
12.	मध्य प्रदेश	5	53.85	चार स्कीमें पूरी कर ली गईं और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
13.	महाराष्ट्र	3	76.63	क्रियान्वयनाधीन
14.	मेघालय	1	28.00	क्रियान्वयनाधीन
15.	मिजोरम	1	28.00	क्रियान्वयनाधीन
16.	नागालैंड	1	70.00	क्रियान्वयनाधीन
17.	उड़ीसा	2	437.40	क्रियान्वयनाधीन
18.	पंजाब	15	251.49	छः स्कीमें पूरी कर ली गई हैं और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
19.	राजस्थान	13	84.27	एक स्कीम पूरी हो गई है और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
20.	तमिलनाडु	8	198.98	एक स्कीम पूरी हो गई है और शेष क्रियान्वयनाधीन हैं।
21.	उत्तर प्रदेश	5	37.21	क्रियान्वयनाधीन
22.	उत्तरांचल	1	2.00	क्रियान्वयनाधीन
23.	पश्चिम बंगाल	8	167.82	क्रियान्वयनाधीन

एशियन टैस्ट चैंपियनशिप में क्रिकेट टीम की भागीदारी

14. श्री जय प्रकाश : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष सितंबर में आयोजित होने वाली एशियन टैस्ट चैंपियनशिप में भागीदारी के लिए क्रिकेट टीम को अनुमति दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) एशियन टैस्ट चैम्पियनशिप में सहभागिता के लिए अभी तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर, टूर्नामेंट में भारतीय टीम की सहभागिता के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

15. राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश की विदेशी सहायता प्रदत्त सिंचाई परियोजनाओं के परियोजनावार नाम क्या हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं पर अब तक कितना कार्य हुआ है; और

(ग) परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) डच सहायता प्राप्त बुंदेलखंड एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना में प्रायोगिक आधार पर दो वाटरशेड के निर्माण की योजना है। इसमें से एक उत्तर प्रदेश के ललितपुर और दूसरा बांदा जिले में आता है। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ से वंचित लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण जनता की जीविका में दीर्घकालिक सुधार करना है। अभी हाल ही में 1.352 मिलियन एनएलजी (2.54 करोड़ रु.) के वितरण के साथ ये परियोजना 31.5.2001 को पूर्ण हुई हैं। इस परियोजना में शुरू किए गए कार्यों में टैंकों से गाद हटाना, चेक बांधों, पेयजल कुएं, सिंचाई चैनल का निर्माण तथा मृदा संरक्षण संबंधी अन्य उपायों जैसे क्रियाकलाप शामिल हैं।

[अनुवाद]

बंधुआ मजदूर

16. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्य सरकारों ने अभी तक बंधुआ मजदूरों की पहचान और उनकी रिहाई के लिए सतर्कता समिति गठित नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई निर्देश भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो शेष राज्यों द्वारा ऐसी समितियों को कब तक गठित कर दिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार बंधित श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 की धारा 13 के तहत यथा अपेक्षित बंधुआ श्रमिकों की पहचान करने, उन्हें मुक्त कराने एवं उनका पुनर्वास करने के लिए जिला एवं उप खंड स्तर पर सतर्कता समितियां गठित की जा चुकी हैं।

[हिन्दी]

टेलीग्राफ सेवाओं का आधुनिकीकरण

17. **श्री हरिभाई चौधरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में टेलीग्राफ सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु कोई बजट आबंटन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात में टेलीग्राफ सेवाओं का आधुनिकीकरण किया गया है। लिंक और नेटवर्क तार कार्यालयों को तारों के त्वरित पारेषण के लिए माइक्रोप्रोसेसर आधारित इलैक्ट्रानिक मैसेज स्विच, जैसे कि स्टोर एण्ड फारवर्ड मैसेज स्विचिंग (एसएफएमएस) प्रणालियां, फॉर्मेटेड टर्मिनल कंसट्रेटर्स (एफटीसी), इलैक्ट्रानिक की–बोर्ड कन्सन्ट्रेटर्स (ईकेबीसी) और फोनोग्राम कन्सन्ट्रेटर्स (पीसी) प्रदान किए गए हैं। जिलेवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) कोई भी अलग बजट आबंटन नहीं किया गया है। तथापि, इस प्रकार के कार्यक्रमों की मांगों को वर्ष में टेलेक्स और टेलीग्राफ कार्यों के लिए आबंटित विकास निधियों से पूरा किया जाता है।

(ङ) आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और इसे आवश्यकतानुसार किया जा रहा है।

विवरण

टेलीग्राफ सुविधाओं के लिए आधुनिकीकृत टेलीग्राफ उपस्करों युक्त स्थानों का जिले–वार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	एसएफएमएसएस–पोर्ट				ईकेबीसी–पोर्ट				एफटीसी–पोर्ट				पीसी–पोर्ट
		सीटीओ	टीओ	टीसी	सीओ	सीटीओ	टीओ	टीसी	सीओ	सीटीओ	टीओ	टीसी	सीओ	सीटीओ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	अहमदाबाद	21	11	3	3	2	7		2					8
2.	गांधी नगर		2				1		2					
3.	अमरेली		1		2		1							
4.	पालनपुर		1		1		1							
5.	भड़ूच		1				1	2	1					
6.	नर्मदा							1	3					
7.	भावनगर		1				1		3		1			
8.	भुज–के		2		4		2							
9.	जामनगर	2	1		4	1			11					3
10.	जूनागढ़		2		3		2							1
11.	पोरबंदर		1				1							
12.	नाडियाड		1					1	1					
13.	आनंद		2				1		4					
14.	मेहसाना		2		3		1		4					
15.	पाटन				1				3					
16.	गोधरा		1				1	1	4					
17.	दाहोद		1				1							
18.	राजकोट	2	1		7	3	1		5	4				5
19.	हिम्मतनगर		1						4					
20.	सुरेन्द्र नगर		1				1		4					
21.	सूरत	1				3	1		5	2	1			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.	बड़ोदरा	1	3			1	3		8	1				
23.	वलसाड़						2	1					2	
24.	नवसारी						2		2		2			
25.	दांग												1	
26.	संघ शासित प्रदेश								2					

शीर्षक : एसएफएमएसएस स्टोर एण्ड फारवर्ड मैसेज सिस्टम

ईकेबीसी इलैक्ट्रानिक की बोर्ड कन्सन्ट्रेटर्स

एफटीसी फॉर्मेटेड टर्मिनल कन्सन्ट्रेटर्स

पीसी फोनोग्राम कन्सन्ट्रेटर्स

सीटीओ केन्द्रीय टेलीग्राफ कार्यालय

टीओ टेलीग्राफ कार्यालय

टीसी टेलीफोन केन्द्र

सीओ संयुक्त कार्यालय

[अनुवाद]

बाढ़ नियंत्रण

18. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जून, 2001 के "असम ट्रिब्यून" में "रूपीज 55 करोड़ फ्लड फंड्स लाइंग आइडिल विद सेंटर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो बाढ़ नियंत्रण उपाय समय पर न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि धनराशि अप्रयुक्त पड़ी है; और

(ग) इस धनराशि से अब शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय ने नौवीं योजना के दौरान 55.56 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से "ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में बाढ़ नियंत्रण स्कीम" नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम तैयार की है। जिसकी वित्तीय प्रणाली में 90 प्रतिशत केन्द्र हिस्सा : 10 प्रतिशत राज्य हिस्सा है। इस स्कीम में पश्चिम बंगाल (उत्तर–बंगाल) सहित पूर्वोत्तर राज्यों में ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में बाढ़ प्रबंधन के कार्यान्वयन की योजना है। इस स्कीम को कार्यान्वित किए जाने से पहले, इसे पूर्ण योजना आयोग और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। चूंकि यह स्कीम अभी अनुमादित की जानी है, ऐसी स्थिति में निधियों के बेकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

बांध निर्माण के कारण बेरोजगारी

19. श्रीमती जस कौर मीणा : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान बांध निर्माण के कारण राज्य–वार कुल कितने व्यक्ति बेरोजगार हुए;

(ख) सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) इसके लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं और वर्ष–वार कितनी धनराशि जारी की गई; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्ष–वार और राज्य–वार कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, राज्य द्वारा अपनाए गए पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आर एण्ड आर) पैकेजों के अनुसार परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए आवश्यक पुनर्वास उपायों सहित सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण और कार्यान्वयन स्वयं राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। कुछ परियोजना प्रभावित लागों को रोजगार मुहैया कराना अधिकतर पुनर्वास और पुनर्स्थापना पैकेजों का एक घटक है। केन्द्र सरकार व्यय तथा सिंचाई क्षमता सृजन के संबंध में परियोजनाओं की प्रगति की मानीटरिंग करती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 का विस्तार/सुधार

20. श्री राजैया मल्याला : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 पर हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच विशेषकर हैदराबाद में 'हयात नगर और चादरघाट पुल' के बीच विस्तार और सुधार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (ग) संभवतः माननीय संसद सदस्य हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 (न कि 7) के ब्यौरों के बारे में जानना चाहते हैं। हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 की कुल 266 किमी. लंबाई में से हैदराबाद से 10 किमी. लंबाई और विजयवाड़ा की ओर से 13 किमी. लंबाई में पहले से ही चार लेन हैं। इस लंबाई में 13.60 किमी. की कुल लंबाई में से चादरघाट पुल और हयात नगर के बीच 4.60 किमी. की लंबाई शामिल है। शेष लंबाई को यातायात की मात्रा, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न चरणों में चौड़ा किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग-213 की घोषणा

21. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पालाक्कड कालीकट राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 213 के रूप में घोषित किया है; और

(ख) यदि हां, तो आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–213 के विकास हेतु क्या विकास कार्य किए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए धनराशि का आबंटन राज्यवार किया जाता है न कि राष्ट्रीय राजमार्गों के आधार पर। चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग–213 के लिए निम्नलिखित सुधार कार्य स्वीकृत किए गए हैं :

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत
(i)	15/656 से 30/300 किमी. तक सड़क गुणता सुधार	280.45 लाख रु.
(ii)	99/00 से 112/00 किमी. तक सड़क गुणता में सुधार	253.64 लाख रु.

सुनिश्चित प्रोन्नति योजना

22. श्री अमर राय प्रधान : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार सेवा विभाग ने पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सुनिश्चित प्रोन्नति योजना को कतिपय संशोधनों सहित स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो सुनिश्चित प्रोन्नति योजना (एसीपी) और दूरसंचार सेवा विभाग द्वारा किए गए संशोधनों के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के क्या निदेश हैं; और

(ग) इन संशोधनों को किस सीमा तक वैध माना जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) विभाग ने सुनिश्चित प्रोन्नति योजना (एसीपी) को संशोधनों सहित कार्यान्वित नहीं किया है। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा स्वीकार की गई और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9.8.89 के कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/1/97–स्थापना (घ) के तहत परिचालित और फिर उसी विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/1/97 स्थापना

(घ) के तहत स्पष्टीकृत/संशोधित सुनिश्चित प्रोन्नति योजना को इस विभाग द्वारा लागू किया गया है।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) उपरोक्त भाग के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

नेदुमबस्सारी हवाई अड्डे का विकास

23. श्री जार्ज ईडन : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने नेदुमबस्सारी हवाई अड्डे के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विजयवाड़ा हवाई अड्डे का विकास

24. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में एक हब के निर्माण हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंझौले स्तर के यात्री विमानों के उतरने हेतु वहां तटीय हवाई अड्डों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर मौजूदा धावनपथ को सुदृढ़ किया गया है और संबद्ध टैक्सी मार्ग के साथ नए ऐप्रन का निर्माण किया गया है तथा 100 यात्रियों को हैंडिल करने के लिए मौजूदा टर्मिनल भवन का जीर्णोद्धार किया गया है। इस कार्य को जुलाई, 1999 तक पूरा कर लिया गया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, रक्षा मंत्रालय तथा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के साथ मिलकर संयुक्त रूप से विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर एक विकास परियोजना का कार्य शुरू किया है। इसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

मध्यम क्षमता वाले दीर्घ क्षेत्रीय (एमसीएलआर) विमानों से 10,000 फीट लंबे नए धावनपथ का निर्माण–नए ऐप्रन तथा संबद्ध टैक्सी मार्ग का निर्माण, पार्ट समानांतर टैक्सी मार्ग तथा मौजूदा ऐप्रन तथा टैक्सी मार्ग का सुदृढ़ीकरण। सभी मौसम में प्रचालन के लिए दिक्चालनात्मक उपकरण एवं भू प्रकाश सुविधाएं–घरेलू के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को हैंडिल करने के लिए नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण, कार पार्क इत्यादि।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि कामगारों के लिए पेंशन

25. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने कृषि कामगारों के लिए पेंशन और बीमा संबंधी कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त संस्थान ने हाल में घोषित की गई पेंशन/बीमा योजना में छोटे किसानों को शामिल किए जाने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो पेंशन/बीमा योजना से छोटे किसानों के शामिल किए जाने के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की स्थापना

26. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बंगलौर, हैदराबाद और गोवा में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की स्थापना निजी क्षेत्र की प्रमुख सहभागिता के साथ करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, हां। बेंगलूर, हैदराबाद और गोवा में निजी क्षेत्र की भागीदारी से ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के निर्माण के लिए भारत सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है।

समझौता–ज्ञापन के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 13 प्रतिशत इक्विटी अर्थात 50 करोड़ रुपये की इक्विटी होगी जो बेंगलूर और हैदराबाद हवाई अड्डे दोनों की परियोजनाओं से कम है।

संबंधित परियोजनाओं के लिए कर्नाटक और आंध्रप्रदेश राज्य सरकार संयुक्त उद्यम निजी क्षेत्र के हिस्सेदारी का चयन कर रहे हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इन परियोजनाओं को विमान यातायात प्रबंधन सेवा सहित अपेक्षित तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

नए गोवा एयरपोर्ट परियोजना के लिए गोवा सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।

[हिन्दी]

भागलपुर हवाईअड्डे का विकास

27. श्री सुबोध राय : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागलपुर हवाई अड्डे को विकसित करने और उसे अन्य शहरों के साथ विमान सेवा से जोड़े जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक विकसित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) भागलपुर हवाई अड्डा बिहार राज्य सरकार का है। किसी भी एयरलाइंस आपरेटर ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से भागलपुर हवाई अड्डे से अपनी उड़ान शुरू करने के बारे में अनुरोध नहीं किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस हवाई अड्डे को विकसित करने की कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

औद्योगिक इकाइयों का बंद किया जाना

28. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में बंद की गई औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने कामगार प्रभावित हुए हैं;

(ग) श्रमिक असंतोष के कारण बंद की गई इकाइयों की संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त राज्य में उन इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के लिए भूमि

29. श्री वी. एस. शिवकुमार :
श्री वरकला राधाकृष्णन :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि अपने कब्जे में ले ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए टर्मिनल का निर्माण कार्य शुरू किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त हवाई अड्डे पर निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ङ) केरल राज्य सरकार ने तिरूवनंतपुरम हवाई अड्डा विकास सोसायटी के माध्यम से, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की चक्कई नहर वाले स्थान पर एक नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के निर्माण के लिए परियोजना पर कार्य करने का प्रस्ताव किया है और इस प्रयोजन के लिए लगभग 27 एकड़ भूमि ली है। अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और इसलिए इस समय, कोई भी समय–सीमा बता पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

गुजरात के श्रम न्यायालयों में लंबित मामले

30. श्री मानसिंह पटेल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार गुजरात के श्रम न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में लंबित मुकदमों की जिले–वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या गत एक दशक के दौरान लंबित मुकदमों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ग) क्या राज्य में न्यायाधीशों के अनेक पद रिक्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा लंबित मुकदमों के निपटान हेतु न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) गुजरात राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गुजरात की ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधाएं

31. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में ग्राम पंचायतों की जिले–वार संख्या कितनी है जहां सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) वर्ष 2001–2002 के दौरान ऐसी सुविधाओं को जिले–वार कितनी ग्राम पंचायतों को प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त सुविधाओं को बाकी ग्राम पंचायतों में कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) अपेक्षित सूचना विवरण के रूप के संलग्न है।

(ख) और (ग) निजी बुनियादी टेलीफोन सेवा लाइसेंसधारक, मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड ने बुनियादी सेवा लाइसेंस के संशोधित नियमों और शर्तों के अनुसार ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) संबंधी अपने दायित्वों को 31 दिसंबर, 2002 तक पूरा करने का प्रस्ताव किया है।

विवरण

गुजरात के गांवों में टेलीफोन सुविधा संबंधी जिला–वार सूचना

क्र.सं.	जिले का नाम	गांवों की कुल सं.	टेलीफोन सुविधा युक्त गांवों की सं.	टेलीफोन रहित गांवों की सं.
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद	719	666	53
2.	अमरेली	313	575	38
3.	भावनगर	784	678	106
4.	भड़ूच	1116	812	304
5.	भुज	884	588	296
6.	गोधरा	1888	1086	802
7.	हिम्मतनगर	1363	985	378
8.	जामनगर	694	594	100
9.	जूनागढ़	1103	943	160
10.	मेहसाना	1091	987	104
11.	नाडियाड़	965	944	21
12.	पालनपुर	1368	993	375
13.	राजकोट	841	816	25
14.	सूरत	1185	864	321

1	2	3	4	5
15.	सुरेंद्र नगर	648	645	03
16.	बड़ोदरा	1639	951	688
17.	वलसाड़	1224	796	428
	जोड़	18125	13923	4202

सामुदायिक वन प्रबंधन कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक की सहायता

32. श्री के. येरननायडू :
श्री के. ई. कृष्णमूर्ति :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने "सामुदायिक वन प्रबंधन कार्यक्रम" के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार को कोई ऋण प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत जिलेवार कितना क्षेत्र शामिल किए जाएगा; और

(ग) उक्त कार्य को पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल और बिहार में टेलीफोन एक्सचेंज

33. श्री के. मुरलीधरन :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री कोडीकुनील सुरेश :
श्री राजो सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केरल और बिहार में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की जिले–वार संख्या और इनकी क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2001–2002 के दौरान उन राज्यों में नए टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने और मौजूदा एक्सचेंजों की क्षमता को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इसमें कुल कितनी धनराशि के अंतर्ग्रस्त होने की संभावना है; और

(ङ) इन राज्यों में किन–किन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए भवन बनाए गए हैं और इस समय उपयोग में लाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) फिलहाल केरल सर्किल में 978 टेलीफोन एक्सचेंज और बिहार सर्किल में 912 टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं। उनकी क्षमता सहित एक्सचेंज का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण III और IV में दिया गया है।

(घ) केरल और बिहार में 2001 और 2002 के दौरान एक्सचेंजों को स्थापित करने और मौजूदा एक्सचेंजों के विस्तार पर किए जाने वाले संभावित व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है :

राज्य	राशि करोड़ रुपये में
केरल	1151.81 (अनुमानित)
बिहार	265.79 (अनुमानित)

(ङ) केरल सर्किल में 367 एक्सचेंज और बिहार सर्किल में 124 एक्सचेंज विभागीय भवनों में कार्य कर रहे हैं, ब्यौरा संलग्न विवरण V और VI में दिया गया है।

विवरण-I

केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों का जिलावार ब्यौरा

जिले/केन्द्रशासित प्रदेश का नाम	एक्सचेंजों की संख्या	सज्जित क्षमता
1	2	3
कासरागोद	50	84676
कन्नोर	85	184206
वायनाड	27	31976
कालीकट	75	205572

1	2	3
मालाप्पुरम	66	156793
पालघाट	85	142118
त्रिचूर	70	280528
एर्नाकुलम	99	368448
इदुक्की	77	82406
कोट्टायम	76	216361
अल्लेप्पी	50	152416
पथानम्थीट्टा	65	163150
क्विलोन	73	203783
त्रिवेन्द्रम	80	321580
केरल राज्य का कुल जोड़	978	2594013

विवरण-II

बिहार

जिलावार स्थिति

क्र.सं.	जिला	एक्सचेंजों की संख्या	क्षमता
1	2	3	4
1	भोजपुर	26	18264
2	बक्सर	17	9744
3	भागलपुर	35	34040
4	बंका	22	9424
5	सरन	31	21872
6	गोपालगंज	17	8320
7	सिवान	22	11328
8	दरभंगा	49	32744
9	मधुबनी	39	18632
10	समस्तीपुर	40	19040
11	गया	28	28240
12	औरंगाबाद	22	9992
13	जहानाबाद	16	7512
14	नवादा	18	10080
15	वैशाली	40	30688
16	बेगुसराय	28	22280
17	खगरिया	19	10664
18	अरसना	13	8052
19	कटिहार	20	15392
20	किशनगंज	13	8372
21	पुमेआ	20	19156
22	पूर्वी चम्पारन	42	33284
23	प. चम्पारन	29	18280
24	मुंगेर	14	16272
25	लखीसराय	14	6952
26	शेखपुरा	9	4315
27	जामुल	16	6704
28	मुजफ्फरपुर	37	43882
29	सीतामढ़ी	23	12488
30	श्योहर	5	1853
31	पटना	51	183440
32	नालंदा	34	21412
33	भभुआ	16	11580
34	रोहतास	27	26058
35	सहरसा	23	14880
36	मधेपुरा	17	9704
37	सुपौल	20	9698
		912	

विवरण-III

वर्ष 2001–2002 के लिए केरल में चालू/विस्तार करने के लिए टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची

एक्सचेंज का नाम	जिला	क्षमता	नेट 02
1	2	3	4
एएलपी–केकुन्डी	अल्लेप्पी	3000	1000
एएलपी–कालरकोड	अल्लेप्पी	2500	500
अरूर	अल्लेप्पी	4500	1000
चम्पाकुलम	अल्लेप्पी	1768	232
चेंगानुर	अल्लेप्पी	9000	1000
चेंनीथाला	अल्लेप्पी	2500	1000
चेरियानाड़	अल्लेप्पी	0	1500
चेट्टीकुलांगारा	अल्लेप्पी	0	2000
इदाथुवा	अल्लेप्पी	4000	1000
इजापुन्ना	अल्लेप्पी	0	1000
कैनाकरी	अल्लेप्पी	1000	1000
कनिचिकुलांगरा	अल्लेप्पी	0	2000
कार्थिकापल्ली	अल्लेप्पी	0	2000
करूवट्टा	अल्लेप्पी	1656	850
कट्टानम	अल्लेप्पी	2500	2000
कृष्णापुरम	अल्लेप्पी	0	2000
कुथियाथोड	अल्लेप्पी	3000	2500
एमवीके–मवेलिक्कारा उल्ल	अल्लेप्पी	1000	1000
मेनकनकुजी	अल्लेप्पी	2000	1000
मन्नानचेरी	अल्लेप्पी	0	1500
मुलककुजा	अल्लेप्पी	0	2000
मट्टार	अल्लेप्पी	0	1000
नीलपेरूर	अल्लेप्पी	0	1000
नूरानाडु	अल्लेप्पी	3500	1500
पल्लीपुरम एलपी	अल्लेप्पी	1000	400
पाथिराप्पाल्ली	अल्लेप्पी	2744	1256
पथियूर	अल्लेप्पी	0	2000
पट्टनक्कड़	अल्लेप्पी	1500	1500
पुन्नापरा	अल्लेप्पी	1500	1000
शेरटल्लै	अल्लेप्पी	6000	2500
थामराकुलम	अल्लेप्पी	0	1400
थेक्केकारा	अल्लेप्पी	0	2000
वल्लीकुन्नम्	अल्लेप्पी	1896	1104
वन्दानम्	अल्लेप्पी	0	1500
वीयापुरम	अल्लेप्पी	1000	400
वेनमोनी	अल्लेप्पी	0	1500
उप जोड़		**57564**	**48142**
अरूर (सीएलटी)	कालीकट	344	1656
अथोली	कालीकट	968	2532
अवाला	कालीकट	328	1172
भूमिवथुक्कल	कालीकट	1000	1000
चाथामंगलम आरईसी	कालीकट	1500	500
चीकीलोड़े	कालीकट	160	840
चेम्पानोड़	कालीकट	512	688
चेरूपा	कालीकट	1000	1000
चेरूवड़ी	कालीकट	488	1012
इदाचेरी	कालीकट	2000	3000
इष्टेटमुक्कु	कालीकट	0	2000

1	2	3	4
कक्कायम	कालीकट	344	184
कप्पाड़	कालीकट	1400	1600
कोडुवल्ली	कालीकट	2000	4000
कुट्टालिड़ा	कालीकट	368	1632
कुन्नामंगलम	कालीकट	3000	2000
कुन्नाप्रपलम	कालीकट	0	2000
मेप्पायूर	कालीकट	1384	3116
मोकेरी	कालीकट	2000	3000
कोक्कम	कालीकट	2000	1500
नांमिन्दा	कालीकट	1000	400
नारिकुनी	कालीकट	664	2336
थोट्टाल्पलय्	कालीकट	1528	1476
वालायम	कालीकट	0	1000
बंगारी	कालीकट	0	1500
विलांगड	कालीकट	336	664
उप जोड़		**24324**	**41808**
अलाकोड़	कन्ननोर	1400	1000
अलाविल	कन्ननोर	2250	500
अंजाराकंडी	कन्ननोर	3000	2000
अजीकोड	कन्ननोर	0	2000
सीएनएन कन्ननोर सिटी	कन्ननोर	3250	1000
चेरूकुन्नू	कन्ननोर	3000	2000
चेरूपुज़ा	कन्ननोर	1400	1600
चोकली	कन्ननोर	0	2000
चोरक्कला	कन्ननोर	0	1000
ईचुर	कन्ननोर	0	2000
इदात	कन्ननोर	0	1500
इदूर	कन्ननोर	0	1000
इरानहोली	कन्ननोर	0	2000
कड़ीरूर	कन्ननोर	2400	1100
कडवाथुर	कन्ननोर	0	1500
कक्कारा	कन्ननोर	0	368
करीवेल्लूर	कन्ननोर	2000	1500
कोलोलाम	कन्ननोर	1400	1600
कुथुपारम्बा	कन्ननोर	4500	1000
कोटिटला	कन्ननोर	0	1000
मनककदेवू	कन्ननोर	1000	1000
मंगाट्टूपाराम्बा	कन्ननोर	4000	2000
माथमंगलम्	कन्ननोर	1500	1600
माथिल	कन्ननोर	1000	1000
मट्टांनूर	कन्ननोर	3000	2000
मुंदेरी	कन्ननोर	1100	1400
पालाकोड़े	कन्ननोर	352	184
पल्लीक्कुन्नू (सीएनएन)	कन्ननोर	2800	500
पट्टूवम	कन्ननोर	520	880
पेरिगोम	कन्ननोर	520	1400
पेरलासेरी	कन्ननोर	0	1500
पिलाथारा	कन्ननोर	2000	1000
पूलाकुट्टी	कन्ननोर	0	368
पूवम	कन्ननोर	0	1000
थाडीकाडथू	कन्ननोर	0	368
थोट्टाडा	कन्ननोर	0	1500

1	2	3	4
तिरूमणी	कन्ननोर	336	664
उद्यमवनथाला	कन्ननोर	0	1500
उलियाल	कन्ननोर	0	1000
वेलाड	कन्ननोर	0	552
वेल्लूर	कन्ननोर	0	1500
उप जोड़		**42728**	**50584**
अलवाये	एर्नाकुलम	12500	1000
अंगामली	एर्नाकुलम	7500	1000
अय्यमपुजा	एर्नाकुलम	336	664
अजाद रोड़	एर्नाकुलम	0	3000
चेराई	एर्नाकुलम	3200	2000
चून्डी	एर्नाकुलम	0	3000
चोट्टानिक्कारा	एर्नाकुलम	2016	984
कोचिन यूनिवर्सिटी	एर्नाकुलम	0	2000
डीटीएएक्स आरएसयू	एर्नाकुलम	0	3500
इडा कोची	एर्नाकुलम	0	2000
इडापल्ली	एर्नाकुलम	0	2000
इडावानक्कड़	एर्नाकुलम	1500	1000
एलूर	एर्नाकुलम	2048	1000
गांधीनगर	एर्नाकुलम	0	4000
कालाडी	एर्नाकुलम	7000	1500
कारीकुट्टी	एर्नाकुलम	0	1500
कीचेरी	एर्नाकुलम	1500	500
कीजिल्लाम	एर्नाकुलम	1500	1000
मिजाक्कमवलम	एर्नाकुलम	5040	2000
कोलेनचेरी	एर्नाकुलम	4000	1500

1	2	3	4
कोजीपल्ली	एर्नाकुलम	0	3000
कुनुकारा	एर्नाकुलम	1400	1600
कुट्टामपुजा	एर्नाकुलम	336	664
मालायत्तुर	एर्नाकुलम	1000	400
मंजुमल	एर्नाकुलम	0	2000
मारमपिल्ली	एर्नाकुलम	2048	1000
मूथाकुन्नम्	एर्नाकुलम	1500	1000
मूजीकुलम	एर्नाकुलम	2500	1000
मुलावकडू	एर्नाकुलम	0	1000
नेड़म्बस्सेरी	एर्नाकुलम	360	2000
नेरियामगलम	एर्नाकुलम	352	648
ओडाक्कली	एर्नाकुलम	2024	1000
ऊन्नुकल	एर्नाकुलम	1128	400
ओरामाना	एर्नाकुलम	0	1000
पीआरयू–पेरूर उल्ल	एर्नाकुलम	8000	1500
पट्टीमट्टोम	एर्नाकुलम	0	2000
पट्टीमट्टोम	एर्नाकुलम	0	1000
पिरावम	एर्नाकुलम	3250	1000
पूयमकुट्टी	एर्नाकुलम	0	336
पुथेनकुज	एर्नाकुलम	3032	968
पुथेनवेलिकारा	एर्नाकुलम	1500	1000
सिरीमूलांगरम	एर्नाकुलम	2500	500
थिरूवानकुलम	एर्नाकुलम	0	2000
थिरिक्कारा	एर्नाकुलम	7032	1500
थुरावूर	एर्नाकुलम	0	2000
वडुथाला	एर्नाकुलम	0	2500

1	2	3	4
वल्लारपदम	एर्नाकुलम	0	2000
वारापेट्टी	एर्नाकुलम	0	1000
वेंगुर	एर्नाकुलम	1500	1000
वेन्नाला	एर्नाकुलम	0	2000
वाइपिन	एर्नाकुलम	1384	616
उप जोड़		**88986**	**74780**
अनाक्कारा	इदुक्की	1000	400
अनाविलासम	इदुक्की	336	664
अराकुलम	इदुक्की	2024	476
बोडीमेट्टु	इदुक्की	0	336
चेम्मानेर	इदुक्की	336	664
चेरूवल्लिकुलम	इदुक्की	0	336
चिथिरापुरम	इदुक्की	1000	400
कुमबुम्मेट्टु	इदुक्की	360	640
इलामदेशम	इदुक्की	1500	500
इलाप्पारा	इदुक्की	344	656
इजाल्लुर	इदुक्की	520	480
इरूमपुपलम	इदुक्की	336	664
कल्लार	इदुक्की	1000	1000
कलूर	इदुक्की	1000	1000
कार्दिकुजी	इदुक्की	0	336
करिकोड	इदुक्की	0	2000
करिमान्नूर	इदुक्की	1400	1600
करीमबन	इदुक्की	336	664
करीमकुन्नम	इदुक्की	1400	600
कथिप्पारा	इदुक्की	336	664

1	2	3	4
कोचेरा	इदुक्की	0	336
कोलानी	इदुक्की	0	2000
मन्नाथुर	इदुक्की	1250	500
मारायूर	इदुक्की	336	664
म्लामाला	इदुक्की	336	664
मुल्लारिंगड़	इदुक्की	368	632
मुरिक्करसरी	इदुक्की	1000	500
मुट्टम	इदुक्की	1400	600
पलूरकावू	इदुक्की	184	184
पाराथोड	इदुक्की	1000	400
पुमाला	इदुक्की	360	184
राजक्कड	इदुक्की	1000	500
राजकुमारी	इदुक्की	1000	500
संथांपारा	इदुक्की	336	664
सेनापथि	इदुक्की	336	664
स्वराज	इदुक्की	1000	400
थनक्कामोनी	इदुक्की	1000	400
थोपरमकुडी	इदुक्की	1000	400
उदमवन्नूर	इदुक्की	1000	1500
उप्पुथारा	इदुक्की	1000	400
वाडाट्टुपारा	इदुक्की	336	664
वन्डनमेड़	इदुक्की	1360	400
वन्डीपेरियार	इदुक्की	1400	600
वन्नापपुरम	इदुक्की	1400	1100
वट्टायार	इदुक्की	336	664
वाजाथोपे	इदुक्की	1000	1000

1	2	3	4
वाजावारा	इदुक्की	336	184
वेंगालूर	इदुक्की	0	2000
उप जोड़		**33302**	**32784**
अट्टेंगनम	कासरागोद	704	796
बलाल	कासरागोद	552	448
बान्डाडका	कासरागोद	520	1064
बेल्डाडका	कासरागोद	520	880
सीपीसीआरआई	कासरागोद	0	1500
कालानाड	कासरागोद	1640	1860
कान्हांगड	कासरागोद	7000	5000
कनियाला	कासरागोद	336	184
कट्टाथडका	कासरागोद	1000	400
मेप्पडी	कासरागोद	368	184
मलोथ	कासरागोद	704	696
पडने	कासरागोद	0	1000
पैवलिक	कासरागोद	1000	500
पारप्पा	कासरागोद	520	1480
पिरया	कासरागोद	1400	1100
पुरूमपट्टा	कासरागोद	488	1400
राजापुरम	कासरागोद	1400	600
थाईकड़ापुरम	कासरागोद	0	1500
उदरदूर	कासरागोद	1000	400
वलियापरम्बा	कासरागोद	640	880
वनीनगर	कासरागोद	336	184
विद्यानगर	कासरागोद	0	1500
वोरकडी	कासरागोद	1000	400
येथाड्का	कासरागोद	336	184
उप जोड़		**21464**	**24140**
अथिरमपुजा	कोट्टायम	0	1500
ब्रामामंगलम्	कोट्टायम	0	1500
सीएचसी–चंगनचेरी उल्ल	कोट्टायम	1000	2000
चेम्पु	कोट्टायम	1262	738
चेन्नड	कोट्टायम	528	632
चेरूपुगंल	कोट्टायम	0	1500
चिराकाडेवू	कोट्टायम	0	2000
ईटीआर इट्टुमनूर उल्ल	कोट्टायम	2250	1000
इराट्टुपेट्टा	कोट्टायम	5000	500
गांधीनगर	कोट्टायम	8000	1000
कादुथुरूथी	कोट्टायम	3500	500
किदांगूर	कोट्टायम	3000	1000
कुरापाड़ा	कोट्टायम	0	1000
कोरूथोडे	कोट्टायम	488	512
कुडावेचूर	कोट्टायम	1600	400
कुमारानेल्लूर	कोट्टायम	0	1500
कुन्नोनी	कोट्टायम	368	632
कुरिसुमूड	कोट्टायम	0	1500
मणिमाला	कोट्टायम	2000	500
मीनाडम	कोट्टायम	0	2000
मूलेडम	कोट्टायम	0	2500
मूनीलावू	कोट्टायम	1100	400
मुन्डाकायम	कोट्टायम	2400	1100
नेदुमकुन्नम	कोट्टायम	0	1500

1	2	3	4
पीएलआई–पलाई उल्ल	कोट्टायम	2000	1384
पनमाट्टम	कोट्टायम	0	1000
पाथमपुजा	कोट्टायम	368	632
टीवी पुरम	कोट्टायम	0	2000
थेक्केथुकबाला	कोट्टायम	0	1000
थेल्लाकोम	कोट्टायम	0	1500
थिरूवन्चुर	कोट्टायम	0	1500
थिरूवरपू	कोट्टायम	0	1500
थरूथी	कोट्टायम	0	3000
उजावूर	कोट्टायम	2000	1000
वेलियान्नूर	कोट्टायम	0	2000
वेलूर	कोट्टायम	0	1500
येन्डायार	कोट्टायम	0	1000
उप जोड़		**36864**	**46430**
चम्पाननगडी	मालाप्पुरम	1000	1000
चेलारी	मालाप्पुरम	4250	2000
चुंगाथारा	मालाप्पुरम	0	1000
इड़ावन्ना	मालाप्पुरम	1000	3500
इडावन्नापारा	मालाप्पुरम	1000	2500
इलामकुलम	मालाप्पुरम	352	1148
इरूमामुन्डे	मालाप्पुरम	512	488
कडमपुझा	मालाप्पुरम	1144	1356
कलपाकन्चेरी	मालाप्पुरम	3500	3000
करिंगाप्पारा	मालाप्पुरम	2000	2000
कोलाक्कथु	मालाप्पुरम	0	2000
कोलाथुर	मालाप्पुरम	1000	500
कुन्नुमपुरम	मालाप्पुरम	2250	2500
मालाप्पुरम	मालाप्पुरम	7250	3000
मामपड	मालाप्पुरम	0	1000
मंगलम	मालाप्पुरम	2500	3000
मंजेरी	मालाप्पुरम	7000	3000
मनकाडा	मालाप्पुरम	1128	1871
मरूथा	मालाप्पुरम	368	632
मूरकानाड (सीएलटी)	मालाप्पुरम	160	184
नडक्कवू	मालाप्पुरम	0	2000
निलामबुर	मालाप्पुरम	4000	3500
पेरिंथालमन्ना	मालाप्पुरम	5000	5000
पुलामंथोला	मालाप्पुरम	1000	1000
रन्दाथानी	मालाप्पुरम	1304	1696
टीआईआर–तिरूर उल्ल	मालाप्पुरम	7000	3000
तानालुर	मालाप्पुरम	1128	1872
तावानुर	मालाप्पुरम	1000	1500
थाजेकोड	मालाप्पुरम	1000	1500
थोट्टमक्कोम	मालाप्पुरम	352	1148
उप्पाडा	मालाप्पुरम	512	988
वल्लुवम्बरम्	मालाप्पुरम	3000	4000
वायालाथुर	मालाप्पुरम	0	3500
वेलिमुक्कु	मालाप्पुरम	0	2000
वेट्टम	मालाप्पुरम	0	2000
वेट्टाथूर	मालाप्पुरम	544	956
वन्दुर	मालाप्पुरम	1500	3500
उप जोड़		**63754**	**74839**

1	2	3	4
अदीपरान्दा	पालघाट	352	1000
अगली	पालघाट	336	664
अलानेल्लोर	पालघाट	1384	600
अलाथुर	पालघाट	3000	1000
अम्बलपारा	पालघाट	1000	500
सीटीआर–चिट्टूर	पालघाट	3000	1000
सीटीआर–टट्टामंगलम	पालघाट	1128	400
चेलेस्सरी	पालघाट	1000	500
चाथानूर (पीजीटी)	पालघाट	1000	100
चेरप्लास्सेरी	पालघाट	4000	2000
चेथाल्लुर	पालघाट	336	184
कोयलमन्ना	पालघाट	2000	1000
इलाम्बुलेस्सरी	पालघाट	336	664
इलावेनचेरी	पालघाट	352	656
जेल्लीपारा	पालघाट	0	336
कदमबाजीपुरम	पालघाट	1000	500
कलकन्डी	पालघाट	304	752
कारकीदमकुन्नू	पालघाट	336	184
कोडुवयूर	पालघाट	2000	2000
कोल्लेंगोडे	पालघाट	2000	1000
कोरेंचिरा	पालघाट	368	632
कुडाल्लूर	पालघाट	1000	500
कुमारमपुथुर	पालघाट	1000	500
कुनिस्सेरी	पालघाट	1400	100
लक्किड़ी	पालघाट	0	1000
मंगलमडेम	पालघाट	1000	400

1	2	3	4
मन्नारघाट	पालघाट	3250	1000
मीनाक्षीपुरम	पालघाट	344	656
मुंकाहनकुन्डु	पालघाट	0	336
मुंडाकोटुकुरिसी	पालघाट	368	632
नट्टुकल	पालघाट	1000	500
नेनमारा	पालघाट	2000	1000
ओंगाल्लुर	पालघाट	1400	600
ओट्टापालम	पालघाट	4500	1500
पीजीटी–कलपंथी	पालघाट	2500	500
पाडागिरी	पालघाट	160	152
पदींजरांगडी	पालघाट	1400	1100
पालाकायम	पालघाट	184	816
पालाकुजी	पालघाट	184	184
पल्लास्साना	पालघाट	352	656
पल्लिपुरम (पीजीटी)	पालघाट	1400	1100
पनामन्ना	पालघाट	1000	500
पंडालमपडम	पालघाट	336	664
पारली	पालघाट	2000	500
पट्टाम्बी	पालघाट	3000	1000
पजाम्बालाकोड	पालघाट	1000	400
पुलापेट्टा	पालघाट	184	816
पुलास्सेरी	पालघाट	1500	1500
पुथुर	पालघाट	0	2000
शोरानूर	पालघाट	4000	1000
थाचम्पारा	पालघाट	1500	500
थ्रिथाला	पालघाट	1400	600

1	2	3	4
वड़ाक्कनचेरी एमबी	पालघाट	3250	2000
वेलनथावालम	पालघाट	488	512
उप जोड़		**68332**	**40896**
अरानमुला	पठानमठिट्टा	1150	350
अईरूर	पठानमठिट्टा	1600	400
चेंगारूर	पठानमठिट्टा	0	2000
चुगंप्पारा	पठानमठिट्टा	1500	850
इलामन्नूर	पठानमठिट्टा	1350	400
इलांथुर	पठानमठिट्टा	3000	500
इलाविंथिट्टा	पठानमठिट्टा	2000	1000
इजामकुलम	पठानमठिट्टा	2900	1600
कदमबानाडु	पठानमठिट्टा	3000	1000
कैपाट्टुर	पठानमठिट्टा	5000	1500
कालांजुर	पठानमठिट्टा	1600	500
किदांगानूर	पठानमठिट्टा	1600	900
कोजेचेरी	पठानमठिट्टा	6000	2000
कुलानाड़ा	पठानमठिट्टा	3500	200
कुन्नामथालम	पठानमठिट्टा	2500	1000
कुरियान्नूर	पठानमठिट्टा	1500	500
कुट्टुर	पठानमठिट्टा	2500	1350
लाहा	पठानमठिट्टा	0	184
एमएवाई–मल्लापल्ली उल्ल	पठानमठिट्टा	2000	4500
मुरिंजाकल	पठानमठिट्टा	1700	800
नारंगानम्	पठानमठिट्टा	0	2000
निरानम्	पठानमठिट्टा	4000	500
पंडालम्	पठानमठिट्टा	6000	500
परिंगानाड	पठानमठिट्टा	1500	500
रन्नी	पठानमठिट्टा	6500	1000
सीथाथोडे	पठानमठिट्टा	900	1250
टीएलए–टिरूवल्ला उल्ल	पठानमठिट्टा	2500	3000
थन्निथोडे	पठानमठिट्टा	750	250
थेक्कुथोडे	पठानमठिट्टा	550	650
थेओडीकल	पठानमठिट्टा	2500	1000
थिरूवल्ल	पठानमठिट्टा	0	3000
वड़ास्सेरिक्कारा	पठानमठिट्टा	2000	1500
उप जोड़		**71600**	**36684**
अचकोईल	क्विलोन	160	184
अलाप्पड़	क्विलोन	520	480
आर्याकावू	क्विलोन	368	632
भरथीपुरम	क्विलोन	368	1142
चावरा	क्विलोन	5000	3000
चावरा–दक्षिण	क्विलोन	528	980
चुन्डा	क्विलोन	368	1132
पूर्व कल्लाड़ा	क्विलोन	1000	1000
इडामोन–पुनालुर	क्विलोन	1000	400
ऐलिकाटुर	क्विलोन	1000	400
केसीडी–करीकोड उल्ल	क्विलोन	4000	3000
कारावल्लूर	क्विलोन	0	2000
करूणागापल्ली	क्विलोन	10000	2000
कट्टियाम	क्विलोन	4000	2000
कुम्मिल	क्विलोन	184	816
कुन्निकोड	क्विलोन	2024	1500
मादाथारा	क्विलोन	1200	400

1	2	3	4
मनालिल	क्विलोन	368	632
मनाप्पल्ली	क्विलोन	2000	1500
मय्यानाड	क्विलोन	2000	1000
मुखाथाला	क्विलोन	0	2000
मुक्काडा	क्विलोन	0	3000
मुन्दक्कल	क्विलोन	0	3000
मुनरोए–आइसलैंड	क्विलोन	336	664
माइनागपल्ली	क्विलोन	1400	1600
नेदुमपाना	क्विलोन	4000	2000
पेरावूर	क्विलोन	3000	3000
परीपल्ली	क्विलोन	3000	2000
पट्टाजी	क्विलोन	1512	488
पूयापल्ली	क्विलोन	3000	1500
पुलामोन	क्विलोन	0	2500
क्यूएलएन–कावानाड	क्विलोन	3000	1000
क्यूएलएन–पल्लीमुक्कु	क्विलोन	5000	2000
क्यूएलएन–वेल्लायीट्टम–बालम उल्ल	क्विलोन	1750	500
सासथामकोट्टा	क्विलोन	4000	2000
सूरांडु	क्विलोन	1400	1600
सराईक्काड	क्विलोन	0	1000
थडिक्काडू	क्विलोन	368	1142
थालावूर	क्विलोन	1000	500
थानकास्सेरी	क्विलोन	0	2000
थेनमाला	क्विलोन	344	656
थेवालाक्कारा	क्विलोन	2000	3000
थोडियूर	क्विलोन	3500	1500
थुडायान्तुर	क्विलोन	0	1500
उलियाक्कोली	क्विलोन	0	2000
वल्लिक्कावू	क्विलोन	2000	1500
उप जोड़		**76698**	**67848**
अलगप्पानगर	त्रिचूर	5000	2000
अमलानगर	त्रिचूर	0	4000
अथिराप्पल्ली	त्रिचूर	0	184
चजूर	त्रिचूर	3500	1500
चेलक्कारा	त्रिचूर	2500	1500
चेरपू	त्रिचूर	5000	2000
चोवघाट	त्रिचूर	6000	500
करांगानोर	त्रिचूर	9000	4000
इडक्काजियूर	त्रिचूर	1500	500
इलानाड	त्रिचूर	1000	400
एनगांदीयूर	त्रिचूर	3000	1500
इरियादु	त्रिचूर	0	5000
इरूमापेट्टी	त्रिचूर	1500	1500
गुरूवयूर	त्रिचूर	7000	2000
इंचाकुदु	त्रिचूर	0	1500
कदपप्पुरम्	त्रिचूर	1500	1000
कडुकुट्टी	त्रिचूर	0	2000
कन्नारा	त्रिचूर	2500	1000
केचेरी	त्रिचूर	2500	1000
कोडाकारा	त्रिचूर	4048	1500
कोन्डाजी	त्रिचूर	352	648
मट्टोम	त्रिचूर	2000	2000
मूरकानाड (टीसीआर)	त्रिचूर	2100	1000

1	2	3	4
मुलामकुन्नाथुकावू	त्रिचूर	4000	1500
नेदुपुजा	त्रिचूर	0	3000
ओल्लुर	त्रिचूर	6000	1500
पालापेटी	त्रिचूर	0	4000
पाराप्पुर	त्रिचूर	2250	1500
परियाराम	त्रिचूर	1684	1000
पजयान्नुर	त्रिचूर	1128	872
पिची	त्रिचूर	0	1000
पेरूमपिलावू	त्रिचूर	3000	2000
पुन्नापराम्बू	त्रिचूर	1000	1500
सिरीनारायणपुरम	त्रिचूर	3000	2000
टीआरसी–त्रिचूर उल्ल	त्रिचूर	2000	2000
थोट्टिप्पल	त्रिचूर	0	1500
टिरूविलकमाला	त्रिचूर	1500	500
वडाक्काचेंरी सीएन	त्रिचूर	4000	1500
वालाप्पड़	त्रिचूर	7000	8000
वाल्लाथोलनगर	त्रिचूर	1500	1000
वारनदरापिल्ली	त्रिचूर	2032	1500
वेल्लांगल्लूर	त्रिचूर	5600	2000
वेल्लिकुलांगरा	त्रिचूर	2200	1000
वेलुर–कोचिन	त्रिचूर	1500	1000
वेंकीटांगु	त्रिचूर	3250	2000
वेंट्टीलाप्पारा	त्रिचूर	452	548
उप जोड़		**113096**	**80652**
ऐलंकोड़	त्रिवेन्द्रम	0	1500
ऐरूविक्कारा	त्रिवेन्द्रम	1784	216
ऐरूविप्पुरम	त्रिवेन्द्रम	1400	600
एट्टिंगल	त्रिवेन्द्रम	10000	1000
अवनामचेरी	त्रिवेन्द्रम	0	2000
अईरूर (टीवी)	त्रिवेन्द्रम	1768	1232
बलरामपुरम	त्रिवेन्द्रम	4992	3000
चुल्लीमनूर	त्रिवेन्द्रम	0	2000
इडावा	त्रिवेन्द्रम	1952	1548
काडाक्कावुर	त्रिवेन्द्रम	2000	1000
काक्कामूला	त्रिवेन्द्रम	0	2000
कल्लाम्बालम्	त्रिवेन्द्रम	4000	1000
कल्लिकाडु	त्रिवेन्द्रम	1000	1000
कनियापुरम	त्रिवेन्द्रम	4000	2000
कंजिरम्मकुलम	त्रिवेन्द्रम	2640	2000
कन्नममूला	त्रिवेन्द्रम	0	2000
काराकोनम	त्रिवेन्द्रम	1400	1000
काराकुलम	त्रिवेन्द्रम	0	1000
कटटाकोड़ा	त्रिवेन्द्रम	4500	1500
किल्लीपालम	त्रिवेन्द्रम	0	4000
कोट्टुर	त्रिवेन्द्रम	0	1000
मदनविला पी थुरा	त्रिवेन्द्रम	1000	500
मन्नूरकोनम्	त्रिवेन्द्रम	1000	1000
मेडिकल कोलेज	त्रिवेन्द्रम	0	1000
मींनमकुलम्	त्रिवेन्द्रम	0	1000
मेलवेट्टूर	त्रिवेन्द्रम	0	1000
मुरूक्कुमपुजा	त्रिवेन्द्रम	2048	1000
नेय्याट्टिंटाकारा	त्रिवेन्द्रम	6000	1000

1	2	3	4
पारास्साला	त्रिवेन्द्रम	2800	1700
पट्टोम	त्रिवेन्द्रम	0	2000
पेजुम्मूद	त्रिवेन्द्रम	0	1000
पूवर	त्रिवेन्द्रम	2768	732
पोवड़ीक्कोनम	त्रिवेन्द्रम	0	2000
पुन्नाकुलम	त्रिवेन्द्रम	0	2000
पुथुकुलांगरा	त्रिवेन्द्रम	0	1000
टीवीएम–केन्द्र	त्रिवेन्द्रम	14000	1000
टीवीएम–करियावट्टोम	त्रिवेन्द्रम	7000	1500
टीवीएम–नेमोम	त्रिवेन्द्रम	4000	500
टीवीएम–वेल्लायाम्बालम	त्रिवेन्द्रम	10716	1284
थट्टाथुमाला	त्रिवेन्द्रम	0	2000
थेन्नुर	त्रिवेन्द्रम	0	1500
वरकाला	त्रिवेन्द्रम	9596	2404
वेल्लईक्काडावू	त्रिवेन्द्रम	0	2000
वेल्लाराड़	त्रिवेन्द्रम	1400	2500
वेनगोड़े	त्रिवेन्द्रम	1368	1132
विजिंजम	त्रिवेन्द्रम	6532	1000
उप जोड़		**110764**	**66348**
एम्बालावयाल	वायनाड	384	1616
चीराल	वायनाड	552	848
चेरियांकोली	वायनाड	0	544
चूरालमाला	वायनाड	0	544
चुल्लीयोड	वायनाड	552	848
ईरूलम	वायनाड	0	1000
काल्लोडी	वायनाड	0	1000
कलपेट्टा	वायनाड	6032	968
काराक्कामाला	वायनाड	0	1400
करतीकुलम	वायनाड	376	1124
मीनागंडी	वायनाड	3000	500
मेप्पडी	वायनाड	1900	100
नूलपुजा	वायनाड	552	848
पाडिचीरा	वायनाड	272	12283
पल्लीकुन्नू (सीएलटी)	वायनाड	520	1480
पनामाराम	वायनाड	1128	1372
पेरया (सीएलटी)	वायनाड	368	632
पुलपल्ली	वायनाड	1400	2600
सुल्तान की बैटरी	वायनाड	3250	4500
थालापोया	वायनाड	368	632
थरियोड	वायनाड	360	1140
थिरूनेल्ली	वायनाड	176	184
वलाड	वायनाड	368	632
वारादूर	वायनाड	354	646
वेल्लामुन्डा	वायनाड	1016	984
उप जोड़		**22928**	**38425**
जोड़		**832404**	**724360**

विवरण IV

मौजूदा क्षमता और 2001–2002 के लिए विस्तार योजना–बिहार

1	2	3	4	5	6
1.	अखगांव	भोजपुर	आरा	336	152
2.	आरा	भोजपुर	आरा	2880	120
3.	गजराजगंज	भोजपुर	आरा	336	664

1	2	3	4	5	6
4.	गरहनी	भोजपुर	आरा	488	512
5.	गिधा	भोजपुर	आरा	336	152
6.	जगदीशपुर	भोजपुर	आरा	336	664
7.	कोइलवर	भोजपुर	आरा	336	664
8.	नरही चांदी	भोजपुर	आरा	336	152
9.	पिरो	भोजपुर	आरा	1000	400
10.	साहपुर	भोजपुर	आरा	336	664
11.	बक्सर	बक्सर	आरा	5000	1000
12.	चौसा	बक्सर	आरा	336	152
13.	को रनसराय	बक्सर	आरा	184	816
14.	प्रतापसागर	बक्सर	आरा	336	152
15.	बंका	बंका	भागलपुर	1400	600
16.	बॉनसी	बंका	भागलपुर	760	520
17.	कटोरिया	बंका	भागलपुर	296	704
18.	भागलपुर	भागलपुर	भागलपुर	16000	2000
19.	मिरजनहाट	भागलपुर	भागलपुर	0	2000
20.	तिलक मांझी	भागलपुर	भागलपुर	0	2000
21.	ईशीपुर	भागलपुर	भागलपुर	366	664
22.	कहलगांव	भागलपुर	भागलपुर	2800	200
23.	नाथनगर	भागलपुर	भागलपुर	2000	1000
24.	बड़का गांव	गोपालगंज	छपरा	336	208
25.	भोरे	गोपालगंज	छपरा	336	664
26.	गोपालगंज	गोपालगंज	छपरा	3000	1000
27.	हथुआ	गोपालगंज	छपरा	1400	1000
28.	मांझा गढ़	गोपालगंज	छपरा	184	304
29.	सासामुसा	गोपालगंज	छपरा	384	704
30.	भगवानपुर हाट	महाराजगंज	छपरा	336	664
31.	अमनौर	सारण	छपरा	336	664
32.	बनियापुर	सारण	छपरा	336	664
33.	छपरा	सारण	छपरा	8000	2000
34.	दिघवाड़ा	सारण	छपरा	528	696
35.	गरखा	सारण	छपरा	448	552
36.	जलालपुर	सारण	छपरा	368	186
37.	कोपा	सारण	छपरा	488	515
38.	मांझी	सारण	छपरा	184	176
39.	नयागांव	सारण	छपरा	304	696
40.	सोनपुर	सारण	छपरा	1000	400
41.	तरैया	सारण	छपरा	336	664
42.	आन्दर		छपरा	152	848
43.	बरहरिया	सिवान	छपरा	184	816
44.	दरौंदा	सिवान	छपरा	336	664
45.	गोपालपुर	सिवान	छपरा	232	256
46.	गोरैया कोठी	सिवान	छपरा	152	848
47.	हसनपुर	सिवान	छपरा	232	768
48.	जीरादेई	सिवान	छपरा	152	848
49.	पचरुखी	सिवान	छपरा	184	816
50.	रघुनाथपुर	सिवान	छपरा	152	336
51.	सीवान	सिवान	छपरा	6000	2000
52.	तरवाड़ा (दीन दयालपुर)	सिवान	छपरा	352	1000
53.	बहेरी	दरभंगा	दरभंगा	336	664
54.	बेनीपुर	दरभंगा	दरभंगा	1000	400
55.	दरभंगा	दरभंगा	दरभंगा	12000	6000
56.	घनश्यामपुर	दरभंगा	दरभंगा	336	664

1	2	3	4	5	6
57.	लहेरियासराय	दरभंगा	दरभंगा	4000	0
58.	मझौलिया	दरभंगा	दरभंगा	336	664
59.	तरसराय	दरभंगा	दरभंगा	376	624
60.	बाबू बरही	मधबनी	दरभंगा	184	304
61.	भासोपट्टी	मधबनी	दरभंगा	368	632
62.	बेनी पट्टी	मधबनी	दरभंगा	1016	400
63.	बिसफी	मधबनी	दरभंगा	376	624
64.	जयनगर	मधबनी	दरभंगा	1400	1000
65.	झंझारपुर	मधबनी	दरभंगा	1400	1000
66.	कलौही	मधबनी	दरभंगा	336	664
67.	खजौली	मधबनी	दरभंगा	184	184
68.	कोइलाख	मधबनी	दरभंगा	336	152
69.	माधेपुर	मधबनी	दरभंगा	336	664
70.	मधबनी	मधबनी	दरभंगा	5000	1000
71.	रहिका	मधबनी	दरभंगा	376	624
72.	राजनगर	मधबनी	दरभंगा	376	624
73.	सारीसोपाही	मधबनी	दरभंगा	336	664
74.	तुलपत गंज	मधबनी	दरभंगा	368	632
75.	भिरहा	समस्तीपुर	दरभंगा	320	168
76.	बीथन	समस्तीपुर	दरभंगा	352	136
77.	दलसिंगसराय	समस्तीपुर	दरभंगा	1400	600
78.	हसनपुर	समस्तीपुर	दरभंगा	504	496
79.	कल्याणपुर	समस्तीपुर	दरभंगा	304	184
80.	करियान	समस्तीपुर	दरभंगा	184	316
81.	खिलसपुर	समस्तीपुर	दरभंगा	176	184
82.	मोहिउद्दीनगर	समस्तीपुर	दरभंगा	184	176
83.	मोरवा	समस्तीपुर	दरभंगा	336	152
84.	मुसरीघरारी	समस्तीपुर	दरभंगा	152	336
85.	पूसा	समस्तीपुर	दरभंगा	520	480
86.	रौसेरा	समस्तीपुर	दरभंगा	1576	1424
87.	समस्तीपुर	समस्तीपुर	दरभंगा	4384	2616
88.	सरायरंजन	समस्तीपुर	दरभंगा	184	816
89.	सिंघिया	समस्तीपुर	दरभंगा	176	312
90.	सिंघया घाट	समस्तीपुर	दरभंगा	320	168
91.	सोनसा	समस्तीपुर	दरभंगा	1000	400
92.	उजीआरपुर	समस्तीपुर	दरभंगा	336	664
93.	विद्यापतिनगर	समस्तीपुर	दरभंगा	336	664
94.	वइनी	समस्तीपुर	दरभंगा	184	304
95.	निर्मली	सुपॉल	दरभंगा	368	152
96.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	गया	4000	1000
97.	मदनपुर	औरंगाबाद	गया	304	696
98.	नबीनगर	औरंगाबाद	गया	304	56
99.	रफीगंज	औरंगाबाद	गया	384	704
100.	बेलागंज	गया	गया	768	704
101.	बाढेयां	गया	गया	304	696
102.	बोधगया	गया	गया	1000	1000
103.	चाकदं	गया	गया	456	664
104.	फतेहपुर	गया	गया	304	696
105.	गया पीआरएक्स	गया	गया	4000	2000
106.	खिजेर सराय	गया	गया	304	696
107.	टेकरी	गया	गया	336	664
108.	वजीरगंज	गया	गया	1000	400
109.	अरवल	जहानाबाद	गया	384	704
110.	जहानाबाद	जहानाबाद	गया	4000	1000

1	2	3	4	5	6
111.	कुर्था	जहानाबाद	गया	184	816
112.	मेहंदिया	जहानाबाद	गया	304	696
113.	टेहटा	जहानाबाद	गया	368	632
114.	हसुआ	नवादा	गया	768	704
115.	चाकसिकंदर	वैशाली	हाजीपुर	336	664
116.	चेहराकया	वैशाली	हाजीपुर	336	664
117.	कुलहारा	वैशाली	हाजीपुर	336	664
118.	घटारो	वैशाली	हाजीपुर	336	664
119.	हारपुर बेलवा	वैशाली	हाजीपुर	336	848
120.	कंचनपुर	वैशाली	हाजीपुर	336	664
121.	कन्हौली	वैशाली	हाजीपुर	152	336
122.	लालगंज	वैशाली	हाजीपुर	1000	1000
123.	लक्ष्मणपुर	वैशाली	हाजीपुर	184	304
124.	महनार	वैशाली	हाजीपुर	1000	1000
125.	महुआ	वैशाली	हाजीपुर	1000	1000
126.	प्रेमराज	वैशाली	हाजीपुर	336	152
127.	राजा पाकर	वैशाली	हाजीपुर	336	152
128.	सहदेई	वैशाली	हाजीपुर	336	664
129.	सिमरवारा	वैशाली	हाजीपुर	184	304
130.	फरबेसगंज (यू)	अररिया	कटिहार	2800	1200
131.	नारायणपुर	भागलपुर	कटिहार	304	696
132.	सैयदपुर	भागलपुर	कटिहार	304	696
133.	गुरुबाजार	कटिहार	कटिहार	488	512
134.	कटिहार	कटिहार	कटिहार	9000	2000
135.	कुरसेला	कटिहार	कटिहार	304	696
136.	मनीहारी	कटिहार	कटिहार	360	704
137.	सालमारी	कटिहार	कटिहार	296	704
138.	सोनैली	कटिहार	कटिहार	368	632
139.	किशनगंज	किशनगंज	कटिहार	3000	1000
140.	बैसी	पूर्णिया	कटिहार	304	696
141.	बारहकाटीह	पूर्णिया	कटिहार	360	640
142.	भवानीपुर	पूर्णिया	कटिहार	696	704
143.	गुलाबबाग (यू)	पूर्णिया	कटिहार	2900	100
144.	हर्दा	पूर्णिया	कटिहार	320	168
145.	जलालगढ़	पूर्णिया	कटिहार	336	152
146.	पूर्णिया (यू)	पूर्णिया	कटिहार	9000	1000
147.	रानीपत्रा	पूर्णिया	कटिहार	336	152
148.	रौटा	पूर्णिया	कटिहार	336	152
149.	बरौनी	बेगुसराय	खगड़िया	1400	1600
150.	बेगुसराय	बेगुसराय	खगड़िया	8500	2000
151.	भगवानपुर	बेगुसराय	खगड़िया	152	208
152.	बिहट	बेगुसराय	खगड़िया	1400	1600
153.	गहरपुर	बेगुसराय	खगड़िया	336	664
154.	खोदाबंदपुर	बेगुसराय	खगड़िया	336	848
155.	लखमिनिया	बेगुसराय	खगड़िया	1400	600
156.	मझौल	बेगुसराय	खगड़िया	184	816
157.	माटीहनी	बेगुसराय	खगड़िया	336	664
158.	नवकोठी	बेगुसराय	बेगुसराय	336	664
159.	अलौली	खगड़िया	खगड़िया	336	664
160.	बेला सिमरी	खगड़िया	खगड़िया	336	336
161.	बेलदौर	खगड़िया	खगड़िया	184	208
162.	चौथम	खगड़िया	खगड़िया	336	152
163.	हरिपुर	खगड़िया	खगड़िया	336	664
164.	जलकौरा	खगड़िया	खगड़िया	336	308

1	2	3	4	5	6
165.	खगड़िया	खगड़िया	खगड़िया	4000	1000
166.	मानसी	खगड़िया	खगड़िया	368	664
167.	मरार	खगड़िया	खगड़िया	336	664
168.	परबट्टा	खगड़िया	खगड़िया	168	632
169.	पसराहा	खगड़िया	खगड़िया	184	816
170.	लोहियापुर	खगड़िया	खगड़िया	0	2000
171.	आदापुर	पूर्वी चम्पारण	मोतिहारी	360	640
172.	चौराडानो	पूर्वी चम्पारण	मोतिहारी	360	640
173.	दामोदरपुर	पूर्वी चम्पारण	मोतिहारी	368	632
174.	दरियापुर	पूर्वी चम्पारण	मोतिहारी	384	616
175.	जी. मधुबन	पूर्वी चम्पारण	मोतिहारी	368	632
176.	हरसिदि	पूर्वी चम्पारण	मोतिहारी	192	808
177.	लखौरा	पूर्वी चम्पारण	मोतिहारी	368	632
178.	मेहसी	पूर्वी चम्पारण	मोतिहारी	368	632
179.	मोतीहारी	पूर्वी चम्पारण	मोतिहारी	9000	2000
180.	रक्सौल	पूर्वी चम्पारण	मोतिहारी	5000	1000
181.	सुगौली	पूर्वी चम्पारण	मोतिहारी	384	616
182.	तरकुलिया	पूर्वी चम्पारण	मोतिहारी	384	616
183.	आलमगंज बाजार	प. चम्पारण	मोतिहारी	336	664
184.	बगहा	प. चम्पारण	मोतिहारी	1400	600
185.	जोगपट्टी	प. चम्पारण	मोतिहारी	336	664
186.	लौरिया	प. चम्पारण	मोतिहारी	368	848
187.	जमुई	जमुई	मुंगेर	2400	1600
188.	मालेहपुर	जमुई	मुंगेर	336	664
189.	सिकंदरा	जमुई	मुंगेर	336	152
190.	कैथवा	लखीसराय	मुंगेर	152	184
191.	लखीसराय	लखीसराय	मुंगेर	3000	1000
192.	रामपुर	लखीसराय	मुंगेर	488	512
193.	सूरजगढ़	लखीसराय	मुंगेर	488	512
194.	टेटरहाट	लखीसराय	मुंगेर	304	184
195.	असरगंज	मुंगेर	मुंगेर	336	664
196.	बरियारपुर	मुंगेर	मुंगेर	456	696
197.	धरहारा	मुंगेर	मुंगेर	456	696
198.	घोरघाट	मुंगेर	मुंगेर	304	696
199.	हेमजापुर	मुंगेर	मुंगेर	456	696
200.	जमालपुर	मुंगेर	मुंगेर	4000	2000
201.	मुंगेर	मुंगेर	मुंगेर	7000	3000
202.	संग्रामपुर	मुंगेर	मुंगेर	336	664
203.	उरई	मुज़फ्फरपुर	मुज़फ्फरपुर	336	664
204.	बेनीबाद	मुज़फ्फरपुर	मुज़फ्फरपुर	384	704
205.	दर्घा	मुज़फ्फरपुर	मुज़फ्फरपुर	336	664
206.	ढोली	मुज़फ्फरपुर	मुज़फ्फरपुर	1000	1000
207.	गोशाल	मुज़फ्फरपुर	मुज़फ्फरपुर	2000	1000
208.	कांटी	मुज़फ्फरपुर	मुज़फ्फरपुर	1000	400
209.	करनौल	मुज़फ्फरपुर	मुज़फ्फरपुर	240	120
201.	मोतीपुर	मुज़फ्फरपुर	मुज़फ्फरपुर	790	704
211.	एम जेड एम आई टी	मुज़फ्फरपुर	मुज़फ्फरपुर	4000	2000
212.	एम जेड पी मेन ई--10बी	मुज़फ्फरपुर	मुज़फ्फरपुर	13000	0
213.	पचदही	मुज़फ्फरपुर	मुज़फ्फरपुर	336	66
214.	पारो	मुज़फ्फरपुर	मुज़फ्फरपुर	152	2084
215.	रतवाड़ा	मुज़फ्फरपुर	मुज़फ्फरपुर	4000	2000
216.	सरैया	मुज़फ्फरपुर	मुज़फ्फरपुर	336	24
217.	शिवहर	शिवहर	मुज़फ्फरपुर	1000	400

1	2	3	4	5	6
218.	बैरगनिया	सीतामढ़ी	मुज़फ्फरपुर	376	624
219.	बाजपति	सीतामढ़ी	मुज़फ्फरपुर	336	664
220.	परिहार	सीतामढ़ी	मुज़फ्फरपुर	336	664
221.	रूनीसैदपुर	सीतामढ़ी	मुज़फ्फरपुर	336	664
222.	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	मुज़फ्फरपुर	5500	4600
223.	सुरसंड	सीतामढ़ी	मुज़फ्फरपुर	336	664
224.	सिलाओं	नालंदा	पटना	336	316
225.	चांदी	नालंदा	पटना	336	664
226.	देवी सराय	नालंदा	पटना	304	696
227.	हरनौत	नालंदा	पटना	336	664
228.	हिल्सा	नालंदा	पटना	1400	1600
229.	इस्लामपुर	नालंदा	पटना	336	1000
230.	नगरनौसा	नालंदा	पटना	304	184
231.	नालंदा	नालंदा	पटना	336	152
232.	रहुई	नालंदा	पटना	304	196
233.	अथमलगोला	पटना	पटना	336	664
234.	बख्तियारपुर	पटना	पटना	1000	1000
235.	बाढ़	पटना	पटना	1400	1600
236.	बेंलदारीचाक	पटना	पटना	152	98
237	बिहटा	पटना	पटना	1000	1000
238.	दानापुर	पटना	पटना	5000	2000
239.	दयाल चक	पटना	पटना	336	1000
240.	फतुहा	पटना	पटना	1400	600
241.	कंकड़बाग	पटना	पटना	25000	2000
242.	खगौल	पटना	पटना	2000	2000
243.	खसरूपुर	पटना	पटना	336	164
244.	किदवईपुरी	पटना	पटना	8500	2000
245.	मसौढी	पटना	पटना	1400	600
246.	मोकामा	पटना	पटना	1008	1000
247.	नौबतपुर	पटना	पटना	368	632
248.	पटेल नगर	पटना	पटना	11000	0
249.	पाटलीपुत्र	पटना	पटना	17000	3000
250.	पटना सिटी	पटना	पटना	11000	3000
251.	पुनपुन	पटना	पटना	336	664
252.	सम्पतचक	पटना	पटना	304	696
253.	आलमनगर	मधेपुरा	सहरसा	304	696
254.	चौसा	मधेपुरा	सहरसा	304	696
255.	पुरैनी	मधेपुरा	सहरसा	320	380
256.	बलुआ हाट	सहरसा	सहरसा	152	848
257.	सोनबरसा गंज	सहरसा	सहरसा	344	656
258.	छातापुर	सुपौल	सहरसा	304	696
259.	पिपरा	सुपौल	सहरसा	320	680
260.	प्रतापगंज	सुपौल	सहरसा	320	680
261.	सुखपुर	सुपौल	सहरसा	344	144
262.	सुपौल	सुपौल	सहरसा	2000	1000
263.	भभुआ	भभुआ	सासाराम	2400	600
264.	मोहनिया	भभुआ	सासाराम	2400	600
265.	दिनारा	सासाराम	सासाराम	368	120
266.	जमुहार	सासाराम	सासाराम	336	664
267.	कारकट	सासाराम	सासाराम	336	120
268.	करगाहर	सासाराम	सासाराम	336	664
269.	नासरीगंज	सासाराम	सासाराम	336	664
270.	सनझौली	सासाराम	सासाराम	336	152
271.	विक्रम गंज	सासाराम	सासाराम	1400	600

1	2	3	4	5	6
272.	डवाथ	सासाराम	सासाराम	336	664
273.	रामगढ़	भभुआ	सासाराम	1000	400
				368918	205818

विवरण V

उन स्थानों की सूची, जहां एक्सचेंज विभागीय भवन में है–केरल सर्किल

जिला	स्थान का नाम
1	2
अल्लेप्पी	ए एल पी अल्लेप्पी यू II
अल्लेप्पी	ए एल पी अल्लेप्पी यू III
अल्लेप्पी	अम्बालापुजहा
अल्लेप्पी	अरूर
अल्लेप्पी	चेंगान्यूर
अल्लेप्पी	इडाथुआ
अल्लेप्पी	हरिपद
अल्लेप्पी	कराक्कड
अल्लेप्पी	करूवट्टा
अल्लेप्पी	कट्टनाम
अल्लेप्पी	कयामकुलम
अल्लेप्पी	कोल्लाकडावू
अल्लेप्पी	कुथलाथोडे
अल्लेप्पी	एम वी के मवेलीकाकरा यू I
अल्लेप्पी	एम वी के मवेलीकाकरा यू II
अल्लेप्पी	मन्नार
अल्लेप्पी	नूरानडू
अल्लेप्पी	पट्टनकाड
अल्लेप्पी	पुलिकन्नू
अल्लेप्पी	एस. एल. पुरम
अल्लेप्पी	शेरतलाइ
अल्लेप्पी	थिकट्टूसेरी
अल्लेप्पी	त्रिक्कुनापुजहा
अल्लेप्पी	यू एस ई अल्लेप्पी यू I
कालीकट	अथोली
कालीकट	बी डी ए–बडागारा यू I
कालीकट	बी डी ए–बडागारा यू II
कालीकट	सी एल टी–चेवायूर
कालीकट	सी एल टी–मालापरम्बा यू I
कालीकट	सी एल टी–मालापरम्बा यू II
कालीकट	सी एल टी–मान्नचिरा
कालीकट	सी एल टी–पलायम यू I
कालीकट	सी एल टी–पलायम यू II
कालीकट	सी एल टी–पनियाकारा
कालीकट	सी एल टी–वेलायिल
कालीकट	ए एल टी–वेस्ट हिल यू I
कालीकट	सी एल टी–वेस्ट हिल यू II
कालीकट	चक्कीटपारा
कालीकट	चथामंगलम–आर ई सी
कालीकट	चोमबला
कालीकट	इलाथूर
कालीकट	फेरोके
कालीकट	कडलूंडी
कालीकट	कोडेनचेरी
कालीकट	कोडूवल्ली
कालीकट	कूराचेंडू

1	2
कालीकट	कुन्नामंगलम
कालीकट	मवूर
कालीकट	मोक्कम
कालीकट	नाडूवन्नूर
कालीकट	पोनमेरी
कालीकट	पुडुपड्डी
कालीकट	क्यूलंडी
कालीकट	तमारसेरी
कालीकट	निरूवमबडी
कन्नानोर	अलाकोडे
कन्नानोर	अंजारकंडी
कन्नानोर	अरालाम
कन्नानोर	बी पी एम–बालापट्टोम यू ।
कन्नानोर	बी पी एम–बालापट्टोम यू ॥
कन्नानोर	सी एन एन कन्नानोर यू ।
कन्नानोर	सी एन एन कन्नानौर यू ॥
कन्नानोर	चेरूकून्नू
कन्नानोर	चेस्पुजहां
कन्नानोर	इडाक्कांड
कन्नानोर	ईरीकुर
कन्नानोर	ईरीट्टी
कन्नानोर	केलाकोम
कन्नानोर	कूथूपरम्बा
कन्नानोर	कुडियामाला
कन्नानोर	मंगट्टूपरम्बा
कन्नानोर	माथमंगलम

1	2
कन्नानोर	माथिल
कन्नानोर	मट्टान्नूर
कन्नानोर	पन्नूर
कन्नानोर	पयानगडी
कन्नानोर	पयान्नूर
कन्नानोर	पयावूर
कन्नानोर	पेरावूर
कन्नानोर	श्रीकंडापुरम
कन्नानोर	ताली़परम्बा
कन्नानोर	तेलीचेरी
कन्नानोर	थूवाकुन्नू
एर्नाकुलम	अलवाये
एर्नाकुलम	अंगमाली
एर्नाकुलम	चित्तूर
एर्नाकुलम	ई के एम–कोचीन
एर्नाकुलम	ई के एम–एर्नाकुलम–।
एर्नाकुलम	ई के एम–एर्नाकुलम–॥
एर्नाकुलम	ई के एम–पालरीवटोएम–यू ।
एर्नाकुलम	ई के एम–पालरीवटोएम–यू ॥
एर्नाकुलम	ई के एम–पलूरूथी
एर्नाकुलम	ई के एम–पानमपालीनगर
एर्नाकुलम	ई के एम–एस आर एम रोड
एर्नाकुलम	ई के एम–डब्ल्यू आइसैलड
एर्नाकुलम	ई के एम–कलामासेरी यू–।
एर्नाकुलम	ई के एम–कलामासेरी यू–॥
एर्नाकुलम	कडावूर

1	2
एर्नाकुलम	कलाडी
एर्नाकुलम	कालूरकंड
एर्नाकुलम	कोलेनचेरी
एर्नाकुलम	कथाट्टकुलम
एर्नाकुलम	कुवापाडी
एर्नाकुलम	कोथामंगलम
एर्नाकुलम	मनीद
एर्नाकुलम	मुलामथुस्थी
एर्नाकुलम	युवथुपुजहा
एर्नाकुलम	नराम्कल
एर्नाकुलम	नेरीयामंगलम
एर्नाकुलम	नेट्टूर
एर्नाकुलम	पी आर यू–परूर यू ।
एर्नाकुलम	पी आर यू–परूर यू ॥
एर्नाकुलम	पम्पाकुडा
एर्नाकुलम	पंडापल्ली
एर्नाकुलम	पेरूमबावूर
एर्नाकुलम	पिरावम
एर्नाकुलम	पोथानीकडु
एर्नाकुलम	टी पी एन–त्रिपुनीथुरा यू ।
एर्नाकुलम	उदयमपेरूर
एर्नाकुलम	वारपूजहां
एर्नाकुलम	वजहाकुलम
इडुक्की	अंडीमाली
इडुक्की	अराकुलम
इडुक्की	देवीकोलम

1	2
इडुक्की	इंडुक्की
इडुक्की	इरूट्टकानम
इडुक्की	कल्लार
इडुक्की	करिमान्नूर
इडुक्की	कट्टापना
इडुक्की	कोडीकुलम
इडुक्की	मुन्नार
इडुक्की	मुट्टोम
इडुक्की	नेडमगंडोम
इडुक्की	पीरमडे
इडुक्की	थोडुपुजहां
इडुक्की	उडुमबान्नूर
इडुक्की	वन्नापुरम
इडुक्की	वेलांथुवाई
कासरागोड	चेंगला
कासरागोड	कनहनगाड
कासरागोड	कसागोड
कासरागोड	कुट्टीकोले
कासरागोड	मंजेश्वर
कासरागोड	मुलयार
कासरागोड	मुलेरिया
कासरागोड	निलेस्वर
कासरागोड	पेरडला
कासरागोड	पेरला
कासरागोड	उडुमा
कासरागोड	उप्पाला

1	2
कोट्टायम	अयारकुन्नाम
कोट्टायम	भारनानगनाम
कोट्टायम	सी एच सी–चेंगलचेरी यू ।
कोट्टायम	सी एच सी–चेंगलचेरी यू ॥
कोट्टायम	चेम्पू
कोट्टायम	चेलगलाम
कोट्टायम	चिंगवानाम
कोट्टायम	ई टी आर–ईटूमान्नूर यू ।
कोट्टायम	ई टी आर–ईटूमान्नूर यू ॥
कोट्टायम	इराटूपेट्टा
कोट्टायम	इरूमेली
कोट्टायम	गांधीनगर
कोट्टायम	के टी एम–कोट्टायम यू ।
कोट्टायम	के टी एम–कोट्टायम यू ॥
कोट्टायम	कंजीरापल्ली
कोट्टायम	किडनगूर
कोट्टायम	कोल्लापल्ली
कोट्टायम	कूट्टीक्कल
कोट्टायम	कोंजहुवानल
कोट्टायम	कुडेवेंचूर
कोट्टायम	कुमाराकोम
कोट्टायम	कुरूपनथारा
कोट्टायम	कुरूवीलंगड
कोट्टायम	मानीमाला
कोट्टायम	मारनगटूपल्ली
कोट्टायम	मोनीपाल्ली

1	2
कोट्टायम	मुलालावू
कोट्टायम	नजीहूर
कोट्टायम	पी एल आई–पलाई यू ।
कोट्टायम	पी एल आई–पलाई यू ॥
कोट्टायम	पाल्ली क थोडू
कोट्टायम	पम्पा
कोट्टायम	पामपडी
कोट्टायम	पिन्नाकन्नाडू
कोट्टायम	पोकुन्नाम
कोट्टायम	पुवारानी
कोट्टायम	रामापुरम
कोट्टायम	शबीरीमाला
कोट्टायम	तलायेलपराम्बू
कोट्टायम	वालकोम
कोट्टायम	वकाथानाम
कोट्टायम	वजहूर
लक्षद्वीप	अमिनी
लक्षद्वीप	अंडरोथ
लक्षद्वीप	बिटरा
लक्षद्वीप	चेटलाट
लक्षद्वीप	कडेमठ
लक्षद्वीप	मिनिकोय
मालापुरम	चेलारी
मालापुरम	इडापाल
मालापुरम	कल्पकनचेरी
मालापुरम	कोनडोट्टी

1	2
मालापुरम	कोट्टाक्कल
मालापुरम	कुट्टीपुरम
मालापुरम	मालापुरम
मालापुरम	मंजेरी
मालापुरम	नीलमबूर
मालापुरम	पंडीक्काड
मालापुरम	परापानन्गडी
मालापुरम	पेरीनथाईमन्ना
मालापुरम	पोन्नानी
मालापुरम	टी आई आर–तिरूर यू ।
मालापुरम	टी आई आर–तिरूर यू ॥
मालापुरम	वालूवमब्रम
मालापुरम	वेंगरा
मालापुरम	वनडूर
पालघाट	अलाथूर
पालघाट	सी टी आर–चितूर
पालघाट	चालिसेरी
पालघाट	चन्द्रनगर
पालघाट	चेरपलासेरी
पालघाट	कोयलमन्ना
पालघाट	काडमबजहीपुरम
पालघाट	कालकांडी
पालघाट	कालाडीकोडें
पालघाट	कांजीकोडें
पालघाट	कोडुवायूर
पालघाट	कोनगड

1	2
पालघाट	कोजहिनजमपारा
पालघाट	कुनीसेरी
पालघाट	मन्नारघाट
पालघाट	मनडुर
पालघाट	ओट्टापालम
पालघाट	पी जी टी–ओलवाकोट
पालघाट	पी जी टी–पालघाट यू ।
पालघाट	पी जी टी–पालघाट यू ॥
पालघाट	पारली
पालघाट	पथिरीपाला
पालघाट	पटाम्बी
पालघाट	शोरानूर
पालघाट	थिरीथाला
पालघाट	वडक्कनचेरी एम बी
पथनामाथिट्टा	अडूर
पथनामाथिट्टा	इलानथूर
पथनामाथिट्टा	के एन आई–कोनी यू ।
पथनामाथिट्टा	के एन आई–कोनी यू ॥
पथनामाथिट्टा	कडमबनाडू
पथनामाथिट्टा	कोडूमोन
पथनामाथिट्टा	कोजहेनचेरी
पथनामाथिट्टा	कुमबानाड
पथनामाथिट्टा	एम ए वाई–मालापाल्ली–यू ।
पथनामाथिट्टा	एम ए वाई–मालापल्ली–यू III
पथनामाथिट्टा	मलायालापुजहा
पथनामाथिट्टा	पी टी ए–पथनामाथिट्टा यू ।

1	2
पथनामाथिट्टा	पी टी ए–पथनामाथिट्टा यू ॥
पथनामाथिट्टा	पनडालम
पथनामाथिट्टा	रान्नी
पथनामाथिट्टा	टी एल ए–तिरूवल्ला यू ।
पथनामाथिट्टा	टी एल ए–तिरूवल्ला यू ॥
पांडिचेरी	मंहे
क्वीलोन	अंचल
क्वीलोन	अयुर
क्वीलोन	चडयामंगलम
क्वीलोन	चन्नापेट्आ
क्वीलोन	चथानूर–क्यू एल एन
क्वीलोन	चावरा
क्वीलोन	चेपरा
क्वीलोन	इरमबनगड
क्वीलोन	के सी डी–करीकोडे यू ।
क्वीलोन	के सी डी–करीकोडे यू ॥
क्वीलोन	कडाक्कल
क्वीलोन	करूनगापाल्ली
क्वीलोन	कोम्काड़
क्वीलोन	कोटारकारा
क्वीलोन	कोट्टीयम
क्वीलोन	कुलाथुपजहा
क्वीलोन	कुंदरा
क्वीलोन	कुन्नाथूर
क्वीलोन	कुनीकोडे
क्वीलोन	मायनाड

1	2
क्वीलोन	नेडमपना
क्वीलोन	ओचिरा
क्वीलोन	परावूर
क्वीलोन	पारीपल्ली
क्वीलोन	पथनामपुरम
क्वीलोन	पट्टांजही
क्वीलोन	पेरीनाड
क्वीलोन	पूयापल्ली
क्वीलोन	पनालूर
क्वीलोन	पुनाला
क्वीलोन	पुथूर
क्वीलोन	क्यू एल एन–चिन्नाकाडा
क्वीलोन	क्यू एल एन–क्वीलोन
क्वीलोन	क्यू एल एन–वेल्लयटिमबलम यू ।
क्वीलोन	क्यू एल एन–वेल्लयटिमबलम यू ॥
क्वीलोन	ससथामकोट्टा
क्वीलोन	थेनमाला
क्वीलोन	वेलीनल्लूर
क्वीलोन	वेट्टीकवाला
त्रिचूर	अन्नामनाडा
त्रिचूर	सी के डी–चलाकुडी यू ।
त्रिचूर	सी के डी–चलाकुडी यू ॥
त्रिचूर	चाजहूर
त्रिचूर	चेरपू
त्रिचूर	करंगानौर
त्रिचूर	गुरूवयूर

1	2
त्रिचूर	इरिनजलाकुडा
त्रिचूर	कंडानसनकडावू
त्रिचूर	कन्नारा
त्रिचूर	कट्टूर
त्रिचूर	कोडाकरा
त्रिचूर	कोराट्टी
त्रिचूर	कुन्नाममुलम
त्रिचूर	माला
त्रिचूर	मुलामकुन्नायुकावू
त्रिचूर	मुंडूर कोचीन
त्रिचूर	ओल्लूर
त्रिचूर	पेरीन्नानाम
त्रिचूर	पूवाथूर
त्रिचूर	पून्नायूरकुलम
त्रिचूर	टी आर सी–पूनाकुन्नाम
त्रिचूर	टी आर सी–त्रिचूर यू I
त्रिचूर	टी आर सी–त्रिचूर यू II
त्रिचूर	टी आर सी–त्रिचूर यू III
त्रिचूर	बडाक्कनचेरी सी एन
त्रिचूर	वालपाड
त्रिचूर	वरंदरपिल्ली
त्रिचूर	वेलनगल्लूर
त्रिचूर	वेलीकुलनगारा
त्रिवेंद्रम	अमबूरी
त्रिवेंद्रम	आर्यनाड
त्रिवेंद्रम	अंटिनगल
त्रिवेंद्रम	कनलयापुरम

1	2
त्रिवेंद्रम	कांजीरामकुलमं
त्रिवेंद्रम	कट्टाकाडा
त्रिवेंद्रम	किलिमानूर
त्रिवेंद्रम	मंडवूर पाल्लीकल
त्रिवेंद्रम	मलायिनकिन
त्रिवेंद्रम	नेडुमनगड
त्रिवेंद्रम	नेयाटिनकारा
त्रिवेंद्रम	पचा–पलोडे
त्रिवेंद्रम	परसाला
त्रिवेंद्रम	पेरिनगमाला
त्रिवेंद्रम	टी वी एम–सेंट्रल
त्रिवेंद्रम	टी वी एम–काईमानाम
त्रिवेंद्रम	टी वी एम–कैथामुक्कु यू I
त्रिवेंद्रम	टी वी एम–कैथामुक्कु यू II
त्रिवेंद्रम	टी वी एम–कांरलेवटोम
त्रिवेंद्रम	टी वी एम–मानकौड
त्रिवेंद्रम	टी वी एम–मेडीकल कालेज
त्रिवेंद्रम	टी वी एम–परूथीपारा
त्रिवेंद्रम	टी वी एम–वट्टीयूरकावू
त्रिवेंद्रम	टी वी एम–वेलायामबलम
त्रिवेंद्रम	वरकाला
त्रिवेंद्रम	विथूरा
त्रिवेंद्रम	विजहिनजाम
वयनाड	कालपेट्टा
वयनाड	केनीचीर
वयनाड	मनानथोडी

1	2
वयनाड	मीनानगडी
वयनाड	पाल्लीकुन्नू (सी एल टी)
वयनाड	पुलपल्ली
वयनाड	सुलतान बैटरी

विवरण-VI

उन स्थानों की सूची, जहां एक्सचेंज विभागीय भवन में हैं–बिहार सर्किल

जिला	स्थान का नाम
1	2
भोजपुर	आरा
	आंरा कचहरी
बक्सर	बक्सर
	राजपुर
भागलपुर	भागलपुर
	ईशीपुर
	बनमंनखी
	नौगछिया
	नारायणपुर
बांका	बांका
	अमरपुर
सारण	छपरा
	भेल्दी
	गरखा
	एकमा
सीवान	सीवान
गोपालगंज	गोपालगंज
	हथुआ
दरभंगा	दरभंगा
	बिरौल
	लहेरिया सराय
समस्तीपुर	समस्तीपुर
	दलसिंहसराय
	रोसेरा
मधुबनी	मधुबनी
	जयनगर
	झंझारपुर
	फूलपारा
सुपॉल	सुपॉल
	निर्मली
	मुरलीगंज
	जीयाराम राघोपुर
गया	गया, बोधगया, बेलागंज
	शेरघाटी
	वजीरगंज
नवादा	नवादा
औरगाबाद	औरंगाबाद
	दाऊदनगर, रफीगंज
जहानाबाद	जहानाबाद
	अरवल
वैशाली	हाजीपुर
	भगवानपुर
	सराय
	लालगंज

1	2
	वैशाली
	पातेपुर
	महुआ
	बीमालखमनसेन
कटिहार	कटिहार
	बारसोई
	धमदाहा
	बहादुरगंज
किशनगंज	किशनगंज
	ठाकुरगंज
अररिया	अररिया
	फारबिसगंज
पूर्णियां	पूर्णियां
	दूमन
खगड़िया	खगड़िया
	अलौली
	बेलदौर
	महेशखूट
	मुस्किपुर
	परबट्टा
बेगूसराय	झाकरिचक
	बेगूसराय
पू. चम्पारण	मोतिहारी
	मेहोल
	रक्सौल
	सुगौली
प. चम्पारण	बगहा

1	2
	बेतिया
	इंगलिशिया
	हरसिद्धि
	बाल्मिकिनगर
मुंगेर	मुंगेर
	जमालपुर
लखीसराय	लखीसराय
	रामपुर
शेखपुरा	शेखपुरा
	सिकन्दरा
जमुई	जमुई
	झाझा
मुज़फ्फरपुर	मुज़फ्फरपुर
	रतवारा
सीतामढ़ी	सीतामढ़ी
शिवहर	शिवहर
पटना	अनीसाबाद
	बख्तियारपुर
	बाढ़
	बिक्रम
	दानापुर
	फतुहा
	गरदनीबाग
	पटना मेन
	हाथी दाह
	कंकड़ बाग
	खगौल

1	2
	मनेर
	मोकामा
	पटेलनगर
	पाटलीपुत्र
	पटना ई डब्ल्यू एस डी
	पटना सिटी
	राजेन्द्रनगर
	किदवईपुरी
नालंदा	बिहार शरीफ
	राजगीर
	हिल्सा
सहरसा	सिमरी बख्तियारपुर
	सलकुंआ
मधेपुरा	मधेपुरा
	उदयकिशनगंज
रोहतास	सासाराम
	विक्रमगंज
	डालमियानगर
	कोचान
	कुद्रा
भभुआ	भभुआ
	महनिया

अफ्रीकी-एशियाई खेल

34. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री अनन्त नायक :
श्री रामजीवन सिंह :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष अफ्रीकी–एशियाई खेल आयोजित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भाग लेने वाले दलों पर विभिन्न शीर्ष[6] के अंतर्गत कुल कितना खर्च आएगा;

(घ) क्या सरकार का विचार नई दिल्ली के अलावा अन्य महानगरों में भी इन खेलों को आयोजित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रथम एफ्रो–एशियाई खेल नई दिल्ली में दिनांक 3 से 11 नवम्बर, 2001 तक आयोजित किए जाने हैं। ये खेल 8 खेल विधाओं (एथलेटिक्स, फुटबॉल, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, तैराकी, टेनिस, हॉकी (पुरुष और महिला) और भारोत्तोलन (पुरुष और महिला) में आयोजित किए जाएंगे।

(ग) सरकार ने अवस्थापना का उन्नयन करने और उपस्करों की खरीद के लिए 30.00 करोड़ रुपये और इन खेलों के आयोजन के लिए 20.00 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भर्ती एजेंसियां

35. **श्रीमती रेनु कुमारी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में बेरोजगार युवकों को नौकरियां देने के बहाने विभिन्न शहरों में, विशेषकर दिल्ली में कुछ व्यक्ति और संस्थान अवैध रूप से कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान और आज तक ऐसे गिरोहों का संचालन करने वाले कितने व्यक्ति/संस्थान सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ग) क्या ऐसे व्यक्ति/संस्थान अपने पास उनके पासपोर्टों को रखकर युवकों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए दबाव डाल रहे हैं? और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विदेशों में दबाव में कार्य कर रहे ऐसे युवकों की सहायता करने और उनको ऐसी दुर्दशा से छुटकारा दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1999, 2000 तथा 2001 में अब तक प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्नवत् है :

1999	2000	2001
101	84	33

(ग) और (घ) विदेशों में कार्यरत युवाओं का पासपोर्ट रख लेने संबंधी छिटपुट शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसी शिकायतें प्राप्त होते ही भारतीय दूतावास/स्थानीय एजेंटों से अनुरोध किया जाता है/उन्हें निदेश दिया जाता है कि संबंधित सरकारों/प्रायोजकों की मदद से मामले का निपटान करें/यदि भर्ती एजेंट सरकर के निदेशों का पालन नहीं करते, तो उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई की जाती है। नियोजन की शर्तों का उल्लंघन करने वाले विदेशी नियोक्ताओं को "पूर्व अनुमोदन श्रेणी" में रख दिया जाता है। भारतीय दूतावास से मदद की अपेक्षा करने वाले श्रमिकों की हर संभव सहायता की जाती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम

36. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम और स्वर्ण चतुर्भुज के अंतर्गत राजमार्गों पर सीमेंट कंक्रीट पट्टी के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या कंक्रीट से बनी सड़कों को प्रयोग योग्य बनाए रखने की लागत प्रारंभिक लागत से बहुत ही कम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम पर सीमेंट कंक्रीट सड़कें बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से कुछ सुझाव मिले हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज पर सीमेंट कंक्रीट सड़क से संबंधित कुछ परियोजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं।

(ग) और (घ) ऐसा देखा गया है कि प्रारंभिक अधिक लागत के बावजूद कुछ मामलों में सीमेंट कंक्रीट सड़कों की आयु चक्र लागत अपेक्षाकृत कम है। तथापि, सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण के बारे में निर्णय कंक्रीट सड़क उपस्करों की उपलब्धता, परिष्कृत कंक्रीट सड़क निर्माण कार्यों के निष्पादन में ठेका उद्योग के अनुभव, सीमेंट और बिटुमन की आपेक्षिक किफायत, प्रारंभिक निर्माण के लिए धनराशि आदि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करेगा।

सी-डॉट मैक्स-एल एक्सचेंज की खरीद

37. श्री पवन कुमार बसंल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ समय पहले सी–डॉट मैक्स–एल एक्सचेंज की खरीद के बारे में कुछ विपरीत रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई छानबीन की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को सी–डॉट के कार्यकरण समीक्षा करने वाली सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी स्थाई समिति से सूचना प्राप्त हो गई थी। समिति ने सी–डॉट प्रौद्योगिकी एक्सचेंजों के लिए आरक्षित बड़े (एल) और बहुत बड़े (एक्सएल) एक्सचेंजों के खरीद आदेश बहुराष्ट्रीय निगमों को दिए जाने पर चिंता व्यक्त की है।

(ग) जी, हां। इस मामले में सलाहकार (उत्पादन), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय द्वारा जांच की गई थी।

(घ) जांच अधिकारी ने जांच पूरी कर ली है और यह निष्कर्ष निकाला है कि "वर्ष 2000–2001 के दौरान सी–डॉट एक्सचेंज विनिर्माताओं से एमएएक्स–एल/एक्सएल स्विच के

खरीद आदेशों को नई प्रौद्योगिकी वाले स्विचों के खरीद आदेश में बदले जाने का कोई भी मामला नहीं पाया गया है।"

(ङ) उपरोक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

विजयवाड़ा और राजामुंद्री विमानपत्तनों का विकास

38. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विजयवाड़ा और राजामुंद्री विमानपत्तनों पर धावनपट्टी को मजबूत करने, नए एप्रन के निर्माण करने और टैक्सीवे से जोड़ने हेतु कार्य की स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत धनराशि में से अब तक खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कार्यों को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) विजयवाड़ा हवाई अड्डे के लिए स्वीकृत 8.32 करोड़ रुपये की संपूर्ण राशि खर्च की जा चुकी है। राजामुंद्री हवाई अड्डे के लिए 8.66 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है जिसमें से मई, 2001 तक 1.60 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

(ग) विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर कार्य जुलाई, 1999 में पूरा हो गया था। राजामुंद्री हवाई अड्डे पर कार्य के मार्च, 2002 तक पूरा हो जाने की आशा है।

ठेकेदार को अधिक भुगतान

39. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जून 1993 में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के विजयवाड़ा–विशाखापत्तनम खंड के 358/0 किमी. से 377/0 तक के राइडिंग लेनों के लिए एक ठेकेदार को अधिक दरों पर भुगतान किया है जिसके कारण 1.5 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में समझौते/संविदा की शर्तों का उल्लंघन करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ठेकेदार को किए गए अधिक भुगतान की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी नहीं। यह कार्य आंध्रप्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया था। लेखा परीक्षा ने यह उल्लेख किया था कि अधिक दर पर कार्य की अधिक मात्रा के लिए 1.50 करोड़ रुपये का भुगतान संविदा शर्तों के अनुसार नहीं था। लेखा परीक्षा की टिप्पणियों के उत्तर भेज दिए गए हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार और महाराष्ट्र के लिए विश्व बैंक की सहायता

40. श्री निखिल कुमार चौधरी :
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और महाराष्ट्र सरकार ने राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु विश्व बैंक सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सहायता से इन राज्यों में राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय राजमार्गों को कब तक विकसित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 पर चार लेन बनाने की एक परियोजना कुल 306 मिलियन अमरीकी डालर के द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना ऋण के अंतर्गत शुरू की गई थी। यह परियोजना काफी पूरी हो गई है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 के कुछेक खंड विश्व बैंक के दो ऋणों अर्थात 516 मिलियन अमरीकी डालर के तृतीय राष्ट्रीय

राजमार्ग परियोजना ऋण (जारी) और 589 मिलियन अमरीकी डालर के ग्रांड ट्रंक रोड सुधार ऋण (बैंक द्वारा अभी हाल ही में अनुमोदित) में शामिल किए गए हैं।

शहतूश शाल का अवैध व्यापार

41. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
श्रीमती डी. एम. विजया कुमारी :
श्री बी. वेंकटेस्वरलु :
डा. रमेश चंद तोमर :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री एम. वी. एस. मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहतूश शाल पर प्रतिबंध के बावजूद, भारतीय वन्यजीव न्यास और अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण निधि द्वारा जारी रिपोर्टों के अनुसार भारत में और विश्व की फैशन राजधनियों में शाल का अवैध व्यापार फल–फूल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज किए गए मामलों तथा इस व्यापार में संलग्न पाए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार शहतूश शाल के इस अवैध व्यापार को रोकने हेतु वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इससे उक्त व्यापार को नियंत्रित करने में कहां तक सहायता मिलेगी?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) "वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया" तथा "इंटरनेशनल फंड फॉर एनीमल वेल्फेयर" ने हाल ही में तिब्बतन एंटीलोप (पैंथालोप्स होडग्सोनी) के अवैध शिकार और इसके व्युत्पन्नों तथा उत्पादों के अवैध व्यापार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, क्वंघाई तथा चीन के जिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र स्थित प्राकृतिक वासस्थलों में इसके अवैध शिकार संबंधी पुख्ता प्रमाण दिए गए हैं। रिपोर्ट भारत सहित विभिन्न देशों के अवैध शिकारियों, व्यापारियों तथा शाल बनाने वालों के बीच सांठगांठ होने के संबंध में भी एक विस्तृत विवरण प्रदान करती है। विभिन्न देशों, विशेषकर भारत, चीन, फ्रांस, यू.के., हांगकांग, नेपाल आदि में की गई जब्तियों संबंधी विवरण भी दिया गया है।

(ग) सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :

(i) तिब्बतन एंटीलोप को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची–I में शामिल किया गया है तथा जम्मू और कश्मीर राज्य, जिसका अपना वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1978 है, को छोड़कर देश में इसके अवैध शिकार तथा व्यापार पर प्रतिबंध है।

(ii) तिब्बतन एंटीलोप 1979 से साइटस (कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एनडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा) के परिशिष्ट--I में सम्मिलित है। शहतूश सहित इस प्रजाति, इसके भागों और व्युत्पन्नों के वाणिज्यिक व्यापार पर कन्वेंशन द्वारा प्रतिबंध है।

(iii) जम्मू और कश्मीर राज्य को इसके राज्य अधिनियम में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है ताकि तिब्बतन एंटीलोप को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जा सके तथा शहतूश शालों और अन्य उत्पादों के विनिर्माण तथा व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जा सके।

(iv) शहतूश शालों और अन्य उत्पादों के प्रयोग के विरुद्ध विस्तृत प्रचार के उद्देश्य से प्रमुख गैर–सरकारी संगठनों की सहायता से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है।

(घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान शहतूश शाल के अवैध व्यापार संबंधी 14 मामलों का पता लगाया गया है तथा वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत 19 संदिग्ध अपराधियों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज की गई हैं।

(ङ) से (छ) अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के विद्यमान प्रावधान पर्याप्त हैं। तथापि, वन्यजीव उत्पादों, विशेषकर शहतूश शाल के लाभप्रद मूल्य की वजह से वन्यजीव उत्पादों के चोरी–छिपे व्यापार में संगठित माफिया शामिल है। केन्द्र सरकार द्वारा

वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के क्रियान्वयन को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से अनेक नए कदम उठाए गए हैं।

बाल कार्य बल

42. श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री स्वदेश चक्रवर्ती :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विश्व की सबसे बड़ी बाल कार्य बल संख्या है;

(ख) यदि हां, तो 10 वर्ष से कम आयु वाले, 10 से 14 वर्ष की आयु वाले और 14 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों की कार्य बल संख्या का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) भिक्षा वृत्ति, यौनवृत्ति और जेबकतरों के गिरोह से जुड़े, तस्करी आदि तथा संविधान और विधि में उल्लिखित स्वास्थ्य के लिए खतरनाक उद्योगों में कार्य करने वाले बच्चों की राज्यवार संख्या तथा ब्यौरा अलग-अलग क्या है;

(घ) ऐसे बाल कार्यबल की अनुमानित संख्या कितनी है जिनको बंधक बनाया गया है;

(ङ) ऐसे बाल कार्यबल की संख्या कितनी है जिनको वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और वर्तमान वर्ष के दौरान बंधुआ मजदूरी और खतरनाक कार्यों से मुक्त करा कर औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत नामांकित किया गया;

(च) बाल श्रम की प्रचलित मौजूदा प्रथाओं को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) 1991 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार, देश में कामकाजी बच्चों की संख्या 11.28 मिलियन है। कुछ आकलनों के अनुसार विश्व में बाल श्रमिकों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। जनगणना आंकड़े 5-14 वर्ष की आयु वर्ग के बाल श्रमिकों से संबंधित हैं। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए हैं। भीख मांगने, यौन विषयक कार्यों, जेबकतरों के आपराधिक गैंगों, तस्करी आदि के कार्यों में लगे बच्चों एवं उद्योग-वार बाल श्रमिकों के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 में बच्चे एवं वयस्क बंधुआ के बीच कोई अंतर नहीं है। अधिनियम में लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भी बंधुआ श्रमिकों में कोई भेद नहीं किया गया है। इस प्रकार, बंधुआ बच्चों की संख्या के बारे में राज्य सरकारों द्वारा अलग से कोई सूचना नहीं दी जाती है। वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान क्रमशः लगभग 8195 और 5256 बंधुआ श्रमिकों को मुक्त एवं पुनर्वासित कराया गया है। चालू वित्तीय वर्ष (2001-2002) में 30 जून, 2001 तक लगभग 3844 बंधुआ श्रमिकों को मुक्त एवं पुनर्वासित कराया गया है। उपर्युक्त आंकड़ों में सभी श्रेणियों के बंधुआ श्रमिक शामिल हैं।

(च) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं एवं सहायता अनुदान स्कीमों के माध्यम से, कार्य से हटाए गए बच्चों को पुनर्वासित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध 13 व्यवसायों एवं 57 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। तकनीकी सलाहकार समिति के परामर्श पर समय-समय पर अनुसूची में परिवर्धन किया जाता है। जिला स्तर पर जागरूकता सृजन क्रियाकलाप भी चलाए जा रहे हैं।

विवरण

1971, 1981 और 1991 की जनगणना के अनुसार कामकाजी बच्चों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1971 कामगार	1981 कामगार	1991 कामगार
1	2	3	4
1 आंध्र प्रदेश	1,627,492	1,951,312	1,661,940
2 असम	239,349*	**	327,598
3 बिहार	1,059,359	1,101,764	942,245
4 गुजरात	518,061	616,913	523,585
5 हरियाणा	137,826	194,189	109,691
6 हिमाचल प्रदेश	71,384	99,624	56,438
7 जम्मू और कश्मीर	70,489	258,437	**
8 कर्नाटक	808,719	1,131,530	976,247

1	2	3	4
9 केरल	111,801	92,854	34,800
10 मध्य प्रदेश	1,112,319	1,698,597	1,352,563
11 महाराष्ट्र	988,357	1,557,756	1,068,418
12 मणिपुर	16,380	20,217	16,493
13 मेघालय	30,440	44,916	34,633
14 नागालैंड	13,726	16,235	16,476
15 उड़ीसा	492,477	702,293	452,394
16 पंजाब	232,774	216,939	142,868
17 राजस्थान	587,389	819,905	774,199
18 सिक्किम	15,661	8,561	5,598
19 तमिलनाडु	713,305	975,055	578,889
20 त्रिपुरा	17,490	24,204	16,478
21 उत्तर प्रदेश	1,326,726	1,434,675	1,410,086
22 पश्चिम बंगाल	511,443	605,263	711,691
23 अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	572	1,309	1,265
24 अरुणाचल प्रदेश	17,925	17,950	12,395
25 चंडीगढ़	1,086	1,986	1,870
26 दादरा और नगर हवेली	3,102	3,615	4,416
27 दिल्ली	17,120	25,717	27,351
28 दमण और दीव	7,391	9,378	941
29 गोवा			4,656
30 लक्षद्वीप	97	56	34
31 मिजोरम	***	6,314	16,411
32 पांडिचेरी	3,725	3,606	2,680
कुल	10,753,985	13,640,870	11,285,349

* मिजो जिले के आंकड़े भी सम्मिलित हैं जो उस समय असम का एक भाग था।

** जनगणना नहीं करवाई जा सकी थी।

*** मिजोरम से संबंधित 1971 के जनगणना आंकड़े असम के अंतर्गत सम्मिलित थे।

टिप्पणी : 1991 के आंकड़े 5-14 वर्ष की आयु के श्रमिकों से संबंधित हैं।

यमुना नदी की सफाई

43. श्री डी. वी. जी. शंकर राव :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री सुकदेव पासवान :
श्री रामदास आठवले :
श्री पदमसेन चौधरी :
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भी अभी तक विभिन्न एजेंसियों/विभागों/संस्थानों द्वारा यमुना नदी की सफाई के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या है;

(ग) उनके द्वारा दी गई रिपोर्टों में से प्रत्येक पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) यमुना को साफ करने में अभी तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं और इसमें पानी की शुद्धता का परिमाण क्या रहा है तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान इसके लिए कितनी सहायता प्रदान की गई और प्रयोग की गई;

(ङ) उसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान जिन शहरों को लाभ पहुंचा. उनके नाम क्या हैं;

(च) क्या सरकार ने यमुना नदी को साफ करने के लिए वर्तमान में कोई विस्तृत योजना/स्कीम तैयार की है;

(छ) यदि हां, तो योजना/स्कीम की अनुमानित लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यमुना नदी को कब तक प्रदूषण मुक्त कर देने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ज) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यमुना में अशोधित सीवेज के निस्तारण को रोकने के लिए दिल्ली में यमुना के किनारे समान्तर अवरोधक सीवर के निर्माण की पूर्व सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए जल और वैद्युत परामर्शदात्री सेवाओं द्वारा अध्ययन कराया था। जल एवं वैद्युत परामर्शदात्री सेवाओं ने 800 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक त्वरित अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। परियोजना को व्यवहार्य इसलिए नहीं पाया गया क्योंकि इसमें नदी में प्रदूषित जल के गिरने के स्रोत स्थानों पर ही इससे निपटने पर विचार किया गया है जबकि नदी के प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली में यमुना के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सभी घटकों की समस्या हल करने के लिए एकीकृत कार्य योजना की आवश्यकता है। इसके अलावा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर यमुना नदी का मॉनीटरिंग अध्ययन कर रहा है। दिल्ली में यमुना पर चार केन्द्रों पर मासिक आधार पर मॉनीटरिंग किया जा रहा है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तिमाही आधार पर उच्चतम न्यायालय को आंकड़े भेज रहा है।

सरकार ने नदी की सफाई के लिए यमुना कार्य योजना अप्रैल 1993 में आरंभ की थी। कार्य योजना की अनुमानित लागत 510 करोड़ रुपये की है जिसमें से 226 करोड़ रुपये हरियाणा, 250 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश और 20 करोड़ रुपये दिल्ली के लिए है। इसके अतिरिक्त यमुना कार्य योजना के विस्तारित चरण के अंतर्गत 222 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक परियोजना हाल ही में अनुमोदित की गई है। कार्य योजना में 21 शहर हैं जिनमें 12 हरियाणा में और दिल्ली के अतिरिक्त 8 शहर उत्तर प्रदेश में हैं। यमुना कार्य योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में दी गई और उपयोग की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :

(करोड़ रु. में)

वित्तीय सहायता	1996–97		1997–98		1998–99		1999–2000		2000–01	
	दी गई राशि	खर्च की गई रशि	दी गई राशि	खर्च की गई रशि	दी गई राशि	खर्च की गई रशि	दी गई राशि	खर्च की गई रशि	दी गई राशि	खर्च की गई रशि
हरियाणा	63.38	93.26	25.85	45.50	26.50	22.06	14.82	13.66	6.97	5.87
उत्तर प्रदेश	16.50	25.07	50.55	43.08	47.00	76.85	54.10	63.85	16.70	14.58
दिल्ली	4.625	6.59	0.825	3.21	2.00	1.66	1.25	1.24	0.675	1.12

इन सभी कार्यों के पूरा होने का लक्ष्य मार्च, 2002 रखा गया है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अतिरिक्त सीवेज उपचार संयंत्रों के निर्माण, नियमित कालोनियों में सीवर डालने का काम और ट्रंक सीवरेज प्रणाली के पुनरुद्धार की स्कीमें कार्यान्वित कर रही है।

दिल्ली के ऊपरी भाग पल्ला तक यमुना नदी की जल गुणता अपने निर्धारित मानदंडों की सीमा के अंदर है। तथापि दिल्ली के साथ लगते हुए नदी क्षेत्र की जल गुणता में अधिक सुधार नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक मुख्य कार्य पूरे नहीं हुए हैं।

सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में दिनांक 8.11.2000 को दायर अपने शपथ पत्र में यमुना नदी की सफाई के लिए एक स्वीकृत कार्य योजना प्रस्तुत की है जिसे दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी की सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। एकीकृत कार्य योजना में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :

1. सीवेज शोधन क्षमता को बढ़ाना।
2. नियमित की गई अप्राधिकृत कालोनियों में सीवर बिछाना।
3. ट्रंक सीवेज प्रणाली को पुनः सुधारना।
4. यमुना नदी किनारे और नालों के पास से झुग्गियों को हटाना/पुनः स्थापित करना।
5. 15 सामूहिक बहिस्राव परिशोधन संयंत्रों का निर्माण।

उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10.4.2000 के अपने आदेश में दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को निर्देश दिया है कि वह यमुना नदी में अपेक्षित जल गुणता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाए जाने वाले कदमों के बारे में 31.3.2003 तक बताए। न्यायालय के उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी की सरकार ने निम्नलिखित समय सूची प्रस्तुत की है :

1. दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वर्ष 2002 तक प्रतिदिन 2326 मिलियन लीटर की शोधन क्षमता सृजित की जानी है। इसने 2006 में प्रतिदिन 3298 मिलियन लीटर की कुल शोधन क्षमता आवश्यकता तथा 2001 में 3661 एम एल डी की शोधन क्षमता का अनुमान लगाया है। इन्होंने तदनुसार इन क्षमताओं को क्रमशः 2005 और 2010 में सृजित करने की योजना बनाई है।

2. अनधिकृत/नियमित की गई कालोनियों, पुनर्वास कालोनियों शहरी गांवों, में ट्रंक सीवरों की गाद निकालना, उनका सुधार तथा सीवर लाइनें बिछाना बशर्ते कि 2005 तक तकनीकी क्षमता, छोटे आकार के सीवरों को बदले जाने की योजना पूरी की जाए।

3. दिल्ली नगर निगम के स्लम और झुग्गी झोंपड़ी विंग ने नदी किनारे और नालों के किनारे स्थित झुग्गियों की संख्या को 62,000 से संशोधित कर लगभग 75,000 कर दिया है। इन झुग्गियों को हटाने/अन्यत्र बसाने का कार्य भूमि और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

4. इस समय निर्माणाधीन सभी प्रस्तावित 15 सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र दिसंबर, 2002 तक पूरे हो जाएंगे।

5. दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना नदी में अशोधित अपशिष्ट जल को गिराने से रोकने के लिए वर्षा जल निकास को सीवरेज प्रणाली से जोड़ने के लिए एक कार्य योजना भी तैयार की है।

गुजरात में कर्मचारी राज्य बीमा योजना

44. श्री दिलीप संघाणी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कर्मचारी राज्य बीमा योजना द्वारा लाभान्वित श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ख) गुजरात में काम कर रहे कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और औषधालयों तथा इनसे लाभान्वित हो रहे श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान स्थापना हेतु प्रस्तावित अस्पतालों और औषधालयों की संख्या कितनी है; और

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान आधुनिकीकृत और प्रोन्नत करने हेतु औषधालयों की प्रस्तावित संख्या कितनी है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) गुजरात में 12 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल और 124 कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय हैं जिनके दायरे में 5,72,600 बीमित व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य आते हैं।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना आवश्यकता के आधार पर राज्य सरकारों के परामर्श से की जाती है, अतः वे पंचवर्षीय योजनाओं के साथ नहीं जुड़े हैं। 2000–2001 के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दो औषधालयों गांधी नगर और आनंद वल्लभ–विद्यानगर प्रत्येक में एक–एक की स्थापना की संस्वीकृति प्रदान की है। वर्तमान में, गुजरात में किसी नए अस्पताल/औषधालय की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) कार्ययोजना के अंतर्गत, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सभी क.रा.बी. औषधालयों को आवश्यक आधारभूत उपकरण प्रदान करने का निर्णय लिया है। तदनुसार निगम ने पिछले दो वर्षों के दौरान गुजरात में औषधालयों के उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए 17,22,000/– रुपये के उपरकण संस्वीकृत किए हैं।

[हिन्दी]

वर्षा के जरिए जल उपलब्धता

45. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्षा के जरिये उपलब्ध जल की राज्यवार प्रमात्रा क्या है;

(ख) देश में कृषि और अन्य प्रयोजनार्थ जल की वर्तमान आवश्यकता राज्यवार कितनी है;

(ग) प्रत्येक राज्य में उपलब्ध जल के उपयोग/अपव्यय की प्रतिशतता क्या है; और

(घ) जल के संचयन और उपयोग हेतु प्रस्तावित कदम क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) भारत में 400 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) औसत वार्षिक वर्षा होती है जिसमें हिमगलन भी शामिल है। इसमें से 3000 बिलियन घन मीटर जल मानसून के दौरान प्राप्त होता है। जल की उपलब्धता का आकलन नदी बेसिन–वार किया जाता है। वर्ष 1993 में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, देश की नदी प्रणालियों में औसत वार्षिक प्रवाह 1869 बिलियन घन मीटर है जिसमें 1122 बिलियन घन मीटर उपयोग योग्य जल है। जिसमें लगभग 690 बिलियन घन मीटर सतही जल और 432 बिलियन घन मीटर पुनर्भरणीय भूजल शामिल है। वर्ष 1995 तक देश में बड़े बांधों के निर्माण द्वारा 177 बिलियन घन मीटर की सक्रिय भंडारण क्षमता का सृजन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, लगभग 75 बिलियन घन मीटर की अतिरिक्त भंडारण क्षमता के सृजन के लिए परियोजनाएं विचाराधीन हैं तथा 132 बिलियन घन मीटर की अपेक्षित सक्रिय भंडारण वाली परियोजनाओं की आयोजना की जा रही है। बेसिन–वार औसत वार्षिक प्रवाह और निर्माणाधीन तथा विचाराधीन सक्रिय भंडारण क्षमता संलग्न विवरण में दी गई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रयोजनों के लिए नदी जल के उपयोग के वास्ते बड़ी संख्या में बैराजों/वीयरों, इत्यादि का निर्माण करके जल को नहरों में भी मोड़ा गया है। वर्ष 1997 में सतही और भूजल के माध्यम से 605 बिलियन घन मीटर जल के उपयोग की सूचना दी गई है। इसकी तुलना में, सिंचाई के लिए उपयोग 501 बिलियन घन मीटर घरेलू उपयोगों के लिए 30 बिलियन घन मीटर, उद्योगों के लिए 20 बिलियन घन मीटर, ऊर्जा के लिए 20 बिलियन घन मीटर और अन्य उपयोगों के लिए 34 बिलियन घन मीटर है।

भारत सरकार, चल रही सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता के वास्ते वर्ष 1996–97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता दे रही है। भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की क्षेत्र सुधार परियोजना के अंतर्गत जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और छत पर गिरने वाले वर्षा जल के संचयन के माध्यम से वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए राज्य सरकारों तथा अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने भी भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए प्रायोगिक अध्ययन शुरू किए हैं। सृजित तथा प्रयुक्त क्षमता के बीच के अंतर को कम करने के लिए राज्य सरकारों को कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत भी सहायता मुहैया कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल को, जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में हस्तांतरित करने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने की योजना वाली राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना भी तैयार की है।

विवरण

भारत में बेसिन वार भंडारण (बिलियन क्यूबिक मीटर)

क्र.सं.	नदी बेसिन का नाम	औसत वार्षिक प्रवाह	सक्रिय भंडारण क्षमता			
			पूरी की गई परियोजनाएं	निर्माणाधीन परियोजनाएं	कुल	विचाराधीन परियोजनाएं
1	2	3	4	5	6	7
1.	सिधु (सीमा तक)	73.30	13.83	2.45	16.29	0.27
2.	(क) गंगा	525.02	36.84	17.12	53.96	29.56
	(ख) ब्रह्मपुत्र और बराक	585.60	1.09	2.40	3.49	63.35
3.	गोदावरी	110.54	19.51	10.65	30.16	8.28
4.	कृष्णा	78.12	34.48	7.78	42.25	0.13

1	2	3	4	5	6	7
5.	कावेरी	21.36	7.43	0.39	7.82	0.34
6.	पेन्नार	6.32	0.38	2.13	2.51	
7.	महानदी से गोदावरी तथा कृष्णा से पेन्नार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां	22.52	1.63	1.45	3.08	0.86
8.	पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां	16.46	1.42	0.02	1.44	
9.	महानदी	66.88	8.49	5.39	13.88	10.96
10.	ब्राह्मणी और बैतरणी	28.48	4.76	0.24	5.00	8.72
11.	सुवर्णरेखा	12.37	0.66	1.65	2.31	1.59
12.	साबरमती	3.81	1.35	0.12	1.47	0.09
13.	माही	11.02	4.75	0.36	5.11	0.02
14.	लुनी सहित कच्छ, सौराष्ट्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	15.10	4.31	0.58	4.89	3.15
15.	नर्मदा	45.64	6.60	16.72	23.32	0.47
16.	तापी	14.88	8.53	1.01	9.54	1.99
17.	तापी से ताद्री तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	87.41	7.10	2.66	9.76	0.84
18.	ताद्री से कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	113.53	10.24	2.31	12.55	1.70
19.	राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकास क्षेत्र	नगण्य	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	बंगलादेश और म्यांमार में गिरने वाली लघु नदी बेसिनें	31.00	0.31	0.00	0.31	0.00
	कुल	1869.35	173.73	75.52	249.15	132.32

टिप्पणी :

1. केवल 10 मिलियन क्यूबिक मीटर और उससे अधिक की सक्रिय भंडारण क्षमता वाली परियोजनाएं शामिल हैं।
2. 10 मिलियन क्यूबिक मीटर से कम क्षमता वाली प्रत्येक मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 3 बिलियन क्यूबिक मीटर (लगभग) अतिरिक्त सक्रिय भंडारण क्षमता सृजन करने का अनुमान है। इस प्रकार पूर्ण परियोजनाओं में कुल सक्रिय भंडारण क्षमता लगभग 177 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी।
3. पूर्णांक करने के कारण योग बराबर नहीं हो सकता है।

[अनुवाद]

पर्यावरण और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली संबंधी समिति

46. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक वर्ष पहले सरकार द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण और स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली की चिंताजनक स्थिति पर रिपोर्ट देने हेतु गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति की सिफारिशों को लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) इस मंत्रालय द्वारा पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर गठित समिति ने पर्यावरणीय प्रदूषण और उससे संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों के विभिन्न पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उसमें निम्नलिखित सिफारिशें शामिल हैं :

- मंत्रालय में एक पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रकोष्ठ का सृजन करना
- पर्यावरणीय स्वास्थ्य डाटा बेस और सूचना प्रणाली के विकास हेतु पर्यावरणीय संक्रमण अध्ययन
- प्रादेशिक केन्द्रों सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानों का सृजन
- अंतर्मंत्रालय समन्वय
- प्रशिक्षण और लोक जागरूकता
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों/अभिकरणों के साथ मेल–जोल और सहयोग।

(ग) पर्यावरणीय संक्रमण अध्ययनों को आरंभ करने और कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए मंत्रालय में एक पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

इंडियन एयरलाइंस में घाटा

47. डा. राम चन्द्र डोम : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस को वित्तीय वर्ष 2001–2002 के दौरान 251 करोड़ रु. का घाटा होने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) इस घाटे को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) वर्ष 2001–02 के लिए कंपनी के बजटीय प्राक्कलन में 251 करोड़ रु. के घाटे का अनुमान लगाया गया। बजटीय घाटा विमानन टरवाइन ईंधन (ए टी एफ) के मूल्य में हुई बेतहाशा वृद्धि तथा कई अन्य लागत मूल्य यथा अवतरण एवं दिक्चालनात्मक प्रभार, हैंडलिंग प्रभार, सुरक्षा व्यय, विमान बीमा प्रीमियम में वृद्धि, विदेशी मुद्रा दर इत्यादि में वृद्धि को दर्शाता है। इसके आगे, सन् 2000–01 के दौरान विमानन टरवाइन ईंधन के घरेलू मूल्य में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि प्रचालन लागत में बहुत अधिक अर्थात 300 करोड़ रुपये से भी अधिक की वार्षिक वृद्धि हुई है, वर्ष 2001–02 का बजट प्राक्कलन तैयार करते समय किराए में किसी भी प्रकार की वृद्धि का ध्यान नहीं रखा गया था।

अगर उक्त वर्णित चीजों की मूल्य वृद्धि नहीं हुई होती तो कंपनी ने वर्ष 2001–02 के लिए निबल लाभ दिखाया होता।

(ख) नवीनतम स्थिति निम्नानुसार है :

(i) चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीने अर्थात अप्रैल और मई 2001 में कंपनी को 35.09 करोड़ रु. के बजटित निवल घाटे की जगह 32.60 करोड़ रु. का निवल घाटा हुआ।

(ii) कंपनी ने दिनांक 25 मई, 2001 से अपने घरेलू नेटवर्क में लचीले व फ्लेक्सी किराए की नीति अपनाई है। इस प्रकार के दर–निर्धारण से ऐसी प्रत्याशा है कि उपयोग की उच्चतर क्षमता और बेहतर आय के कारण राजस्व आय में सुधार होगा।

विविध अन्य उपायों के साथ–साथ इस उपाय से कंपनी के वित्तीय कार्य निष्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(iii) सरकार ने दिनांक 01.04.2001 से घरेलू विमानन टरवाइन ईंधन के मूल्य को गैर विनियमित कर दिया गया है। ए टी एफ मूल्य को गैर विनियमित

करने की प्रत्याशा में बजट में ए टी एफ की कीमत में बचत का अनुमान लगाया गया है। अप्रैल, 2001 में ए टी एफ के मूल्य में कटौती की गई थी और बजट में प्रत्याशा से कहीं अधिक बचत होने का अनुमान था। यद्यपि ए टी एफ के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के सख्त होने के कारण, घरेलू मूल्य जून, 2001 से और इसके बाद बढ़ गया है। इसके फलस्वरूप, गैर विनियमन के कारण विमानन टरवाइन ईंधन की लागत मूल्य में अतिरिक्त बचत हुई इसके अतिरिक्त बजट में किए गए अनुमान का हल नहीं भी हो सकता है।

(ग) अगस्त, 2000 से वित्तीय तथा प्रचालनात्मक कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए कंपनी ने विभिन्न कदम उठाए हैं जिससे वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं क्योंकि प्रचालनात्मक राजस्व में पर्याप्त वृद्धि हुई थी जिसे नीचे की सारणी से देखा जा सकता है :

	2000–2001		1999–2000
	बजट	प्राप्त (अनंतिम)	वास्तविक
	(करोड़ रु. में)		
प्रचालन राजस्व	3681.00	3758.50	3549.17

कार्य–निष्पादन में सुधार लाने के लिए किए गए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं :

(i) सख्त बजटीय नियंत्रण जहां व्यय के सभी प्रमुख मदों को लागत–मुनाफा विश्लेषण, प्रचालनात्मक एवं वाणिज्यिक तेजी, वित्तीय मंजूरी इत्यादि के अनुरूप होना पड़ता है।

(ii) बेहतर विमान–बेड़ा उपयोग, पायलटों, विमान इंजीनियरों की उत्पादकता में सुधार, ग्राउंड टर्न राउन्ड टाइम में कमी करना, कतिपय घरेलू सेक्टरों में रात्रि के समय उड़ानें, बढ़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन, विमानों का बेहतर समय निर्धारण, विपणन अपेक्षाओं के अनुरूप क्षमता लगाना इत्यादि।

(iii) उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, सामयिक कार्य–निष्पादन में सुधार, प्रयोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं का कोटि–उन्नयन एवं सामान्य सुधार इत्यादि।

(iv) विपणन पहल, विदेशी एयर लाइनों के साथ कोड–शेयरिंग, कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली में उच्चस्तरीय भागीदारी, निगमित प्रोत्साहन सहित विभिन्न संवर्धन योजनाएं।

(v) पत्यास्थ किराए, सीजन, प्रतिस्पर्धा, उड़ान–समय व अन्य मांग तथा पूर्ति मानकों के आधार पर किराए का निर्धारण।

(vi) लागत मूल्य नियंत्रण उपाय, समयोपरि भत्तों, कैज्वल लेबर, होटल/यात्रा व्यय, कर्मीदल की तैनाती पर आए व्यय पर नियंत्रण, जब तक प्रचालनात्मक कारणों से पूर्णतः आवश्यक न हो, भर्ती पर रोक, विमानों के रख–रखाव के मामले में ईंधन की निगरानी तथा टैंकर पर नियंत्रण, प्रचार–प्रसार में कमी तथा बिक्री बढ़ाने के लिए किए जाने वाले व्यय में कटौती, गैर–किफायती उड़ानों, मालसूची प्रबंधन, यथा–संभव साध्य सीमा तक बाहर से सेवाएं प्राप्त करना इत्यादि।

[हिन्दी]

झारखंड में रोजगार कार्यालय

48. प्रो. दुखा भगत : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार झारखंड में कार्य कर रहे रोजगार कार्यालयों की जिलावार संख्या क्या है;

(ख) इन रोजगार कार्यालयों में से प्रत्येक में पंजीकृत व्यक्तियों की व्यवसाय–वार संख्या क्या है; और

(ग) उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की जिलावार और रोजगार कार्यालयवार संख्या क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) झारखंड राज्य में कार्य कर रहे रोजगार कार्यालयों की आदिनांक संख्या 33 है।

(ख) और (ग) उनमें से रोजगार कार्यालय–वार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा शिक्षित रोजगार चाहने वालों (10वीं व उससे अधिक) की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

31.12.2000 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर शिक्षित रोजगार चाहने वालों की संख्या

क्र.सं.	रोजगार कार्यालय	शिक्षितों की संख्या (हजार में)					
		10वीं तथा 10+2 (पूर्व–स्नातक)	स्नातकोत्तर सहित स्नातक	डिप्लामा–धारी	योग (2+3+4)	कालम 5 में अनुसूचित जाति सहित	कालम 5 में अनुसूचित जनजाति सहित
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आदित्यपुर	4.9	1.8	0.8	7.5	2.6	3.3
2	बोकारो थर्मल	8.2	1.9	0.6	10.7	2.1	1.2
3	बोकारो स्टील सिटी	101.8	19.6	4.2	125.9	18.7	6.8
4	चईबासा	24.4	4.2	0.2	28.8	1.7	10.9
5	चक्रधरपुर	2.6	0.1	@	2.7	0.6	1
6	चंदिल	102.3	14.2	0.2	116.7	0.3	1.4
7	डालमियानगर	55.3	13.7	0.7	69.7	5.2	0.1
8	डाल्टनगंज	26.8	5.9	0.1	32.8	5.2	2.3
9	देवगढ़	8.2	2.1	@	10.3	0.6	0.7
10	धनबाद	12.2	2.3	1	15.5	3.6	1
11	दुमका	18.7	2.9	0.3	21.9	1.1	2.8
12	गदवा	—	—	1.1	1.1	—	—
13	घाटशिला	47.3	4	0.2	51.5	2.9	6.5
14	गिरडीह	22.2	0.5	@	22.7	2.1	0.4
15	गुमला	7.8	0.2	0.1	8.1	0.4	6.5
16	गोड्डा	14	1.3	1.4	16.7	1.8	2
17	हजारीबाग	35.5	3.8	@	39.3	3.5	0.9
18	जमतारा	2	0.3	1.4	3.7	0.3	0.3
19	जमशेदपुर	50.6	8.3	—	58.9	4	5.3
20	जहानाबाद	20.4	7.4	—	27.8	3.8	0.1

1	2	3	4	5	6	7	8
21	खूंटी	5.3	0.9	0.1	6.3	0.2	2.5
22	किरीबुरू	3	0.2	0.5	3.7	0.6	2.5
23	लालमटिया	4.5	0.3	@	4.8	0.9	1
24	लेथर	2.5	1.2	@	3.7	2.8	3.2
25	लोहारडागा	10.5	1.3	0.7	12.5	0.7	6.3
26	रामगढ़	24.3	0.9	6.2	31.4	2.1	1.6
27	रांची	155.8	28.6	@	184.4	14.3	49.9
28	पकुर	6.2	0.6	—	6.8	0.2	2.1
29	साहिबगंज	16.8	2.4	@	19.2	1.5	2.3
30	सिमडांगा	3	0.6	0.9	4.5	0.9	1.8
31	सिंदरी	11.6	2.1	0.3	1.4	3.4	0.9
32	तेनूघाट	27.5	2.6	—	30.1	5	3.1
33	तोरपा	3.4	0.4	—	3.8	0.1	2.4
	योग	839.2	136.9	21.4	997.5	93.2	133.1

टिप्पणी : हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

@ संख्या 50 से कम।

[अनुवाद]

झीलों का संरक्षण और विकास

49. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रमुख झीलों के समुचित विकास हेतु प्रायोगिक परियोजना क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य हेतु झील–वार नियत निधि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक प्रमुख झील के संरक्षण और विकास हेतु वर्ष–वार क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) वर्ष 1997 में 637 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 10 शहरी झीलों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना स्कीम तैयार की गई थी। झील–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

1.	डल	जम्मू–कश्मीर	297.70
2.	सुखना	चंडीगढ़	44.36
3.	सागर	मध्य प्रदेश	4.41
4.	नैनीताल	उत्तर प्रदेश	46.35
5.	कोडईकनाल	तमिलनाडु	19.28
6.	ऊटी	तमिलनाडु	26.63
7.	उदयपुर	राजस्थान	148.95

8.	रवीन्द्र सरोवर	पश्चिम बंगाल	2.13
9.	पवई	महाराष्ट्र	31.01
10.	हुसैन सागर	आंध्र प्रदेश	15.34
		कुल	**636.16**

या 637 करोड़ रु.

सरकार ने प्रस्ताव पर विचार करते समय मंत्रालय को, डल झील को छोड़कर जिसे सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया गया था शेष के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने के निर्देश दिए थे। डल झील संरक्षण योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 162.87 करोड़ की अनुमानित लागत से तैयार की गई है। इस झील का निर्माण कार्य अभी शुरू किया जाना है। 3 छोटी झीलों अर्थात मुंबई में पवई, तमिलनाडु में कोडईकनाल और ऊटी के प्रस्ताव, मई 2001 में 14.90 करोड़ रुपये की कुल लागत से अनुमोदित कर दिए गए हैं। झीलवार ब्यौरा इस प्रकार है : पवई–6.62 करोड़ रु., कोडईकनाल–6.33 करोड़ रु., ऊटी–1.95 करोड़ रु.। वर्ष 2001–02 में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है जिसमें से 9 करोड़ रुपये की राशि उपर्युक्त 3 झीलों को जारी कर दी गई है अर्थात पवई झील–4 करोड़ रुपये, कोडईकनाल झील–4 करोड़ रुपये, ऊटी झील–1 करोड़ रु.।

राष्ट्रीय राजमार्ग नीति का बनाना

50. डा. वी. सरोजा : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) भारत सरकार की यह नीति है कि बजटगत संसाधनों, केन्द्रीय सड़क निधि, विदेशी सहायता और गैर–सरकारी क्षेत्र की भागीदारी द्वारा वित्त पोषण के माध्यम से यातायात की आवश्यकता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर 2/4 लेन बनाना, सुदृढ़ीकरण, बाइपासों के निर्माण, पुलों/पुलियों के पुनर्निर्माण आदि जैसे सुधार कार्य करके राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों का विकास और अनुरक्षण किया जाए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई क्षमता

51. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में सिंचाई क्षमता में कितनी वृद्धि की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यों में सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने हेतु राज्यवार और वर्षवार कितना आबंटन किया गया?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) देश में वर्ष 1995–96 से 1999–2000 के दौरान कुल मिलाकर 8737.24 हजार हेक्टेयर (अनंतिम) तथा महाराष्ट्र में 981.80 हजार हेक्टेयर (अनंतिम) सिंचाई क्षमता के सृजन में वृद्धि हुई है।

(ख) वर्ष 1995–96 से 1999–2000 के दौरान सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने के लिए वृहद एवं मध्यम सिंचाई तथा लघु सिंचाई में आबंटित निधियों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है।

विवरण

सिंचाई संबंधी विकास के लिए वर्ष 1995–96 से 1999–2000 के दौरान मुहैया कराई गई योजना निधियां (वृहत एवं मध्यम तथा लघु सिंचाई)

क्र.सं.	राज्य	योजना परिव्यय करोड़ रु. में					
		1995–1996	1996–1997	1997–1998	1998–1999	1999–2000	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1122.89	774.64	827.79	938.81	1259.77	3026.37

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	16.66	17.92	27.67	22.22	22.48	72.37
3.	असम	67	99.6	104.58	122.59	111.69	338.86
4.	बिहार	495.19	412.77	432.14	551.00	744.00	1727.14
5.	गोवा	34.28	49.5	39.35	81.87	62.20	183.42
6.	गुजरात	585.98	1222.03	1359.00	1402.43	1817.30	4578.73
7.	हरियाणा	224.46	327.66	390.62	512.41	550.00	1453.03
8.	हिमाचल प्रदेश	28.76	34.62	45.09	59.66	71.68	176.43
9.	जम्मू व कश्मीर	41.99	44.42	69.18	123.23	114.13	306.54
10.	कर्नाटक	842.28	1125.82	1108.59	1607.06	1765.71	4481.36
11.	केरल	147	175.35	194.65	194.00	205.72	594.37
12.	मध्य प्रदेश	428.74	440.56	481.56	646.68	644.60	1772.84
13.	महाराष्ट्र	95.79	1050.56	2646.17	2994.25	3827.62	9468.04
14.	मणिपुर	43.73	38.42	57.00	65.50	78.00	200.50
15.	मेघालय	9.8	10.8	9.50	14.50	17.00	41.00
16.	मिजोरम	2.47	2.85	2.85	6.33	7.00	16.18
17.	नागालैंड	3.35	3.3	3.53	4.31	4.31	12.15
18.	उड़ीसा	292.09	438.58	657.00	695.77	635.74	1988.51
19.	पंजाब	98.64	110.22	111.53	95.16	166.17	372.86
20.	राजस्थान	376.95	344.46	417.27	562.46	577.80	1557.53
21.	सिक्किम	2.31	2.56	2.56	2.14	20.00	24.70
22.	तमिलनाडु	124.24	248.57	320.91	321.72	378.65	1021.28
23.	त्रिपुरा	10.28	16.95	30.30	50.04	73.05	153.39
24.	उत्तर प्रदेश	429.59	579.23	582.86	785.02	951.79	2319.67
25.	पश्चिम बंगाल	121	189.33	231.65	208.65	222.83	663.13
	कुल राज्य	6467.44	7760.72	10153.35	12067.81	14329.24	36550.40
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	9.19	10.01	8.76	13.42	16.16	38.34
	कुल योग	6476.63	7770.73	10162.11	12081.23	14345.40	36588.74

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण

52. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण हेतु उपचारी कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत–नेपाल सहयोग से लंबित नदी घाटी परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय है। बाढ़ प्रबंधन कार्यों की आयोजना और उनके निष्पादन का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्यों का है। इन कार्यों की आयोजना और क्रियान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए उनके द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार, उनकी स्वयं की योजना निधियों से किया जाता है। केन्द्र तकनीकी, प्रोत्साहनात्मक और संवर्द्धनात्मक स्वरूप की सहायता देता है।

तथापि, जल संसाधन मंत्रालय के अधीन गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों सहित गंगा बेसिन में बाढ़ के लिए उत्तरदायी नदियों के वास्ते बाढ़ प्रबंधन की विस्तृत योजना तैयार की है और इन योजनाओं में की गई सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए उसे राज्य सरकारों को भेजा है। इन योजनाओं में अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों उपायों का सुझाव दिया गया है।

भारत सरकार ने गंगा बेसिन राज्यों में बाढ़ प्रबंधन के लिए वर्ष 1996 में कार्यबल का गठन किया था। तत्पश्चात, 1998 की आकस्मिक बाढ़ को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए बाढ़ से बचने के वास्ते कारगर उपाय करने संबंधी सुझाव देने के लिए विशेषज्ञ दल का गठन किया। कार्य बल और विशेषज्ञ दल की रिपोर्टें और उनकी सिफारिशें विचार और क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकरों को भेजी गई हैं।

जोखिमपूर्ण भागों में नदी कटाव से बचाव संबंधी कार्यों को करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने को ध्यान में रखते हुए नौवीं पंचवर्षीय योजना में एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम अर्थात "गंगा बेसिन राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्य और कोसी तथा गंडक नदियों के तटबंधों को ऊंचा उठाना और उन्हें सुदृढ़ करना" तैयार की गई है और इसका प्रचालन किया जा रहा है। वर्ष 2000–2001 के दौरान कटावरोधी कार्यों को शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश को इस स्कीम के लिए 4 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी की गई है।

भारत–नेपाल सीमा क्षेत्र में बाढ़ आप्लावन की समस्याओं से निपटने के लिए भारत और नेपाल के बीच बाढ़ आप्लावन समस्याओं संबंधी स्थाई समिति का गठन वर्ष 1986 में किया गया था जो कि भारत–नेपाल दोनों देशों के बीच सीमावर्ती क्षेत्र की बाढ़ समस्याओं पर विचार करेगी। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष भारतीय दल का नेतृत्व करते हैं। अब तक समिति की 11 बैठकें हुई हैं जिसमें भारत–नेपाल सीमा के निकट बाढ़ आप्लावन समस्याओं के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया और इस मामले पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए समय–समय पर निर्णय लिए गए।

(ग) भारत–नेपाल सहयोग के साथ निम्नलिखित नदी–घाटी परियोजनाओं पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है :

(i) महाकाली नदी पर पंचेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजना (भारत में सारदा)।

(ii) कोसी नदी पर सप्तकोसी उच्च बांध और संकोशी परियोजना।

(iii) कमला नदी पर कमला बहुद्देश्यीय परियोजना।

(iv) बागमती नदी पर बागमती बहुद्देश्यीय परियोजना।

पंचेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजना के संबंध में संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। सप्तकोसी और संकोशी परियोजनाओं के वास्ते प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट पर विचार करने तथा संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए संयुक्त परियोजना कार्यालय खोले जाने के मुद्दे पर विचार–विमर्श करने के वास्ते भारत और नेपाल के संयुक्त विशेषज्ञ दलों की तीसरी बैठक मार्च, 2001 में हुई थी। बागमती और कमला बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के संबंध में, दोनों देशों के बीच कुछ तकनीकी मुद्दों से संबंधित मतभेदों को दूर करने के लिए भारत और नेपाल सरकार के संयुक्त प्रयास जारी हैं।

[अनुवाद]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम को अधिकतम धनराशि में वृद्धि

53. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रत्येक राज्य को प्रत्येक वर्ष बीमा लाभ प्राप्त प्रति व्यक्ति हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या श्रमिकों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु अधिकतम राशि में वृद्धि करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा योजना को चलाने के लिए प्रतिवर्ष प्रति बीमित व्यक्ति 600/– रुपये की दर से चिकित्सा देखरेख के लिए निधियां मुहैया करा रहा है। इस व्यय को कर्मचारी राज्य बीमा निगम और राज्य सरकार द्वारा 7 : 1 के सम्मत अनुपात में वहन किया जाता है।

(ख) से (घ) चिकित्सा देखरेख पर व्यय की उच्चतम सीमा को बढ़ाने के संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा विचार किया गया और किसी प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थान के माध्यम से अध्ययन कराने का निर्णय लिया गया है ताकि चिकित्सा का देखरेख के लिए एक वास्तविक उच्चतम सीमा निर्धारित की जा सके।

नागर विमानन हेतु रक्षा एयरोड्रम

54. श्री विजय गोयल : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नागर विमानन प्रयोजनार्थ सारे देश में रक्षा एयरोड्रमों को खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें किसी प्रकार का सुरक्षा संबंधी खतरा नहीं जुड़ा हुआ है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या पठानकोट एयरोड्रम पर एक सिविल टर्मिनल प्रांगण बनाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) अमृतसर स्थित राजासांसी हवाई अड्डे पर कब तक एक अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल बनाए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) भारतीय विमानपत्तन प्रभाग पठानकोट (रक्षा) हवाई अड्डों पर एक नया सिविल एनक्लेव विकसित कर रहा है जिसके लिए 28.6.2001 को कार्य सौंपा गया है और इस कार्य के जून 2003 तक पूरा होने की संभावना है।

(च) नए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल के निर्माण सहित अमृतसर में राजसांसी हवाई अड्डे के कोटिउन्नयन का काम नवम्बर 2003 तक पूरा होने की संभावना है।

[हिन्दी]

जल प्रबंधन

55. श्री नवल किशोर राय :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जल प्रबंधन को ढांचागत सुविधाओं के अंतर्गत लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) राष्ट्रीय जल नीति (1987) में जल को विकास आयोजना में बहुत महत्वपूर्ण तत्व माना है। इसमें जल संसाधन स्कीमों की आयोजना और प्रचालन में प्राथमिकता के आधार पर आधारभूत जरूरतों जैसे–पेय जल, सिंचाई, जल विद्युत, नौवहन और उद्योग तथा अन्य उपयोगों के लिए जल का आबंटन करने की व्यवस्था है। इसमें स्थाई आधार पर देश के जल संसाधनों की आयोजना और प्रबंधन की भी व्यवस्था है। इस नीति में जल संसाधनों के विकास के लिए जल निकास बेसिन को आयोजना की मूल इकाई के रूप में मान्यता दी गई है और इस संसाधन के अधिकतम उपयोग के वास्ते उपयुक्त उपाय करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

मध्य प्रदेश के डाकघरों में टेलीफोन कनेक्शन

56. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सभी डाकघरों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त सुविधा से वंचित डाकघरों की संख्या क्या है; और

(घ) शेष डाकघरों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उन 667 डाकघरों का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिनमें टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य में 429 विभागीय डाकघरों को अभी टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने हैं।

(घ) टेलीफोन कनेक्शन भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान किए जाते हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

विवरण

मध्य प्रदेश सर्किल में सर्विस टेलीफोन कनेक्शन वाले विभागीय डाकघरों से संबंधित जिलावार जानकारी

क्र.सं.	जिले का नाम	विभागीय डाकघरों की कुल संख्या	डाकघरों की कुल संख्या जिनमें सर्विस टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं
1	2	3	4
1.	बालाघाट	25	06
2.	बारवानी	08	07
3.	बेतुल	23	20
4.	भिंड	24	22
5.	भोपाल	64	14
6.	छत्तरपुर	24	11
7.	छिंदवाड़ा	29	12
8.	दमोह	19	13
9.	दतिया	08	08
10.	देवास	17	14
11.	धार	17	10
12.	डिंडोरी	10	02
13.	गुना	24	24
14.	ग्वालियर	47	33
15.	हरदा	06	06
16.	होशंगाबाद	25	23
17.	इंदौर	63	28
18.	जबलपुर	69	57
19.	झाबुआ	18	02
20.	खंडवा	33	18
21.	खारगोन	23	06
22.	कटनी	21	14
23.	मांडला	11	05
24.	मंदसौर	26	24
25.	मुरैना	17	17
26.	नरसिंहपुर	19	17
27.	नीमच	19	18
28.	पन्ना	14	07
29.	रायसेन	16	14
30.	राजगढ़ (बियाओ)	18	10
31.	रतलाम	28	01
32.	रीवा	38	03
33.	सागर	44	35

1	2	3	4
34.	सतना	27	03
35.	सिहोर	23	22
36.	सिवनी	19	—
37.	शाजापुर	23	22
38.	शहडोल	27	24
39.	शिवपुरकलां	05	05
40.	सिधी	19	12
41.	शिवपुरी	21	14
42.	टीकमगढ़	20	08
43.	उज्जैन	39	33
44.	उमरिया	07	06
45.	विदिशा	19	17
	कुल	1096	667

[अनुवाद]

एस्बेसट्स के खनन पर प्रतिबंध

57. श्री सुबोध मोहिते : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य संबंधी खतरों को देखते हुए सरकार एस्बेसट्स के खनन, निर्माण में उसके प्रयोग और व्यापार सहित तत्संबंधी समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को एस्बेसट्स पर प्रतिबंध लगाने हेतु पर्यावरणविदों और चिकित्सकों की ओर से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, एस्बेसट्स तथा एस्बेसट्स आधारित उत्पादों का खनन, निर्माण पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 के उपबंधों और प्रक्रियाओं के अनुसार विनियमित किया जाता है। क्रोसिडोलाइट (नीला एस्बेसट्स) को वाणिज्य मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अक्तूबर, 1994 में आयात की प्रतिबंधित सूची में रखा गया है। इसके अलावा, अपशिष्ट एस्बेसट्स (बुरादा और रेशा) के आयात पर दिनांक 13.10.1998 की राजपत्रित अधिसूचना द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है।

(ग) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पर्यावरणविदों और डाक्टरों से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

गुजरात के लिए अतिरिक्त निधियां

58. श्री जी. जे. जावीया : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और मरम्मत हेतु अतिरिक्त निधियों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के उचित रखरखाव व मरम्मत हेतु उपलब्ध कराई गई अनुमानित निधियां कितनी हैं; और

(घ) यदि हां, तो नए निर्माण कार्य और मरम्मत कार्यों में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 2001–2002 के दौरान गुजरात राज्य के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के अंतर्गत आबंटन के लिए 25.77 करोड़ रुपए नियत किए गए हैं।

(घ) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 85.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। जून, 2001 तक गुजरात में विकास और अनुरक्षण पर क्रमशः 7.92 करोड़ रुपए और 1.07 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

[हिन्दी]

सेल्यूलर टेलीफोन

59. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में गुजरात के जामनगर जिले और तमिलनाडु के शिवगंगा तथा रामनाड जिलों में अलग-अलग कितने सेल्यूलर/मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ता हैं;

(ख) उन स्थानों के कंपनी-वार क्या नाम हैं जहां इस सुविधा के साथ सेल्यूलर टेलीफोन कंपनियां काम कर रही हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार शिवगंगा और रामनाड जिलों के तटीय क्षेत्रों में वायरलेस इन-लोकल-लूप (डब्ल्यूएलएल) आधारित सेल्यूलर टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2001-2002 के दौरान प्रत्येक राज्य में स्थान-वार किन सेल्यूलर टेलीफोन कंपनियों को उक्त सेल्यूलर टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंस महानगरीय सेवा क्षेत्रों और दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्रों के लिए प्रदान किए गए हैं। सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ता पूरे सेवा क्षेत्र के होते हैं न कि सेवा क्षेत्र में किसी विशेष जिले के, भले ही वे किसी विशेष जिले में पंजीकृत किए गए हों। भारतीय सेल्यूलर ऑपरेटर्स संघ (सीओएआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार गुजरात, दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 2,88,083 और तमिलनाडु दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र में 2,43,269 है जिसमें उक्त जिले भी शामिल हैं।

(ख) सी.ओ.ए.आई. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कम्पनी वार उन स्थानों की सूची, जहां निजी सेल्यूलर टेलीफोन सेवा कंपनियां इस सुविधा के साथ कार्य कर रही हैं, संलग्न विवरण में दी गई है। इसके अलावा, यह सेवा दिल्ली और मुम्बई में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा और बिहार के पटना, हाजीपुर, बाढ़, आरा, बिहारशरीफ और राजगीर शहरों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा दी जा रही है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सरकार अथवा बीएसएनएल द्वारा शिवगंगा और रामनद जिलों के तटवर्ती क्षेत्रों में वायरलैस इन लोकल लूप पर आधारित सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है।

(ङ) प्राइवेट सेल्यूलर ऑपरेटरों के साथ किए गए लाइसेंस करार के अनुसार प्रथम वर्ष में कम से कम 10% जिला मुख्यालय को और लाइसेंस की प्रभावी तारीख से तीन वर्षों के भीतर 50% जिला मुख्यालय को कवर किया जाएगा। लाइसेंसधारियों को जिला मुख्यालय के बदले जिले के किसी अन्य शहर को कवर करने की अनुमति भी दी गई है। कवर किए जाने वाले जिला मुख्यालय/शहर और जिला मुख्यालय/शहरों का 50% से आगे विस्तार करने का विकल्प लाइसेंसधारी कंपनियों के पास उनके व्यापारिक निर्णय के अनुसार है। सरकार सेल्यूलर कंपनियों की विस्तार योजना का रिकार्ड नहीं रखती।

विवरण

भारत के शहरों/कस्बों में सेल्यूलर कवरेज

अप्रैल, 2001 की स्थिति

क्र.सं.	सर्किल	ऑपरेटर	कवर किए गए जिला मुख्यालय का नाम	जिला मुख्यालय के स्थान पर कवर किया गया शहर (जिला मुख्यालय का नाम)	कवर किए गए अन्य शहर/कस्बे
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	भारती मोबाइल लि.	हैदराबाद, विशाखापट्टनम, इलुरू, काकीनाडा, मचिलीपटनम, खम्माम, गुंटूर, नेल्लौर, चित्तूर, निजामाबाद, वारांगल,		विजयवाड़ा, तिरुपति, तिरुमाला, उप्पल, रानीगुंटा, कट्टेन्डन, हयातनगर, पट्टनचेरु, रंगारेड्डी, गन्नवरम, कंकिपाडु, अडाविनेक्कला, तेनाली, बुडामपाडू, वेजेन्डिया, पुन्नुरु, चेतरोलू,

1	2	3	4	5	6
			अंगोल, अनन्तपुर, कुर–नूल, कुड्डपाह, करीमनगर, नलगोंडा।		दागररथी, कोवूर, कोडूर, माइपाडू, मथूकुर, बुचीरेड्डी, पालेम, चन्द्रगिरि, वडमालापेटा, गजूला, मंडयम, गजूवाका, अगनामपुडी, राजामुंडी, भीमावरम, अमालापुरम, ककिनाड़ा, अनाकापल्ली, नरसापुर, तड़ेपल्लीगुंडेम, पलाकोल्लू, तनुकू, नरसराओपेटा, गुड़ीवाड़ा, पुट्टापरही, सूर्यापेट, अकीवीडू, उन्दी, रुद्राम, तीमपुर, समालकोट, मंडापेट, हनमकोंडा, चेरुकुवाडा, सीथारामपुरम, मदापाडु, बग्गेश्वरम, लंकालाकोडेरु, मेदचल, लिंगमपल्ली, कुकट पल्ली, कपरा, बहादुरपुरा, रामाचन्द्रपुरम (बीएचईएल), कजूपल्ली, बचूपल्ली, पोलापल्ली, डग्गूलुरु, उल्लमपररु, जिन्नुरु, बल्लीपाडु, रायपेटा, कोप्पारु, चिंटापरु, अलापाडू, आई. भीमावरम, कोल्लेरु, कोल्लेटीकोटा, चेरुकुमिल्ली, इलुरुपाडू, डिचीपल्ली, काजीपेट, कोटीपल्ली, दवारापुडी, एनापार्टी, टेपेस्वरम, अडीडा, कपिलेश्वरम।
	टाटा सेल्यूलर लि.		हैदराबाद, विजयवाड़ा, मचिलीपटनम, गुंटूर, विशाखापट्टनम, ककिनाड़ा, इलुरू, संगारेड्डी, नल्लौर, चित्तूर, नलगोंडा, विजया–नगरम, निजामाबाद, वारंगल, कुड्डापाह, कुरनूल, अनन्त–पुरम, ऑनगोले, खम्माम, करीमनगर, महबूबनगर, अदीलाबाद, श्रीकाकुलम।		लिंगमपल्ली, कुकटमल्ली, उप्पल, वनस्थलीपुरम, शमशाबाद, मेडचल, जीडीमेतिया, कपरा, हयातनगर, गन्नावरम, हनुमान जंक्शन, तोलाप्रोलू, इब्राहिमपटनम, गुडीवाडा, मंगलगिरि, तेनाली, नरसरोपेट, चिलकालुरिपेटा, बापातिया, राजाहमुंदरी, अनाकापल्ली, गाजुवाका, येल्लामनचिली, पयाकारापेट, राजानागरम, रावुलापालेम, जग्गामपेटा, अन्नावरम, टुनी, पृथीपाडू, पालाकोल्लू, समालकोटे, पेड्डापुरम, भीमाडोलू, चेब्रोलू, टोडेपल्लीगुडेम, तनुकू, कोव्वुरु, वटलुरु, भीमावरम, उन्डी, पलाकोल्लू, नरसापुर, पटनचेरु, बोलाराम, कोवूर, तिरुपति, चन्द्रागिरि, तिरुमाला, सूर्यापेट, नलगोंडा, मिरयालागुडा, छोटूप्पल, चिलयाल, नेल्लीमरिया, डिचपल्ली, हनूमकोरिडा, काजीपेट, प्रोड्डूटूर, नंदयाल, अडोनी, गुंटाकई, प्रसांथिनिलयम, हिंदुपुर, तडपतरी, मड्डीपाडु, वायरा, पलवांचा।
2.	असम		रिलायंस टेलीकॉम लि. गुवाहाटी		
3.	बिहार		रिलायंस टेलीकॉम लि. पटना, हाजीपुर, मुजफ्फुर, गया, भागलपुर, बिहारशरीफ,		डानपुर, झरिया चास, राक्सॉल।

1	2	3	4	5	6
			दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, सिवान, छपरा, समस्तीपुर, बेतिया, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, बोकारो, मोतीहारी, कटिहार, पुरनिया, सहरसा।		
4.	कलकत्ता	स्पाइस सैल लिमिटेड			पूरी तरह कवर किया हुआ है (मेट्रो)।
		उषा मार्टिन टेलीकॉम लि.			–वही–
5.	चेन्नई	आर पी जी सेल्यूलर			पूरी तरह कवर किया हुआ (मेट्रो) मराईमलाई नगर निर्यात संवर्धन क्षेत्र, मिंजुर, महाबलीपुरम।
		स्काई सैल			पूरी तरह कवर किया हुआ (मेट्रो)।
6.	दिल्ली	भारती सेल्यूलर			पूरी तरह कवर किया हुआ (मेट्रो), गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और गुड़गांव।
		स्टर्लिंग सेल्यूलर लि.			पूरी तरह कवर किया हुआ (मेट्रो), गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और गुड़गांव।
7.	गुजरात	बिरला एटी एंड टी कम्यू. लि.	अहमदाबाद, गांधीनगर, खेड़ा आनन्द, वडोडरा, बहरूच, सूरत, वालसाड, राजकोट, मेहसाना, जामनगर, भावनगर, डहोड, गोडरा, पाटन, हिम्मतनगर, अमरेली, सुरेन्द्र–नगर, नवसारी, सिल्वासा, पोरबंदर, पालनपुर, जूनागढ़।		बरेजा, पोर, कर्जन, किम, उडहना, पीपोडारा, गनदेवी, चिकली, पार्डी, उडवाडा, डूंगरा, नदियाड, अंकलेश्वर, वापी, उंबेरगांव, हजीरा, गांधीधाम, बारडोली, खटोधारा, बिलीमोरा, काडी, वीसनगर, मोरबी, मोतिकावाडी, वसाई, आलंग, अदालज, कुडासन, जोबा, शेरथा, सोला, गोटा, चिलोडा, सरेकी, खोडियार, असलाली, जेतेलपुर, उत्तरसंदा, बोरियावी, मटर, विद्यानगर, वडतल, करमसड, भयाली, जसपुर, फर्टिलाइजर नगर, काशीपुरा, पलेज, अमोड, दिवा, जघीडा, कबीरवाड, पनोली, कोसम्बा, मंगरोल, सयन, कमरेज, कटोर, अमरोली, उतरन, दुरमास, सोनपलसाना, अतुल, दादरा, दभेल, लिंच, धिनोज, पंचोट, खेरवा, मगरोदा, कालोल, उन्झा, डीसा, दमन हलोल।
		फस्सेल लि.	गांधीनगर, अहमदाबाद, नदियाड, आनन्द, वडोडरा, बहरूच, सूरत, राजपीपला,		खेड़ा, सचिन, बिलिमोरा, पार्डी, वापी, वी.वी. नगर, छतराज, कालोल, सनन्द, पडरा, वघोडिया, बोरसाड, अंकलेश्वर, किम, पलसाना,

1	2	3	4	5	6
			वालासाड, नवसारी, गोधरा, दाहोड, हिम्मतनगर, पालनपुर, पलन, मेहसाना, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, जामनगर, भोज, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर।		गनदेवी, चिखाली, दमन, सिलवस्सा, गांधीधाम, करजन, शपर, कान्डिया, उंझा, बारडोली, चंगोडर, मोबी, वाल्वा, कडोडरा, कमरेज, हजीरा, अदीपुर, वीसनगर, अलंग, पालेज, अदालज, भीलाड, उंबेरगांव, हलोल, असतली, वीरपुर, जेतपुर, डीसा, बाविया, बगोधरा, सयला, लिंबडी, चोटीला, बचायू, रपर, महूडी, वीजापुर, सिहोर, वांकानेर, धरमपुर, व्यारा, मोहिदाबाद, बोपाल, वेरावल, मामासा।
8.	हरियाणा	एयरसैल डिजीलिंक लि.	सोनीपत, पानीपत, कमल, अंबाला, रोहतक	पीपली (कुरुक्षेत्र)	समलखा, धरौंदा, राय।
		एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन्स लि.	अम्बाला, हिसार, करनाल, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, रोहतक, यमुनानगर, रिवाड़ी, जिंद, कैथल, भिवानी, झज्जर।		शाहबाद, कालका, जगाधरी, दाबवाली, हांसी, बहादुरगढ़, कुंडली, समलका, नामौल, लाडवा, दारुहेरा, पलवल, मेहम, सम्पला, इस्लामाबाद, पिंजौर, रानिया, तेजाखेरा, सेवानी, पूजा, विहार, मानेसर।
9.	हिमाचल प्रदेश	भारती टेलीनेट लि.	शिमला, सोलन, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, धर्मशाला।		परवानू, बड्डी, बरोटीवाला, बारोग, धल्ली, फागू, थिओग, भुंतर नाईधेरा, कुफरी, कसौली, चैल, कुंडघाट, भुंजर, मनाली, सोलंग, नाला, सुंदरनगर, नेर चौक, बरमाना, स्लैपर, कांगरा, पालमपुर, गग्गल, मैक, लिओडगंज, मरंडा, टंडा, नागरोट्टा, योले कैंट, चामुंडा, मतौर, दारी, कन्नेड।
		रिलायंस टेलीकॉम लि.	शिमला, सोलन, मंडी, कुल्लू।		परवानू, सुंदरनगर, मनाली, पीतमपुर, धर्मशाला।
10.	कर्नाटक	स्पाइस कम्यू. लि.	बंगलौर, तुमकूर, मंगलौर, हुबली, डारवाड, बेलगांव, हस्सन, चिकमंगलौर, शिमोंगा, मैसूर, मंडया, बेल्लरी, चित्रादुर्गा, गुलबर्गा, मादीकेरी, रायचुर।	चित्रदुर्ग के स्थान पर दावणगेरे	गडग, रेनेबेन्नूर, सागर, हरिहर, उदूपी, मणि–पाल, भाटकल, टिपटूर, भद्रवती, कोसकोटे, बिबाडी, नेलमंगला, सकलेशपुर, कंडापुर, गोनीकोप्पल, नंजनगुड, होस्पेट, चेनपटना, डोडबालपुर, कनकपुरा, रमनगरम, यलहंका, श्रीअंगापटनम, बंटवाल, चिकलामुर, करवार, कोलर, सकलेशपुर, डेबासपेट, मड्डूर, पुट्टूर, गोकक, बिदार।
		भारती मोबाइल	बंगलौर, मैसूर, मंगलौर, उदूपी, मणिपाल, हुबली, धजरवार, दावणगेरे, बेलगांव,		अट्टीबेले, चन्द्रपुरा, नेलामंगाला, नन्जनगुड्डू, श्रीरंगापटना, उल्लल, पनमबुरु, कंकनाडी, बलकमपाडी, कोलूर, कवूर, कोट्टर, उरवा,

1	2	3	4	5	6
			कोलर, गुलबर्गा, शिमोगा, मंडया, तुमकूर, होंसकेटे, डोडडाबल्लापुर, कनकपुरे, जिगानी, रामनगर, चन्नापटना, नन्जनगुडू, श्रीरंगापटना, बंटवाल, मुल्की, उल्लाल, सूरतकल।		सूरथकल, दक्षिण कन्नड, होस्कोटे, डोडबलपुर, कनकपुरा, जिगानी, रामनगर, चन्नापटना, अनेकाई, अवलाहल्ली, बागालूर, बन्नेराघट्टा, बिडाडी, बोमासंद्रा, ब्रुक फील्ड्स, इलैक्ट्रानिक सिटी, हेब्बागोडी, आईटीपीएल, जाडीगेनाहल्ली, कग्गलीपुरा, कंगेरी, कोडीहल्ली, कुंबालागोडू, तलाघट्टापुरा, व्हाइट फील्ड, येलाहंका, अल्लाहल्ली, बालामुरी, बन्नूर, बेल्वाड़ी, चमूंडिहिल्स, चाइनाकुरली, हिंकई, कडोकाला, कडूकोटे, केआरएस रोड, महादेवपुरा, नागनहल्ली, पांडवपुरा, सिड्डलिंगपुरा, वरुण, तलपाड़ी, थोक्कट्टू, करनाड, किन्नीगली, पक्षीकिरी, एमआरपीएल, पडूपनामौर, पदमबूर, होशबट्टू, पडूमंगलौर, बजापे, पाडिल, अडयार, कंकनाड़ी, बंडर, बी सी रोड, माल्पे, कल्याणपुर, कापू, काडूपाड़ी।
			धारवाड़, हरिहद, चिकबल्लापुर।		अज्जारगडु, उचिल्ला, कुंजीबेट्टूर, इंद्राली, गनूर, छाबी, हदरगुंची, थराकल, पाला, चोदाली, बिरादेवराकोप्पा, सतूर, नालूर, अमरगोल, राजापुर, सुतागती, नरेन्दर, मुमगति, बेल्लूर, उंकल, हालेबाती, होसाबाती, मालेबेन्नूर, शिरोमागोंदानाहाली, हदादी, कारूर, अवरगेरे, राजानहाल्ली, थोलाहुनसे, हनुमन्तनगर, वडागांव, होंगा, औद्योगिक क्षेत्र, वोल्वो, टेकाल जंक्शन, गनीगपुरा, शाहबाद, समरा एयरपोर्ट, हिंदालगा औद्योगिक क्षेत्र, काक्टी औद्योगिक क्षेत्र, मैकी औद्योगिक क्षेत्र, बेतानी, कोदीकून्नूर, कुंबाराहल्ली, मेडिकल कालेज देवराजर्स के नजदीक, डोडाहसाला गांव।
11.	केरल	बीपीएल सेल्यूलर लि.	अल्लेपी, कालीकट, कन्नूर, कोचीन, कोट्टायम, मालापुरम, पालक्काड, कोल्लाम, त्रिचूर, त्रिवेन्द्रम।		अरूर, चावक्काड, चेरिआला, चेंगान्नूर, चंगान्नसेरी, गुरुवायूर, करुनागपाल्ली, कोडुंगालोरे, कुन्नामकुलम, मंजेरी, मुवाटुपुजहा, पलाई, थालोसारी, तिरुवाला, वरकाला, अलूवा, फिरोखे, मवेलीकारा, चालाकुडु, इरिनजलकडा, पेरुम्बावूर, अंगामाली, कालमसेरी, त्रिपुनिथुरा, कोजहीकोड, कोनडोट्टी, वालपटनाम, थुडुपुजहा, कांजीकोड, पट्टाम्बी, काक्कानाड, इलोर, अमबलमुगल, कोथमंगलम, बजहाकुलम, परूर, कलाडी, बैकोम, वेंगार, महे, रामान्नटुकारा,

1	2	3	4	5	6
					बडगार, क्वीलंडी थाललीपरम्भा, त्रिपायार, टेक्नोपार्क, पाल्लीमुक्कु, कोट्टीयाम, कायम–कुलम, इराटुपेट्टा, अम्बालपुजहा, कोट्टाकाल।
		एस्कोटेल मोबाइल कॉम.	एर्नाकुलम, त्रिचूर, अलेप्पी, त्रिवेन्द्रम, कोट्टायम, पथना–मथिट्टा, कोल्लम, कालीकट, कन्नूर, मालापुरम, पालक्काड, कसारगोड।		अलूवा, थ्रीपुनिथुरा, मुवाट्टुपजहा, पेरुम्बावूर, अंगामाली, कलामस्सेरी, एन. परावूर, थोडुपुजहा, काकानाड, अरूर, कोथामंगलम, ,कलाडी, मुनामबम, वरापुजहा, कोलेनचेरी, कुन्नामकुलम, चावक्काड, चालकुडी, कनजोकोड, थ्रिप्रचार, कोडुगल्लूर, इरिंजलाकुडा, गुरुवायूर, ओल्लूर, चेंगान्नूर, चेरथलाई, कायमकूलम, हरिपद, मवेलीकारा, अडूर, अम्बालापुजहा, कजहाकुट्टम, अतिंगल,नेयाटिनकारा, बलरामपुरम, चेंगनसेरी, थिरुवाल्लां, इटूमान्नूर, कलावूर, चिंगवानाम, कोजलनचेरी, मन्नार, पालीमुक्कु, सकथी–कुलंगारा, करुनागाल्ली, कल्लूवाडुका, कोट्टार–कारा, फोरके, बडगारा, क्वीलंडी, रामानट्टूकारा, थालीयापरम्बू, थालसेरी, वालपटनम, महे, कंचनगड, बेकल, मंजेरी, कोनडोट्टी, इडाप्पल तिरूर, कोट्टाक्कल, पेरीथालमन्ना, मनगोम, चेलम्ब्रा, पोनानी, थानूर, कुट्टीपुरम, वेंगार।
12.	मध्य प्रदेश	रिलायंस टेलीकाम लि.	इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, भोपाल, सिहोर, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, मंदसौर, सतना, रीवा, खंडवा, विदिशा, शिवपुरी, देबरा, रायपुर, दुर्ग राजनांदगांव, बिलासपुर, सागर, खरगौन, राजगढ़।	मंडीदीप (रायसेन) पिठमपुर (धार)	सोनकछ, जओरा, नीमच, कटनी, बुरहानपुर, भिलाई,
		आरपीजी सेलकाम लि.	इंदौर, भोपाल, देवास, सिहोर, उज्जैन, मंडीदीप, पिठमपुर, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर, दुर्ग, भिंड।	मालनपुर	
13.	महाराष्ट्र	बिरला एटी एंड टी कम्यूनिकेशन लि.	पुणे, अहमदनगर, नासिक, सतारा, कोल्हापुर, औरंगाबाद, अलीबाग, सांगली, जालना, अमरावती, अकोला, वर्धा, जलगांव, नागपुर, पणजिम,		भिवंडी, उषानगर, करड, इचाकरंजी, लोनावला, पिम्परी, चिंचवाड, मपुसा, पोंडा, मिराज, वसाई, बारामती, चिपलुन, महाबलेश्वर, तारापुर, चकन, ताल्लेगांव, पेन, खोपोली, खंडाला, शिरुर, सुपे, नेवासा, नरसापुर, शिरवाल, इस्लामपुर, जैसिंगपुर,

1	2	3	4	5	6
			मरगांव, सोलापुर, लातुर, रत्नागिरी, चंद्रपुर, नांदेड		राजगुरुनगर, मंछार, सिन्नेर, सापुर, रंजनगांव, चिकलथाना, दापोदी, देओलाली, इगतपुरी, कोरेगांव, शिकारपुर, खोंधपुरी, घोटी, हटकालांगडा, तिविम, पोरवरिम, बेटिम, रायबांदर, ओल्ड गोवा, बनसतरिम, कुंडम, गोवा वेलहा, अगाकाईम, कोर्टालिम, वेरना, नुवेम, मजोरदा, नवेलिम, वरसा, कावेलोसिम, मोबुर, बेतुल, छपोरा फोर्ट, वेगटोर बीच, अंजुना बीच, बागा बीच, कालनगुटे, कंडोलिम, अगुडा फोर्ट, मिरामर बीच, काबो, डोना पौला, मोरमुगाव, वास्को, दाबोलिम, बोगमालो, बीच, कोलवा, बेनौलिम, शिरडी, पिम्पलगांव विरार, सावंतवाडी, फलटान, कलमेश्वर, कामटी,
		बीपीएल सेल्यूलर लि.	पुणे, नागपुर, नासिक, कोल्हापुर, सतारा, सांगली, अहमदनगर, अलीबाग, औरंगाबाद, जलगांव, जालना, अमरावती, अकोला, लातुर, नांदेड़, परभनी, सोलापुर, रत्नागिरी, चंद्रपुर, धुले, पणजिम, वास्को		चलकारंजी, मिराज, मलेगांव, भुसावल, करड, मडगांव, लोनावला, बारामती, पिमपरी, चिचवाड, तालेगांव, कमशेत, खंडाला, पनवेल, खोपोली, रंजनगांव, चकन, पेन, शिरडी, मुंबई–पुणे हाईवे, अमबाड, सतपुर, सिननार, पिमपलगांव, ओजार, वासई विरार, गोवा, तारापुर, पालघर, वनगांव, शोलापुर, शिरोली, गोकुल, शिरगांव, हिंगना, बूटीबोरी, कामटी, कलेमेश्वर, मपुसा, कंडोलिम, वेरना, वारसा, मोबोर, फोर्ट अगुआ, कालांगुटे, डाबोलिम, बम्बोलिम, कुंडोम, ओल्ड गोवा, फतोरदा, मडकाई, पोंडा, पोरवरिम, सिंकुयेरिम, मडगांव–पणजिम हाईवे, कुंडिया, करांजालेन, कोर्टालिम, डोना पौला।
14.	मुंबई	बीपीएल मोबाइल कम्यूनिकेशंस लि.			महानगर पूरी तरह शामिल किया गया है। नवी मुंबई, कल्याण
		हटचिसन मैक्स टेलीकॉम लि.			महानगर पूरी तरह शामिल किया गया है। नवी मुंबई, कल्याण
15.	उत्तर–पूर्व	हेक्साकॉम इंडिया लि.			शून्य
		रिलायंस टेलीकॉम	शिलांग	शिलांग	
16.	उड़ीसा	रिलायंस टेलीकॉम लि.	कटक, पुरी, बरहामपुर, संबलपुर, राउरकेला, खुर्दा		भुवनेश्वर
17.	पंजाब	स्पाइस काम. लि.	चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला, रोपड़,	गुरदासपुर के बदले पठानकोट	खन्ना, जगरावं, मोगा, नवांशहर, मुक्तसर, मोहाली, पंचकुला, मंडी, गोबिंदगढ़, राजपुरा,

1	2	3	4	5	6
			भटिंडा, फरीदकोट, फिरोज–पुर, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, होशियारपुर, कपूरथला		गोराया, फगवाड़ा, व्यास, बटाला, कोटकपुरा, नाभा, बरनाला, रामपुरा, फूल, मलौट, अबोहर, धुरी, मलेरकोटला, बंगा, महलपुर, डेराबस्सी, जीरकपुर, धनौला, फिलौला, खरर, करतारपुर, बहादुरगढ़, शम्बू, बनूर, राया, धिलवां, सहत्तवाल, सैलखुर्द, अबुल खराना, गोनिआना मंडी, बेरका, रूपनगर, पठानकोट, नकोदर, नूरमहल, सरहिन्द, समराला, मोरिंदा, तरनतारन, दीनानगर, गुरदासपुर, रायकोट, अहमदगढ़, दारीवाल, हलवारा, किला, रायपुर, नाभा।
18. राजस्थान	एयरसेल डिजीलिंक लि.		जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर	किशनगढ़ (अजमेर)	
	हेक्साकाम इंडिया लि.		जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, नागौर, कोटा, भील–वाड़ा, श्रीगंगानगर		किशनगढ़, ब्यावर, मकराना, रामगंज मंडी।
19. तमिलनाडु	बीपीएल सेल्यूलर लि.		कोयम्बटूर, सलेम, इरोड, करूर, ऊटी, नामक्कल, विल्लीपुरम, कुड्डालोर, पांडिचेरी, वेल्लोर, मदुरई, डिंडीगल, होसर, कांचीपुरम, विरुद्धनगर, टूटीकोरिन, तिरुनेलवेली, तिरुचिरापल्ली, तंजावूर		भवानी, गोबिचेट्टिपलायम, मेट्टुपलायम, पोल्लाची, राजापलायम, शिवकाशी, तिरूपुर, उदमलपैटाई, अविनासी, कूनूर, त्रिभुवनाई, रानीपेट, अरासूर, विरालीमलाई, पेरूनदुराई, संकागिरी, रासीपुरम, अन्नूर, मेलूर, कोविलपट्टी, थुवाकुडी, अरावनकडु, कारमडी, नरसिम्हनाई–केनपलायम, पल्लाडम, पेरियानाईकेनपलायम, सुलूर, सोमानूर, थुडियालूर, उडुमलपेट, वेलिंगट्न, मड्थुकुलम, श्रीरामगाम, कुमबाकोनम, मयिलाडुथुराई, कोमारपलायम, पाल्लीपलायम, चेन्नीमलाई, परमाथीवेलूर, थिरूचेंगोड, चिदाम्ब्रम, शिवकाशी, त्रिची।
	एयरसेल लि.		कोयम्बटूर, सलेम, इरोड, नामक्कल, मदुरई, त्रिची, तंजावूर, डिंडीगल, थेनी, टूटीकोरिन, पुडुकोट्टायी, रामानाथपुरम, कांचीपुरम, पोंडी, विरुद्धुनगर, तिरुने–लवेली, शिवगंगाई, करूर, नागपट्टीनाम, विलूपुरम, कुड्डालोरे, वेल्लोर, धर्मपुरी, तिरुवारूर	ऊटी (नीलगिरि) नगेरकोइल (कन्याकुमारी)	थुडियालूर, तिरूप्पूर, पेरीयानाईकेनपलायम, करमाडेई, मेट्टुपलायम, अन्नूर, अविनासी, सुलूर, पल्लाडम, पोल्लाची, उडमलपेट, कूनूर, कोठागिरि, पाल्लीपलायम, भवानी, कोमारपलायम, संकागिरि, पेरूंडुराई, तिरूचेनगोडे, पलानी, श्रीरंगम, मानचनाल्लूर, तिरूवनमबूर कुलिथालाई, कुम्बाकोनम, मयूराम, गोपीचेट्टीपलायम, चेंगलपेट, होसर, अट्टूर, मुट्टायापुरम, मेलूर, शिवकाशी, अरूपूकोट्टाई, श्रीविलिपथुर, सट्टुर, राजपलायम, पलायमकोट्टई अमबासमुद्रम,

1	2	3	4	5	6
					मानपराई, थिरूपट्टरू, कराईकुडी, कराईक्कल, टिंडिवनम, मदरनथागाम तिरूक्कोईलूर, रानीपेट, कटपडी, सट्टुवाचेरी, चिदाम्ब्रम, बेलायूथम–पलायम, वालजपेट, नागोरे, अम्बाराथूर, सुरमंगलम, जारीकोडलापट्टी, तिरूनगर, विलनगुडी, कोविलपट्टी, कृष्णगिरि, अम्बूर, गुडियाथम, वनियामबडी, थुवाकुडी, वाल्लम, कीरानूर, वेलनकन्नी, टीआर पट्टीनाम, तिरूभुवनम, तिरूविडाईमरूथूर, सुचिंद्रम, काल्लीडाईकुरूची।
20. उ.प्र. (पूर्व)	एयरसेल डिजीलिंक लि.	लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मऊ, आजमगढ़, उन्नाव।	भदोई (जौनपुर)		
	कोशिका टेलीकॉम लि.	लखनऊ, वाराणसी, भदोही, फैजाबाद, मिर्जापुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कानपुर, इलाहाबाद, उन्नाव, बाराबंकी, गोरखपुर।		नवाबगंज, शुक्लागंज, मुगलसराय, जगदीशपुर।
21. उ.प्र. (प.)	एस्कोटेल मोबाइल काम. लि.	मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, नैनी–ताल, बुलंदशहर, आगरा, बरेली, रामपुर, फिरोजाबाद, हरिद्वार, मथुरा, मुरादाबाद, बिजनौर, पीलीभीत, बदायूं, अमरोहा।		बड़ौत, हाथरस, शामली, खतौली, देवबंद, मसूरी, ऋषिकेश, नरेन्द्रनगर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, बाजपुर, काशीपुर, किचा, लालकुआं, गदरपुर, रामनगर, खुर्जा, सिकन्दराबाद, धनौरा, बिलासपुर, पुरखजी, हापुड़, मोदीनगर, पिलखुआ, लोनी, लक्सर, रुड़की वृन्दावन कोसी, मथुरा रिफाइनरी, चंदौसी, सम्भल, गजरौला, भदोही, हसनपुर।
22. प. बंगाल	रिलायंस टेलीकॉम लि.	दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, गंग–टोक	दुर्गापुर (बर्दवान), हल्दिया (मिदना–पुर), बोलपुर (बीरभूम)	सिलीगुड़ी, कुरसेओंग, आसनसोल, रानीगंज, बरकार।	

[अनुवाद]

खिलाड़ियों के लिए नैतिक मानदंड

60. श्री जे. एस. बराड़ : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय खेल–कूद स्पर्द्धाओं/आयोजनों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के लिए एक समान नैतिक मानदंडों का अनुसरण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो नैतिक मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस समय अनुसरण किए जाने वाले मानदंड/कोड क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार मौजूदा मानदंडों की समीक्षा करने का है ताकि उन्हें एक समान बनाया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ङ) सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय खेल–कूद स्पर्द्धाओं/आयोजनों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के लिए अलग से कोई नैतिक मानदंड तैयार नहीं किए हैं। संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ, भारतीय ओलंपिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघों तथा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा तैयार मानदंडों अथवा निदेशों के अनुसार, खिलाड़ियों का मार्गनिर्देश किया जाता है।

महिला बीड़ी कामगार

61. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिला बीड़ी कामगारों की समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित की गई अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की प्रायोगिक परियोजना के परिणाम की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीड़ी उद्योग बंद हो जाने के कगार पर है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बीड़ी उद्योग में लगी महिला कामगारों की कार्य–स्थिति सुधारने तथा उनके लिए रोजगार के अवसरों के परिवर्धनार्थ सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) अं.श्र.सं. की प्रायोगिक परियोजना अभी शुरू की जानी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) बीड़ी तथा सिगार प्रतिष्ठानों में महिलाओं सहित सभी श्रमिकों के कल्याणार्थ तथा उनकी कार्यदशाओं को विनियमित करने के लिए राज्य सरकारें लंबे समय से बीड़ी तथा सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 का कार्यान्वयन कर रही हैं।

व्हेलशार्क मछलियों के अवैध शिकार पर प्रतिबंध

62. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन तटों पर व्हेलशार्क मछलियों के अवैध शिकार करने की घटनाएं हो रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने व्हेलशार्क मछलियों के अवैध शिकार पर प्रतिबंध लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) व्हेलशार्क मछलियों के अवैध शिकार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) ट्रैफिक इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण से रिपोर्ट मिली है कि गुजरात के तट पर विशेषकर वेरावल और ओखा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर व्हेलशार्क मछलियों को पकड़ा जाता है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने 28.5.2001 से वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची–I में व्हेलशार्क मछलियों के शिकार पर प्रतिबंध को शामिल किया है।

(घ) व्हेलशार्क मछलियों के शिकार की रोकथाम के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं–

(i) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत व्हेलशार्क मछलियों को शिकार और व्यापारिक दोहन के विरुद्ध कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है।

(ii) वाणिज्य मंत्रालय से व्हेलशार्क मछलियों और इसके व्युत्पन्नों के निर्यात को रोकने का अनुरोध किया गया है।

(iii) तट रक्षकों और राज्य सरकार से व्हेल मछलियों के अवैध शिकार और इसके अवैध व्यापार को रोकने के लिए सहयोग मांगा गया है।

(iv) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे व्हेलशार्क मछलियों के शिकार और अवैध व्यापार पर प्रतिबंध के संबंध में बड़े पैमाने पर प्रचार करें।

एयर इंडिया को घाटा

63. श्री मोहन रावले : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वित्त वर्ष के दौरान एयर इंडिया को कुल कितना घाटा हुआ;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इसके घाटे को कम करने और इसे एक लाभार्जक संस्था बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) वर्ष 2000–2001 के दौरान एयर इंडिया को लगभग 50 करोड़ रु. से कम का घाटा होने का अनुमान है। ऐसा मुख्यतः ईंधन मूल्य में वृद्धि होने के कारण हुआ है। यदि ईंधन मूल्य में वृद्धि नहीं हुई होती, तो इन्हें वर्ष 2000–2001 में लगभग 200 करोड़ रु. का मुनाफा होता।

[हिन्दी]

सेल्यूलर टेलीफोन सेवाएं

64. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) और विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी.एस.एन.एल.) द्वारा कितने मोबाइल/सेल्यूलर टेलीफोन और वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रौद्योगिकी पर आधारित कितने मोबाइल टेलीफोन उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार इसमें एम.टी.एन.एल. और वी.एस.एन.एल. द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ग) क्या उपभोक्ताओं की ओर से कुछ मोबाइल/सेल्यूलर टेलीफोनों को लौटा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या एम.टी.एन.एल. का 'वायरलैस इन लोकललूप' प्रौद्योगिकी पर आधारित टेलीफोन का प्रभाव परिसर बढ़ाने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या करण हैं;

(छ) क्या एम.टी.एन.एल. द्वारा उपलब्ध कराई गई ह्यूंदे एच.जी.सी.–110 मोबाइल सेवा–यद्यपि इसका मासिक शुल्क 600 रु. है–निष्प्रभावी है;

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(झ) क्या सरकार का इस मोबाइल सेवा के मासिक शुल्क को कम करने का विचार है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) वी.एस.एन.एल. मोबाइल/सेल्यूलर टेलीफोन और मोबाइल टेलीफोन पर आधारित वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रौद्योगिकी प्रदान नहीं करता है। एम.टी.एन.एल. दिल्ली/मुम्बई में मोबाइल/सेल्यूलर उपभोक्ताओं की संख्या निम्नलिखित है–

	दिल्ली	मुम्बई
जीएसएम सेल्यूलर	10117	10100
सीडीएमए डब्ल्यूएलएल	4618	संस्थापित किया जा रहा है।

(ख) एमटीएनएल द्वारा अर्जित किया गया राजस्व निम्नलिखित है–

	दिल्ली	मुम्बई
जीएसएम सेल्यूलर	3,30,22,090/– रुपये	2.17 करोड़ रुपये (30.6.2001 की स्थिति के अनुसार)
सीडीएमएडब्ल्यूएलएल	10,09,11,044/– रुपये	शून्य (यह सेवा संस्थापनाधीन है)

(ग) जी, हां। कुछेक उपभोक्ताओं ने धन वापसी मोबाइल/सेल्यूलर टेलीफोन सरन्डर करने के लिए आवेदन किया है।

(घ) अधिकतर उपभोक्ताओं ने सरन्डर करने के कारणों का उल्लेख नहीं किया है और दिल्ली में कुछ उपभोक्ताओं ने नेटवर्क कवरेज के बारे में शिकायत की है। गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद शहरों के लिए नेटवर्क कवरेज कुछ ही महीनों में उपलब्ध हो जाएगी क्योंकि एमटीएनएल को इन क्षेत्रों के लिए लाइसेंस इस वर्ष जनवरी में ही प्राप्त हुआ था।

(ङ) जी, हां।

(च) दिल्ली और मुम्बई के सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए 30,000 मोबाइल डब्ल्यूएलएल उपभोक्ताओं के लिए उपस्करों का प्रापण कर लिया गया है और यह संस्थापनाधीन हैं।

(छ) जी, हां।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) एमटीएनएल प्रभारित किए जाने वाले टैरिफ की समीक्षा कर रहा है।

(ञ) उपरोक्त भाग (झ) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

मध्य प्रदेश में विमानपत्तनों पर गार्डों की तैनाती

65. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के गार्डों को राज्य के विभिन्न विमानपत्तनों पर तैनात रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, गार्डों की इस तैनाती में आने वाले व्यय के एवज में वैत्तिक प्रतिपूर्ति करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) मध्य प्रदेश में भोपाल को छोड़कर, सभी प्रचालनात्मक हवाई अड्डों पर सुरक्षा ड्यूटियों का निर्वाह राज्य पुलिस कार्मिकों द्वारा किया जाता है। भोपाल हवाई अड्डे पर सुरक्षा ड्यूटियों का निर्वाह किए जाने के लिए राज्य पुलिस के स्थान पर 16.3.2000 से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को लगाया गया है।

(ख) से (घ) जी, हां। हवाई अड्डों पर राज्य पुलिस की तैनाती से हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए समय–समय पर मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की पुष्टि की जाती है और देय राशि का भुगतान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए अब तक 92.06 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

टेलीफोन कनेक्शन

66. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विवेकाधीन कोटे के तहत प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान नियम क्या हैं;

(ख) उक्त कोटे के तहत टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए आज की स्थिति के अनुसार, बिहार के प्रत्येक जिले से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार, जिलेवार कितने कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं;

(घ) जिलावार कितने आवेदन लंबित पड़े हैं; और

(ङ) शेष आवेदनों का निपटान कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) लोक सभा और राज्य सभा, दोनों के सभी माननीय सदस्यों को अपने कोटे से एक कैलेण्डर वर्ष में क्रमशः अपने चुनाव क्षेत्र और अपने राज्य में 100 टेलीफोन कनेक्शनों की सिफारिश करने का अधिकार है। जो माननीय संसद सदस्य संचार मंत्रालय की पमरार्शदात्री समिति/ संसदीय समिति के भी सदस्य हैं, वे 100 टेलीफोन कनेक्शनों के अपने सामान्य कोटे के अलावा 30 अतिरिक्त टेलीफोन कनेक्शनों की सिफारिश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूरसंचार आयोग (मुख्यालय), माननीय संचार मंत्रियों और अध्यक्ष दूरसंचार आयोग द्वारा स्वीकृत किए गए बिना बारी के टेलीफोनों के मंजूरी आदेश भेजता है, जो निम्नवत हैं—

(1) संचार मंत्री	1.00%*
(2) संचार राज्य मंत्री	0.50%*
(3) अध्यक्ष दूरसंचार आयोग	0.25%*

*यह प्रतिशतता पिछले वर्ष में वास्तव में दी गई सीधी एक्सचेंज लाइनों (डीईएल) के अनुसार निकाली जाएगी।

(ख) से (ङ) विस्तृत सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

माननीय संसद सदस्यों के विवेकाधीन कोटा जारी करने के सम्बन्ध में अद्यतन सूचना

क्र. सं.	जिला	प्राप्त किए गए आवेदनों की संख्या	दिए गए कनेक्शनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या	संभावित समय जब तक लंबित मामलों का निपटान किया जा सकेगा
1	2	3	4	5	6
1.	हाजीपुर	06	03	03	सितंबर, 2001
2.	खगड़िया	79	71	08	6 माह के भीतर
3.	बेगूसराय	182	96	86	–वही–
4.	दरभंगा	04	03	01	मार्च, 2002

1	2	3	4	5	6
5.	मधुबनी	20	04	16	–वही–
6.	समस्तीपुर	89	07	82	–वही–
7.	मुजफ्फरपुर	458	301	157	दिसंबर, 2001
8.	सीतामढ़ी	351	188	163	–वही–
9.	शिवहर	27	11	18	–वही–
10.	कटिहार	209	195	14	मार्च, 2002
11.	पुर्णिया	84	72	12	–वही–
12.	अररिया	11	05	06	–वही–
13.	किशनगंज	05	04	01	–वही–
14.	नौगछिया	60	42	18	–वही–
15.	भोजपुर	93	73	20	दिसंबर, 2001
16.	बक्सर	75	52	23	–वही–
17.	रोहताश	314	265	49	–वही–
18.	कम्मूर	27	19	08	–वही–
19.	चम्पारण (पूर्व)	247	149	98	मार्च, 2002
20.	चम्पारण (पश्चिम)	330	254	76	–वही–
21.	मुंगेर	59	24	35	–वही–
22.	लखीसराय	10	10	शून्य	—
23.	शेखपुरा	15	15	शून्य	—
24.	जमुई	शून्य	शून्य	शून्य	—
25.	भागलपुर	72	63	09	अक्टूबर, 2001
26.	बांका	शून्य	शून्य	शून्य	—
27.	सहरसा	26	04	22	मार्च, 2002
28.	मधेपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	—
29.	सुपौल	06	03	03	मार्च, 2002
30.	छपरा	124	35	89	अक्टूबर, 2001
31.	सिवान	75	28	47	–वही–
32.	गोपालगंज	70	25	45	–वही–
33.	गया	249	240	09	सितंबर, 2001
34.	औरंगाबाद	01	01	शून्य	–वही–
35.	नवादा	111	110	01	–वही–
36.	जहानाबाद	95	93	02	–वही–
37.	पटना	982	855	127	फरवरी, 2002
38.	नालंदा	257	222	35	–वही–
	जोड़	4,823	3,542	1,281	

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वानिकी योजना कार्यक्रम

67. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वानिकी योजना कार्यक्रम (एन.एफ.ए.पी.) के उद्देश्य और इसके मुख्य संघटक–तत्व क्या हैं;

(ख) राज्यवार, विशेषकर गुजरात में, इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए कुल कितनी भूमि का निर्धारण किया गया; और

(ग) इसके मुख्य संघटक–तत्वों के अधीन, मुख्य तथा उप–कार्यक्रमों के लिए अलग–अलग जितनी भूमि का निर्धारण किया गया है, उसका ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने वानिकी क्षेत्र की मुख्य समस्याओं संबंधी मुद्दों के निराकरण के उद्देश्य से राष्ट्रीय वन नीति, 1988 की तर्ज पर अगले 20 वर्षों के लिए एक व्यापक दीर्घावधि योजना राष्ट्रीय वानिकी कार्यवाही कार्यक्रम (एन.एफ.ए.पी) तैयार की है। एन.एफ.ए.पी. का उद्देश्य देश के एक–तिहाई भाग को वन/वृक्ष आवरण के अंतर्गत लाना तथा वनों के सतत विकास की प्राप्ति हेतु वन कटाव को रोकना है।

राष्ट्रीय वानिकी कार्य कार्यक्रम के 5 मुख्य घटक हैं–

1. विद्यमान वन संसाधनों की सुरक्षा : इसके 3 मुख्य उप–कार्यक्रम हैं–(i) वन सुरक्षा, (ii) मृदा एवं जल संरक्षण, और (iii) सुरक्षित क्षेत्र एवं विविधता संरक्षण।

2. वन उत्पादकता में सुधार : इसके 4 मुख्य उप–कार्यक्रम हैं–(i) अवक्रमित वनों का पुनरुद्धार, (ii) अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास, (iii) गैर–काष्ठ वन उत्पादों का विकास और (iv) सामुदायिक सहभागिता के साथ निजी पहलों को सहायता देना।

3. कुल मांग कम करना : निम्नलिखित के सही प्रयोग हेतु इसके 3 मुख्य उप–कार्यक्रम हैं–(i) ईंधन लकड़ी और चारा, (ii) इमारती लकड़ी और (iii) गैर–काष्ठ वनोत्पाद।

4. नीति एवं संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ बनाना : इसके 3 मुख्य उप–कार्यक्रम हैं–(i) केन्द्रीय वानिकी प्रशासन, (ii) केन्द्रीय वानिकी संस्थान, और (iii) राज्य वानिकी प्रशासन और संस्थान।

5. वन क्षेत्र का विस्तार : इसके 2 मुख्य उप–कार्यक्रम हैं–(i) वन और गैर वन भूमियों पर वृक्षारोपण, और (ii) पौधरोपण तथा उनकी सुरक्षा में लोगों की सहभागिता।

(ख) और (ग) गुजरात में राष्ट्रीय वानिकी कार्यवाही कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कुल भूमि 2.62 मि.है. निर्धारित है। मुख्य घटकों के तहत प्रत्येक मुख्य और उप–कार्यक्रम के लिए निर्धारित भूमि वितरण संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	कार्यक्रम/उप–कार्यक्रम	वास्तविक लक्ष्य (मि. है. में)
1	2	3	4
1.	**आंध्र प्रदेश**	**वन उत्पादकता में सुधार**	
		(क) पुनरुद्धार एवं पुनरुत्पादन	1.60
		(ख) पुनःवनीकरण	0.75
		(ग) विद्यमान पौधों में सुधार	0.30
		कुल	2.65
		वन क्षेत्र का विस्तार	
		(क) सार्वजनिक भूमियों का पौधरोपण	0.40
		(ख) निजी भूमियों पर पौधरोपण–ग्रामीण	1.48
		(ग) निजी भूमियों पर पौधरोपण–शहरी	0.40
		कुल	2.28
2.	**अरुणाचल प्रदेश**	**वन उत्पादकता में सुधार**	
		(क) कृत्रिम पौधरोपण	0.054
		(ख) ए एफ आर/ई एफ आर पौधरोपण	0.004
		(ग) एंडिड पुनरुत्पादन	0.044
		कुल	0.102

1	2	3	4
		वन क्षेत्र का विस्तार	
		(क) कार्यक्रम क्रियान्वयन	0.05
3.	असम	**वन उत्पादकता में सुधार**	
		(क) अवक्रमित वनों का वनीकरण	0.80
		(ख) प्राकृतिक पुनरुत्पादन सहित	0.10
		(ग) बगीचे, औषधीय एवं अन्य एन.डब्ल्यू.एफ.पी.	0.02
		कुल	0.92
		वन क्षेत्र का विस्तार	
		(क) सीमांत ग्राम विकास	0.08
		(ख) निजी भूमियों पर वनीकरण	0.10
		कुल	0.18
4.	बिहार	**वन उत्पादकता में सुधार**	
		(क) वनों का घनत्व 40 प्रतिशत से अधिक	1.04
		(ख) वनों का घनत्व 40 प्रतिशत से कम	0.42
		(ग) एन डब्ल्यू एफ पी सुधार	0.04
		कुल	1.50
		वन क्षेत्र का विस्तार	
		(क) निजी वानिकी–दक्षिण बिहार	0.65
		(ख) निजी वानिकी–उत्तर बिहार	0.98
		(ग) गैर वन क्षेत्र	1.08
		कुल	2.71
5.	गोवा	**वन उत्पादकता में सुधार**	
		(क) अवक्रमित वनों का वनीकरण	0.012
		(ख) अवक्रमित खनन क्षेत्रों का पुनरुद्धार	0.001
		(ग) बेंत एवं बांस क्षेत्र का विकास	0.004
		(घ) टीक क्षेत्र का विकास	0.001
		(ङ) वन क्षेत्र का वनीकरण	0.008

1	2	3	4
		(च) कच्छ वनस्पति का विकास	0.002
		कुल	0.028
		वन क्षेत्र का विस्तार	
		(क) ईंधन लकड़ी और चारा विकास	0.0002
		(ख) शहरी वानिकी	0.0004
		(ग) सामुदायिक भूमियों पर पौधरोपण	0.002
		(घ) भूमि अधिग्रहण	0.001
		कुल	0.0036
6.	गुजरात	**वन उत्पादकता में सुधार**	
		(क) अवक्रमित वनों की बहाली	0.20
		(ख) अनाच्छादित वनों की रिब्वायसमेंट	0.24
		(ग) सवाना भूमि विकास	0.24
		(घ) घास भूमि विकास	0.02
		(ङ) मरुस्थली सीमा का इमोब्लाइजेशन	0.02
		(च) कच्छ वनस्पति पुनरुद्धार	0.01
		(छ) तटीय सीमा पुनरुद्धार	0.01
		कुल	0.74
		वन क्षेत्र का विस्तार	
		(क) पट्टी पौधरोपण	0.02
		(ख) ग्रामीण वुडलॉटस	0.03
		(ग) लवणीय भूमि विकास	0.01
		(घ) वितरण हेतु पौद	1.82
		कुल	1.88
7.	हरियाणा	**वन उत्पादकता में सुधार**	
		(क) अवक्रमित वनों का पुनरुद्धार	0.17
		वन क्षेत्र का विस्तार	
		(क) पट्टी पौधरोपण	0.06
		(ख) सांस्थानिक भूमियों पर पौधरोपण	0.05

1	2	3	4
		(ग) कृषि वानिकी हेतु पौधशाला	0.33
		(घ) नमक प्रभावित भूमियों पर वनीकरण	0.18
		(ङ) अरावली क्षेत्रों में वनीकरण	0.07
		(च) रेतीले टीलों में वनीकरण	0.01
		कुल	0.70
8.	हिमाचल प्रदेश	**वन उत्पादकता में सुधार**	
		(क) एन डब्ल्यू एफ एफ को बढ़ावा	0.09
		(ख) प्राकृतिक वनों का प्रबन्धन	0.10
		(ग) चारागाह भूमियों का प्रबन्धन	0.30
		कुल	0.49
		वन क्षेत्र का विस्तार	
		(क) खुले वनों का प्रबन्धन	0.39
		(ख) झाड़ीदार भूमियों का प्रबन्धन	0.02
		कुल	0.41
9.	जम्मू और कश्मीर	**वन उत्पादकता में सुधार**	
		(क) चारागाह विकास	0.25
		(ख) वनों का प्राकृतिक पुनरुद्भव	0.50
		(ग) अवक्रमित वनों का पुनरुद्धार	0.25
		(घ) शिवालिक पारि–विकास परियोजना	0.75
		(ङ) एकीकृत जल विभाजक विकास परियोजना	0.30
		कुल	2.05
		वन क्षेत्र का विस्तार	
		(क) वन क्षेत्रों का विस्तार	3.32
		(ख) क्षेत्रोन्मुखी ईंधन एवं चारा पौधरोपण	0.20
		(ग) सर्वेक्षण एवं निजी भूमियों पर पौधरोपण	0.61
		(घ) निजी भूमियों में पौधशाला	0.09
		कुल	4.22

1	2	3	4
10.	कर्नाटक	**वन उत्पादकता में सुधार**	
		(क) अवक्रमित वनों का पुनरुद्धार	0.75
		(ख) अवक्रमित वनों का वनीकरण	0.64
		(ग) घास वाले खाली स्थानों पर वनीकरण	0.01
		(घ) बांस क्षेत्र सुधार	0.40
		(ङ) चन्दन वन सुधार	0.14
		(च) रोजवुड वन सुधार	0.11
		(छ) टीक वन सुधार	0.23
		(ज) विद्यमान पौधरोपण सुधार	0.72
		(झ) बेंत वन सुधार	0.09
		कुल	3.9
		वन क्षेत्र का विस्तार	
		(क) नहर के किनारे	0.02
		(ख) तालाब के अग्रिम तट	0.09
		(ग) कृषि वानिकी एवं परती भूमि विकास	0.01
		कुल	0.12
11.	केरल	**वन उत्पादकता में सुधार**	
		(क) बहुप्रयोग को बढ़ावा	0.10
		(ख) बांस वाले वन	0.01
		(ग) रीड वन	0.003
		(घ) घने वन, पारिस्थितिकीय महत्व	0.025
		(ङ) घने वन, एन डब्ल्यू एफ पी	0.005
		कुल	0.14
		वन क्षेत्र का विस्तार	
		(क) कुल पौधरोपण	0.12
12.	मध्य प्रदेश	**वन उत्पादकता में सुधार**	
		(क) प्राकृतिक पुनर्जनन को बढ़ावा	4.00

1	2	3	4
		(ख) फूलदार बांस का पुनरुद्धार	0.40
		(ग) शोषित बांस का पुनरुद्धार	0.11
		(घ) अवक्रमित वनों का पुनरुद्धार	1.50
		कुल	6.01
		वन क्षेत्र का विस्तार	
		(क) राजस्व/सामुदायिक भूमियों पर पौधरोपण	0.77
		(ख) फार्म फौलोज	0.08
		(ग) सामुदायिक पट्टियों का पौधरोपण	0.02
		(घ) खेत बांधों पर पौधरोपण	0.51
		कुल	1.38
13.	महाराष्ट्र	**वन उत्पादकता में सुधार**	
		(क) रोपाई किए जा रहे बांस में सुधार	1.20
		(ख) घास भूमि विकास	0.08
		(ग) अवक्रमित वनों का पुनरुद्धार	0.90
		(घ) वाणिज्यिक पौधरोपण	0.20
		(ङ) अवक्रमित वनों में जे.एफ.एम.	0.30
		कुल	2.68
		वन क्षेत्र का विस्तार	
		(क) सामुदायिक परती भूमि	0.65
		(ख) तटीय पौधरोपण	0.004
		(ग) कच्छ वनस्पति पौधरोपण	0.004
		(घ) ग्रामीण सड़क किनारे पौधरोपण	0.024
		कुल	0.682
14.	मणिपुर	**वन उत्पादकता में सुधार**	
		(क) वन परती भूमियों पर वनीकरण	0.15
		(ख) परित्यक्त झूम कृषि	0.12
		(ग) बैरक रीवर कैचमेंट	0.30

1	2	3	4
		(घ) गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद	0.06
		(ङ) चराई नियंत्रण	0.04
		(च) आरक्षित वनों का पुनर्भंडारण	0.10
		कुल	0.77
		वन क्षेत्र का विस्तार	
		(क) गैर पारम्परिक क्षेत्र पौधरोपण	0.31
15.	**मेघालय**	—	
16.	**मिजोरम**	**वन उत्पदकता में सुधार**	
		(क) टेंडिग ओल्ड प्लांटेशन/नेचुरल फारेस्ट	0.20
		(ख) ए एन आर एफ पी आर टिम्बर	0.16
		(ग) ईंधन लकड़ी हेतु ए एन आर	0.20
		(घ) एन डब्ल्यू एफ पी विकास	0.04
		कुल	0.60
		वन क्षेत्र का विस्तार	
		वितरण हेतु पौद	0.02
17.	**नागालैंड**	निवेश अनुमान संबंधी ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।	
18.	**उड़ीसा**	**वन उत्पादकता में सुधार**	
		(क) अवक्रमित वनों का पुनरुद्धार	0.16
		वन क्षेत्र का विस्तार	
		(क) औद्योगिक पौधरोपण	0.10
		(ख) निजी भूमि (पौधशाला) विकास	0.18
		कुल	0.28
19.	**पंजाब**	**वन उत्पादकता में सुधार**	
		(क) समतल भूमियों पर वृक्षारोपण को बढ़ावा	0.04
		(ख) समतल भूमियों पर उच्च उत्पादकता वाले वनों का सृजन	0.02
		(ग) समतल वनों में वन–वर्द्धन आपरेशन	0.04
		(घ) वनों में कटाई के पश्चात पुनः पौधरोपण	0.04

1	2	3	4
		(ङ) कांडी वनों की रोपाई को बढ़ावा	0.08
		(च) कांडी वनों में वन वर्द्धन आपरेशन	0.09
		कुल	0.31
		वन क्षेत्र का विस्तार	
		(क) लहरदार कांडी भूमियां	0.015
		(ख) सार्वजनिक भूमियों पर पौधरोपण	0.20
		(ग) जनता हेतु पौधे	0.135
		कुल	0.35
20.	राजस्थान	**वन उत्पादकता में सुधार**	
		(क) मरुस्थल विकास कार्यक्रम	0.80
		वन क्षेत्र का विस्तार	
		(क) एकीकृत जन विभाजक विकास	4.04
		(ख) आई जी एन पी कमांड विकास	0.1
		(ग) आई जी एन पी गैर कमांड विकास	0.2
		कुल	4.34
21.	सिक्किम	**वन उत्पादकता में सुधार**	
		(क) चराई नियंत्रण एवं चारागाह विकास	0.03
		(ख) शंकुधारी वनों का पुनरुत्पादन	0.02
		(ग) साल वृक्षों का पुनरुत्पादन	0.01
		(घ) प्राकृतिक वन प्रबन्धन	0.03
		(ङ) जल विभाजक प्रबन्धन एवं मृदा संरक्षण	0.07
		(च) बांस, बेंत रोपाई	0.03
		(छ) गैर काष्ठ वनोत्पाद	0.01
		कुल	0.20
		वन क्षेत्र का विस्तार	
		(क) ईंधन चारा विकास	0.046
		(ख) सामुदायिक/निजी वन प्रबंधन	0.002

1	2	3	4
		(ग) सामाजिक वानिकी	0.030
		(घ) कोशकीट पालन विकास	0.002
		कुल	0.08
22.	तमिलनाडु	**वन उत्पादकता में सुधार**	
		(क) जे एफ एम स्कीम	0.005
		(ख) इमारती लकड़ी हेतु वनीकरण	0.005
		(ग) बांस वनीकरण	0.041
		(घ) चन्दन वनीकरण	0.116
		(ङ) स्थल सुधार वनीकरण	0.163
		कुल	0.33
		वन क्षेत्र का विस्तार	
		(क) सामान्य वनीकरण स्कीम	0.048
		(ख) टीक वनीकरण स्कीम	0.002
		(ग) बांस रोपण स्कीम	0.036
		(घ) चन्दन विकास स्कीम	0.030
		(ङ) एगेव प्लांटेशन स्कीम	0.016
		(च) इमारती लकड़ी रोपाई स्कीम	0.020
		(छ) ईंधन लकड़ी रोपाई स्कीम	0.085
		(ज) सफेदा रोपाई स्कीम	0.027
		(झ) टीक रोपाई स्कीम	0.006
		(ञ) इमली रोपाई स्कीम	0.015
		(ट) एम एफ पी रोपाई स्कीम	0.070
		(ठ) वेंगल रोपाई स्कीम	0.001
		(ड) केसुआरिना रोपाई स्कीम	0.002
		(ढ) रोजवुड रोपाई स्कीम	0.001
		(ण) केश्यू इस्टेट स्कीम	0.001
		(त) रेडसैन्डर्स रोपाई स्कीम	0.019
		कुल	0.38

1	2	3	4
23.	त्रिपुरा	**वन उत्पादकता में सुधार**	
		(क) वन परती भूमियों पर वनीकरण	0.04
		वन क्षेत्र का विस्तार	
		(क) गैर वन परती भूमियों पर वनीकरण	0.03
		(ख) सामुदायिक/निजी भूमियों पर चारा	0.01
		कुल	0.04
24.	उत्तर प्रदेश	**वन उत्पादकता में** सुधार	
		(क) पंचायत हिल वनों में वनीकरण	0.33
		(ख) रिक्त हिल वनों में वनीकरण	0.60
		(ग) अवक्रमित वन मैदानों पर वनीकरण	0.33
		(घ) विन्ध्या क्षेत्र के अवक्रमित वनों में वनीकरण	0.12
		(ङ) रेवाइन ट्रीटमेन्ट	0.11
		(च) उशर भूमि सुधार	0.04
		(छ) बांस रोपाई सुधार	0.02
		(ज) बांस वन सुधार	0.13
		(झ) साल पुनरुत्पादन, तराई क्षेत्र	0.03
		(ञ) चिर पाइन पुनरुत्पादन, हिल्स	0.12
		(ट) तेन्दू वन विन्ध्या क्षेत्र	0.45
		कुल	2.28
		वन क्षेत्र का विस्तार	
		(क) सामुदायिक वुडलॉट्स, मैदान	0.04
		(ख) पट्टी प्लांटेशन	0.40
		(ग) सिविक–सोम हिल फारेस्ट वनीकरण	0.35
		(घ) मैकेनाइज्ड खैर/शीशम रोपण, तराई	0.08
		(ङ) साल, रोपाई तराई	0.03
		(च) शहरी पट्टी पौधा, ब्रिक गार्ड	0.002
		(छ) शहरी पट्टी पौधा, कांटेदार तार बाड़	0.003
		(ज) शहरी ब्लॉक रोपण	0.06
		कुल	0.96

1	2	3	4
25.	पश्चिम बंगाल	**वन उत्पादकता में सुधार**	
		(क) आर्थिक पौध रोपण	0.002
		(ख) शीघ्र बढ़ने वाला पौधरोपण	0.002
		(ग) औषधीय पौधा एवं एन डब्ल्यू एफ पी	0.025
		(घ) ईंधन चारा परियोजना	0.068
		(ङ) एकीकृत वानिकी एवं पारि विकास	0.065
		(च) पश्चिम बंगाल वानिकी परियोजना	0.140
		(छ) कृषि वन वर्द्धन	0.002
		कुल	0.30
		वन क्षेत्र का विस्तार	
		(क) सुन्दरबन जैव जण्डल आरक्षित क्षेत्र	0.002
		(ख) कृषि वानिकी	0.19
		(ग) परती भूमि पौधरोपण	0.075
		(घ) पश्चिम बंगाल वन परियोजना होमस्टेड	0.018
		(ङ) पश्चिम बंगाल वन परियोजना पट्टी पौधरोपण	0.024
		कुल	0.309
26.	अंडमान एवं निकोबार	**वन उत्पादकता में सुधार**	
		(क) वनों का पुनरुत्पादन	0.06
		(ख) पौधरोपण को बढ़ावा	0.01
		कुल	0.07

सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा

68. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उन सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा के लिए एक सचिवीय समिति का गठन किया है, जिन्हें मंजूरी तो दे दी गई थी किन्तु जिन्हें पिछले दो वर्षों के शुरू नहीं किया जा सका था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं पर कार्य के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पक्षियों की लुप्तप्रायः प्रजातियां

69. श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सर्वेक्षण के अनुसार, पक्षियों की 73 प्रजातियां उनके प्राकृतिक वास के विनष्ट हो जाने की वजह से लुप्त हो जाने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या 'बर्डलाइफ इंटरनेशनल' द्वारा एशियाई पक्षियों के विषय में 1981 में कोई सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि उनकी 51 प्रजातियां लुप्त हो रही हैं तथा आज यही संख्या 73 तक पहुंच गई है;

(ग) यदि हां, तो 1981 के बाद से अब तक सरकार द्वारा पक्षियों को बचाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) 'बर्डलाइफ इंटरनेशनल' सहित कई संगठन भारत में विभिन्न पक्षी प्रजातियों की संख्या में गिरावट संबंधी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार भारत में पक्षियों की 78 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। 'बर्डलाइफ इंटरनेशनल' द्वारा 1981 में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी परिरक्षण परिषद द्वारा 1988 में प्रकाशित 'बर्डस टू वॉच–1' (रेड डाटा बुक) शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार 62 भारतीय पक्षी प्रजातियां संकटग्रस्त सूचित की गई थीं।

(ग) देश में पक्षियों की सुरक्षा के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं–

(i) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम के तहत सभी जंगली जानवरों और पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(ii) जंगली जानवरों और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के महत्वपूर्ण वास–स्थलों को राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के रूप में अधिसूचित किया गया है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को भी रामसार स्थलों और विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थलों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(iii) जंगली जानवरों के अवैध शिकार और उनके उत्पादों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए क्षेत्र में नियमित तौर पर गश्त की जाती है। इस संबंध में अन्य प्रवर्तन एजेंसियों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता भी ली जाती है।

(iv) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में केवल उन गतिविधियों की अनुमति देते हुए जो वन्यजीवों के सुधार के लिए हैं, वन्यजीव वासस्थलों का प्रबंधन वैज्ञानिक तर्ज पर किया जाता है।

(v) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(vi) विभिन्न प्रजातियों की संख्या की स्थिति की मानीटरिंग तथा विभिन्न प्रजातियों के स्वःस्थाने तथा स्थान–बाह्य संरक्षण हेतु कार्यनीतियां तैयार करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान को सहायता।

(vii) फील्ड प्रबंधकों को प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण।

(viii) वन्यजीव संरक्षण की महत्ता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।

(ix) गिद्धों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला की सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु कार्रवाई शुरू की गई है।

(x) 29–30 जनवरी, 2000 को कोयम्बटूर में आयोजित राज्यों के पर्यावरण एवं वन मंत्रियों की बैठक में वन्यजीव संरक्षण हेतु विभिन्न सिफारिशें की गई थीं तथा 'कोयम्बटूर चार्टर' के नाम से ज्ञात इन सिफारिशों का क्रियान्वयन अनेक मौजूदा समस्याओं के उपशमन में काफी सहायता प्रदान करेगा।

(घ) पिछले 4 वर्षों में पक्षी अभयारण्यों के लिए जारी की गई धनराशि निम्नलिखित है–

वर्ष	धनराशि (लाख रुपए में)
1997–98	166.984
1998–99	185.69
1999–2000	223.51
2000–2001	238.20

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड की स्थापना

70. श्री रामदास आठवले : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड की स्थापना के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस कार्य पर राष्ट्रीय राजमार्ग–वार कितनी धनराशि खर्च किए जाने का अनुमान है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) 100 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड के विकास की परिकल्पना है इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्गों की विद्यमान 57,737 कि.मी. लंबाई के मुकाबले में 66,000 कि.मी. से अधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की आवश्यकता होगी।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार एक सतत् प्रक्रिया है और राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड का लक्ष्य संसाधनों की समस्त उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप में प्राप्त किया जाना है।

(घ) अभी ब्यौरे बताना संभव नहीं है।

क्विलोन, केरल में तरणताल के लिए धनराशि

71. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने केरल के क्विलोन स्थित खेल–परिसर में तरणताल का कार्य पूरा करने के लिए मंजूर की गई धनराशि को जारी कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित परियोजना के निर्माण–कार्य की प्रगति का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण डाक सेवकों की मांगें

72. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या डाक विभाग के विभागेतर अभिकर्ताओं का पदनाम बदलकर 'ग्रामीण डाक सेवक' कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, क्या इन 'ग्रामीण डाक सेवकों' की कार्य–स्थितियों के संबंध में कोई विशिष्ट नियम बनाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 'ग्रामीण डाक सेवकों' की दीर्घकाल से लंबित मांगों का निपटारा करने के लिए कोई निर्णय किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) ग्रामीण डाक सेवक एक दिन में 2 से 5 घंटे की ड्यूटी की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। वे नियमित सिविल सेवा का हिस्सा नहीं होते तथा उनके रोजगार की सेवा शर्तें अलग नियमों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। इन नियमों का नाम पहले डाक तार अतिरिक्त विभागीय एजेंट (आचरण और सेवा) नियम 1964 था जिसे अब संशोधित करके ग्रामीण डाक सेवक (आचरण और सेवानियोजन) नियम, 2001 नाम दिया गया है। इसमें अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की परिवर्तित नामावली तथा साथ ही अतिरिक्त विभागीय प्रणाली की विशिष्ट विशेषताएं शामिल की गई हैं। नियमित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के सन्दर्भ में, सरकार ने अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के वेतन ढांचे तथा सेवा–नियोजन की अन्य शर्तों की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति चरणजीत तलवार की अध्यक्षता में एक एक–सदस्यीय समिति गठित की थी। न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशों पर यथोचित विचार करने के बाद, सरकार ने ग्रामीण डाक सेवकों को निम्नलिखित लाभों का पैकेज दिया–

(i) 1.1.96 से 28.2.1998 की अवधि के लिए ग्रामीण डाक सेवकों के भत्ते में 3.25 के गुणक में वृद्धि।

(ii) कार्यभार से संबंधित मासिक भत्ते के स्थान पर टाइम रिलेटिड कंटीन्यूटी एलांउस (टीआरसीए) की अवधारणा की शुरुआत।

(iii) देय अनुग्रह उपदान राशि को 6,000/– रु. से बढ़ाकर 18,000/– रु. करना।

(iv) छुट्टियों को आगे ले जाने या भुनाने के प्रावधान के बगैर प्रत्येक छह महीने के लिए 10 दिन के हिसाब से वेतन सहित छुट्टी की अवधारणा शुरू करना।

(v) ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टर को देय कार्यालय रखरखाव भत्ते के 25/– रु. प्रतिमाह से बढ़ाकर 50/– रु. प्रतिमाह करना।

(vi) 65 वर्ष की आयु पर सेवामुक्त होने अथवा सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने या विभागीय पद

पर खपाए जाने पर रोजगारोपरांत लाभ के रूप में रोजगार की अवधि पर आधारित 20,000/– रु. अथवा 30,000/– रु. की एकमुश्त सेवाविच्छेद राशि देना।

ये लाभ न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशों से संबंधित सभी लंबित मांगों के पूर्ण एवं अंतिम निपटान के रूप में दिए गए थे। जहां तक पेंशन की मांग का संबंध है, सरकार द्वारा प्रवर्तित कोई भी सामाजिक सुरक्षा स्कीम व्यवहार्य नहीं पाई गई, विशेषकर जब सेवाविच्छेद राशि की व्यवस्था पहले से हो। जीवन बीमा निगम के साथ परामर्श करके तैयार की गई सामाजिक सुरक्षा स्कीम डाक महासंघों को भेजी गई है।

[हिन्दी]

आस्ट्रेलियाई क्रिकेट प्रशिक्षण अकादमी से भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों का गायब होना

73. श्री पदमसेन चौधरी : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या जो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हाल ही में आस्ट्रेलियाई क्रिकेट अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, वे अचानक गायब हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) बी.सी.सी.आई. से प्राप्त सूचना के अनुसार, 2000 तथा 2001 के दौरान, कामनवैल्थ बैंक क्रिकेट अकादमी में प्रशिक्षण के लिए बी.सी.सी.आई. द्वारा भेजे गए सभी खिलाड़ी आस्ट्रेलिया से वापस आ गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सिक्किम में दूरसंचार सुविधाएं

74. श्री भीम दाहाल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सिक्किम में जिलावार कितने टेलीफोन एक्सचेंज, डाकघर और उप–डाकघर खोले गए;

(ख) 2001–2002 के दौरान किन–किन स्थानों पर नए टेलीफोन एक्सचेंज, डाकघर और उप–डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ग) डाकघर और उप–डाकघर खोलने के लिए कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(घ) इन्हें कब तक खोले जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उप–डाकघर खोलने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(घ) मद (ख) के सामने उल्लिखित तीन अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोले जाने की संभावना है बशर्ते अपेक्षित मानक पूरे कर लिए जाएं, और पदों को मंजूरी प्रदान कर दी जाए।

विवरण

खोले गए टेलीफोन एक्सचेंजों और डाकघरों की जिले–वार संख्या इस प्रकार है

जिला	खोले गए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या		खोले गए डाकघरों की संख्या			
			विभागीय उप–डाकघर		अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	
	1999–2000	2000–2001	1999–2000	2000–2001	1999–2000	2000–2001
1	2	3	4	5	6	7
सिक्किम पूर्वी	1	–	–	1	2	–
सिक्किम पश्चिमी	–	1	–	–	–	–
सिक्किम उत्तर	1	1	–	–	–	–
सिक्किम दक्षिण	1	2	–	–	–	–

2001–2002 के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर नए टेलीफोन एक्सचेंज, डाकघर और उप–डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है–

(i) टेलीफोन एक्सचेंज : सिक्किम पूर्वी जिले में वर्ष 2001–2002 के दौरान माखा, मजहितार और सिचे में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई गई है। नियोजित टेलीफोन एक्सचेंजों में से दो एक्सचेंज माखा और मजहितार में खोल दिए गए हैं।

(ii) डाक घर : निम्नलिखत स्थानों पर तीन अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने की योजना है–

(1) दक्षिण सिक्किम के अंतर्गत लुंगसिंग रालंग

(2) पूर्वी सिक्किम के अंतर्गत अपर खंडांग

(3) पश्चिमी सिक्किम के अंतर्गत मेली एचिंग।

विमान यात्रियों की आवाजाही में वृद्धि

75. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री आर. एस. पाटिल :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान विमान यात्रियों की आवाजाही में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बंगलौर से विभिन्न स्थानों के लिए नई उड़ानें शुरू करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतर्देशीय विमान यात्री यातायात में हुई वृद्धि निम्न प्रकार से है–

वर्ष	वाहित अंतर्देशीय यात्री (लाख में)
1998	118.6
1999	122.3
2000	133.2

(ग) और (घ) एयरलाइनें अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर किसी भी स्थान/मार्ग के लिए प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते कि मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के आधार पर, जिसमें मार्गों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों पर न्यूनतम प्रचालनों की व्यवस्था हो।

हैदराबाद से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

76. श्री बी. के. पार्थसारथी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान–यातायात तथा विमानवाहकों द्वारा जाहिर की गई इच्छा को दृष्टिगत रखकर, जिनेवा से हैदराबाद, लंदन से हैदराबाद इत्यादि सीधी उड़ानें शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ये सेवाएं कब से प्रारंभ हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अंतरराष्ट्रीय धन-अंतरण सेवा

77. डा. अशोक पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में डाकघरों में अंतरराष्ट्रीय धन–अंतरण सेवा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस सेवा के तहत किन–किन देशों को रखा जाएगा; और

(घ) उन देशों के बारे में ब्यौरा क्या है, जहां पहले–पहल इस सेवा को शुरू किया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) वेस्टर्न यूनियन फाइनेंसियल सर्विसेज इंटरनेशनल, अमरीका के साथ डाक विभाग की साझेदारी के फलस्वरूप भारत में डाकघरों के माध्यम से अब आधुनिकतम अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा सुलभ है। इस सेवा से धनराशि तत्काल भारत भेजी जा सकती है। प्रेषक द्वारा धनराशि भेजने के बाद प्राप्तकर्ता तत्काल धनराशि प्राप्त कर सकता है।

(ग) इस स्कीम के अधीन फिलहाल 185 देशों से भारत में केवल धनराशि भेजने की सेवा उपलब्ध है।

(घ) जिन देशों में यह सेवा उपलब्ध है, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उन देशों की सूची, जहां से भारतीय डाक–वेस्टर्न यूनियन धन अंतरण सेवा का लाभ उठाया जा सकता है

अल्बानिया	अमरीकन समोआ	अंगोला	अंगुलिया	एन्टिगुआ और बारबुडा	अर्जेंटीना	अस्मानिया	अरूबा	आस्ट्रेलिया	आस्ट्रिया
अजरबैजान	बहामास	बहरीन	बारबडोस	बेलारूस	बेल्जियम	बंलिजे	बेनिन	बरमूडा	बोलिविवा
बोनैरी	बोसनिया और हेरजीगोबिना	बोत्सवाना	ब्राजील	ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड	ब्रूनेई दारुस्सालम	बुलगारिया	बुरकीना पासो	बुरुन्डी	कम्बोडिवा
केमरून	कनाडा	केप वर्डे	केमैन आईलैंड	सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक	चाड	चिली	चीन	कोलम्बिया	कोमोरास
कांगो (ब्राजेविले)	कुक आईलैंड	कोस्टरिका	कोटेडिवोर	क्रोशिया	कुरेसाओ	साईप्रस	साईप्रस (उत्तरी)	चेक रिपब्लिक	डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ कांगो
डेनमार्क	डोमनिका	डोमनिकन रिपब्लिक	इक्वेडोर	इजिप्ट	अल सल्वाडोर	इक्वेटरियल गुयाना	एस्तिरिवा	इस्टोनिवा	इथोपिया
फिजी	फिनलैंड	फ्रांस	फ्रेंच गुयाना	गेबन	गाम्बिया	जॉर्जिया	जर्मनी	घाना	जिबराल्टर
ग्रीस	ग्रेनाडा	ग्वाडेलोप	ग्वाम	ग्वाटेमाला	गुनिया	गुनिया बिसाऊ	गुयाना	हैती	होंडूरास
हांगकांग	हंगरी	आइसलैंड	इंडोनेशिया	आयरलैंड	इजराइल	इटली	आइवरी कोस्ट	जमैका	जापान
जोर्डन	कजाकिस्तान	केन्या	कोसोवो	कुवैत	काहरघाइज रिपब्लिक	लताविया	लेबनान	लेसोथो	लाइबेरिया
लिथुवानिया	लक्जमबर्ग	मकदूनिया	मेडागास्कर	मलावी	मलेशिया	माली	मालटा	मार्शल आईलैंड	मार्टिनिक्यू
मौरितानिया	मारीशस	मेक्सिको	मोलडोवा	मोनाको	मंगोलिया	मोरक्को	मोजाम्बिक	नामीबिया	नेपाल
नीदरलैंड	न्यू कैलेडोनिया	न्यूजीलैंड	निकारागुआ	नाइजर	नाइजीरिया	ओमान	पाकिस्तान	फिलीस्तीन अथारिटी	पनामा
पैरागवे	पेरू	फिलीपीन्स	पोलैंड	पुर्तगाल	पियूरटोरिको	कतार	रीवूनियन	रोमानिया	रूस
रवांडा	सेंट कीट्स एंड नेविस	सेंट लूसिवा	सेंट मारीटीन	सेंट मार्टिन	सेंट विन्सेंट	समोआ	सऊदी अरब	सेनेगल	सियरालोन
सिंगापुर	स्लोवाकिया	स्लोवेनिया	दक्षिण अफ्रीका	स्पेन	श्रीलंका	सूरीनाम	स्वाजीलैंड	स्वीडन	स्विटजरलैंड
ताइवान	तंजानिया	थाइलैंड	टोगो	टोंगा	त्रिनीदाद व टोबैगो	ट्यूनिशिया	टर्की	तुर्कमेनिस्तान	तुर्क व कैकोस
यूएस वर्जिन आईलैंड	यूगांडा	यूक्रेन	संयुक्त अरब अमीरात	यूनाइटेड किंगडम	संयुक्त राज्य अमरीका	उरूग्वे	वेनेजुएला	वियतनाम	यमन
यूगोस्लाविया	जाम्बिया	जिम्बाबवे	अल्जीरिया	मालदीव					

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में डाक डिवीजनों की स्थापना

78. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए डाक–डिवीजनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का राज्य में ऐसे और अधिक डिवीजन स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) उत्तर प्रदेश सर्किल में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई डाक डिवीजन नहीं बनाया गया।

(ख) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

जल संसाधनों को बढ़ावा

79. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जल संसाधनों को बढ़ाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना को तैयार करते समय, बांधों के संबंध में विश्व आयोग के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) राष्ट्रीय जल नीति में अन्य बातों के साथ जल के अधिकतम संग्रहण और न्यूनतम ह्रास संबंधी उपायों को अपनाकर जल की उपलब्धता में वृद्धि, भू–जल पुनर्भरण जल संचयन संबंधी पद्धतियां अपनाना, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर आधारित अन्तर बेसिन हस्तांतरण द्वारा जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराना और जल का बारम्बार उपयोग और पुनः उपयोग की योजना भी है। स्वतंत्रता के बाद से नियोजित विकास के माध्यम से बड़े, मध्यम और लघु भंडारण जलाशयों का निर्माण करके वर्षा जल का संचयन किया गया है। वर्ष 1995 तक, देश में बड़े बांधों का निर्माण करके 177 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) सक्रिय भण्डारण क्षमता सृजित की गई है। इसके अतिरिक्त, लगभग 75 बीसीएम की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता बढ़ाने वाली परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा 132 बीसीएम वाली परियोजनाओं की योजना तैयार की जा रही है।

दीर्घावधि उपाय के रूप में जल संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई है। इसमें अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों को जल का हस्तान्तरण करने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों एवं हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है। भारत सरकार जल विभाजक कार्यक्रम, भू–जल के कृत्रिम पुनर्भरण, तथा छत के वर्षा जल का संचयन करके ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के परियोजना सुधार कार्यक्रम के तहत वर्षा जल के संचयन को भी बढ़ावा दे रही है। इसके लिए राज्य सरकारों तथा अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) भारत सरकार ने विश्व बांध आयोग की सिफारिशें एवं दिशा–निर्देश स्वीकार नहीं किए हैं क्योंकि ये हमारी विकासात्मक आवश्यकताओं से मेल नहीं खाती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाएं

80. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान, महाराष्ट्र सरकार ने अनुमोदनार्थ किन्हीं सिंचाई परियोजनाओं का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक अनुमोदित/लंबित/निरस्त की गई परि–योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान परियोजनावार कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ङ) परियोजनाओं के निरस्त कर देने के क्या कारण रहे; और

(च) सरकार द्वारा लंबित परियोजनाओं को कब तक मंजूर किया जाएगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) और (ङ) महाराष्ट्र सरकार द्वारा तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की गई 29 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से परियोजना की आयोजना में बुनियादी कमी के कारण 7 वृहद परियोजनाएं राज्य सरकार को वापस कर दी गईं और 22 मध्यम परियोजनाएं मूल्यांकनाधीन हैं। उन पर राज्य सरकार के साथ पत्राचार चल रहा है। वर्ष 1994–95 के दौरान प्राप्त दो परियोजनाएं जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा कुछ टिप्पणियों के अधीन स्वीकार कर ली गई थीं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत उपरोक्त परियोजनाओं को केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में कोई वित्तीय सहायता मुहैया नहीं कराई गई है यह सहायता केवल उन्हीं अनुमोदित परियोजनाओं को दी जाती है जो इस कार्यक्रम के मानकों को पूरा करती हैं।

(च) अंतर्राज्यीय मुद्दों वाली वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति उनके समाधान करने पर और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों के टिप्पणियों की अनुपालना पर निर्भर करती है।

विवरण

वृहद

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्राप्त होने की तारीख	लागत करोड़ रुपये में
1.	उरमोदी	16.11.98	212.08
2.	तराली	13.07.98	194.32
3.	निरादेवघर	24.02.99	588.65
4.	सिनाकोलेगांव	29.10.99	40.17
5.	भामा अश्केद	24.03.99	393.30
6.	तेमघर	31.08.2000	267.64
7.	धोम भालकवाडी	19.03.2001	448.55

मध्यम

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्राप्त होने की तारीख	लागत करोड़ रुपये में
1.	चित्री	13.01.2000	79.94
2.	आंध्र खोरे	15.02.2000	44.37
3.	किरीमिरी–दारूर	31.03.2000	27.89
4.	वाकोद	31.03.2000	28.32
5.	गौतमी गोदावरी	03.07.2000	65.57
6.	कश्यपी	03.07.2000	49.33
7.	सपन	11.09.2000	36.30
8.	सोनापुर (तोमता)	20.09.2000	14.43
9.	सारंग खेड़ा (बैराज)	23.10.2000	132.51
10.	हरनघाट एल.आई.एस.	02.11.2000	44.11
11.	गुल नदी	03.11.2000	55.94
12.	घटप्रभा	05.01.2001	34.92
13.	राकोरादीनल्ला	02.03.2001	17.32
14.	दारा	02.03.2001	32.62
15.	निचली पंजारा	02.03.2001	120.34
16.	नागन	02.03.2001	48.38
17.	नार्थमंद	18.04.2001	93.00
18.	मोरना गुरेधर	18.04.2001	101.50
19.	वांग	18.04.2001	134.39
20.	नागेदादी	25.06.2001	51.47
21.	प्रकाश बैराज	26.04.99	93.60
22.	जाम्बरे	23.07.99	50.70
23.	*जाम सिंचाई	5/94	42.63
24.	*उतवाली	11/95	35.77

*तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा कुछ टिप्पणियों के साथ स्वीकृत।

कोनार सिंचाई परियोजना

81. श्री अनन्त नायक : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की कोनार सिंचाई परियोजना की लागत क्या है;

(ख) क्या लागत में काफी वृद्धि हो चुकी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार परियोजना की लागत में संशोधन करने का है;

(घ) अब तक परियोजना पर वर्षवार कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ङ) परियोजना हेतु अतिरिक्त राशि जारी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ङ) उड़ीसा में कोनार नामक कोई वृहद अथवा मध्यम निर्माणाधीन सिंचाई परियोजना नहीं है। कोनार सिंचाई परियोजना झारखण्ड में स्थित है। वर्ष 1984 में इस परियोजना की मूल लागत 93.6 करोड़ रु. थी। इसकी नवीनतम अनुमानित लागत 337 करोड़ रुपये है। इस परियोजना का मार्च, 2000 तक का संचयी व्यय लगभग 100.83 करोड़ रुपया है। केन्द्र सरकार, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता (सी एल ए) केवल उन्हीं अनुमोदित सिंचाई परियोजनाओं को दे रहा है जो इस कार्यक्रम के मानकों को पूरा करती हैं।

इंटरनेट से जुड़ने की नवीन प्रणाली

82. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड का विचार निजी मूलभूत संचालकों के लिए इंटरनेट से जुड़ने की नवीन प्रणाली को शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रणाली के कब से प्रभावी होने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण

83. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) डाक नेटवर्क का विस्तार करने हेतु गामों (पंचायतों) का सहयोग प्राप्त करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। डाक विभाग का प्रस्ताव 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का है।

(ख) (i) बहुउद्देश्यीय काउंटर मशीनें (एमपीसीएम) प्रदान करके फ्रंट ऑफिस का कम्प्यूटरीकरण करने का काम जारी रहेगा। देश के विभिन्न डाकघरों में ऐसी छह हजार (6000) मशीनें लगाई गई हैं। चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले अन्य एक हजार (1000) मशीनें सप्लाई की जाएंगी।

(ii) मनीआर्डर पारेषण के लिए वर्ष के दौरान वीएसएटी (वैरी स्माल अपरचर टर्मिनल्स) नेटवर्क में बासठ (62) नए वीएसएटी स्टेशन जोड़े गए। चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले अट्ठासी (88) वीएसएटी स्टेशन और शामिल किए जाएंगे। इससे इस नेटवर्क की क्षमता बढ़कर दो सौ सत्ताइस (227) हो जाएगी।

(iii) कोलकाता और दिल्ली में ऑटोमैटिक इंटीग्रेटिड मेल प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिनसे इन महानगरों में डाक की शीघ्र छंटाई तथा वितरण सुनिश्चित होगा।

(ग) वर्ष 2000–2001 के दौरान कुल दो हजार (2000) पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोले गए। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 2000 और पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये केन्द्र पंचायतों की सिफारिशों पर खोले जा रहे हैं।

स्थानीय कॉल की सुविधा

84. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली और मुरादाबाद के बीच स्थानीय कॉल सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निम्नलिखित स्थितियों में 180 सेकेंड पल्स दर पर स्थानीय कॉल सुविधा उपलब्ध है–

(i) जब दो कम दूरी के प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए) निकटवर्ती हों।

(ii) जब उसी अथवा निकटवर्ती लंबी दूरी के प्रभारण क्षेत्रों (एलडीसीए) में पड़ने वाले एसडीसीए के दो अल्प दूरी प्रभारण केन्द्रों एसडीसीसी के बीच की रेडियल दूरी 50 किमी तक हो।

(iii) जब दो अनिकटवर्ती एलडीसीए के दो लंबी दूरी प्रभारण केन्द्रों (एलडीसीसी) के बीच की रेडियल दूरी 50 किमी तक हो।

चूंकि दिल्ली और मुरादाबाद के एसडीसीए ऊपर उल्लिखित मानदंड पूरे नहीं करते हैं, इसलिए दिल्ली और मुरादाबाद के बीच 180 सेकेंड पल्स दर पर स्थानीय कॉल सुविधा प्रदान नहीं की गई है।

प्रमुख क्रिकेट टूर्नामेंटों में भाग न लेना

85. श्री रामजीवन सिंह : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने विश्व कप, एशिया कप और आई.सी.सी. नॉक आऊट कप जैसे प्रमुख टूर्नामेंटों में इस कारण भाग न लेने का निर्णय लिया है क्योंकि शारजाह और सिंगापुर आदि जैसे अनियमित स्थानों पर भाग लेने की सरकार ने उसे अनुमति नहीं दी;

(ख) यदि हां, तो भारतीय क्रिकेट को ऐसे प्रमुख खेल आयोजनाओं में भाग लेने की अनुमति न दिए जाने के क्या कारण हैं और भारतीय क्रिकेट पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित नीति का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ग) सरकार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) से उसके निर्णय के संबंध में कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व कप, एशिया कप अथवा आई.सी.सी. नॉक आऊट कप टूर्नामेंट जैसी प्रमुख प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने से मना नहीं किया है।

सरकार ने बी.सी.सी.आई. को अपनी नीति स्पष्ट की है कि वर्तमान परिस्थितियों में, इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच दो देशों के टूर्नामेंट में भाग लेना, भारतीय टीम के लिए उपयुक्त नहीं होगा। सरकार ने अनियमित स्थानों पर कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए, कोई मैच न खेलने का निर्णय भी लिया है। इस प्रकार भारत नियमित स्थानों पर बहुपक्षीय टूर्नामेंटों में पाकिस्तान के विरुद्ध खेलना जारी रखेगा। फिर भी, किसी विशिष्ट प्रतिस्पर्धा में खेलने की अनुमति अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, प्रस्ताव प्राप्त होने पर, अलग–अलग मामले के आधार पर दी जाएगी।

[हिन्दी]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएं

86. डा. बलिराम : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत कर्मचारी संघों को उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) यूनियन के कार्यरत पदाधिकारियों को यह सुविधाएं किस अनुपात में उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ग) क्या दिल्ली और मुम्बई में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की यूनियनों के कार्यरत पदाधिकारियों को नियमों का उल्लंघन कर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1971 की धारा 33(3) के अंतर्गत कोई नियोजक किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई

कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान विवाद में संबद्ध किसी संरक्षित कर्मकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा–

(i) ऐसी कार्यवाहियां शुरू होने के ठीक पहले ऐसे संरक्षित कर्मकारों पर लागू सेवा शर्तों के संबंध में पूर्वाग्रह से परिवर्तन करके; अथवा

(ii) ऐसे संरक्षित कर्मकार को कार्यमुक्त करके अथवा दंडित करके चाहे यह बरखास्तगी द्वारा हो अथवा अन्य किसी रूप में;

जिस प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही लंबित है उसकी स्पष्ट लिखित अनुमति के साथ।

इस उप–धारा के प्रयोजन के लिए, किसी प्रतिष्ठान के संबंध में एक संरक्षित कर्मकार का तात्पर्य उस कर्मकार से है जो प्रतिष्ठान से संबंधित पंजीकृत श्रमिक संघ का कार्यकारी सदस्य है अथवा अन्य पदाधिकारी है जो इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार इस प्रकार मान्यता प्राप्त है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रखरखाव और नए कार्यों हेतु अनुमान

87. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृति हेतु दिल्ली के विभिन्न विभागीय कालोनियों में रखरखाव और नए कार्यों से संबंधित विद्युत और सिविल प्रकोष्ठ से कोई अनुमान प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अनुमानों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बीजू पटनायक विमानपत्तन का उन्नयन

88. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भुवनेश्वर स्थित 'बीजू पटनायक विमानपत्तन' पर विकास कार्य आरंभ करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार को बीजू पटनायक विमानपत्तन का अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में उन्नयन किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक घोषित किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) ने एक ही समय में 500 यात्रियों की जरूरत को पूरा करने के लिए सभी आधुनिक यात्री सुविधाओं सहित नए टर्मिनल भवन का निर्माण 17.77 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया था। यह हवाई अड्डा एबी–320 दर्जे के विमान से सीमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को हैंडिल करने के लिए उपयुक्त है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 12.62 करोड़ रुपए की लागत से इसे दीर्घकाल जेट विमानों के प्रचालनार्थ उपयुक्त बनाने के लिए धावनपथ का 9000 फुट तक विस्तार करने का कार्य आरंभ किया है। प्रस्तावित विस्तार क्षेत्र से होकर सड़क के बन्द नहीं होने के कारण यह कार्य रुका पड़ा है।

जम्मू-कश्मीर में इलैक्ट्रॉनिक दूरभाष केन्द्र

89. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में अब तक जिलेवार कार्यरत इलैक्ट्रॉनिक दूरभाष केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) राज्य में जिलेवार कार्यरत पुराने दूरभाष केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ग) सभी दूरभाष केन्द्रों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में तबदील करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) आज की तारीख तक जम्मू तथा कश्मीर में कार्यरत इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की जिला–वार संख्या इस प्रकार है–

जिला	एक्सचेंजों की संख्या
अनंतनाग	14
बडगाव	10
बारामूला	19
डोडा	21
कठुआ	36
कुपवाड़ा	04
लेह	20
जम्मू	65
कारगिल	10
रजौरी	25
पुंछ	15
पुलवामा	11
श्रीनगर	11
उधमपुर	39

(ख) शून्य।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नर्मदा बांध परियोजना

90. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा बांध परियोजना को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या बांध की ऊंचाई भी बढ़ाई जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) नर्मदा जल विवाद अधिकरण पंचाट के अनुसार, सरदार सरोवर बांध का निर्माण अन्य बातों के साथ–साथ परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना संबंधी कार्यों के पूरा होने तथा पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर निर्भर है। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 18.10.2000 के निर्णय के निर्देशों के अनुसार सरदार सरोवर बांध को 90 मीटर ई एल तक ऊंचा उठा दिया गया है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एन सी ए) द्वारा 90 मीटर से आगे बांध की ऊंचाई को पुनः ऊपर उठाने तथा परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना संबंधी कार्यों के कार्यान्वयन के वास्ते एक योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। नर्मदा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कार्य योजना इस प्रकार है–

बांध की ऊंचाई	पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना स्थलों पर सभी प्रकार की जन–सुविधाओं का विकास तथा कृषि योग्य भूमि विकसित करना तथा मुख्य गृहों के साथ गृह भू–खण्ड तथा प्रभावित परिवारों के लिए भूमि तथा गृह भू–खण्ड के आबंटन	पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना तथा पर्यावरण उप–दलों की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के अनु–मोदनाधीन निर्माण कार्य का पूरा होना
100 मीटर	दिसम्बर, 2001	जून, 2002
110 मीटर	दिसम्बर, 2002	जून, 2003
121 मीटर	दिसम्बर, 2003	जून, 2004
138 मीटर	दिसम्बर, 2004	जून, 2005

परियोजना का नहर मुख्य विद्युत गृह सभी प्रकार से पूरा कर लिया गया है और बांध की ऊंचाई को न्यूनतम अपकर्ष स्तर (एम डी डी एल) अर्थात 110 मीटर तक पहुंचते ही विद्युत सृजन प्रारंभ हो जाएगा। नर्मदा मुख्य नहर का फेज–1 (0 से 144.5 कि.मी.) जो सरदार सरोवर बांध से निकलता है, सभी प्रकार से पूरा हो गया है। नर्मदा मुख्य नहर का 144.5 कि.मी. से 263 कि.मी. तक का पहुंच भाग निर्माण के उन्नत चरण पर है तथा 263 कि.मी. से 357 कि.मी. के पहुंच भाग में निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने वाले विमानपत्तन

91. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में राज्यवार कौन–कौन से अन्तर–राष्ट्रीय विमानपत्तन हैं;

(ख) प्रत्येक विमानपत्तन से कौन–कौन सी विदेशी एयर–लाइनें अपनी उड़ानों को संचालित कर रही हैं;

(ग) क्या सरकार ने मुम्बई अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर यातायात की अधिकता में कमी लाने हेतु पुणे विमानपत्तन का उन्नयन करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) इस समय देश में 12 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो दिल्ली, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, महाराष्ट्र में मुम्बई, तमिलनाडु में चेन्नई, केरल में तिरुवनन्तपुरम और कोचीन, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, गुजरात में अहमदाबाद, पंजाब में अमृतसर, कर्नाटक में बंगलौर, गोवा में डाबेलिम और असम में गुवाहाटी में अवस्थित हैं।

(ख) इन हवाई अड्डों से प्रचालित होने वाली विदेशी एयरलाइनों के नाम निम्नानुसार हैं–

मुम्बई और दिल्ली–एयरोफ्लोट, एयरफ्रांस, एयर मारिशस, अलिटालिया, बिमान, बंगलादेश, ब्रिटिश एयरवेज, कैथे पैसिफिक, अमीरात, इथोपियन एयरलाइन्स, गल्फ एयर, केन्या एयरवेज, के.एल.एम. कुवैत एयरवेज, लुफ्थांसा, मलेशिया एयरलाइन्स, नॉर्थवेस्ट एयरलाइन्स, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन्स, रोयाल जोर्डानियन, रोयल नेपाल, सऊदी अरबियन, सिंगापुर, श्रीलंकन, स्वीसएयर, निरीयन अरब, तुर्कमेनिस्तान, इसके अतिरिक्त एयर तन्जानिया, ऑल निप्पन, डेल्टा एयरलाइन्स, इजिप्ट एयर, एल ए1 इजरायल, इवा एयरवेज, फेडेक्स, ईरान एयर, केन्या, कोरिया, ओमान एयर कन्तास, कतर, साउथ अफ्रिकन, यूनाइटेड पार्सल, यीमेनिया, यीमने भी मुंबई से विमान प्रचालित करती है और एयर कजाखस्तान, एयर युक्रेन, आर्मेनियन, एशियाना, ऑस्ट्रियन, चीन, डूक–एयर, जापान, कीर्गिस्तान, लौदा एयर, नेकोन एयर, स्केन्डेनिवयन थाई एयरवेज यूनाइटेड एयरलाइन्स, उज्बेकिस्तान और वर्जिन अटलांटिक दिल्ली से विमान प्रचालित करते हैं।

कोलकाता एयरपोर्ट–बिमान, बंगलादेश, ब्रिटिश एयरवेज, डूक–एयर, के.एल.एम., लुफ्थांसा, रोयल ब्रुनेई, रोयल जोर्डानियन, रोयल नेपाल, सिंगापुर और थाई एयरवेज।

तिरुवनन्तपुरम एयरपोर्ट–गल्फ एयर, कुवैत एयरवेज, ओमान एयर, कतर एयरवेज, सिल्कैयर और श्रीलंकन।

चेन्नई एयरपोर्ट–एयर फ्रांस, एयर मॉरिशस, अलिटालिया, ब्रिटिश एयरवेज, कार्गोलक्स, एमिरट्रेस, गल्फ एयर, कुवैत एयरवेज, लुफ्थांसा, ओमान एयर, सेवना वर्ल्ड, सऊदी अरेबियन, सिंगापुर, श्रीलंकन तथा स्विस एयर। इसके अतिरिक्त हैदराबाद में मलेशियन एयरलाइन्स और अमीरात, अमृतसर में तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान और बेंगलूर में रोयल नेपाल, मलेशियन एयरलाइन्स तथा लुफ्थांसा अपनी अन्तरराष्ट्रीय उड़ानें प्रचालित करती है। कोई भी विदेशी एयरलाइन्स कोचीन और गुवाहाटी से उड़ानें नहीं करती है।

(ग) से (ङ) पुणे एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना का है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस हवाई अड्डे पर केवल सिविल एनक्लेव का रख–रखाव करती है। वर्तमान समय में, इस हवाई अड्डे के कोटिउन्नयन संबंधी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की कोई योजना नहीं है।

महाराष्ट्र जलापूर्ति और जल-मल व्ययन परियोजना चरण-II

92. श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र जलापूर्ति और जल–मल व्ययन परियोजना चरण–II (पोशिर बांध) से संबंधित कुछ प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य से अनुमोदन हेतु प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस तिथि को यह प्राप्त हुए;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यावरणीय मंजूरी के लिए पोशिर बांध परियोजना मंत्रालय में जुलाई, 1996 में प्राप्त हुई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रस्ताव पर, विशेषज्ञ समिति द्वारा अपनी 24.11.97, 22.5.98 और 03.07.98 को हुई बैठकों में विचार किया था। मई, 1998 में समिति के एक उपदल ने प्रस्तावित स्थल का दौरा किया था। परियोजना से प्रभावित होने वाली वनभूमि का आकलन अभी किया जाना है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत मंजूरी के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

नासिक-पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग-50 को दो लेन वाला बनाना

93. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नासिक–पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–50 की चौड़ाई को दोगुणा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस भूमि को अधिगृहीत किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी, हां। नासिक के समीप रा.रा.–50 का 185/0 से 208/669 कि.मी. खंड बी ओ टी आधार पर 4/6 लेन बनाने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त 4/6 लेन बनाने के लिए किसी भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है।

दूरसंचार सुविधाएं

94. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में उड़ीसा के बोलनगीर क्षेत्र में कितने दूरभाष केन्द्र हैं और इनकी क्षमता कितनी है;

(ख) ऐसे कितने दूरभाष केन्द्र खराब पड़े हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन्हें कार्यरत बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) वर्तमान में इस क्षेत्र के प्रत्येक दूरभाष केन्द्र में दूरभाष कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची में कितने लोग हैं; और

(च) उक्त सूची को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 30–6–2001 की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा के बोलनगीर क्षेत्र में 43 टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं, जिनकी सज्जित क्षमता 24680 है।

(ख) और (ग) निम्नलिखित 4 एक्सचेंजों में लंबे समय तक बिजली गुल हो जाने और पानी भर जाने के कारण इन एक्सचेंजों के अलावा सभी एक्सचेंज संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं।

(i) सुबालया

(ii) उलुन्दा

(iii) महादेवपल्ली

(iv) सिन्दूरपुर

(घ) डब्ल्यू ईएससीओ (वैस्टर्न इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी) द्वारा बिजली बहाल करने और पानी का जमाव दूर होते ही इन एक्सचेंजों को फिर से चालू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(ङ) 30–6–2001 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में 1155 आवेदक दर्ज हैं। एक्सचेंज–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) अधिकांश प्रतीक्षा सूची ग्रामीण क्षेत्रों में है, जिसे मार्च 2002 तक ग्रामीण नेटवर्क में डब्ल्यूएलएल चालू किए जाने के बाद निपटाया जाएगा।

विवरण

प्रतीक्षा सूची का एक्सचेंज–वार ब्यौरा

क्र.सं	एक्सचेंज	कुल प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	अगलपुरा	5
2.	बादमाल	20
3.	बंगामुडा	120
4.	बेहरामल	6
5.	बेलगांव	3
6.	बेलपारा	30
7.	भैंसा	0
8.	बिनका	84
9.	बिरमहाराजपुर	119

1	2	3
10.	बोलनगीर	70
11.	बीजीआर–कॉलेज स्क्वेयर	4
12.	चानाबहाल	7
13.	चन्दनभाटी	14
14.	छावामखाना	2
15.	चुड़ापाली	20
16.	देवगांव (बीजीआर)	1
17.	ठांडामुण्डा	20
18.	डुंगरीपाली	10
19.	गाजबंध	20
20.	गुडवेला	6
21.	हरिशंकर रोड	65
22.	जोगीमुंडा	7
23	कांताबांजी	20
24.	खामेस्वरीपल्ली	38
25.	खपराखोल	12
26.	खोलान	15
27.	लोईसिंगा	20
28.	महादेवपाली	12
29.	माहीमुण्डा	23
30.	मुरीबहल	3
31.	पटनागढ़	11
32.	सेताला	10
33.	सालेभाटा	30
34.	सिंधेकेला	18
35.	सिन्दुरपुर	30
36.	एस.रामपुर	49
37.	सोनेपुर	55
38.	सुबाल्या	26
39.	तारभा	32
40.	टिटलागढ़	10
41.	तुरेकेला	10
42.	तुसरा	10
43.	उलुन्दा	88
	कुल	1155

झारखंड हेतु धन का आबंटन

95. श्री राम टहल चौधरी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ·

(क) झारखंड राज्य के सृजन से लेकर अब तक केन्द्रीय सड़क कोष से कितनी राशि का आबंटन किया गया है; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) केन्द्रीय सड़क निधि के तहत 2000–2001 के दौरान 18.32 करोड़ रुपए की कुल जमाराशि में से 6.07 करोड़ रुपए झारखंड राज्य के लिए जारी किए गए।

(ख) हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि के तहत राज्य में अब तक कोई कार्य नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

खजुराहो और कोणार्क के बीच वायु संपर्क में सुधार करना

96. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खजुराहो, कोणार्क इत्यादि ऐतिहासिक महत्व वाले स्थानों के लिए वायु सेवाओं में सुधार लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उड़ान के दौरान और बिना उड़ान के समय वायु यात्रा सुविधाओं में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) दिल्ली–आगरा–खजुराहो–वाराणसी मार्ग पर आने–जाने में एलाइंस एयर ने पहले ही आवृत्ति प्रति सप्ताह 4 दिन से बढ़ाकर 7 दिन प्रति सप्ताह कर दी है। कोनार्क से/तक यात्रा करने वाली जनता की जरूरत को इंडियन एयरलाइंस की वैमानिक सेवाओं द्वारा भुवनेश्वर तक पूरा किया जाता है जो कोनार्क से बिल्कुल पास है। खजुराहो और भुवनेश्वर तक इंडियन एयरलाइंस/एलाइंस एयर मौजूदा यातायात मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। यातायात की समय–समय पर बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए इंडियन एयरलाइंस तथा एलाइंस एयर अतिरिक्त सेवाएं प्रचालित करती है।

(ख) बोइंग–737 विमान के लिए विमान के भीतर की सुविधाओं में भी सुधार किया गया है जिसमें केबिन के भीतरी हिस्से को रगड़कर चमकाना (साफ करना) भी शामिल है।

पेंशनधारकों के लिए योजना

97. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुदूरवर्ती क्षेत्रों, जहां बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, में रह रहे पेंशनधारकों की समस्याओं को दूर करने हेतु नवीन योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना में राज्य सरकारों/केन्द्रीय सरकार के पूर्व–कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन–कौन से विभाग और कार्यालय को इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत बनाई गई कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगियों को उप–डाकघरों के माध्यम से पेंशन संवितरित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने डाक विभाग के साथ एक अनुबंध किया है। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत आने वाले पेंशनभोगी 26,000 प्रधान डाकघरों/उप–डाकघरों में से किसी के माध्यम से भी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, जो नामोद्दिष्ट बैंकों के माध्यम से किए जाने वाले संवितरण की विद्यमान व्यवस्था के अतिरिक्त है। नयी योजना 1.7.2001 से लागू की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में विमानपत्तनों का विकास

98. श्री राजो सिंह : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ में बिहार में शुरू की गई विमानपत्तन विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय के अनुसार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो पूरी हो चुकी/निर्माणाधीन और निर्धारित समय–सीमा के अंतर्गत पूरी होने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) अब तक परियोजनावार संस्वीकृत की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 1993 में 10.30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पटना हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन के विस्तार/परिवर्धन, एप्रन के विस्तार और नये लिंक टैक्सी–ट्रेक के निर्माण का कार्य आरंभ किया था तथा यह कार्य जनवरी, 1999 में पूरा कर लिया गया। गया हवाई अड्डे पर, सितम्बर, 2000 में 15.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से धावनपथ के सुदृढ़ीकरण, एप्रन के विस्तार और सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्य आरंभ किया गया था और इस कार्य के नवम्बर, 2001 तक पूरा हो जाने की संभावना है। 2.45 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से प्रचालनात्मक चारदीवारी के निर्माण का कार्य अगस्त, 2000 में आरंभ किया गया था और इसके सितम्बर, 2001 तक पूरा हो जाने की संभावना है। 17.00 करोड़ रुपए की लागत से नये टर्मिनल भवन के निर्माण, कार पार्क क्षेत्र और संबंधित कार्य किए जाने की योजनाएं हैं।

(ङ) परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए परियोजना पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

ओ.बी. जारी करना

99. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में नए दूरभाष कनेक्शन की बुकिंग किए जाने के दिन ही ओ.बी. जारी कर दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्यों में गत छः माह के दौरान कितनी ओ.बी. जारी की गई और इनमें से कितनों को नवीन दूरभाष कनेक्शन उपलब्ध कराए गए;

(ग) लंबित दूरभाष कनेक्शनों को निपटाए जाने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) दूरभाष कनेक्शनों को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नए विमानपत्तनों की स्थापना

100. श्री दिन्शा पटेल : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ नए विमानपत्तनों को खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त कार्य हेतु स्थानों की पहचान करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों के प्रस्ताव के आधार पर निजी क्षेत्र की भागीदारी से कर्नाटक में बंगलौर (देवनहाली), आंध्रप्रदेश में हैदराबाद (समसाबाद) और गोवा में मोपा में ग्रीन फील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन दे दिया है। संबंधित राज्य सरकारें परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए निजी क्षेत्र संयुक्त उद्यम भागीदारों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाना

101. श्री सुनील खां : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पद्मश्री तथा पद्मभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार उन लोगों को दिए जाते हैं जिनकी उपलब्धियां सर्वश्रेष्ठ होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए वर्ष 1999–2000 के एशियाई खेलों में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां अर्जित करने वाली ज्योतिर्मय सिकदर के नाम पर विचार किया जा रहा है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) और (ख) पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिशों पर पद्म पुरस्कार अर्थात पद्मविभूषण, पद्मभूषण और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में, क्रमशः असाधारण एवं विशिष्ट सेवा, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा एवं प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिए जाते हैं। सामान्यतः पद्म पुरस्कार जीवन पर्यन्त उपलब्धि के लिए दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार समिति राज्य/संघ शासित सरकारों, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, संगठनों, संस्थानों अथवा किसी व्यक्ति से गृह मंत्रालय में प्राप्त सिफारिशों पर विचार करती है। चूंकि गणतंत्र दिवस 2000 तथा 2001 की पूर्व संध्या पर घोषित पद्म पुरस्कारों के लिए सुश्री ज्योतिर्मय सिकदर के पक्ष में कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई थी, अतः पुरस्कार समिति के पास उनके नाम पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था।

टेलीफोन संबंधी व्यय

102. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई एस.टी.डी./आई.एस.डी. टेलीफोन सुविधाओं संबंधी व्यय पर विगत वर्षों में असामान्य वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सुविधा के दुरुपयोग और इसके परिणामस्वरूप होने वाले अपव्यय को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों को प्रदान किए गए एसटीडी/आईएसडी युक्त टेलीफोनों पर होने वाले व्यय की सूचना केवल संबंधित मंत्रालयों/विभागों के पास

ही उपलब्ध है। दूरसंचार विभाग के अधिकारियों को सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रदान किए गए टेलीफोनों के बिल नहीं बनाए जाते।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश के विकासात्मक कार्य संबंधी प्रस्तावों को अनुमति

103. श्री महेश्वर सिंह : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए विकासात्मक कार्य संबंधी प्रस्तावों को चंडीगढ़ स्थित कार्यालय से स्वीकृति मिलने में होने वाले असामान्य विलम्ब के कारण कई विकास कार्यों में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने ऐसे मामलों के निपटान के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय द्वारा इस समय–सीमा का अनुपालन किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश से प्राप्त मामलों की संख्या, मंजूर, नामंजूर, बन्द, वापस लिए गए मामलों तथा राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के पास लंबित मामलों की संख्या के बारे में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत बने दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार उन्हें प्रस्तुत किए गए मामलों पर क्रमशः 60 दिनों और 90 दिनों की अवधि के अन्दर कार्रवाई पूरी करेंगे।

(घ) और (ङ) क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ द्वारा दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु पूरे प्रयास किए जाते हैं लेकिन मामलों की अधिक संख्या के कारण उन्हें निपटाने में विलंब होने के कुछ मामले यहां पर हैं।

विवरण

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश से प्राप्त प्रस्तावों (0–20 हेक्टेयर) की स्थिति

प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	मंजूर प्रस्तावों की संख्या	नामंजूर प्रस्तावों की संख्या	बन्द प्रस्तावों की संख्या	वापस लिए गए प्रस्तावों की संख्या	केन्द्रीय सरकार के पास लंबित प्रस्तावों की संख्या	राज्य सरकार के पास लंबित प्रस्तावों की संख्या
549	332	27	90	21	5	74

समवर्ती सूची में खेलों को शामिल करना

104. श्री जय प्रकाश : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें संविधान की समवर्ती सूची में शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार अपना निर्णय कब तक घोषित करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) समय–सीमा निर्दिष्ट करना संभव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय

105. श्री टी. गोविन्दन : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में विशेषकर कासरगोड़, कन्नौर जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय खोलने/उनका विस्तार किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) कोझीकोड में एक व्यावसायिक रोग केन्द्र तथा क.रा.बी. अस्पताल, आसाराम में एक अति–विशिष्ट उपचार केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव केरल सरकार से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा क.रा.बी. अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के उन्नयन और आधुनिकीकरण के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। क.रा.बी. निगम ने क.रा.बी. अस्पताल भोटाडा (कन्नूर) सहित केरल के सभी क. रा.बी. अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए 98.76 लाख रु. की राशि मंजूर की है।

बीदर से श्रीरंगपट्टनम तक राष्ट्रीय राजमार्ग

106. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में बीदर से श्रीरंगपट्टनम तक बरास्ता गुलबर्गा के राष्ट्रीय राजमार्ग को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना के लिए कितना आबंटन किया गया है; और

(घ) इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्य कब तक आरंभ किए जाने और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

असम में बाढ़ नियंत्रण

107. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या असम में प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा बड़े पैमाने पर बर्बादी के बावजूद भी, 31 मई, 2001 की स्थिति के अनुसार ब्रह्मपुत्र के तटबंधों में पड़ी 79 दरारों की मरम्मत की जानी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई बर्बादी को दर्शाते हुए इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह मामला समय पर केन्द्र सरकार के ध्यान में लाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) संविधान के अनुसार, बाढ़ नियंत्रण और जल निकास सहित सभी प्रकार के सिंचाई कार्यों की आयोजना, डिजाइन, निष्पादन, वित्तपोषण और रखरखाव का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही सहायता तकनीकी, प्रोत्साहनात्मक और संवर्द्धनात्मक स्वरूप की होती है। असम सरकार ने सूचित किया है कि 31.5.2001 को तटबंधों में 65 दरारें और 14 कटावों को मिलाकर कुल 79 दरार आए हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार से उपलब्ध सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों में असम राज्य में बाढ़ से हुई क्षति के ब्यौरे इस प्रकार हैं–

क्र.सं.	विवरण	1998	1999	2000
1.	प्रभावित क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर)	1..324	0.223	0.966
2.	प्रभावित जनसंख्या (मिलियन)	6.957	0.891	3.888
3.	फसल क्षति			
	(क) क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर)	0.478	0.059	0.322
	(ख) मूल्य (करोड़ रुपये में)	463.304	50.461	173.520
4.	मकानों की क्षति			
	(क) संख्या	220436	133	55014
	(ख) मूल्य (करोड़ रुपये में)	33.646	1.499	16.484
5.	मृत पशुओं की संख्या	86224	992	19988
6.	मृत लोगों की संख्या	125	3	36
7.	सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं की क्षति (करोड़ रुपये)	82.957	2.190	54.063
8.	कुल क्षतिग्रस्त फसल, मकान और सार्वजनिक वस्तुएं (करोड़ रुपये) (क्रम सं. 3ख + 3ख + ख + 7)	579.907	54.150	244.067

टेलीफोन किराया

108. श्री एन. एन. कृष्णदास :
श्री जार्ज ईडन :

क्या **संचार** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) ने उपभोक्ताओं से तीन महीने का अग्रिम टेलीफोन किराया वसूल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या देश में विशेषकर केरल के कुछ दूरसंचार सर्किलों में ऐसे किसी मामले का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ङ) मार्च 2001 में भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) ने यह निर्णय लिया कि मई, 2001 से बकाया राशि के रूप में किराया लेने के स्थान पर अग्रिम रूप से किराया लेवी किया जाए। तदनुसार 23.3.2001 को इसकी यूनिटों को एक विस्तृत आदेश जारी किया गया। चूंकि मौजूदा बिलिंग बकाया राशि के रूप में थी अतः मई 2001 के पहले बिल में मार्च और अप्रैल 2001 (बकाया रूप में) का सामान्य किराया, मई 2001 का चालू किराया और जून, जुलाई 2001 का अग्रिम किराया शामिल था। इस प्रकार इस बिल में पांच महीने की कुल अवधि का किराया कवर किया गया था। इसके बाद द्वि–मासिक अग्रिम किराया प्रणाली स्थापित हो गई। फिर भी चूंकि केरल सहित विभिन्न सर्किलों के कई उपभोक्ताओं ने एक बार में पांच महीनों के किराए का भुगतान करने में कठिनाई जतायी इसलिए अग्रिम किराया स्कीम की शुरूआत करने संबंधी आदेश 31.5.2001 को रद्द कर दिया गया।

उपभोक्ता संरक्षण मंच

109. श्री अमर राय प्रधान : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण मंच में टेलीफोन बिलों से संबंधित कितने मामले राज्य–वार लम्बित हैं;

(ख) इस कारण सरकार को अनुमानतः कितना घाटा हुआ है; और

(ग) सरकार द्वारा इन मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

कोचीन-मदुरै राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरा किया जाना

110. श्री जार्ज ईडन : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार के पास कोचीन–मदुरै राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरा करने की कोई कार्य योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोचीन–मदुरै राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि का अर्जन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव एक सतत् प्रक्रिया है और ये कार्य यातायात की सघनता, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप में किए जाते हैं। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए इस समय केरल खंड में लगभग 5.60 करोड़ रुपए के 6 कार्य और तमिलनाडु खंड में 4.68 करोड़ रुपए के दो कार्य प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु खंड में 380 करोड़ रुपए के दो सुधार कार्य अभी हाल ही में स्वीकृत किए गए हैं। केरल खंड के लिए वार्षिक योजना 2001–02 में इस राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 13.00 करोड़ रुपए के विभिन्न सुधार कार्य शामिल हैं।

(ग) इस समय धनराशि के अभाव के कारण इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूमि अधिग्रहण के लिए स्वीकृति का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसलिए भूमि अधिग्रहण पूरा करने के लिए कोई समय सीमा बता पाना संभव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दूर-संचार कारखानों का आधुनिकीकरण

111. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्र में क्रान्ति के बावजूद भी दूर–संचार कारखानों में पुरानी प्रौद्योगिकी के उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कारखानों का आधुनिकीकरण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर कितना व्यय होगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) पूर्ववर्ती दूरसंचार विभाग अब भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) द्वारा अपनी उत्पादन यूनिटों अर्थात् दूरसंचार फैक्टरियों में संगठन की आंतरिक आवश्यकताओं के अनुसार विनिर्माण हेतु उत्पादों का पारंपरिक ढंग से चयन किया गया है। संगठन की बदलती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उत्पादों में समय–समय पर परिवर्तन किया गया है। कई वर्षों से, देश के दूरसंचार नेटवर्क में नई प्रौद्योगिकी के बहुत से उत्पादों का भी उत्पादन और उपयोग किया गया है। उत्पाद रेंज की लगातार पुनरीक्षा की जाती है और अपनी उपयोगिता खो चुके पुरानी–प्रौद्योगिकी के उत्पादों का उत्पादन धीरे–धीरे बंद किया जा रहा है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संगठन की बदलती हुई आवश्यकताओं और तेजी से बदलते हुए दूरसंचार परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए इन फैक्टरियों और उनके उत्पादों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

(घ) स्थायी रूप से ल्यूब्रिकेटेड उच्च घनत्व वाले पॉली एथीलीन डक्ट्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल एवं ऑप्टिकल फाइबर केबल उपसाधनों का उत्पादन विचाराधीन है। प्रथम दो उत्पाद उच्च प्रौद्योगिकी वाले होने के कारण उनके विनिर्माण के लिए अत्याधुनिक संयंत्र एवं मशीनरी की आवश्यकता होगी।

(ङ) मंजूर होने पर प्रस्तावित परियोजनाओं पर लगभग 60 करोड़ रु. का व्यय होगा।

प्रदूषण फैलाने वाले बूचड़खाने

112. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के आदेशों के फलस्वरूप लाखों औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण के कारण या तो बंद कर दिया गया है या उनका स्थानांतरण कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में बड़ी संख्या में प्राधिकृत/अप्राधिकृत बूचड़खाने गम्भीर रूप से जल, भूमि और वायु प्रदूषण फैला रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो अप्रयुक्त शरीरांगों के निपटान के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) सांविधिक नियमों का अनुपालन करने में विफल इन बूचड़खानों को बंद करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) न्यायालय के निर्देशानुसार खतरनाक प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाइयों एवं कसाईखानों को खासतौर पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल से या तो दूसरी जगह हटा दिया गया है या बन्द कर दिया गया है। तथापि, न्यायालय के निर्देशानुसार कुछ औद्योगिक इकाइयां, जिन्होंने प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगा लिए हैं, पुनः चालू कर दी गई हैं।

पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी शर्तें/दिशा–निर्देश दिए गए हैं और कसाईखानों को इन शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का पालन करना होता है। दोषी इकाइयों के खिलाफ नियंत्रक एजेंसियों द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाती है।

विजयवाड़ा-दिल्ली सेक्टर में उड़ानें

113. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा–दिल्ली सेक्टर में उड़ान आरम्भ करने के लिए कोई सर्वेक्षण करवाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विजयवाड़ा–दिल्ली के बीच उड़ान कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, हां। जेट एयरवेज ने हैदराबाद–विजयवाड़ा–हैदराबाद मार्ग पर एक सर्वेक्षण किया है। कम यातायात होने तथा अन्य प्रचालनात्मक कठिनाइयों के कारण, जेट एयरवेज विजयवाड़ा–दिल्ली सेक्टर पर प्रचालन करने में असमर्थ है। इंडियन एयरलाइंस के विमान–बेड़े में उपलब्ध केवल डोर्नियर डीओ–228 विमान

ही विजयवाड़ा के लिए प्रचालन करने में सक्षम है। डोर्नियर विमान पहले ही अगाती के लिए/से और उत्तर क्षेत्र के स्टेशनों पर पूरी तरह से प्रचालन में लगे हुए हैं। तथापि, मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के आधार पर जिसमें मार्गों के कुछ विशिष्ट श्रेणियों पर न्यूनतम प्रचालनों की व्यवस्था की गई है, एयरलाइनें अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर, किसी भी मार्ग पर प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

आन्ध्र प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय

114. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के चार तटीय जिलों के सेवार्थ विजयवाड़ा कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा उच्च सुविधायुक्त चिकित्सालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक कर लिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के लिए ऐसे उच्च सुविधायुक्त चिकित्सालय की आवश्यकता से संबंधित कोई सर्वेक्षण करवाया गया है; और

(घ) इस चिकित्सालय में कुल कितना व्यय होने और इसमें कितने बिस्तर उपलब्ध करवाए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विशेषज्ञता/उच्च विशेषज्ञता वाले अस्पतालों की स्थापना की आवश्यकता आधारित अपेक्षाएं राज्य सरकारों द्वारा भेजी जाती हैं। विजयवाड़ा में विशेषज्ञता/उच्च विशेषज्ञता वाले अस्पताल की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय बारम्बारता आबंटन योजना

115. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय बारम्बारता आबंटन योजना (एन.एफ.ए.पी.), 2000 की समीक्षा करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान (एनएफएपी)–2000 की पुनरीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है जिसमें सरकार निजी क्षेत्रों और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के रेडियो विनियमों के अनुसार एनएफएपी–2000 की पुनरीक्षा के लिए समिति द्वारा विचार किए जाने हेतु सरकारी और निजी क्षेत्रों से सभी इच्छुक संगठनों (एन्टिटीज) से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

(ग) समिति की रिपोर्ट अक्तूबर, 2001 तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

शुल्क मुक्त दुकानों के ठेके

116. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री टी. एम. सेल्वागनपति :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने शुल्क मुक्त दुकानों के ठेके दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्रतिवर्ष इन ठेकों को ऐसे व्यक्तियों को देने से करोड़ों रुपए की हानि हो रही है जिनके पास इस क्षेत्र का पर्याप्त अनुभव नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और तिरुवनन्तपुरम हवाई

अड्डों पर 1660.64 वर्ग मीटर के क्षेत्र में मौजूदा शुल्क–मुक्त दुकानों के बारे में दिनांक 1.1.2001 से पांच वर्षों की समयावधि के लिए दिसम्बर, 2000 में भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) को कुल 40,143,270.85 अमेरीकी डालर (लगभग 188.07 करोड़ रुपए) के लाइसेंस शुल्क पर नए ठेके दिए गए हैं। उपर्युक्त हवाई अड्डों पर 1734.65 वर्ग मीटर के क्षेत्र में अतिरिक्त शुल्क–मुक्त दुकानों के मामले में मई, 2001 से 5 वर्षों की समयावधि के लिए भारत पर्यटन विकास निगम को 18,316,782.84 अमेरिकी डालर (लगभग 79,458 करोड़ रुपए) के लाइसेंस शुल्क से ठेका दिया गया है। भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्णय की स्वीकृति अभी भी प्रतीक्षित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना

117. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सभी औद्योगिक इकाइयों के लिए अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना किए जाने को अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में उक्त संयंत्रों के कार्य न करने के कारण प्रमुख नदियां प्रदूषित हो रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) सभी उद्योगों द्वारा उनके बहिस्राव का निर्धारित मानकों तक शोधन किए जाने हेतु आवश्यक सुविधाएं जुटाना आवश्यक है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा देश की प्रमुख नदियों में प्रदूषण रोकथाम हेतु उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं–

– नदियों के किनारों पर स्थित और अथवा नालों के माध्यम से अपशिष्ट जल को नदियों में छोड़ने वाले उद्योगों को बहिस्राव संबंधी मानकों पर खरा उतरने के लिए अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं स्थापित करने के लिए मनाया गया है। प्रदूषण उपशमन हेतु अत्यधिक प्रदूषक उद्योगों की 17 श्रेणियों की प्रभावी मॉनीटरिंग के उद्देश्य से पहचान की गई है। अत्यधिक प्रदूषक उद्योगों की 17 श्रेणियों से संबद्ध कुल 1551 इकाइयों में से 1348 उद्योगों ने निर्धारित मानकों के अनुपालन में प्रदूषण नियंत्रण हेतु पहले ही पर्याप्त सुविधाएं स्थापित कर ली हैं। 176 इकाइयां बन्द कर दी गई हैं, जबकि 27 इकाइयों के पास निर्धारित मानकों के अनुपालन हेतु पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। दोषी इकाइयों के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एस पी सी बी) द्वारा कानूनी कार्यवाही की गई है।

– केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां उद्योगों की 17 श्रेणियों में प्रदूषण नियंत्रण की स्थिति की नियमित तौर पर मॉनीटरिंग कर रही हैं।

– उद्योगों की लगभग 80 श्रेणियों के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत बहिस्राव एवं उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, परिवेशी वायु और जल गुणवत्ता के लिए भी मानक अधिसूचित किए गए हैं। उद्योगों द्वारा इन मानकों का अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

संशोधित राष्ट्रीय जल नीति

118. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारें संशोधित राष्ट्रीय जल नीति का अनुकरण कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने, विशेषकर आंध्र प्रदेश के सन्दर्भ में राष्ट्रीय जल नीति पर अनुवर्ती कार्यवाही को सुनिश्चित करने के लिए कोई समिति/बोर्ड का गठन किया है;

(ग) यदि नहीं, तो किन राज्यों ने अभी तक ऐसी समितियों/बोर्डों का गठन नहीं किया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद (एन.डब्ल्यू.आर.सी.) जिसके सदस्य सभी मुख्यमंत्री हैं, द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय जल नीति, 1987 को सभी केन्द्रीय मंत्रियों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक कार्रवाई के लिए परिचालित किया गया था। संशोधित राष्ट्रीय जल नीति का एक मसौदा तैयार किया गया है। तथापि, इसे अभी राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा अपनाया जाना है। सितम्बर, 1990 में राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष सचिव, जल संसाधन मंत्रालय हैं तथा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव इसके सदस्य हैं। इसका गठन राष्ट्रीय जल नीति के कार्यान्वयन में की गई प्रगति की समीक्षा करने के प्रयोजन से राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद को अवगत कराने के लिए किया गया था। इस बोर्ड ने अब तक 10 नियमित बैठकें तथा विशेष बैठक आयोजित की है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राष्ट्रीय जल बोर्ड की विभिन्न बैठकों में समय-समय पर राष्ट्रीय जल नीति के कार्यान्वयन संबंधी प्रगति की सूचना उपलब्ध कराई है। इसके अनुसार, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय जल नीति (1987) के आधार पर अपनी राज्य जल नीति तैयार की है। मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने राज्य जल नीति तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। तमिलनाडु सरकार ने जल संसाधन नियंत्रण और पुनरीक्षा परिषद का गठन किया है और राज्य जल नीति तैयार कर ली है जिसे अब राज्य सरकार द्वारा अपना लिया गया है। गुजरात, मिजोरम, लक्षद्वीप, बिहार और उड़ीसा की सरकारों ने अपने राज्यों में नीति के कार्यान्वयन के लिए समितियों का गठन किया है। अरुणाचल प्रदेश, दमन और दीव, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, मेघालय, राजस्थान, नागालैंड, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और पाण्डिचेरी की सरकारों ने भी नीति के कार्यान्वयन के संबंध में कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार राष्ट्रीय जल नीति का अनुसरण कर रही है इसलिए वह अलग से राज्य जल नीति तैयार नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रत्येक नदी बेसिन के लिए परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार करना प्रारंभ कर दिया है। गोवा सरकार ने जल संसाधन विकास के लिए मास्टर योजना तैयार कर ली है। मिजोरम सरकार ने राज्य जल नीति का निर्धारण करने के लिए मिजोरम जल संसाधन परिषद का गठन किया है।

[हिन्दी]

'प्रीपेड कार्ड' स्कीम

119. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल) द्वारा सेल्यूलर टेलीफोन सेवा के अन्तर्गत प्रीपेड कार्ड स्कीम जारी है;

(ख) यदि हां, तो इन कार्डों का मूल्य, अवधि तथा वैधता का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रीपेड कार्डों में प्रति मिनट कॉल प्रभार दर तथा प्रति सेकेंड पल्स दर क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली तथा मुम्बई में सभी सेल्यूलर संचालकों को उपभोक्ताओं को प्रीपेड कार्ड में रोमिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए निदेश देने का है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। यह स्कीम अभी तक आरम्भ नहीं की गई है।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारत संचार निगम लिमिटेड को घाटा

120. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड का निजी मूलभूत संचालकों के साथ विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की राजस्व साझीदारी व्यवस्थाओं के कारण करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) ऐसे घाटे को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या निवारणात्मक उपाय किए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) जी, हां। प्राइवेट बुनियादी प्रचालकों के नेटवर्क से शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी कॉलों के लिए वर्तमान राजस्व साझीदारी व्यवस्था से बीएसएनएल को काफी राजस्व हानि हुई है क्योंकि ट्रैफिक के कैरिज की लागत उनके द्वारा अर्जित राजस्व से कहीं अधिक हो गई है। बीएसएनएल ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) तथा प्राइवेट प्रचालकों का ध्यान इस पहलू की ओर दिलाया ताकि राजस्व साझीदारी व्यवस्था में इस प्रकार संशोधन किया जाए कि यह व्यवस्था उचित, न्यायसंगत और साम्यिक बन सके। तथापि, प्राइवेट बुनियादी सेवा आपरेटर इससे सहमत नहीं हैं और उन्होंने यह मामला दूरसंचार विवाद और अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) के समक्ष रखा है।

[हिन्दी]

टेलीफोन पंजीकरण शुल्क

121. श्री पुन्नू लाल मोहले :
श्री पी. आर. खूंटे :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन पंजीकरण शुल्क समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) सरकारी स्वामित्व वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता भारत संचार निगम लि. ने ग्रामीण अथवा शहरी सभी क्षेत्रों में जहां टेलीफोन मांग पर उपलब्ध है, पंजीकरण शुल्क समाप्त करने का फैसला लिया है। ऐसे क्षेत्रों में, ग्राहक से टेलीफोन कनेक्शन के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर संस्थापना प्रभारों के लिए उसे एक मांग पत्र जारी किया जाता है। ग्राहक द्वारा संस्थापना प्रभारों का भुगतान करते ही टेलीफोन लगाने के लिए ओबी जारी की जाती है। प्रतिभूति जमा राशि, उपभोक्ता को जारी किए जाने वाले पहले बिल में प्रभारित की जाती है।

एयर इंडिया के अधिकारियों की लापरवाही के कारण उसको हुआ घाटा

122. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जून, 2001 के 'राष्ट्रीय सहारा' में "अधिकारियों की अदूरदर्शिता से एयर इंडिया को 325 करोड़ की चपत" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए किन–किन अधिकारियों को दोषी पाया गया है; और

(घ) उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नागर विमानन मंत्रालय के अनुरोध पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस संबंध में बेटलीज कारोबार में संलिप्त एयर इंडिया के तत्कालीन महाप्रबंधक और मैसर्स कैरिबजेट के महाप्रबंधक सहित पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रारंभिक जांच का मामला दर्ज किया है। जिन मुख्य आरोपों की जांच की जा रही है वह निम्नलिखित हैं–

– एयर इंडया द्वारा मैसर्स कैरिबजेट को पेश की गई शर्तें 1994 में रखी गई शर्तों की तुलना में अधिक पक्षपातपूर्ण थीं।

– समाप्ति उपबंध का उल्लेख न किया जाना।

– क्या समाप्ति किया जाना औचित्यपूर्ण था।

– वे परिस्थितियां जो समाप्ति के लिए थीं।

– करार की समाप्ति के समय क्या एयर इंडिया के वाणिज्यिक हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए थे।

– क्या विवाचन कार्रवाईयों में एयर इंडिया के वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए थे।

– कोई अन्य संबंधित मुद्दे जो जांच के दौरान उठाए गए हों।

(घ) चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अपनी रिपोर्ट दे दिए जाने के बाद ही की जा सकेगी।

[अनुवाद]

मैनेज्ड लीज्ड लाइन डाटा नेटवर्क के लिए निविदा

123. मोहम्मद शहाबुद्दीन :
श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 मार्च, 2001 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार के अनुसार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने मैनेज्ड लीज्ड लाइन डाटा नेटवर्क (एम.एल.डी.एन) के लिए निविदा आमंत्रित की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न एम.एल.डी.एन. निविदाओं की जांच के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या निकला और उस पर क्या कार्रवाई की गई?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने दिनांक 19.06.2000 की निविदा जांच सं. एमटीएनएल/20–80 (304)/2000–एमएम/एमएलडीएन के तहत मैनेज्ड लीज्ड लाइन डाटा नेटवर्क के लिए निविदा आमंत्रित की थी।

(ख) और (ग) सरकार ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की मैनेज्ड लीज्ड लाइन डाटा नेटवर्क संबंधी निविदा के लिए किसी तकनीकी मूल्यांकन समिति का गठन नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नई नागर विमानन नीति

124. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई नागर विमानन नीति को लागू किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या नई नागर विमानन नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो नई नागर विमानन नीति को लागू किए जाने की सम्भावित विधि क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) देश में उचित मूल्य पर सुरक्षित, दक्ष, विश्वसनीय और अति उच्च गुणवत्ता वाली विमान परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक नीति फ्रेमवर्क के रूप में प्रारूप नागर विमानन नीति बनाई गई है जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। नीति में अन्य बातों के साथ–साथ छोटे (टर्बो–प्रॉप) विमान प्रचालनों को छोटे और गैर–महानगरीय शहरों को कवर करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। प्रारूप नीति को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व विचार/टिप्पणियां जानने के लिए व्यापक रूप से परिचालित किया गया है।

वेतन समझौता

125. श्री नरेश पुगलिया : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 अगस्त, 2000 को सीमेंट कामगारों के साथ कोई वेतन समझौता किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसकी तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस राष्ट्र स्तरीय वेतन समझौते को देश की सभी सीमेंट कंपनियों द्वारा 15 अक्टूबर, 2000 तक लागू किया जाना था;

(घ) यदि हां, तो उन सीमेंट कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस वेतन समझौते को लागू नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ए.सी.सी. सीमेंट कामगारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में अप्रैल और मई, 2001 में नई दिल्ली में संयुक्त मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) से मुलाकात की थी; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा ए.सी.सी. की सीमेंट फैक्ट्रियों में सीमेंट कामगारों के साथ हुए इस राष्ट्र स्तरीय वेतन समझौते को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं–

(i) मूल मजदूरी में वृद्धि;

(ii) वेतन वृद्धि की दर में संशोधन;

(iii) 1.4.2000 से समझौते के प्रचालन की अवधि 4 वर्ष।

(ग) जी, हां।

(घ) मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के कार्यालय में एसो–सियेटेड सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड की 4 स्थापनाओं अर्थात् (1) कर्नाटक में ए.सी.सी. वाडी, (2) महाराष्ट्र में ए.सी.सी. चन्द्रापुर, (3) हिमाचल प्रदेश में ए.सी.सी. गागल, (4) तमिलनाडु में ए. सी.सी. मदुक्कराई, (5) कर्नाटक में मैसूर सीमेन्ट लि. और (6) सतना (म.प्र.) में सतना सीमेन्ट स्टील फाउन्ड्री लि. से समझौते को कार्यान्वित न किए जाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुईं।

(ङ) वाडी (कर्नाटक), चन्द्रापुर (महाराष्ट्र), गागिल (हिमाचल प्रदेश) और मदुक्कराई (तमिलनाडु) स्थापनाओं के श्रमिक संघों के प्रतिनिधि मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के कार्यालय आए थे तथा उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) को आवश्यक कार्रवाई हेतु अपना अभ्यावेदन दिया था।

(च) संराधन कार्यवाही मुख्य श्र.आ. (केन्द्रीय) के कार्यालय में आयोजित की गई थी तथा संराधन कार्यवाही पूरी होने पर संराधन असफल होने की रिपोर्ट औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत समुचित सरकार को भेज दी गई है।

[हिन्दी]

बिहार में सड़क उपरिपुल परियोजनाएं

126. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान निजी कंपनियों से कितनी सड़क और उपरिपुल परियोजनाओं का कार्य कराया गया;

(ख) इन परियोजनाओं हेतु कुल कितना आबंटन किया गया है और वर्तमान में कितनी परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को निजी कंपनियों को सौंपने हेतु क्या मापदंड अपनाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) यह मंत्रालय मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जिम्मेदार है और अन्य सड़कों का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है। विगत तीन वर्षों में निजी कंपनियों की भागीदारी के जरिए अर्थात् बी ओ टी आधार पर बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कोई सड़क और उपरिपुल परियोजना शुरू नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ई. पी. एफ. संगठन/योजना का आधुनिकीकरण

127. श्री टी. एम. सेल्वागनपति :
श्री जी. जे. जावीया :
श्री के. ई. कृष्णमूर्ति :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार ई.पी.एफ. संगठन/योजना के आधुनिकीकरण का है और ई.पी.एफ. लाभार्थियों के लिए स्मार्ट कार्ड शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) किन राज्यों में प्रथम चरण में आधुनिकीकरण/स्मार्ट कार्ड योजना के शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या वृद्धावस्था आय सुरक्षा संरक्षण वर्तमान में अनुमानतः कामकाजी जनसंख्या के केवल 10 प्रतिशत को उपलब्ध है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बड़े अंतर को पाटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने संगठन/अपनी योजनाओं के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव किया है। इसमें मौजूदा कार्य प्रक्रिया का पुनराभियंत्रण (री–इंजीनियरिंग), लेखा प्रणालियों को री–टूलिंग तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालयों की नेटवर्किंग के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी/कंप्यूटरीकृत प्रणाली लागू करना शामिल है। इसमें प्रत्येक सदस्य को किसी भी कर्मचारी भविष्य निधि स्थल से वास्तविक समय आधार पर समस्त सेवाएं उपलब्ध कराना भी शामिल है।

(ग) आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रथम चरण में निम्नांकित स्थानों पर प्रायोगिक केन्द्र स्थापित किए जाएंगे–

पश्चिमी जोन	मध्य प्रदेश तथा राजस्थान
पूर्वी जोन	बिहार
उत्तरी जोन	हरियाणा
दक्षिणी जोन	हैदराबाद तथा मंगलौर

(घ) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार, निधि के 259.7 लाख सदस्य और 9.37 लाख पेंशनभोगी हैं।

(ङ) निष्पादन अनुवीक्षण प्रणाली के कारण कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के ढांचे में ही पात्र श्रमिकों का नाम शामिल करना सरल हो जाता है।

[हिन्दी]

प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों का स्थानांतरण

128. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने बड़े–बड़े नगरों की औद्योगिक इकाइयों को अन्य जगहों पर स्थानांतरित करने हेतु निर्देश देते हुए उन्हें नोटिस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान स्थानांतरित की गई उन इकाइयों का स्थानार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को स्थानांतरित करने के लिए कोई समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा उन एककों को छोड़कर जिनके लिए माननीय न्यायालय ने निर्देश जारी किए हैं, प्रमुख शहरों से औद्योगिक एककों को स्थानांतरित करने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उद्योगों के स्थानांतरण का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है–

राज्य	औद्योगिक एककों की संख्या
1. दिल्ली	967 जल प्रदूषण उद्योग आवासीय क्षेत्रों से नरेला और बादली परिसरों में स्थानांतरित किए गए हैं और 5619 अन्य प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बवाना और बादली में भूखंड आबंटित किए गए हैं।
2. कर्नाटक	5 औद्योगिक एकक स्थानांतरित किए गए हैं।
3. उड़ीसा	एक उद्योग स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं।
4. पांडिचेरी	एक उद्योग स्थानांतरित करने के आदेश दे दिए गए हैं।
5. पश्चिम बंगाल	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार 500 चर्मशोधशालाओं को एकीकृत चमड़ा परिसर में स्थानांतरित करने संबंधी कार्य प्रगति पर है।

(घ) और (ङ) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उपलब्ध सूचना के अनुसार उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पश्चिम बंगाल के मामले को छोड़कर औद्योगिक एककों को स्थानांतरित करने के लिए कोई समयबद्ध कार्य योजना नहीं है।

वन्य प्राणि उद्यानों को स्वायत्तशासी निकायों के रूप में मान्यता

129. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में वन्य प्राणि उद्यानों को स्वायत्तशासी निकायों के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्राणि उद्यानों के नाम क्या हैं; और

(ग) उक्त फैसले के कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्राणि उद्यान प्राधिकरण सरकारी, स्वायत्त निकाय एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं व्यक्तियों के स्वामित्व वाले प्राणि उद्यानों को प्राणि उद्यान मान्यता नियम, 1992 में दी गई शर्तों के अधीन मान्यता प्रदान करता है। देश में निम्नलिखित प्राणि उद्यान स्वायत्त निकायों के स्वामित्व में चल रहे हैं–

1. अलीपुर जुलोजिकल पार्क, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।

2. पदमजा नायडू हिमालयन जुलोजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल।

3. प्रिंस वेल जुलोजिकल गार्डन, लखनऊ।

[अनुवाद]

ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं

130. श्री चन्द्र भूषण सिंह :
श्री पी. राजेन्द्रन :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बड़े विमानपत्तनों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के क्षेत्र में प्रवेश के लिये निजी कंपनियों को अनुमति देने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए चिन्हित किये गये बड़े विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु निजी कंपनियों के लिये किन क्षेत्रों की पहचान की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय एयरलाइनें और एयरलाइनों द्वारा स्व–प्रचालन के अतिरिक्त पिछले कुछ समय से गैर–सरकारी कंपनी द्वारा ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। यद्यपि, नई भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (सामान्य प्रबंधन, हैंडलिंग सेवा की प्रविष्टि), विनियमन, 2000 के बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुम्बई, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता, सरदार बल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरूवनन्तपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पर प्रतिस्पर्धी और कुशल ढंग से भू–हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मूलभूत सेवा संचालक

131. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलेस–इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) प्रौद्योगिकी के प्रयोग हेतु मूलभूत सेवा संचालकों के लिये कोई विशेष योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अन्य लैण्डलाइन मासिक किराये की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यू.एल.एल. के लिये न्यूनतम शुल्क/मासिक किराया निर्धारित न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग–अलग राज्यवार काम करने वाले डब्ल्यू.एल.एल. कनेक्शनों की संख्या कितनी है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। बुनियादी सेवा आपरेटर वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू.एल.एल.) प्रौद्योगिकी प्रणालियों का प्रयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों और सीधी एक्सचेंज लाइनों को मुहैया कराने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने डब्ल्यू.एल.एल. प्रौद्योगिकी प्रणालियों पर बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं को तहसीलों के स्थानीय क्षेत्रों के भीतर उपभोक्ता अभिगम्यता नेटवर्क में हस्तधारित (हैंड–हैल्ड) टेलीफोन सेटों के उपयोग की भी अनुमति दी है।

(ग) डब्ल्यू.एल.एल. (स्थिर) के लिए किराया और कॉल प्रभार वही हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य लैंडलाइन फोनों के लिए हैं। डब्ल्यू.एल.एल. (स्थिर) और अन्य लैंडलाइन फोनों के लिए किराया पहले से ही लागत से काफी कम है। वायरलेस इन लोकल लूप प्रणालियों में हस्तधारित (हैंड हैल्ड) उपभोक्ता टर्मिनल के लिए किराया लागत–आधारित है।

(घ) राज्य–वार विभिन्न क्षेत्रों में इस समय कार्यरत डब्ल्यू.एल.एल. कनेक्शनों की संख्या के सम्बन्ध में राज्य–वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

डब्ल्यू.एल.एल. पर कार्यरत कनेक्शनों का राज्य–वार ब्यौरा

राज्य	सेवा प्रदाता का नाम	डब्ल्यू एल एल कनेक्शनों की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	मैसर्स टाटा टेली सर्विसेज लि.	38310
मध्य प्रदेश	मैसर्स टाटा टेली सर्विसेज लि.	32812

1	2	3
	मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड	41
पंजाब	मैसर्स एचएफसीएल इन्फोटेल लि.	12312
बिहार	मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड	396
हिमाचल प्रदेश	मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड	112
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड	482
गुजरात	मैसर्स रिलायंस टेलीकाम प्राईवेट लिमिटेड	शून्य
	मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड	1468
महाराष्ट्र	मैसर्स ह्यूजेज़ टेलीकॉम इंडिया लिमिटेड	41977
	मसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड	3
राजस्थान	मैसर्स श्याम टेलीलिंक लिमिटेड	7130
हरियाणा	मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड	439

विशाखापत्तनम में विमान उतारने की सुविधा

132. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर रात्रि में विमान उतारने की सुविधा के अलावा और अधिक विमान सेवा तथा विमान माल ढुलाई सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) विशाखापत्तनम स्थित हवाई अड्डा भारतीय नौसेना का है और यह तराई में पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ही अच्छे मौसम में ही प्रचालन के लिए उपयुक्त है। इस समय इंडियन एयरलाइन्स सप्ताह में चार बार उड़ानें प्रचालित कर दिल्ली–भुवनेश्वर–विजाग–चेन्नई और उन स्थानों से वापसी की वैमानिक सेवा उपलब्ध करा रही है। मुम्बई–हैदराबाद–विजाग और वहां से वापसी के लिए दैनिक सेवा तथा चेन्नई–विजाग–कोलकाता को विमान मार्ग से जोड़ने वाली प्रति सप्ताह दो उड़ानों का प्रचालन भी इंडियन एयरलाइन्स कर रही है। यद्यपि, कोई भी एयरलाइन किसी भी मार्ग पर और किसी भी स्थान के लिए प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र है किन्तु इसे वाणिज्यिक निर्णय के मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करना होगा।

[हिन्दी]

बिहार में गांवों में टेलीफोन सुविधा

133. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार बिहार में जिलावार टेलीफोन सुविधा वाले गांवों की संख्या कितनी है; और

(ख) वर्ष 2001–2002 के दौरान स्थानवार कितने गांवों में उक्त सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भविष्य निधि के दावों का निपटान

134. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भविष्य निधि दावों के शीघ्र निपटान के लिये रीइन्वेंटिंग ई. पी. एफ.– इंडिया शीर्षक के अंतर्गत एक व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) यह कर्मचारियों के लिए किस सीमा तक लाभकारी होगी; और

(घ) इसके कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रस्तावित आधुनिकीकरण कार्यक्रम में वर्तमान कार्य प्रक्रिया का नवगठन, लेखा प्रणाली की री–टूलिंग तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी कार्यालयों की नेटवर्किंग के माध्यम से एक सूचना प्रौद्योगिकी

कम्प्यूटर सक्षम प्रणाली स्थापित किया जाना है। इसमें किसी भी क.भ.नि. कार्यालय से वास्तविक समय आधार पर प्रत्येक सदस्य को सभी सेवाएं प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) यह आधुनिकीकरण कार्यक्रम अंशदाता को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के किसी भी कार्यालय में अपने खाता शेष की जानकारी प्राप्त करने और अपना दावा दायर करने में सक्षम बनाएगा, जबकि वर्तमान प्रणाली में वह केवल उसी कार्यालय से संपर्क कर सकता है जहां वह पंजीकृत हो तथा दावे की प्राप्ति से चैक जारी करने का वर्तमान निर्धारित समय 30 दिन की बजाय 2/3 दिन हो जाएगा।

(घ) आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रथम चरण में सभी चार अंचलों को दायरे में लेते हुए छः स्थानों पर प्रायोगिक केन्द्रों की स्थापना किए जाने को शामिल करके 24 माह की समयावधि के भीतर उन्हें प्रचालित किए जाने का प्रस्ताव है।

पशुओं और पक्षियों की मौत

135. श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री प्रहलाद सिंह पटेल :
श्री जे. एस. बराड़ :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री मोहन रावले :
श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री अनन्त नायक :
श्री विजय हान्दिक :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में महत्वपूर्ण जंगली जानवरों की राज्यवार/अभयारण्यवार अद्यतन गणना क्या है;

(ख) पिछली लगातार तीन गणनाओं में उनकी संख्या में कितनी वृद्धि/कमी दर्ज की गई;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि के अनुसार बड़ी संख्या में जंगली जानवर जैसे बाघ, बाघिन, भालू, गैंडा, हाथी और पक्षी मारे गए या उनकी मौत हुई;

(घ) यदि हां, तो श्रेणीवार और राष्ट्रीय प्राणि उद्यान/अभयारण्य/आरक्षित वन क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) यदि कोई जांच की गई तो उसके क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा ऐसी प्रत्येक घटना पर क्या कार्रवाई की गई;

(च) उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या पशु अंगों के अवैध व्यापार के संबंध में अधिकारियों और अवैध शिकारियों/तस्करों/विदेशी एजेंटों के बीच किसी मिलिभगत की जानकारी है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) पिछली की गई तीन निरंतर गणनाओं में वन्यपशुओं की महत्वपूर्ण प्रजातियों की अनुमानित संख्या संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों में बाघों, भालुओं, गैंडों और पक्षियों की हुई मृत्यु की संख्या इस प्रकार है :

क्र.सं.	वर्ष	बाघ	भालू	गैंडा	पक्षी	जोड़
1.	1998–99	शून्य	शून्य	1	36	37
2.	1999–00	शून्य	2	शून्य	36	38
3.	2000–01	7	1	2	35	45

बाघों और हाथियों के अवैध और जब्ती के बारे में राज्यवार मामले संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं। गैंडों के अवैध शिकार और प्राकृतिक मौतों के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यवार मामले संलग्न विवरण–III में दिए गए हैं। भालुओं के अंगों के अवैध व्यापार और जब्ती के मामले नगण्य हैं। केन्द्रीय सरकार के स्तर पर पक्षियों की मौत से संबंधित आंकड़ों का संग्रह और संकलन नहीं किया गया है। तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के भिन्न–भिन्न भागों से मोरों की 388 और सारसों की 12 मौतों की सूचना मिली है।

(ङ) अवैध व्यापार के मामलों में अपराधियों का पता लगाने, उनकी छानबीन करने तथा उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने

की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। कुछ महत्वपूर्ण मामलों की छानबीन करने के लिए उन्हें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को हस्तांतरित किया गया है। इन मामलों का ब्यौरा और की गई कार्रवाई इस प्रकार है :

(i) 18.12.99 को साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश सीमा पर बाघ की 3 खालें, तेंदुए की 50 खालें और अन्य जानवरों की 5 खालें जब्त की गईं। मामलों की छानबीन कर ली गई है और शिकायत फाइल की गई है।

(ii) 12.1.2000 को खांगा में बाघ की 4 खालें, तेंदुए की 70 खालें, तेंदुए के 18000 पंजे, बाघों के 132 पंजे तथा काले हिरणों की 221 खालें जब्त की गईं।

(iii) 6.5.2000 को हल्द्वानी में तेंदुए की 50 खालें जब्त की गईं। छानबीन की जा रही है।

(iv) 21.5.2000 को हल्द्वानी में तेंदुए की 30 खालें जब्त की गईं। छानबीन की जा रही है।

(v) 2.2.2001 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली में 70 शालें जब्त कीं। इनमें से 26 शालें शुद्ध शहतूश की हैं और 44 शालें संदिग्ध हैं। इस संबंध में छानबीन की जा रही है।

(vi) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 21.3.2001 को नागपुर में बाघ की 1 खाल, 5 खोपड़ियां, 10 पंजों, 23 कि.ग्रा. बाघ की हड्डियों, 3 बाघ दंतों तथा तेंदुए की 4 खालों की जब्ती की। इस संबंध में छानबीन की जा रही है।

(च) अभयारण्यों और आरक्षित क्षेत्रों (रिजर्वों) में जानवरों और पक्षियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण v में दिए गए हैं।

(छ) हाल ही की पिछली अवधि में अवैध शिकार में सरकारी अभिकरणों की मिली–भगत के संबंध में कोई निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

महत्वपूर्ण वन्य पशुओं की गणना का राज्य वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	बाघ			तेंदुआ			शेर			हाथी			गेंडा		
		1989	1993	1997	1989	1993	1997	1990	1995	2000	1989	1993	1997	1989	1993	1998-99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	235	197	171	301	152	138			शून्य	1900	46	57			शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश*	135	180	180	121	98	98*			शून्य	3150	2500	2102			शून्य
3.	असम	376	325	458	123	246	246*			शून्य	3500	5500	5312	**1519	1440	1684
4.	बिहार/झारखंड	157	137	103	134	203	203*			शून्य	335	550	618			शून्य
5.	गोवा/दमन और दीव	2	3	6	18	31	25			शून्य			शून्य			शून्य
6.	गुजरात	9	5	1	702	772	832	284	304	310-320			शून्य			शून्य
7.	हरियाणा*	शून्य	शून्य	शून्य	19	25	25*			शून्य			शून्य			शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश*	शून्य	शून्य	शून्य	199	821	821*			शून्य			शून्य			शून्य
9.	कर्नाटक*	257	305	350	283	455	शून्य			शून्य	2425	5500	6088			शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.	केरल	45	57	73	27	16	16*			शून्य	2500	3500	5737			शून्य
11.	मध्य प्रदेश/ छत्तीसगढ़	985	912	927	2036	1700	1851			शून्य			शून्य			शून्य
12.	महाराष्ट्र	417	276	257	580	417	431			शून्य			शून्य			शून्य
13.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य			शून्य			शून्य			शून्य
14.	मेघालय	34	53	63	शून्य	शून्य	शून्य			शून्य	3288	2750	1840			शून्य
15.	मिजोरम	18	28	12	38	49	28			शून्य	150		शून्य			शून्य
16.	नागालैंड*	104	83	83	72		शून्य			शून्य			147			शून्य
17.	उड़ीसा	243	226	194	279	378	442			शून्य	1650	1750	1827			शून्य
18.	राजस्थान	99	64	58	461	475	474			शून्य			शून्य			शून्य
19.	सिक्किम*	4	2	2	1		शून्य			शून्य			शून्य			शून्य
20.	तमिलनाडु	95	97	62	119	138	110			शून्य	1474	2400	2971			शून्य
21.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	37	18	18*			शून्य			शून्य			शून्य
22.	उत्तर प्रदेश/ उत्तरांचल	735	465	475	1095	711	1412			शून्य		845	1984	9	12	13
23.	पश्चिम बंगाल	353	335	361	108	108	108*			शून्य	155	200	327	39	44	120
24.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	15			शून्य			शून्य			शून्य
	कुल	4334	3750	3836	6767	6828	7273			310-320	20527	25541	29010	1567	1496	1817

*अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम में गणना नहीं की गई है। इन राज्यों द्वारा दिए गए आंकड़े 1993 में भी शामिल किए गए हैं।

**1991 में की गई गणना के अनुसार

विवरण-II

राज्यों द्वारा सूचित हाथियों के शिकार के मामले

क्र.सं.	राज्य	1998–99	99–00	00–01
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	2	2	3
4.	बिहार	0	2	0
5.	कर्नाटक	27	16	19
6.	केरल	4	1	1
7.	मेघालय	2	2	0

1	2	3	4	5
8.	नागालैंड	0	0	0
9.	उड़ीसा	14	4	3
10.	तमिलनाडु	12	5	7
11.	उत्तर प्रदेश	1	0	5
12.	पश्चिम बंगाल	4	9	3
	कुल	66	41	41

बाघ के शिकार के मामले (1999–2001)

राज्य	1999	2000	2001
आंध्र प्रदेश	2	4	1
असम		4	
दिल्ली	1	2	
मध्य प्रदेश	9	4	2
महाराष्ट्र	3	4	11
तमिलनाडु	2		
उत्तर प्रदेश	14	12	18
पश्चिम बंगाल	6	7	
केरल			3
राजस्थान		2	
कुल	37	39	35

विवरण-III

गेंडे के शिकार के मामले

वर्ष	शिकार	प्राकृतिक	एन पी/ डब्ल्यू एल एस	राज्य
1	2	3	4	5
98–99	0		जलदापाड़ा/वन्यजीव अभयारण्य	पश्चिम बंगाल
99–00	1		जलदापाड़ा/वन्यजीव अभयारण्य	पश्चिम बंगाल
00–01	1		जलदापाड़ा/वन्यजीव अभयारण्य	पश्चिम बंगाल
1998	8	87	काजीरंगा एन पी	असम
1998	12	3	ओरंग एन पी	असम
1998	4	2	पाबीतोरा	असम
1998	4		अन्य क्षेत्र	असम
1999	4	46	काजीरंगा एन पी	असम
1999	7		ओरंग एन पी	असम
1999	6	3	पाबीतोरा डब्ल्यू एल एस	असम
1999	2	1	अन्य क्षेत्र	असम
2000	4	44	काजीरंगा एन पी	असम
2000	8	5	ओरंग एन पी	असम
2000	2	1	पाबीतोरा	असम
2000	3		अन्य क्षेत्र	असम.

विवरण-IV

अभयारण्यों और आरक्षित क्षेत्रों (रिजर्वों) में जानवरों और पक्षियों के संरक्षण और सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम :

1. राज्य स्तर पर उठाए गए कदम :

   (i) वन्यप्राणियों को उनके शिकार और वाणिज्यिक प्रयोग से बचाने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है।

   (ii) अवैध शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए अनेक राज्यों में राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर समन्वय समितियां स्थापित की गई हैं।

2. राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम :

   (i) भारत सरकार ने वन्यजीवों और उनके उत्पादों

की तस्करी को रोकने के लिए देश के प्रमुख निर्यात और व्यापार केन्द्रों में वन्यजीव परिरक्षण हेतु क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

(ii) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। इंटरपोल की मदद से अवैध शिकार विरोधी प्रयासों का समन्वय किया जा रहा है।

(iii) विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, अर्थात् बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास और वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा देने के लिए राज्यों की क्षमता और ढांचागत सुविधाओं में वृद्धि के प्रयोजन से संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारि–विकास आदि स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जा रही है, विशेषकर संगठित अवैध शिकारियों का मुकाबला करने के लिए स्ट्राइक फोर्स तैयार करने और सुरक्षा कर्मियों को हथियार आदि मुहैया कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। अवैध शिकारियों और तस्करों के बारे में सूचना देने वाले व्यक्तियों को ईनाम देने के लिए भी सहायता दी जाती है।

(iv) अवैध शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सचिव, पर्यावरण एवं वन, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय समिति गठित की गई है।

(v) निर्यात–आयात नीति के अंतर्गत वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों के निर्यात पर प्रतिबंध है।

(vi) राज्य सरकारों के पर्यावरण एवं वन मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन 29 और 30 जनवरी, 2001 को आयोजित किया गया था। अवैध शिकार को प्रभावी ढंग से रोकने और संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और बाहर, दोनों स्थानों पर प्रवर्तन संबंधी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए इस सम्मेलन में मौजूदा सुरक्षा कर्मियों को व्यवहारिक स्वरूप में संगठित करने का संकल्प लिया गया।

(vii) गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए फील्ड फारमेशन्स की मदद करें।

3. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम :

(i) भारत सरकार वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीसिज आफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना (साइट्स) के प्रावधानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करती है।

(ii) सीमापार से अवैध आवागमन को रोकने के लिए भारत द्वारा एक संयुक्त कार्य बल स्थापित करने के लिए नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iii) इंडो चीन प्रोटोकोल इन टाइगर कंजर्वेशन आर्टिकल आफ द प्रोटोकोल में अन्य बातों के साथ–साथ बाघों के अवैध शिकार, बाघों की हड्डियों और अन्य अंगों तथा व्युत्पन्नों की तस्करी और बिक्री से संबंधित अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाने का अनुबंध किया गया है।

(iv) बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार करने के लिए टाइगर रेंज देशों का एक विश्व स्तरीय मंच तैयार किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रयोक्ता शुल्क

136. डा. जसवंतसिंह यादव :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रयोक्ता शुल्क लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम क्या हैं और उन पर कितना प्रयोक्ता शुल्क लगाया जाएगा;

(ग) जयपुर–कोटपुतली राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रयोक्ता शुल्क से प्रतिदिन औसतन कितना धन एकत्रित होगा; और

(घ) अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रयोक्ता शुल्क प्रणाली के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी हां। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के ऐसे खंडों पर प्रयोक्ता शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है जिन्हें विद्यमान दो लेन से चार लेन वाली विभाजित मार्ग सुविधा में परिवर्तित किया गया है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को जब भी विद्यमान दो लेन से चार लेन की विभाजित मार्ग सुविधा का बनाया जाएगा, उन पर प्रयोक्ता शुल्क वसूल किया जाएगा। निकट भविष्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे किए गए खंडों पर प्रयोक्ता शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। हरियाणा में रा.रा.–8 पर गुड़गांव–कोटपुतली, उत्तर प्रदेश में रा.रा.–2 पर दिल्ली–आगरा और झारखंड में बरवा अड्डा से पश्चिम बंगाल में पानागढ़ कुछ ऐसे प्रमुख खंड हैं। राजस्थान में रा.रा.–8 के कोटपुतली–आमेर खंड पर प्रतिदिन औसतन प्रयोक्ता शुल्क वसूली लगभग 9 से 10 लाख रु. है। शुल्क की दर वर्ष के थोक मूल्य सूचकांक से जोड़ी गई है जिसे वार्षिक आधार पर नियत किया जाना है।

सरकार ने जून, 1997 के मूल्य स्तर पर विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किए हैं जो इस प्रकार हैं :

वाहन की किस्म	प्रति कि.मी. प्रति ट्रिप दर (रु. में)
कार/जीप/वैन	0.40
हल्के व्यावसायिक वाहन (हल्के माल वाहन)	0.70
ट्रक और बसें	1.40
भारी निर्माण मशीनरी और अर्थ मूविंग उपस्कर	3.00

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में डाकघरों का उन्नयन

137. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2001–2002 के दौरान महाराष्ट्र में कितने डाकघरों के उन्नयन का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : वर्ष 2001–2002 के लिए महाराष्ट्र सर्किल को 7 विभागीय डाकघर खेलने का लक्ष्य आबंटित किया गया है। आबंटित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए डाकघर खोले जाएंगे/दर्जा बढ़ाया जाएगा, बशर्ते कि मानदंड पूरे होते हों तथा संसाधन उपलब्ध रहें।

महिला कामगारों के अधिकार

***138. श्री पी. आर. खूंटे** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या देश में प्रासंगिक अधिनियमों/कानूनों के होने के बावजूद महिलाओं को उनके श्रम का उचित महत्व और लाभ नहीं मिलता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई नए उपाय करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) महिला कर्मकारों के लिए उचित कार्य परिस्थितियां, यथोचित पारिश्रमिक और सामान्य कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अनेक कानून अधिनियमित किए गए हैं। इनमें कारखाना अधिनियम, 1948, बागान श्रम अधिनियम, 1951, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, भवन एवं अन्य निर्माण (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 आदि शामिल हैं जिनमें महिला कर्मकारों के लाभार्थ शिशु सदन सुविधाओं, कार्य घटों के दौरान बच्चों को स्तनपान कराने के लिए समय देने, कार्यस्थल के पास अलग शौचालयों और धुलाई सुविधाओं, प्रसूति छुट्टी के प्रावधान आदि जैसी अनेक सुविधाओं का प्रावधान है। सरकार ने समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 भी अधिनियमित किए हैं जिनमें मजदूरी की अदायगी से संबंधित मामलों में भेदभाव न किए जाने का प्रावधान है। केन्द्र तथा राज्य में गठित प्रवर्तन तंत्र आवधिक निरीक्षण करते हैं और अधिनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन चलाते हैं।

रोजगार सृजन के अवसर

139. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार सृजन अवसरों की वार्षिक दर में वृद्धि के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है;

(ग) देश में उक्त अवधि के दौरान कामगारों की संख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है; और

(घ) रोजगार के अवसरों के सृजन में कमी तथा कामगारों की संख्या में बढ़ोतरी के परिणामतः बेरोजगारी और कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) देश में रोजगार अवसरों के सृजन का आकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर पंचवर्षीय सर्वेक्षणों के आधार पर किया जाता है। वर्ष 1999–2000 के दौरान आयोजित नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार, सामान्य प्रमुख एवं गौण स्थिति (यूपीएसएस) दृष्टिकोण द्वारा वर्ष 1994 से 2000 के दौरान आंकी गई रोजगार की वार्षिक वृद्धि एक प्रतिशत के लगभग है। 1.1.1994 को अनुमानित 1.90 प्रतिशत की तुलना में 1.1.2000 की स्थिति के अनुसार श्रम बल की बेरोजगारी की स्थिति लगभग 2.23 प्रतिशत थी।

[अनुवाद]

एम.टी.एन.एल. को हानि

140. श्री शिवाजी माने :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 जून, 2001 को दि पायनियर में यथा प्रकाशित समाचार के अनुसार हाल में राजधानी में रिलायंस और भारती टेलीनेट द्वारा खुदाई के दौरान केबल और टेलीफोन लाइनों को हुई क्षति के कारण महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को करोड़ों रुपये की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। मैसर्स भारती टेलीनेट लिमिटेड और मैसर्स नेटवेयर इन्फोसिस (प्रा.) लि. द्वारा खुदाई के दौरान केबलों और टेलीफोन लाइनों को हुई क्षति के कारण महानगर टेलीफोन निगम लि. को हानि हुई है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(i) मैसर्स भारती टेलीनेट लिमिटेड

प्रभावित क्षेत्र	क्षतिग्रस्त केबल पेयरों की संख्या
मानसिंह रोड, तिलक मार्ग, तिलक लेन, सीजीओ कम्प्लेक्स, जनपथ रोड, सुब्रमणियम भारती मार्ग, फिरोजशाह रोड, पारस सिनेमा के पीछे, पुराना किला रोड, डिफेन्स कालोनी, लोधी रोड, शाहजहां रोड, चाणक्यपुरी क्षेत्र, कनॉट प्लेट बहुमंजिले फ्लैट्स, कैनिंग रोड, मथुरा रोड, भगवानदास रोड आदि।	5232 (लगभग)

(ii) मैसर्स नेटवेयर इन्फोसिस प्रा. लिमिटेड

प्रभावित क्षेत्र	क्षतिग्रस्त केबल पेयरों की संख्या
कनॉट प्लेस, वंदना बिल्डिंग, हिमालया हाऊस, अमेरिकन सेंटर, ईसीई हाऊस, न्यू दिल्ली हाऊस, अशोका इस्टेट, आकाशदीप निर्मलटावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जीवन प्रकाश, सिंधिया हाऊस आदि क्षेत्रों में टॉलस्टॉय मार्ग।	5400 (लगभग)

(ग) (i) मैसर्स भारती टेलीनेट लिमिटेड के विरुद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में 29.6.2001 को 15 लाख रु. की क्षतिपूर्ति के लिए वाद संख्या 129/2001 दायर किया गया। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस कंपनी को आगे और खुदाई करने से रोकते हुए 2.7.2001 को आदेश जारी किए गए। मामले की अगली सुनवाई 31.7.2001 को होगी।

(ii) 33 लाख रु. की क्षतिपूर्ति के लिए माननीय उच्च न्यायालय में 2 जुलाई 2001 को वाद संख्या 129/2001 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त कंपनी द्वारा आगे खुदाई पर रोक लगाते हुए आदेश जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 31.07.2001 को होगी।

समुद्रतटीय लवणीय वनों में कमी

141. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या समुद्रतटीय वलणीय वनों के कम होने और उनके विनाश के कारण हाल ही में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के समुद्रतटीय क्षेत्रों में चक्रवात और ज्वार भाटीय लहरों से हुए विनाश में कई गुणा वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दसवीं योजना अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के समुद्रतट पर लवणीय वनों को पुनः उगाने के लिए कोई योजना और परियोजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नौवीं योजना अवधि के दौरान लवणीय वन उगाने के लिए कोई प्रयास किए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नौवीं योजना के दौरान प्रति वर्ष राज्य-वार निर्धारित वित्तीय आबंटन, व्यय, वास्तविक निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियां क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ङ) आंध्रप्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में हाल ही में आए चक्रवात द्वारा भारी विनाश हुआ है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 1986 से कच्छ वनस्पतियों तथा प्रवाल भित्तियों के संरक्षण एवं प्रबंधन पर एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। कच्छ वनस्पतियों का विकास नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए एक थ्रस्ट क्षेत्र के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है। एकीकृत वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत तटीय शेल्टर पट्टी पौधरोपण परियोजना को चक्रवात के प्रभाव को दूर करने के लिए 2000–01 में शुरू किया गया है ताकि भूमि कटाव और रेत के टिब्बों के भीतरी बहाव को रोका जा सके। इन परियोजनाओं को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखे जाने की संभावना है। इन स्कीमों के अंतर्गत नौवीं योजना के दौरान, राज्यवार वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

नौवीं योजना अवधि के दौरान प्रवाल भित्तियों और कच्छ वनस्पतियों के संरक्षण और तटीय शैल्टर बैल्ट पौध रोपण से संबंधित स्कीमों की राज्यवार वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियां

कच्छ वनस्पतियां

(क्षेत्र हैक्टेयर में और राशि लाख रु. में)

राज्य/कच्छ वनस्पति क्षेत्र		1997–98		1998–99		1999–2000		2000–01		2001–02		कुल नौवीं योजना	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आंध्र प्रदेश :	वास्तविक	–	–	450	450	–	–	400	400	350	–	1200	850
कोरिंगा													
कृष्णा													
पूर्वी गोदावरी	वित्तीय	–	–	28.02	28.02	–	–	59.87	59.87	65.85	–	153.74	87.89
उड़ीसा :	वास्तविक	–	–	–	–	350	–	450	–	–	–	800	–
भीटारकणिका													
महानदी													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
सुबेरणरेखा देवी	वित्तीय	–	–	–	–	44.06	–	55.75	–	–	–	99.81	–
पश्चिम बंगाल :	वास्तविक	300	300	400	400	500	500	–	–	–	–	1200	1200
सुन्दरवन	वित्तीय	66.82	66.82	63.60	63.60	44.95	44.95	–	–	–	–	175.37	175.37

आई ए ई पी एस के अंतर्गत तटीय शैल्टर बैल्ट पौध रोपण परियोजनाएं :

(क्षेत्र हैक्टेयर में और राशि लाख रु. में)

राज्य	जिला	2000–01					2001–02					कुल नौवीं योजना	
		वास्त. लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	रिलीज	वास्त. उपल.	वित्तीय उपल.	वास्त. लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	रिलीज	वास्त. उपल.	वित्तीय उपल.	वास्त. लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम, विजयनगरम, कृष्णा, गुंटूर और नैलूर	0	154.43	79.78	0	79.76	2050	318.01	105.18	0	0.00	2050	472.44
उड़ीसा	पुरी, गंजम, बालासौर, केन्द्रपाड़ा, जगतसिंहपुर और भद्रक	2000	870.70	441.09	100	100.80	6000	617.81	0.00	0	0.00	8000	1488.51
पश्चिम बंगाल	खड़गपुर	0	13.80	7.60	0	6.06	1.50	16.22	10.56	0	0.00	150	30.02
	कुल	2000	1038.93	528.47	100	186.62	8200	952.04	115.74	0	0.0	10200	1990.97

[हिन्दी]

रांची विमानपत्तन पर बुनियादी सुविधाएं

142. प्रो. दुखा भगत : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची विमानपत्तन पर शेड, शौचालय आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार सरकार द्वारा वहां बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) रांची हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन के भीतर सभी मूल सुविधाएं उपलब्ध हैं। टर्मिनल भवन के बाहर, कार पार्किंग, पीने के पानी आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। टर्मिनल भवन के बाहर एक कनॉपी (छतरीनुमा) का निर्माण कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है जिसमें आगंतुकों की सुविधा के लिए शौचालय, पानी, बैठने के लिए कुर्सियां आदि की सुविधा होगी।

टर्मिनल भवनों के भीतर और बाहर उपलब्ध यात्री सुविधाओं में और सुधार लाने के सतत प्रयास किए जाते हैं चूंकि यह एक सतत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

लम्बी दूरी की राष्ट्रीय टेलीफोन सेवाएं

143. डा. वी. सरोजा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन कंपनियों को राज्यवार लंबी दूरी की राष्ट्रीय टेलीफोन सेवाओं हेतु लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(ख) इन कंपनियों के कब तक अपना कार्य शुरू किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) किसी भी निजी कंपनी के साथ राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा के प्रचालन के लिए कोई लाइसेंस करार नहीं किया गया है। लाइसेंस मंजूर किए जाने और लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने हेतु कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए दो कंपनियों अर्थात् मैसर्स रिलायंस कम्यूनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स भारती टेलीसोनिक लिमिटेड को आशय पत्र (एलओआई) जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा का यह लाइसेंस पूरे भारत के लिए है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विदेश संचार निगम लिमिटेड

144. श्री सुबोध राय :
श्री विजय गोयल :
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री प्रबोध पण्डा :
डा. राम चन्द्र डोम :
श्री महबूब जहेदी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड के अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आई.एस.डी.) की कालों पर एकाधिकार को आगामी मार्च तक समाप्त किए जाने संबंधी सरकार की घोषणा के परिणामस्वरूप प्रस्तावित विनिवेश से ठीक पहले वी.एस.एन.एल. के शेयर मूल्यों में अत्यधिक गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितने राजस्व का घाटा होगा; और

(ग) सरकार द्वारा वी.एस.एन.एल. को सुदृढ़ करने और शेयरों का अवमूल्यन रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) जी, नहीं। विदेश संचार निगम लिमिटेड के शेयर मूल्य में गिरावट अनेक बाजार शक्तियों और बाजार भावनाओं के कारण हुई है न कि 1.4.2002 से अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी कालों पर विदेशी संचार निगम लिमिटेड का एकाधिकार समाप्त हो जाने के कारण। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लगभग सभी कंपनियों के शेयर मूल्य में भारी कमी हुई है। विदेश संचार निगम लिमिटेड का शेयर मूल्य भी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सामान्य भारतीय पूंजी बाजार के रुख से प्रभावित हुआ।

वी.एस.एन.एल. के अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी पर एकाधिकार को निर्धारित समय से पूर्व अर्थात 1.4.2004 के स्थान पर 1.4.2002 को ही समाप्त करने के कारण उसे होने वाली संभावित हानि को पूरा करने के लिए सरकार ने वी.एस.एन.एल. को निम्नलिखित क्षतिपूर्ति पैकेज देने का निर्णय लिया है :

1. निम्नलिखित पैकेज के साथ राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवाओं (एनएलडी) को चलाने के लिए लाइसेंस प्रदान करना :

   (क) 1 अप्रैल, 2001 से शुरू होने वाले 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रवेश शुल्क और लाइसेंस शुल्क के रूप में वी.एस.एन.एल. द्वारा प्रदत्त राशि के समान राशि का भुगतान सरकार, सभी कर काट कर, वी.एस.एन.एल. को करेगी।

   (ख) निर्धारित रॉल आऊट के लिए 400 करोड़ रु. की निष्पादन बैंक गारंटी माफ कर दी जाएगी।

2. वी.एस.एन.एल. को "क" श्रेणी का आईएसपी लाइसेंस प्रदान किया जाएगा जिससे वह समूचे देश में इंटरनेट संपर्कता प्रदान कर सकेगा।

3. विस्तृत समीक्षा करने पर यदि सरकार द्वारा अतिरिक्त क्षतिपूर्ति देना आवश्यक समझा जाता है तो वह उस पर भी विचार कर सकती है।

फीडर नहर का निर्माण

145. श्री जी. एस. बसवराज :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने फीडर नहर परियोजना का निर्माण न करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध करने के लिए केन्द्र सरकार से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक सरकार द्वारा उठाई गई मुख्य आपत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार किस सीमा तक कर्नाटक सरकार को सहायता देने के लिए सहमत हो गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह आन्ध्र प्रदेश पर दबाव डाले कि वह सिदागप्पन कट्टे से बयादगेरे चेरूवू को जोड़ने के लिए फीडर चैनल के निर्माण को इस समय आगे न बढ़ाए क्योंकि इस फीडर चैनल के निर्माण से कर्नाटक राज्य के जिला तुमकुर के सिरा तालुक में स्थित होन्नागोन्डनहल्ली और अन्य टैंकों के आवाह क्षेत्र के जल में पूरी रुकावट आ जाएगी।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि फीडर चैनल का निर्माण कार्य रोक दिया गया है।

[हिन्दी]

निजी टेलीफोन आपरेटर्स

146. राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी टेलीफोन आपरेटरों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करने हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान और आज तक उक्त आपरेटरों में से प्रत्येक आपरेटर द्वारा कितने टेलीफोन मुहैया कराए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा समझौते का उल्लंघन करने वाली दोषी कंपनियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। छः निजी बुनियादी टेलीफोन सेवा आपरेटर अर्थात् मध्य प्रदेश में मैसर्स भारती टेलीनेट लिमिटेड, गुजरात में मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम (प्राइवेट) लिमिटेड, पंजाब में मैसर्स एचएफसीएल इन्फोटेल लिमिटेड, आंध्र प्रदेश में मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज, महाराष्ट्र में मैसर्स ह्यूजेज टेलीकॉम (इंडिया) लिमिटेड और राजस्थान में मैसर्स श्याम टेलीलिंक लिमिटेड हैं।

(ग) और (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) की व्यवस्था के लिए उनके द्वारा प्रतिबद्ध लक्ष्यों और पिछले दो वर्षों में अब तक वास्तव में लगाए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या के अनुसार उपलब्धियों के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) इन निजी आपरेटरों से सतत् रूप से आग्रह किया गया है कि वे अपने प्रतिबद्ध दायित्वों के निर्वहन के लिए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के पूरे न हो पाए लक्ष्यों की बैकलॉग निपटाने के लिए एक सुनिश्चित समयबद्ध क्षेत्र–वार विकास योजना प्रस्तुत करें और उनका अनुपालन करें। उन्हें यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि लाइसेंस करार में उनके द्वारा स्वैच्छिक रूप से स्वीकार किए गए उनके प्रतिबद्ध कार्य–निष्पादन दायित्वों में कोई कमी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी समाभिरूपता संबंधी दल के निर्णय के अनुसार निजी बुनियादी टेलीफोन सेवा आपरेटरों से यह भी कहा गया है कि वे अधिक से अधिक वर्ष 2002 के अंत तक जिस समय तक नई दूरसंचार नीति 99 की परिकल्पना के अनुसार टेलीफोन मांग पर उपलब्धता होगा, निश्चित समय सीमा के भीतर शेष विकास दायित्वों को पूरा करने के लिए एक वचनबद्धता और अतिरिक्त कार्य–निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करें।

विवरण

प्राइवेट लाइसेंसधारकों द्वारा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) की व्यवस्था

क्र.सं.	लाइसेंसधारक और लाइसेंसशुदा सर्किल	लाइसेंस की प्रभावी तारीख	*पहले तीन वर्षों के लिए वीपीटी के लिए वचनबद्ध लक्ष्य (लाइसेंस करार के अंतर्गत देयताओं के अनुसार)			प्रथम तीन वर्षों में वचनबद्ध वीपीटी की कुल संख्या	(30.06.01)> तक वस्तुतः प्रदत्त वीपीटी की संख्या
			प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मै. टाटा टेली सर्विसेज (आंध्र प्रदेश)	30.9.97	9635 (30.9.98 तक)	(प्रथम वर्ष में अर्थात् 30.9.1998 तक सभी गांव शामिल किए जाने थे)		9635	5

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	मै. रिलायंस टेलीकाम (गुजरात)	30.9.97	8635 (30.9.98 तक)	(प्रथम वर्ष में अर्थात् 30.9.1998 तक सभी गांव शामिल किए जाने थे)		8635	शून्य
3.	मै. एचएफसीएल इन्फोटेल लि. (पंजाब)	30.9.97	5442 (30.9.98 तक)	(प्रथम वर्ष में अर्थात् 30.9.1998 तक सभी गांव शामिल किए जाने थे)		5442	शून्य
4.	मै. ह्यूजेस टेलीकॉम इंडिया (महाराष्ट्र)	30.9.97	4000 (30.9.98 तक)	21760 (30.9.99 तक)	30.9.99 तक कोई गांव सुविधा–रहित नहीं छोड़ा जाना था	25760	शून्य
5.	मै. भारती टेलीनेट (मध्य प्रदेश)	30.9.97	5500 (30.9.98 तक)	5500 (30.9.99 तक)	5500 (30.9.2000 तक)	16500	348
6.	मै. श्याम टेलीलिंक (राजस्थान)	04.3.98	7439 (04.3.99 तक)	10629 (4.3.2000 तक)	13766 (4.3.2001 तक)	31834 (36727)**	209
	जोड़		40651	37889	19266	97806	562

*सीधी एक्सचेंज लाइनों के प्रतिबद्ध लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बोली/निविदा दस्तावेज पर आधारित निरपेक्ष रूप में विवेचित तथा शामिल न किए गए गांवों के आंकड़े निविदा में बताए गए हैं।

**राजस्थान सेवा–क्षेत्र में लाइसेंसधारकों की 36727 प्रतिबद्धता के मुकाबले, कवर न किए गए कुल गांव केवल 31834 ही हैं।

>लाइसेंसधारकों की सूचना के अनुसार।

[अनुवाद]

मुक्त आकाश नीति

147. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुक्त आकाश नीति तैयार करने के लिए निजी एअरलाइनों की ओर से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) 11 मई, 1992 से ही कार्गो उड़ानों के लिए मुक्त आकाश नीति पहले से ही बनी हुई है। नीति में निजी ऑपरेटरों, निर्यातक संघ इत्यादि के मामले में सहयोगी व अनुकूल रवैया अपनाया जाना शामिल है ताकि वे भाड़ा विमानों को खरीदने अथवा पट्टे पर देने के लिए अपने आप अथवा कन्सोटियम आधार पर हवाई कार्गो का प्रचालन कर सकें।

[हिन्दी]

उपग्रह टेलीफोन

148. श्रीमती जस कौर मीणा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय जिले–वार कितने उपग्रह टेलीफोन लगाए गए हैं;

(ख) क्या ये टेलीफोन राज्य के दूर–दराज के क्षेत्रों में लगाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो दूर–दराज के क्षेत्रों में ये टेलीफोन कब तक लगा दिए जाएंगे?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) इस समय राजस्थान राज्य के दूर–दराज के क्षेत्रों में 2 उपग्रह टेलीफोन लगाए गए हैं; जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

जिला	कार्यरत उपग्रह टेलीफोनों की संख्या	स्थान
जैसलमेर	1	जनिया
बाड़मेर	1	सुन्देरा

(ग) देश के दूर–दराज के क्षेत्रों में जो उपग्रह टेलीफोन लगाए गए हैं, वे ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन के रूप में हैं। जैसाकि राज्य के शेष सभी गांवों को निजी स्थिर सेवा प्रदाता द्वारा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जाने हैं, इसलिए राज्य में भारत निनगम लि. द्वारा और उपग्रह टेलीफोन स्थापित किए जाने की कोई योजना नहीं है।

भारत में श्रम शक्ति

149. श्री नवल किशोर राय :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में अलग–अलग कुल श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत श्रमिक लगे हुए हैं;

(ख) वर्ष 2000 के दौरान उपर्युक्त क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र में श्रमिकों की अलग–अलग न्यूनतम और अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कम वार्षिक वृद्धि दर में वृद्धि लाने के मामले में क्या आकलन किया गया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) रोजगार, बेरोजगारी तथा श्रम बल के अनुमान, समय–समय पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा अंतिम सर्वेक्षण वर्ष 1999–2000 में किया गया था। सामान्य प्रमुख तथा गौण स्थिति (यूपीएसएस) दृष्टिकोण के अनुसार उद्योग प्रभाग द्वारा सामान्यतया रोजगार में लगाए गए व्यक्तियों के वितरण की प्रतिशतता निम्नलिखित है :

उद्योग प्रभाग द्वारा सामान्यतया नियोजित व्यक्तियों की प्रतिशतता (यूपीएसएस)

क्षेत्र	ग्रामीण		शहरी	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
कृषि	71.4	85.4	6.6	17.7
विनिर्माण	7.3	7.6	22.4	24.0
सेवाएं	6.1	3.7	21.0	34.2

(ख) और (ग) श्रम की अधिकतम तथा न्यूनतम मजदूरी तथा कम रोजगार अवसरों में परिवर्तनों से संबंधित सूचना नहीं रखी जाती। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार केवल अनुसूचित रोजगारों से संबंधित न्यूनतम मजदूरी ही नियत की जाती है।

[अनुवाद]

मोनर से सूरत तक चार लेनों वाली सड़क का निर्माण

150. श्री चिंतामन वनगा : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर मोनर से सूरत तक चार लेनों वाली सड़क का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी हां।

(ख) इस परियोजना में 176 किमी. लंबाई में विद्यमान दो लेन की सड़क को चार लेन की विभाजित सड़क बनाने की परिकल्पना है। इस परियोजना की लागत 867.00 करोड़ रु. है और इसका वित्तपोषण 180 मिलियन अमरीकी डालर के एशियाई विकास बैंक ऋण से किया जा रहा है। यह कार्य चल रहा है।

(ग) इस कार्य को अक्टूबर, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में एसटीडी/आईएसडी/ पीसीओ बूथ

151. श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय जिले–वार कितने एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ काम कर रहे हैं;

(ख) सन् 2001–2002 के दौरान स्थान–वार कितने उक्त बूथ स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) दूरसंचार जिले–वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 2001–2002 के दौरान मध्य प्रदेश में 500 पीसीओ बूथ स्थापित करने का प्रस्ताव है। तथापि, पीसीओ के स्थान के संबंध में निर्णय लेने की बात फ्रेंचाइजियों पर छोड़ दी गई है।

(ग) पीसीओ बूथ स्थापित करने के लिए निधियां अलग से आबंटित नहीं की जाती हैं।

विवरण

दूरसंचार जिले का नाम	चालू एसटीडी/आईएसडी पीसीओ बूथ की संख्या
1	2
1. बालाघाट	233
2. बेतूल	225
3. भोपाल	2039
4. छतरपुर	475
5. छिंदवाड़ा	421
6. दामोह	190
7. देवास	217
8. धार	325
9. गुना	301
10. ग्वालियर	1180
11. इन्दौर	2503
12. होशंगाबाद	519
13. जबलपुर	1737
14. खंडवा	499
15. खरगोन	445
16. मंडला	107
17. मंदसौर	646
18. मोरैना	612
19. नरसिंहपुर	193
20. पन्ना	85
21. रायसेन	106
22. राजगढ़	195
23. रतलाम	422
24. रीवा	422
25. सागर	538
26. झाबुआ	186
27 सतना	338
28. सियोनी	174
29. शहडोल	354
30. शाजापुर	186
31. शिवपुरी	209
32. सीधी	221
33. उज्जैन	739
34. विदीशा	213

[अनुवाद]

सड़क दुर्घटनाएं

152. श्री सुबोध मोहिते : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए निवारक कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विधि आयोग द्वारा इस संबंध में वर्ष, 1995 में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर आज तक क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विधि आयोग ने 1995 में इस विषय पर कोई सिफारिश नहीं की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रायल्टी की दरें

153. श्री जी. जे. जावीया : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने रायल्टी की दरें निर्धारित करने की मौजूदा प्रणाली को सुचारु बनाने के लिए केन्द्र सरकार से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रायल्टी की दरों में संशोधन करने के लिए विशेषज्ञों का सांविधिक निकाय स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञ निकाय द्वारा गुजरात सरकार के प्रस्तावों पर विचार किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। प्रमुख खनिजों की रायल्टी दरों की समीक्षा करने हेतु संबंधित विभाग/मंत्रालय में, परंपरागत रूप से, एक अध्ययन दल गठित किया जाता है जिसमें राज्य सरकारों, उद्योग, तकनीकी संस्थानों तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अध्ययन दल विस्तृत विचार विमर्श करने के बाद, रायल्टी की दरों के बारे में सिफारिश करता है। इन सिफारिशों पर सरकार विचार करती है तथा रायल्टी की दरों में फाइनल संशोधन राजपत्र में अधिसूचित किए जाते हैं। खान मंत्रालय ने दिनांक 5.10.1998 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा एक अध्ययन दल गठित किया था। अध्ययन दल ने अपनी सिफारिशें मार्च, 2000 में प्रस्तुत की हैं। सिफारिशों के आधार पर, प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट एवं भराव हेतु बालू को छोड़कर) की रायल्टी दरें 12.9.2000 से अधिसूचित की गई हैं। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) के अनुसार प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट एवं भराव हेतु बालू को छोड़कर) की रायल्टी दरों में संशोधन 12.9.2003 से पहले नहीं किए जा सकते।

(ग) से (च) रायल्टी दरों में संशोधन करने के लिए विशेषज्ञों की कोई सांविधिक बाडी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

संयुक्त टेलीकॉम कंपनी बनाना

154. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री बाबू भाई के. कटारा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला, टाटा, एटी एण्ड टी (बटाटा) और बी पी एल ने हाल ही में संयुक्त टेलीकॉम कंपनी बनाने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें प्रत्येक कंपनी के शेयरों की प्रतिशतता कितनी है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ इन कंपनियों के कार्य करने के लिए किन–किन क्षेत्रों का पता लगाया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) कुछ संबंधित कंपनियों द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार

ए.वी. बिड़ला ग्रुप, टाटा ग्रुप, ए टी एण्ड टी वायरलैस ग्रुप और बीपीएल ग्रुप ने सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के अध्यधीन एक संयुक्त उद्यम कंपनी गठित करने के अपने इरादे की घोषणा की है। तथापि, इन कंपनियों ने ऐसी संयुक्त उद्यम कंपनी के अनुमोदन के लिए दूरसंचार सेवाओं के लाइसेंसिंग प्राधिकारी (दूरसंचार विभाग) से अभी तक संपर्क नहीं किया है।

(ख) से (घ) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खेलों में प्रतिबंधित दवाओं का सेवन

155. श्री जे. एस. बराड़ : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायत अथवा सूचना प्राप्त हुई है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि 1982 के एशियाई खेलों के समय से सरकारी एजेंसियां प्रतिबंधित दवाओं के सेवन को बढ़ावा देने में लिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा खेलों में प्रतिबंधित दवाओं का सेवन रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) खेलों में प्रतिबंधित दवाओं के सेवन हेतु पकड़े गए शीर्षस्थ खिलाड़ियों, यदि कोई हों, के नाम क्या हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर दुर्घटनाएं

156. श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री रामजी मांझी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 अप्रैल, 2001 के 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में 'सेफ्टी कम्स एट ए प्रीमियम आन कंटरीज प्रीमियर स्ट्रेच ऑफ हाइवे' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) दुर्घटनाएं रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग–58 को सड़क के उठे हुए भागों से मुक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या दिल्ली से हरिद्वार तक राष्ट्रीय राजमार्ग–8 पर विभाजक की व्यवस्था करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सर्वेक्षण के कब तक पूरा किए जाने और उक्त सड़क पर विभाजक की व्यवस्था किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) सरकार को प्रकाशित समाचार की जानकारी है। सड़क की स्थिति, ज्यामिति, दुर्घटनाएं आदि से संबंधित ब्यौरे तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।

(ग) एक ऊंची उठी हुई मध्यिका के जरिए आने जाने वाले यातायात को अलग करना एक मानक प्रथा है। सड़क गुणता अच्छी है, सभी मोड 100 किमी. प्रतिघंटा की गति के लिए बनाए गए हैं, सड़क संकेतों की व्यवस्था की गई है तथा दुर्घटनाओं की बताई गई ऊंची दर तथ्यों पर आधारित नहीं है। राजमार्ग गश्त, एम्बूलेंस सेवा, क्रेन सेवा, बेहतर सड़क संकेत और चिह्नों जैसे अनेक सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

(घ) और (ङ) रा.रा. 58 दिल्ली और मेरठ के बीच पहले से ही 4 लेन का विभजित मार्ग है। मेरठ और हरिद्वार के बीच शेष खंड के लिए 2001–2002 के दौरान साध्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का प्रस्ताव है।

पर्यावरणीय प्रणाली हेतु यूएनडीपी सहायता

157. श्री अन्नसाहेब एम. के. पाटील : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यावरण प्रणाली प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में विफल हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत को दी जाने वाली यूएनडीपी की वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा संबंधी वित्त पोषण में लगातार वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान यू.एन. डी.पी. से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में पर्यावरणीय प्रणाली में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) भारत उप–महाद्वीपीय आयामों का देश होने के कारण यहां सूखा, बाढ़, चक्रवात, भूचाल आदि जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। तथापि ऐसा कोई अनुभव सिद्ध प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि हमारी पर्यावरणीय प्रणालियां, प्राकृतिक आपदाओं के लिए अधिक दोषपूर्ण हो गई हैं।

(ग) और (घ) जी, हां, यू.एन.डी.पी./जी.ई.एफ. के बजट के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत धनराशियां इस प्रकार हैं :

वर्ष	राशि अमरीकी डालर में
1998	2,174,600
1999	1,265,200
2000	6,067,000

(ङ) पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक कानूनों को लागू करने के अतिरिक्त सरकार ने जैव विविधता, नदियों, झीलों, कच्छ वनस्पति और कोरल रीफ्स के संरक्षण, एकीकृत वनीकरण और पारिविकास कार्यक्रम आदि जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए हैं।

हैदराबाद और विशाखापत्तनम विमानपत्तनों का विकास

158. श्री कालवा श्रीनिवासुलु :
श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान हैदराबाद तथा विशाखापत्तनम विमानपत्तनों के विकास कार्य हेतु अनुमोदित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक कार्य के लिए अलग–अलग कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ग) उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए विमानपत्तनों पर बेहतर और द्रुत यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाई प्रस्तावित है;

(घ) इस पर कुल कितनी अनुमानित लागत आएगी; और

(ङ) इस परियोजना पर कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) चालू वर्ष के दौरान हैदराबाद हवाई अड्डे के विकास कार्यों के लिए स्वीकृत योजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं : मौजूदा धावनपथ का 9080 फुट से 10600 फुट तक विस्तार तथा संबद्ध सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, नाले के ऊपर कलवर्ट का निर्माण तथा मौजूदा कल्वर्टों का सुदृढ़ीकरण, उपकरण अवतरण प्रणाली का पार–संस्थापन तथा संपर्क विद्युत व्यवस्था का संस्थापन, धावनपथ के बढ़े हुए हिस्से पर अतिरिक्त प्रकाश–व्यवस्था करना, संस्थापन तथा वृहतकाय जेट विमानों की जरूरत को पूरा करने के लिए मौजूदा एप्रन और टैक्सीपथ का सुदृढ़ीकरण। विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर मध्यम क्षमता वाले रेंज (एम.सी.एल.आर.) श्रेणी के विमानों के प्रचालन के लिए उपयुक्त 10,000 फट x 150 फुट वीया के नए धावनपथ के निर्माण का प्रस्ताव है। नए एप्रन, संपर्क टैक्सी मार्ग इत्यादि के निर्माण तथा दिक्चाचलनात्मक सुविधाएं और सभी मौसम में प्रचालन के लिए भू–प्रकाश सुविधाओं का संस्थापन, चारदीवारी, पैरीमीटर, रोड, अग्निशमन उप केन्द्र, एप्रोच रोड इत्यादि का प्रावधान तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के वहन के लिए नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण।

(ख) वर्ष 2001–2002 के दौरान हैदराबाद तथा विशाखापत्तनम हवाई अड्डे दोनों में से प्रत्येक के लिए एक करोड़ रुपये का सांकेतिक (टोकन) प्रावधान किया गया है जिसे जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है।

(ग) यात्री सुविधाओं को बढ़ाना सतत प्रक्रिया है जिसे मांग तथा संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए उपलब्ध कराया जा रहा है।

(घ) हैदराबाद हवाई अड्डे के विकास के लिए अनुमानित लागत 70 करोड़ रु. है जबकि विशाखापत्तनम हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए अनुमानित लागत 160 करोड़ रुपये है।

(ङ) कार्य सौंपने के बाद कार्य–निष्पादन अवधि हैदराबाद और विशाखापत्तनम हवाई अड्डे के लिए क्रमशः 2 और 3 वर्ष है।

विदेशों में भारतीय कामगारों का कल्याण

159. श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री अबुल हसनत खां :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में भारतीय कामगारों

के कल्याण हेतु केन्द्रीय कार्मिक शक्ति निर्यात संवर्धन परिषद (एम.ई.पी.सी) और भारतीय विदेश कामगार कोष स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ग) गैर–सरकारी भर्ती एजेंसियों द्वारा अभ्यर्थियों को धोखा देने के अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को उत्पीड़ित करने और उनसे बड़ी धनराशि वसूल करने से संबंधित उनकी गतिविधियां रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ कुछ शुल्क एकत्र करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क), (ख), (घ) और (ङ) केन्द्रीय निर्यात परिषद तथा भारतीय विदेश कामगार कल्याण कोष के गठन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) अभ्यर्थियों को परेशान करने तथा उनसे भारी रकम उगाहने संबंधी छुटपुट शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसी शिकायतें प्राप्त होते ही पंजीकृत भर्ती एजेंटों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित/रद्द करने के लिए कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे फरेबी एजेंटों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए पुलिस स्टेशन स्तर तक के लिए अनुदेश जारी करें।

[हिन्दी]

वीएसएनएल और एमटीएनएल सेल्यूलर सेवा

160. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा सेल्यूलर/मोबाइल सेवा शुरू करने के साथ गैर–सरकारी मोबाइल/सेल्यूलर आपरेटरों ने अपनी मोबाइल सेवा के किराए दर कम कर दिए हैं जिसके परिणाम–स्वरूप सरकारी मोबाइल/सेल्यूलर सेवा आय की दृष्टि से प्रभावित हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सरकारी मोबाइल सेवा में सुधार लाने और इसे गैर–सरकारी मोबाइल सेवा आपरेटरों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) विदेश संचार निगम लिमिटेड ने कोई सेल्यूलर/मोबाइल टेलीफोन सेवाएं शुरू नहीं की हैं। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा तुलनात्मक रूप से घटी हुई दरों पर सेल्यूलर/मोबाइल टेलीफोन सेवा की शुरूआत से निजी सेल्यूलर आपरेटरों ने भी अपनी मोबाइल सेवा के प्रभारों में कमी की है। प्रतिस्पर्धी वातावरण में टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने का उद्देश्य अधिक कनेक्शन देकर राजस्व में वृद्धि करना है। निबल प्रभाव कुछ समय के बाद देखा जाएगा।

(ख) नई मोबाइल सेवा में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है और इष्टतम कार्य किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में वनों के विकास के लिए परियोजना

161. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वनों के विकास के लिए केन्द्र सरकार को कोई परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस परियोजना को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक द्वारा संभावित सहायता प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना (चरण–2) प्रस्तुत की है।

(ख) मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना (चरण–2) मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना (चरण–1) का ही अगला भाग है। इस योजना का उद्देश्य स्थायी वन प्रबंधन के माध्यम से वनांचल में रहने वाले गरीब ग्रामीणों के लिए आजीविका के अवसरों में वृद्धि करके गरीबी को कम करना है। इस परियोजना के अंतर्गत विशेष महत्व के क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

(i) उत्पादन में वृद्धि (ii) बीज विकास (iii) जैव–तकनीकी (iv) व्यावहारिक अनुसंधान और (v) विस्तार। इस परियोजना

की अवधि 5 साल है तथा इसकी अनुमानित लागत 900 करोड़ रुपये है।

(ग) से (ङ) यह परियोजना विश्व बैंक को भेज दी गई है और इस प्रस्ताव पर विश्व बैंक ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

टेलीफोन डायरेक्टरी

162. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार विशेषतः सहरसा जिले में वर्ष 1997 के बाद से टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित नहीं की गई है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) टेलीफोन डायरेक्टरी को समय से प्रकाशित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) सहरसा दूरसंचार जिले में डायरेक्ट्री का पिछला मुद्रण वर्ष 1996 में हुआ था। तथापि, बिहार के 5 दूरसंचार जिलों में पिछले एक वर्ष के दौरान डायरेक्ट्रियों का मुद्रण किया गया है। शेष 9 दूरसंचार जिलों में चालू वर्ष के दौरान उत्तरोत्तर रूप से डायरेक्ट्रियों का मुद्रण किया जाना है।

(ख) टेलीफोन डायरेक्ट्रियों के मुद्रण में विलम्ब ठेके संबंधी समस्याओं के कारण हुआ था।

(ग) टेलीफोन डायरेक्ट्रियों के समय पर मुद्रण को ध्यान में रखते हुए हाल ही में नीति में संशोधन किया गया है।

एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथ

163. श्री हरिभाई चौधरी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग और बेरोजगार व्यक्तियों को आबंटित किए गए एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथों को अवैध ढंग से दूसरे व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान राज्य–वार ऐसे कितने मामलों की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ग) क्या कुछ कर्मचारियों को भी इन अनियमितताओं में संलिप्त पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) :

एमटीएनएल (दिल्ली और मुंबई) से संबंधित सूचना

(क) और (ख) एमटीएनएल दिल्ली में विकलांग व्यक्ति को आबंटित पीसीओ बूथ को अन्य व्यक्ति द्वारा चलाए जाने के एक मामले का पता चला है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बीएसएनएल (शेष भारत) से संबंधित सूचना

(क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जैव-विविधता विधेयक

164. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जैव विविधता विधेयक लाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विधेयक को कब तक लाए जाने की संभावना है; और

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा अपनाई जा रही राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना भारत की जैव विविधता को समझने और उसके संरक्षण में किस हद तक सफल रही है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) सरकार ने लोक सभा में मई, 2000 को जैव विविधता विधेयक पेश किया था। इस विधान के मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण और सतत् उपयोग तथा जैविक संसाधनों और इससे संबंधित ज्ञान से होने वाले लाभों की समान हिस्सेदारी प्रदान करना है।

(ग) राष्ट्रीय जैव विविधता नीति और कार्य परियोजना को 11.4.2000 को औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। यह परियोजना दो वर्षों की अवधि के लिए है। इस परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकारें, शैक्षिक संस्थान, विशेषज्ञ और गैर–सरकारी संगठन मिलकर जैव विविधता के संरक्षण के लिए

उप राज्य, राज्य क्षेत्रीय और थिमैटिक स्तरों पर कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

165. श्री शंकर सिंह वाघेला :
डा. अशोक पटेल :
श्री रामपाल सिंह :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे काम कर रहे हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनकी आय और व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को पूरा करने की लक्षित तिथि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नोएडा में भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितना व्यय किए जाने का अनुमान है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) देश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा रख–रखाव किए जाने वाले 11 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जिसके लिए विगत तीन वर्षों के आय–व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। कोचीन स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीआईएएल द्वारा प्रचालन किया जाता है।

(ख) और (ग) जी, हां। भारत सरकार ने बेंगलूर, हैदराबाद और गोवा में निजी क्षेत्र की भागीदारी से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। संबंधित राज्य सरकारें इन परियोजनाओं को कार्यरूप देने के लिए संयुक्त उद्यम के निजी क्षेत्र के भागीदार को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। उपयुक्त के दृष्टिगत इन परियोजनाओं के लिए इस समय कोई निश्चित समय–सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

(घ) और (ङ) वर्तमान समय में नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की कोई योजना नहीं है।

विवरण

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के आय एवं व्यय के ब्यौरे

(लाख रुपयों में)

हवाई अड्डे का नाम	सं. अ. राजस्व	2000–2001 व्यय	वास्तविक राजस्व	1999–2000 व्यय	वास्तविक राजस्व	1998–1999 व्यय
दिल्ली	44886.67	29820.64	42329.93	27448.27	42247.67	28081.68
चेन्नई	21092.74	12776.8	19049.88	13022.13	17526.84	12076.44
मुंबई	55508.25	28843.86	53433.65	28754.44	53442.61	27725.5
कोलकाता	15811.83	12921.85	15226.82	13452.02	14123.96	13031.84
त्रिवेन्द्रम	2596.38	3518.41	2268.14	3288.32	2713.88	3725.25
हैदराबाद	3899.72	3392.27	2133.37	2731.5	1954.2	2363.64
गोवा	1178.83	733.5	625.8	484.63	551.16	506.42
बंगलौर	4167.12	2296.13	1987.79	1797.26	1818.34	1411.54
अहमदाबाद	1974.68	2351.78	1458.84	1713.6	1354.27	1642.14
अमृतसर	272.95	581.6	139.27	422.5	138.99	463.03
गवाहाटी	1179.31	4334.21	768.96	2789.69	583.7	2024.18

छोटे विमानों की सेवा को शुरू किया जाना

166. श्री रामदास आठवले : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में छोटे विमानों की चार्टर सेवा को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सेवा के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले शहरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

इंडियन एयरलाइंस के किरायों में वृद्धि

167. श्री पदमसेन चौधरी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में इंडियन एयरलाइंस के किरायों में वृद्धि करने संबंधी कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिशतवार वृद्धि सहित इंडियन एयरलाइंस के किरायों में की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) इंडियन एयरलाइंस ने दिनांक 25.5.2001 से मार्किट रिस्पोंसिव फ्लैक्सी किराए लागू किए हैं जिनसे एयरलाइन्स को "सेक्टर से सेक्टर" और "सीजन से सीजन" के आधार पर किराया भिन्नता के बारे में विचार करने में सहायता मिलती है।

(ख) पिछले वर्ष से निवेशों की लागतों में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जिनमें से मुख्य–मुख्य ये हैं :

(1) एटीएफ मूल्य तथा तत्संबंधी बिक्रीकर में वृद्धि।

(2) भू एवं दिक्चालनात्मक प्रभारों में वृद्धि।

(3) विनियम दर में वृद्धि, पुराने विमान बेड़े और फालतू पुर्जों की कीमत में वृद्धि की वजह से विमान अनुरक्षण व्यय में वृद्धि।

(4) बीमा प्रीमियम में वृद्धि।

(5) इंडियन एयरलाइंस लि/एएआईएल नेटवर्क में घरेलू उड़ानों की रेंडम स्काई मार्शलिंग की वजह से सुरक्षा व्यय में वृद्धि।

(6) स्वयं हैंडलिंग सुविधा हटाने की वजह से कोचीन हवाई अड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग लागत में वृद्धि।

उक्त सभी लागतें इंडियन एयरलाइंस के बूते से बाहर थीं।

फ्लेक्सी किराया लागू करने से अपेक्षाकृत अधिक राजस्व वसूली होगी जिससे निवेश लागतों में वृद्धि पर आंशिक रोक लग पाएगी।

(ग) 165 सेक्टरों में से 86 सेक्टरों पर ही किराए में वृद्धि की गई जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है

किरायों में वृद्धि	सेक्टरों की संख्या
0–5 प्रति.	9
5–10 प्रति.	20
10–15 प्रति.	39
कुल	68

श्रेणी–II के प्रतिस्पर्धात्मक मार्गों पर किरायों को प्रतिस्पर्धकों से लगभग 100/– रु. से 400/– रु. तक कम रखा गया है।

3 सेक्टरों पर किराए 25 मई, 2001 से पूर्व ही कम कर दिए गए जो 28 जून, 2001 से प्रभावी हैं।

इंडियन एयरलाइन्स ने अपने किराए में अक्तूबर, 1998 में वृद्धि कर दी थी तब 11.2 प्रतिशत किराया वृद्धि से पूर्वोत्तर और अन्य श्रेणी–II मार्गों, जहां किराया वृद्धि से कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, के अलावा सभी घरेलू सेक्टरों पर इसका प्रभाव पड़ा था।

[अनुवाद]

हवाई अड्डों पर सी.आई.एस.एफ. की तैनाती

168. श्री भीम दाहाल : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है, जिनकी सुरक्षा के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) को तैनात किया गया है;

(ख) उन हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था राज्य पुलिस को सौंपी गई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान दूसरे हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था भी सी.आई.एस.एफ. को सौंपे जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) उन 20 हवाई अड्डों की सूची, जिन पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) उन 46 हवाई अड्डों की सूची, जिन पर सुरक्षा प्रबंध राज्य/संघ शासित पुलिस द्वारा किये जा रहे हैं, संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ग) से (ङ) सरकार ने देश में सभी प्रचालनात्मक हवाई अड्डों पर चरणबद्ध रूप से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात करने का निर्णय लिया है।

विवरण-I

वे हवाई अड्डे, जहां पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती की गई है

1.	अगरतला	11.	लखनऊ
2.	अहमदाबाद	12.	मंगलौर
3.	बागडोगरा	13.	पटना
4.	बंगलौर	14.	पोर्ट ब्लेयर
5.	भोपाल	15.	राजकोट
6.	चंडीगढ़	16.	रांची
7.	कोचीन	17.	उदयपुर
8.	गुवाहाटी	18.	वडोडरा
9.	हैदराबाद	19.	विशाखापत्तनम
10.	जयपुर	20.	भुज

विवरण-II

वे हवाई अड्डे, जहां सुरक्षा प्रबंधों की देखभाल राज्य/संघ शासित प्रदेश पुलिस द्वारा की जाती है

1.	अगती	24.	खजुराहो
2.	आगरा	25.	लेह
3.	औरंगाबाद	26.	लेंगपुई
4.	भावनगर	27.	मदुरई
5.	भुवनेश्वर	28.	नागपुर
6.	भुन्तर	29.	पोरबंदर
7.	कालीकट	30.	पुणे
8.	कोयम्बतूर	31.	वुट्टापारथी
9.	देहरादून	32.	रायपुर
10.	डिब्रुगढ़	33.	शिमला
11.	विभापुर	34.	सिल्चर
12.	दियू	35.	श्रीनगर
13.	गग्गल	36.	तेजपुर
14.	ग्वालियर	37.	त्रिरूचि
15.	इम्फाल	38.	तिरुपति
16.	इन्दौर	39.	वाराणसी
17	जबलपुर	40.	अमृतसर
18.	जैसलमेर	41.	कोलकाता
19.	जम्मू	42.	चेन्नई
20.	जामनगर	43.	दिल्ली
21.	जोधपुर	44.	गोवा
22.	जोरहाट	45.	मुंबई
23.	केशोड	46.	तिरूवनन्तपुरम

हवाई अड्डों का निजीकरण

169. श्री बी. के. पार्थसारथी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लाभ अर्जित करने वाले और घाटे में चलने वाले हवाई अड्डे कौन–कौन से हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा लाभ अर्जित करने और घाटे में चलने वाले दोनों प्रकार के हवाई अड्डों का निजीकरण किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) मुनाफा कमाने वाले हवाई अड्डों के नाम निम्नानुसार हैं · दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, गोवा, बैंगलूर, कालीकट, जुहू, भुज और पुणे हवाई अड्डे।

घाटे वाले हवाई अड्डे निम्नांकित हैं :

पूर्वोत्तर : गुवाहाटी, अगरतला, आइजोल (लेंगपुई), डिब्रुगढ़, दीमापुर, इम्फाल, लीलाबाड़ी, शिलांग, पासीघाट, कूच बिहार, कैलाशहार, खोवाई, कमालपुर, रूप्सी, शेल्ला, बागडोगरा, जोरहाट, सिल्चर, तेजू, जीरो, तेजपुर, एलोंग, ओर डापरिजो।

उत्तरी : अमृतसर, आगरा, चंडीगढ़, जम्मू, जोधपुर, लेह, ग्वालियर, श्रीनगर, कानपुर, इलाहाबाद, बीकानेर, जैसलमेर, गोरखपुर, देहरादून, गग्गल, जयपुर, खजुराहो, कोटा, कुल्लू, लखनऊ, लुधियाना, पंतनगर, सफदरजंग, शिमला, उदयपुर, वाराणसी, ललितपुर, सतना और झांसी।

पश्चिमी : अहमदाबाद, औरंगाबाद, बडौदा, बेलगांव, भावनगर, भोपाल, जबलपुर, जामनगर, कांडला, केशोद, नागपुर, पोरबंदर, रायपुर, राजकोट, इन्दौर, शोलापुर, कोल्हापुर, बिलासपुर, दीशा, खांडवा, अकोला, पन्ना और हडाप्पसार।

पूर्वी : पोर्ट ब्लेयर, भुवनेश्वर, गया, पटना, रांची, बेहाला, बेलूरघाट, झारसुगुडा, मालदा, जगबानी, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, चकूलिया और आसनसोल।

दक्षिणी : त्रिवेन्द्रम, विशाखापत्तनम, अगाती, हुबली, मदुरै, मंगलौर, पांडिचेरी, राजामुंद्री, सेलम, तिरूपति, त्रिची, वेल्लौर, विजयवाड़ा, तुतिकोरिन, कोयम्बटूर, डोनाकोन्डा, कुड्डापा, मैसूर, वारंगल, हसन और नादिर्गुल।

(ख) और (ग) जब और जैसे ही उपयुक्त पाया जाएगा, दीर्घावधिक पट्टे के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डों की पुनर्संरचना करने का निर्णय किया गया है। ऐसा करने का मुख्य कारण सेवाओं का स्तर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करना है, प्रबंधन की सस्कृति में सुधार लाना, दक्षता और समग्र उत्पादकता में सुधार लाना, सु–प्रबंधित हवाई अड्डों से उत्पन्न होने वाले आर्थिक लाभ की संभाव्यता और उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित निजी निवेश को आकर्षित करना है। इस समय, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, और कोलकाता स्थित हवाई अड्डों पर यह कार्य आरंभ किया गया है।

एक-लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग

170. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ·

(क) एक लेन वाले राष्ट्रीय राज़मार्गों, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश और गुजरात से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों को दोहरी लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित किए जाने के लिए धनराशि जारी करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का लगभग 40 प्रतिशत इकहरी लेन का है। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 19, 74 और 76 पर लगभग 168 किमी. में इकहरी लेन है। तथापि, गुजरात से गुजरने वाला कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग इकहरी लेन का नहीं है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग को दोहरी लेन का बनाने के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से किसी धनराशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है। तथापि, केन्द्रीय सड़क निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में शामिल खंडों के वित्तपोषण को पूरा करने के लिए किया जा रहा है।

इंटरनेट टेलीफोनी

171. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **संचार** मंत्री इंटरनेट टेलीफोनी के बारें में 19.3.2001 के तारांकित प्रश्न संख्या 320 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटरनेट टेलीफोनी के वैधानीकरण संबंधी विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) सरकार ने इंटरनेट टेलीफोनी प्रारंभ करने के संबंध में समीक्षा और सिफारिशें करने के लिए एक दल का गठन किया था। दल की यथानुमोदित सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

1. इंटरनेट टेलीफोनी शुरू करने के संबंध में निम्नलिखित कार्य करने के पश्चात विचार किया जा सकता है :

   (i) अंतर्राष्ट्रीय वॉइस टेलीफोनी की शुरूआत, और

   (ii) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ विधिवत परामर्श प्रक्रिया और

   (iii) लागत आधारित टैरिफ की शुरूआत

2. सभी प्रकार की इंटरनेट टेलीफोनी अर्थात पर्सनल कम्प्यूटर (पीसी) से पीसी, पीसी से फोन और फोन से फोन, इंटरनेटर टेलीफोनी की अनुमति दिए जाने तक गैर–कानूनी रहेगी।

3. किसी भी लाइसेंसशुदा पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन)/पब्लिक लैण्ड मोबाइल नेटवर्क (पीएलएमएन)/नेशनल लांग डिस्टैन्स (एनएलडी)/ इंटरनेशनल लांग डिस्टैन्स (आईएलडी) प्रचालक को, संबंधित सेवाओं की लाइसेंस शर्तों के अनुसार, इंटरनेट टेलीफोनी सेवा उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

4. सेवा की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय मानक/अनुभव के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है।

5. इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट टेलीफोनी सेवा उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सड़क निर्माण में निजी भागीदारी

172. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन निजी उद्यमियों ने सड़क निर्माण गतिविधियां शुरू की हैं उन्हें दी जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) निजी क्षेत्र के अंतर्गत कितनी सड़कों का निर्माण और संचालन किया जा रहा है; और

(ग) सरकार द्वारा सड़क निर्माण गतिविधियों में निजी भागीदारी बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ग) सड़क क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कर रियायत, विनिर्दिष्ट उपकरणों का कर मुक्त आयात, पूंजीगत अनुदान, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी वाणिजियक ऋणों के तौर पर अनेक प्रोत्साहन प्रदान किया है। निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) स्कीम के अंतर्गत 19 सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा, जिसमें 946 करोड़ रु. का निवेश किया गया है, संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग–5 के टाडा–नेल्लोर खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग–9 के इब्राहिमपत्तनम–नंदीगाम खंड पर चार लेन बनाने की लगभग 760 करोड़ रु. की परियोजना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और मलेशिया के 'सीआईडीबी इन्वेंचर' के मध्य हस्ताक्षरित करार ज्ञापन के अंतर्गत बीओटी आधार पर संपन्न की जानी है।

विवरण

अब तक सौंपी गई बी.ओ.टी. परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	रा.रा.सं.	राज्य	लंबाई किमी.	लागत करोड़ रु.	हस्ताक्षर करने की तारीख	पूरी होने की संभावित/ वास्तविक तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	*थाणे–भिवंडी बाइपास	3 एवं 4	महाराष्ट्र	24	103	12.9.85	31.12.2001	कार्य चल रहा है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	चल्तन सड़कोपरि पुल	8	गुजरात	4 लेन आर ओ बी	10	10.9.96	15.7.1998	कार्य चल रहा है।
3.	उदयपुर बाइपास	8	राजस्थान	11	24	जुलाई, 96	22.4.1998	कार्य चल रहा है।
4.	6 पुलों का निर्माण	5	आंध्र प्रदेश	6 पुल	50	9.4.1997	30.4.2002	कार्य चल रहा है। 3 पुल पूरे हो चुके हैं।
5.	कोयम्बतूर बाइपास	47	तमिलनाडु	33	90	3.10.1997	3.12.1999	पूरा हो गया है।
6.	दुर्ग बाइपास	6	मध्य प्रदेश	18.4	68	5.11.1997	हाल ही में पूरा हुआ है	पूरा हो गया है।
7	नर्मदा पुल	8	गुजरात	6	113	21.11.1997	10.11.2000	पूरा हो गया है।
8.	नरधाना आर ओ बी	3	महाराष्ट्र	13	34.12	25.11.1997	22.7.1999	पूरा हो गया है।
9.	पाताल गंगा पुल एवं आर ओ बी	17	महाराष्ट्र	1	33.3	29.11.1997	20.7.1999	पूरा हो गया है।
10.	हुबली–धारवाड़ बाइपास	4	कर्नाटक	30.35	68	5.2.1998	5.11.2000	पूरा हो गया है।
11.	कोरतलैयार पुल	5	तमिलनाडु	–	30	28.10.1998	अप्रैल, 2001	पूरा हो गया है।
12.	खंबात की घाट की सुरंग एवं सड़क	4	महाराष्ट्र	8	37.80	16.11.1998	1.9.2000	पूरा हो गया है।
13.	नसीराबाद आर ओ बी	6	महाराष्ट्र	30मी.	10.45	16.11.1998	15.7.2000	पूरा हो गया है।
14.	वाणगंगा पुल	6	महाराष्ट्र	350 मी.	32.60	16.11.1998	मई, 2001	कार्य चल रहा है।
15.	माही पुल	8	गुजरात	–	42	16.11.1998	अप्रैल, 2000	पूरा हो गया है।
16.	किशनगढ़ बाइपास पर आर ओ बी	8	राजस्थान	आरओबी	16.66	27.11.1998	25.4.2000	पूरा हो गया है।
17.	वात्रक नदी पर पुल	8	गुजरात	–	48.20	1.3.1999	31.3.2001	पूरा हो गया है।
18.	मुरादाबाद बाइपास	24	उत्तर प्रदेश	18	100	23.4.1999	23.10.2001	कार्य चल रहा है।
19.	डेराबासी में आर ओ बी	22	पंजाब	आरओबी	35.76	8.9.1999	7.9.2001	कार्य चल रहा है
	कुल				946.98			

*मूल कार्य पूरे कर लिए गए हैं और यातायात के लिए खोल दिए गए हैं।

वार लेन बनाने का कार्य प्रगति पर है।

[हिन्दी]

भत्तों का भुगतान

173. डा. बलिराम : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन. एल.) ने दिल्ली और मुंबई में अपने समूह "ग" और "घ" के कर्मचारियों को सभी भत्तों का भुगतान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन भत्तों का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जोखिम और शिफ्ट ड्यूटी भत्ते को छोड़कर, महानगर टेलीफोन निगम लि. के समूह ग और घ कर्मचारियों को सभी भत्तों का भुगतान किया जा रहा है। ये भत्ते इस प्रकार हैं :

1. महंगाई भत्ता
2. मकान किराया भत्ता
3. नगर प्रतिपूर्ति भत्ता
4. धुलाई भत्ता
5. विकलांग भत्ता
6. साइकिल अनुरक्षण भत्ता
7. बाल शिक्षा भत्ता
8. समयोपरि भत्ता
9. आहार भत्ता
10. चिकित्सा भत्ता

(ग) दो भत्तों अर्थात् जोखिम और शिफ्ट ड्यूटी भत्तों के संबंध में मामला विचाराधीन है।

[अनुवाद]

खुरदा-बोलनगीर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

174. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुरदा–बोलनगीर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण कार्य के पूरा होने में हुए विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) खुरदा से बोलनगीर तक के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) खुरदा–बोलनगीर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है।

(ख) प्रश्न नही उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वन नीति का कार्यान्वयन

175. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्र सरकार की नवीनतम वन नीति देश भर में भली भांति लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और वर्ष 1994–95 से 1998–99 के दौरान प्रत्येक श्रेणी में राज्यवार ऐसे मामलों को दर्शाया जाए जहां वन भूमि, राष्ट्रीय उद्यान भूमि और अभयारण्य भूमि का प्रयोग गैर–वानिकी प्रयोजनों के लिए किया गया है तथा इन प्रयोगों में लाए गए क्षेत्रों को भी दर्शाया जाए; और

(घ) चूककर्त्ता राज्यों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1998 में संशोधित की गई और इसके अनुरूप देश के भौगोलिक क्षेत्र का 33 प्रतिशत वन/वृक्ष आवरण क्षेत्र को बढ़ाने की दृष्टि से राष्ट्रीय वानिकी कार्रवाई कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए तैयार किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय वन नीति को शासित करने वाले प्रमुख मूल उद्देश्य इस प्रकार हैं

(i) परिरक्षण द्वारा पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखना और, जहां आवश्यक हो पारिस्थितिकीय संतुलन को पुनः स्थापित करना जो कि देश के वनों के गंभीर ह्रास द्वारा प्रतिकूलष्प से क्षुब्ध हुआ है।

(ii) शेष प्राकृतिक वनों के परिरक्षण के माध्यम से जिसमें वनस्पति और प्राणिजात की अनेक किस्में शामिल हैं जो देश के महत्वपूर्ण जैव विविधता आनुवांशिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करती है, देश की प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित करना।

(iii) बाढ़ों और सूखे को कम करने तथा जलाशयों में गाद भराव को रोकने के लिए मृदा एवं जल संरक्षण के हित में नदियों, झीलों तथा जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा अपरदन और अनाच्छादन को रोकना।

(ग) और (घ) देश के विभिन्न राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है। सूचना प्राप्त होने पर इसे सभा–पटल पर रख दिया जाएगा।

जबलपुर विमानपत्तन पर रात्रि में विमानों के उतरने की सुविधा

176. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या जबलपुर विमानपत्तन पर रात्रि में विमानों के उतरने की सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो वहां रात्रि में विमानों के उतरने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) संवेदनशील रक्षा संस्थापनों के हवाई अड्डे के काफी निकट होने पर रक्षा मंत्रालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, जबलपुर (दुमना) हवाई अड्डे पर रात्रि अवतरण सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

177. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001–2002 के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) केन्द्रीय पूल से प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कोई प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) वर्ष 2001–2002 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए वास्तविक लक्ष्य के ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 2001–2002 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) और (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जोकि पिछड़ा क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजमार्गों के शीघ्र विकास के लिए कुल बजट आबंटन का 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2001–2002 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए वास्तविक लक्ष्य

क्र. सं.	राज्य का नाम	सुधारे गए निम्न ग्रेड (कि.मी.)	इकहरी लेन से दो लेन बनाना (कि.मी.)	कमजोर दो लेनों को सुदृढ़ बनाना (कि.मी.)	चार लेन बनाना (कि.मी.)	बाईपासों का निर्माण (संख्या)	बड़े पुलों का निर्माण (संख्या)	छोटे पुलों का निर्माण (संख्या)	सड़क गुणता सुधार (कि.मी.)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	–	70.00	130.00	–	–	2	2	170.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	असम	54.00	16.50	20.00	–	1	–	3	66.00	
3.	बिहार	–	30.00	–	–	–	2	5	100.00	
4.	चंडीगढ़	–	–	–	2.00	–	–	–	–	
5.	छत्तीसगढ़	–	3.60	5.00	2.00	–	1	2	115.00	
6.	दिल्ली	–	–	6.50	–	–	1	–	6.80	
7.	गोवा	–	–	–	–	1	–	–	70.00	
8.	गुजरात	–	–	–	7.00	–	–	1	120.00	
9.	हरियाणा	–	12.00	16.00	4.00	–	–	4.00	80.00	
10.	हिमाचल प्रदेश	6.00	25.50	–	–	2	2	6	30.00	
11.	जम्मू और कश्मीर	3.00	–	–	–	–	–	–	15.00	
12.	झारखंड	–	20.00	2.00	–	–	2	2	100.00	
13.	कर्नाटक	–	74.00	37.00	–	1	–	9	170.00	
14.	केरल	–	7.00	–	–	–	1	1	135.00	
15.	मध्य प्रदेश	–	35.00	15.00	3.00	–	2	4	266.00	
16.	महाराष्ट्र	–	6.40	32.00	19.00	1	1	14	360.00	
17.	मणिपुर	–	8.00	8.00	2.00	–	2	1	20.00	
18.	मेघालय	–	8.00	5.00	–	–	–	3	34.30	
19.	मिजोरम	8.00	–	–	–	–	–	–	30.00	
20.	नागालैंड	16.00	–	–	–	–	–	–	10.00	
21.	उड़ीसा	–	25.00	30.00	–	–	1	8	154.20	
22.	पांडिचेरी	–	–	3.57	–	–	–	–	18.40	
23.	पंजाब	–	–	30.00	5.00	–	1	1	70.00	
24.	राजस्थान	–	120.00	1.50	5.00	–	3	2	364.00	
25.	तमिलनाडु	2.00	25.50	41.00	–	–	–	5	250.00	
26.	उत्तरांचल	–	5.00	6.00	–	–	–	–	70.00	
27.	उत्तर प्रदेश	–	23.00	50.00	2.00	2	2	4	154.00	
28.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	2.00	–	5	5	–	
	जोड़	98.00	509.50	432.57	53.00	8	28	82	2908.70	

विवरण-II

वर्ष 2001–2002 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए धनराशि का आबंटन

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एन एच (ओ) ब.प्रा. आबंटन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	9000.00
2.	असम	7000.00
3.	बिहार	5500.00
4.	चंडीगढ़	150.00
5.	छत्तीसगढ़	3000.00
6.	दिल्ली	1000.00
7.	गोवा	2000.00
8.	गुजरात	8500.00
9.	हरियाणा	5500.00
10.	हिमाचल प्रदेश	4700.00
11.	जम्मू और कश्मीर	400.00
12.	झारखंड	2500.00
13.	कर्नाटक	7500.00
14.	केरल	7500.00
15.	मध्य प्रदेश	8000.00
16.	महाराष्ट्र	10800.00
17.	मणिपुर	1800.00
18.	मेघालय	2500.00
19.	मिजोरम	1800.00
20.	नागालैंड	1600.00
21.	उड़ीसा	7000.00
22.	पांडिचेरी	200.00
23.	पंजाब	4800.00
24.	राजस्थान	10000.00
25.	तमिलनाडु	9500.00
26.	उत्तर प्रदेश	12900.00
27.	उत्तरांचल	2000.00
28.	पश्चिम बंगाल	10538.00

विमानपत्तनों पर सामान्य प्रयोगार्थ टर्मिनलों की स्थापना

178. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के कुछ विमानपत्तनों पर सामान्य प्रयोगार्थ टर्मिनल उपस्करों की अधिष्ठापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन उपस्करों की अधिष्ठापना से विमान यात्रियों को क्या लाभ होगा; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान अन्य विमानपत्तनों पर भी ऐसे ही उपस्करों को आधिष्ठापित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) सामान्य प्रभोक्ता टर्मिनल उपस्कर (सी.यू.टी.ई.) सुविधाएं प्रत्येक एयरलाइन्स द्वारा हैंडल की गई यातायात प्रमात्रा के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों द्वारा मुहैया की जाती हैं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2–ए पर, उन अंतर्राष्ट्रीय विमानकंपनियों, जिनका संस्थापन के व्यय में हिस्सा होता है, के अनुरोध पर मैसर्स एस आई टी ए द्वारा दिसंबर, 1998 में सी.यू.टी.ई. प्रणली लगाई गई।

(ग) यात्री टर्मिनलों के मामले में जहां सीमित संख्या में चैक–इन काउंटर उपलब्ध है, अपेक्षाकृत अधिक संख्या में चैक–इन काउंटरों का प्रयोग करने के वास्ते सी.यू.टी.ई. प्रणाली के लागू करने से एयरलाइनों को यह मदद मिलती है कि लंबी लाइनें नहीं लगतीं और इससे कम समय में चैक–इन हो जाता है।

(घ) इस समय, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों को, सिद्धांत रूप में, सी. यू.टी.ई. प्रणाली की व्यवस्था संबंधी स्वीकृति दे दी गई। संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानकंपनियों द्वारा औपचारिक निर्णय की सूचना मैसर्स सी.आई.टी.ए. को दिए जाने की संभावना है कि यह उनके लिए सी.यू.टी.ई. प्रणाली का संस्थापन करें। अंतर्राष्ट्रीय विमानकंपनियां चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी सी.यू.टी. ई. प्रणाली के संस्थापन के बारे में विचार कर रही है।

[हिन्दी]

गांधी नगर और ओझार विमान-पत्तनों को खोलना

179. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार नासिक (महाराष्ट्र) में गांधी नगर और ओझार विमानपत्तनों को नागरिक उड़ानों के लिए खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के नासिक में गांधीनगर तथा ओझार स्थित हवाई अड्डे रक्षा मंत्रालय के हैं। इस समय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इन दोनों हवाई अड्डों को सिविल फ्लाइटों के लिए खोलने की कोई योजना नहीं है चूंकि किसी भी एयरलाइन ने इन स्थानों से होकर सिविलियन उड़ानें प्रचालित करने की किसी योजना का उल्लेख नहीं किया है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में तकारीमैशल परियोजना

180. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में तकारीमैशल परियोजना कब शुरू हुई थी;

(ख) इस परियोजना की मूल लागत और इसे पूरा करने हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(ग) इस परियोजना के पूरा रहोने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) लागत में वृद्धि के बाद इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, तकारी और मैशल घटकों के लिए यह परियोजना क्रमशः 1984 और 1987 में शुरू हुई थी। तकारी घटक के लिए परियोजना की मूल लागत 82.43 करोड़ रुपये थी, जिसे प्रशासनिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया था। इस परियोजना को 9 वर्षों में पूरा करने की योजना थी। वर्ष 1995–96 के मूल्यों के अनुसार समग्र परियोजना के लिए परियोजना की संशोधित लागत 1321.12 करोड़ रुपये है। परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के मुख्य कारण परियोजना के कार्य क्षेत्र में वृद्धि और निधियों का अपर्याप्त आबंटन हैं।

इसके अतिरिक्त, तकारी मैशल परियोजना रिपोर्ट तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई है और इसीलिए, योजना आयोग से निवेश स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

कृष्णा नदी जल का बंटवारा

181. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के बीच कृष्णा नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद लम्बे समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लंबित मामलों के समाधन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा जल विवाद का निर्णय कृष्णा जलविवाद अधिकरण ने 1976 में ही कर लिया है।

[हिन्दी]

झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग

182. श्री राम टहल चौधरी :

प्रो. दुखा भगत :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड राज्य में फरवरी, 1997 से आज तक किन–किन राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने, उनका विस्तार करने और उनकी मरम्मत करने का कार्य किया गया है;

(ख) झारखंड से गुजरने वाले शेष राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसा कार्य कब तक प्रारंभ होने की संभावना है; और

(ग) उनके अनुमानित व्यय और वास्तव में हुए व्यय का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) निधियों की उपलब्धता और आवश्यकता के अनुसार फरवरी, 1997 से झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग–2, 6, 23, 32, 33, 78 और 80 के चौड़ीकरण, विस्तार और मरम्मत का कार्य किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और इसे यातायात आवश्यकताओं, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

(ग) झारखंड राज्य बनने के बाद अनुमानित व्यय और वास्तविक व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है .

क्र.सं.	वित्त वर्ष	विकास कार्य		अनुरक्षण कार्य	
		अनुमानित (करोड़ रु.)	वास्तविक (करोड़ रु.)	अनुमानित (करोड़ रु.)	वास्तविक (करोड़ रु.)
1.	2000–2001	22.00	19.89	6.60	17.24
2.	2001–2002	25.00	4.16	17.32	3.05

[अनुवाद]

जलापूर्ति कार्यक्रमों को चैनलबद्ध करना

183. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जलापूर्ति कार्यक्रमों को चैनलबद्ध करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) जल की प्रतिवर्ष कुल उपलब्धता तथा उपयोगिता कितनी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय होने के कारण पेयजल आपूर्ति सुविधाएं मुहैया कराने वाली स्कीमों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से किया जाता है। भारत सरकार, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) और प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना (पी एम जी वाई)–ग्रामीण पेयजल घटक के तहत वित्तीय सहायता मुहैया कर के राज्यों की सहायता करती है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना–ग्रामीण पेयजल घटक के अंतर्गत स्वतंत्र ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, स्वीकृति और कार्यान्वयन की शक्तिया राज्यों को प्रदान की गई हैं। भारत सरकार की शासकीय कार्यों संबंधी राष्ट्रीय कार्यसूची (एन ए जी) में वर्ष 2004 तक देश में सभी गांवों के लिए पेयजल आपूर्ति सुविधाओं के प्रावधान की योजना है। सभी राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई कार्रवाई योजनाओं के अनुसार इस लक्ष्य को निधियों की उपलब्धता के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। "बहुउद्देश्यीय और सिंचाई परियोजनाओं में पेयजल आपूर्ति के प्रावधान" के लिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे स्थानों पर जहां पेयजल का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है वहां, परियोजना के एक घटक के रूप में, शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार की पेयजल आपूर्तियों के लिए, एक विशेष प्रावधान किया गया है।

(ख) भारत में 4000 बिलियन घन मीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, जिसमें हिमगलन भी शामिल है। इसमें से 3000 बिलियन घन मीटर जल मानसून के दौरान प्राप्त होता है। वर्ष 1993 में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार देश की नदी प्रणालियों में होने वाला औसत वार्षिक प्रवाह 1869 बिलियन घन मीटर आंका गया है जिसमें से 1122 बी.सी.एम. उपयोग योग्य जल है। इसमें लगभग 690 बिलियन घन मीटर सतही जल और 432 बिलियन घन मीटर पुनर्भरणीय भूजल है। वर्ष 1997 में सतही तथा भूजल के माध्यम से 605 बिलियन घन मीटर जल के उपयोग की सूचना मिली है।

[हिन्दी]

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार को निधियां

184. श्री राजो सिंह : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तथा आज तक कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को जारी निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और राज्य सरकार द्वारा कितनी उपलब्धि हासिल की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात वर्ष 1998–99, 1999–2000, 2000–2001 के दौरान तथा वर्ष 2001–2002 के दौरान अब तक बिहार को केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत विगत में केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी निधियों के अपेक्षित उपयोग प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने के कारण केन्द्र द्वारा कोई केन्द्रीय सहायता जारी नहीं की गई है।

(ख) बिहार राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार शुरू किए जा रहे मुख्य कार्यकलापों अर्थात खेत चैनलों और जल जमाव क्षेत्रों के पुनरूद्धार के संबंध में वर्ष 1998–99 से वर्ष 2000–2001 के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्य और उपलब्धियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

मदों का नाम	1998–99		1999–2000		2000–2001	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
खेत चैनल	1200	921	2005	468	10330	3814
जल जमाव क्षेत्रों का सुधार	975	0	975	2590	2500	3856

बैटरी चालित टॉवर टेलीफोन

185. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) बिहार के दरभंगा जिले में किन स्थानों पर टॉवर प्रणाली आधारित बैटरी चालित टेलीफोन लगाए गए हैं;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार जिले में कितने उक्त टेलीफोन खराब पड़े हैं;

(ग) क्या उक्त प्रणाली सफल नहीं रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) बिहार के दरभंगा जिले के उन स्थानों के नाम, जहां पर टावर प्रणाली आधारित बैटरी चालित (एमएआरआर प्रणाली आधारित) टेलीफोन लगाए गए हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) आज की स्थिति के अनुसार एम ए आर आर आधारित 126 टेलीफोन खराब पड़े हैं।

(ग) और (घ) एम ए आर आर प्रौद्योगिकी निम्नलिखित कारणों से सफल नहीं रही :

(i) एम ए आर आर प्रौद्योगिकी पुर्जों में बार–बार खराबी आने के कारण अधिक विश्वसनीय नहीं पाई गई।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सतत आपूर्ति की अनुपलब्धता।

(iii) विक्रेताओं से अनुरक्षण संबंधी कम सहायता।

(iv) संरक्षकों द्वारा बैटरी का दुरुपयोग।

(v) संरक्षकों की लापरवाही।

(ङ) एम ए आर आर प्रणाली में आई खराबी को दूर करने और उसे चालू हालत में रखने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। एम ए आर आर आधारित सभी टेलीफोनों को उत्तरोत्तर रूप से वायरलेस–इन–लोकल लूप प्रणाली से बदलने की योजना है जिसे चालू वर्ष से शुरू किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	स्थान का नाम	क्र.सं.	स्थान का नाम
1	2	1	2
1	भारहुली	10	बिसहौल
2	कोरा	11	बुल्हा
3	पिपरा	12	बासवरला
4	कटरौला	13	बेडौली
5	कालवाड़ा	14	हनुमान नगर
6	साबौल	15	रामपुर राउल
7	पाउनाड	16	कनौर
8	हरिपुर	17	रूपौल घाट
9	रामपट्टी	18	मनलयारी

1	2	1	2
19	बसंत	45	साहो
20	रतवाड़ा	46	बराईडिन
21	सैयदपुर	47	किशनपुर
22	हुसैनाबाद	48	अलीहर
23	रामपुर	49	धनौली
24	मंहुआ	50	मिल्की
25	बेंधा	51	तरनौल
26	बासवाड़ा	52	मिर्जापुर
27	केरबा	53	बलरामपुर
28	सलीमपुर	54	पोखराम
29	बलवा	55	डेकुलीधाम
30	अंडौली	56	कहुंआ
31	वसुकी बिहारी	57	मथाराही
32	गरीइनरबा	58	सिहौल
33	पिहवाड़ा	59	कोरीगामा
34	रामनगर कर्जा	60	पबरा
35	महवा	61	मेकना
36	पलानला	62	नारायण दोहाट
37	कुसलाम	63	पारी
38	मिटुनिया	64	बेलही
39	बीसबीघा	65	मजरहिया
40	सहसराम	66	अहिलवाड़ा
41	ढाकाजरी	67	हबीडिह
42	मायापुर	68	वैजुआ
43	कनहौली	69	खानग्राईलहा
44	ब्रह्मापट्टी	70	सुहाट

1	2	1	2
71	बिआंत	98	लोहानी
72	कोईहा वाना	99	गलमा
73	नविओलिया	100	सौनवा
74	बागहोरबा	101	कोठारा
75	खेघरहा	102	चाकला
76	बेराना	103	छटौना
77	चिगारी	104	डेलही
78	बिस्हरिया	105	चनमना
79	सुम्हा	106	कामारपोखर
80	खालसी	107	उ. अटिहार
81	सकहवा	108	अमाटा
82	गमनारिया	109	बसंतपुर
83	मधुबन	110	असहो
84	बधार	111	हिरानी
85	नारायणपुर	112	कसरौर
86	महारी	113	हरौली
87	लडियारनी	114	पकाही
88	कटवाड़ा	115	मनसारा
89	सिंधिया	116	केवलगामा
90	सानीचारा	117	कोठानी
91	अमाही	118	बेराई
92	उसारी	119	कोइलाकांड
93	झगारूआ	120	कंचोहना
94	सिमराहा	121	बलारी
95	जमालपुर	122	नवादा
96	कटवासा	123	बिथौली
97	जगनाथपुर	124	सबरी

1	2	1	2
125	लालपुर शिव राम	148	सरवाना
126	मकरामपुर	149	तिरमुहानी
127	करवा	150	बेनीबडं
128	बिजुलिया	151	सुसारी
129	अधोलबानी	152	साजहौर
130	डालवा	153	बेहरामपुर
131	कोठिया	154	भाची
132	करदाहा	155	नेयाम
133	बटनो	156	गोरहरी
134	ब्रह्मपुर	157	राजवाडा
135	चटारिया	158	पाक टोला
136	कटका	159	बसउली
137	ग्राम पंचायत भवन	160	पटोरी
138	बगहौल	161	भारतपुर
139	पारी	162	गरहिया
140	तारडीह	163	कमलाबाड़ी
141	शेखपुरा	164	बरडाहा
142	डमराल्लना	165	जहांगीर टोला
143	बासकट्टी	166	खलूरबाड़ा
144	नारौन	167	बैनगारा
145	रसालपुर	168	नूरचाक
146	लालशाहपुर	169	छाछुआ
147	भेरियाही	170	करयानी

[अनुवाद]

कर्नाटक को जल छोड़ना

186. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री जी. एस. बसवराज :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक राज्य में जल संकट दूर करने हेतु महाराष्ट्र सरकार को कलमवाडी अथवा कोयना बांध से कृष्णा नदी में जल छोड़ने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसमें कब तक जल छोड़ दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नाल्को में एल्यूमीनियम की उत्पादन लागत

187. श्री सुनील खां : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाल्को में एल्यूमीनियम की प्रति टन उत्पादन लागत आस्ट्रेलिया में एल्यूमिनियम की प्रति टन उत्पादन लागत से सस्ती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय एल्यूमिनियम का बाजार मूल्य आस्ट्रेलिया के एल्यूमिनियम से अधिक होने के क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील) : (क) और (ख) वर्ष 2000 के दौरान, सी.आर.यू. इंटरनेशनल के डाटा अनुसार, नाल्को में एल्यूमिनियम की प्रति टन उत्पादन लागत, भारत और टोमागो, आस्ट्रेलिया में क्रमशः 1054 अमरीकी डालर और 1126 अमरीकी डालर थी।

(ग) नाल्को का धातु का निर्यात विक्रय मूल्य लंदन धातु विनिमय कीमत से जुड़ा है। वित्तीय वर्ष 2000–2001 में नाल्को ने निर्यात बाजार में प्रति टन एल्यूमिनियम धातु के लिए 1584 अमरीकी डॉलर का औसत मूल्य प्राप्त किया।

नागपुर में टेलीफोन कनेक्शन

188. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नागपुर में वायरलेस इन लोकल लूप टेक्नॉलोजी प्रारंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या नागपुर सर्किल और विदर्भ क्षेत्र के अन्य शहरों में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लोगों की एक लंबी प्रतीक्षा सूची है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सर्किल और शहरों में प्रतीक्षा सूची में कितने लोग हैं और इस सूची के लोगों को कब तक कनेक्शन दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। वर्ष 2001–2002 के दौरान नागपुर में वायरलेस इन लोकल लूप प्रौद्योगिकी प्रदान करने की योजना है।

(ख) और (ग) जी, हां। 30.6.2001 की स्थिति के अनुसार नागपुर तथा विदर्भ क्षेत्र के अन्य शहरों में नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

शहर	30.6.2001 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या
नागपुर	12961
अकोला	4410
अमरावती	4725
भंडारा	5033
बुलधाना	3008
चन्द्रपुर	4375
गढ़चिरौली	1175
वर्धा	3475
यवतमाल	3846
कुल	43008

मार्च, 2002 तक लंबित प्रतीक्षा सूची को क्रमिक रूप से निपटा दिए जाने की योजना है, बशर्ते कि उपस्कर और अन्य सामग्री समय पर उपलब्ध हो।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग 87 के लिए आबंटन

189. श्री जय प्रकाश : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग–87 के रख–रखाव तथा अनुरक्षण हेतु कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या काठगोदाम और नैनीताल के बीच संकरी सड़कों को चौड़ा करने अथवा पुलों के पुनर्निर्माण करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपर्युक्त कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) किसी वर्ष विशेष में राज्यों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव और अनुरक्षण के लिए समग्र रूप में निधियों का आबंटन किया जाता है, न कि राष्ट्रीय राजमार्ग वार। चालू वर्ष के दौरान उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में पड़ने वाले रा.रा.–87 सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव और मरम्मत के लिए दोनों राज्यों को क्रमशः 669.36 लाख रु. और 2935.02 लाख रु. का आबंटन किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

वन्य जीव का संवर्धन और संरक्षण

190. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में आरक्षित वनों और अभ्यारण्यों में वन्य जीवों विशेष रूप से गैंडों, हाथियों और जंगली बिल्लियों के संवर्धन तथा संरक्षण हेतु 5 जून, 2001 को विश्व पर्यावरण दिवस पर कोई नई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान इन लुप्तप्रायः प्रजातियों की संख्या में किस प्रकार भिन्नता आई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) (क) और (ख) विश्व पर्यावरण दिवस पर वन्यजीव संरक्षण के संबंध में कोई भी नई योजना आरंभ नहीं की गई। तथापि, पर्यावरण

एवं वन मंत्रालय द्वारा उत्तर–पूर्वी राज्यों में हाथियों, गैंडों और अन्य वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए मंत्रालय को बजट का 10 प्रतिशत आबंटन किया गया है। चालू वर्ष 2001–2002 में वन्यजीव की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए आबंटन इस प्रकार है :

राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	600.00 लाख रु.
बाघ परियोजना	200.00 लाख रु.
हाथी परियोजना	300.00 लाख रु.

(ii) सरकार ने इस बात की स्वीकृति दी है कि संकटापन्न प्रजातियों के वास स्थलों वाले उद्यानों और अभयारण्यों से संबंधित इन्क्रीमेंटल स्टाफ के वेतन सहित आवर्ती और अनावर्ती व्यय दोनों के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

(ग) पिछली दो गणनाओं के दौरान उत्तर–पूर्वी राज्यों में बाघ, हाथी और गैंडों की अनुमानित संख्या नीचे दी जाती है।

राज्य	बाघों की संख्या		गैंडों की संख्या		हाथियों की संख्या	
	1993	1997	1993	1998-99	1993	1997
अरुणाचल प्रदेश*	180	180			2500	2102
असम	325	458	1440	1684	5500	5312
मेघालय	53	63			2750	1840
मिजोरम	28	12	–	–	–	–
नागालैंड*	83	83	–	–	–	147

*अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में बाघ की गणना 1997 में नहीं की गई। इन राज्यों द्वारा 1993 के दौरान गणना के आंकड़े 1997 में भी सम्मिलित किए गए हैं।

यूरोप और खाड़ी क्षेत्र से सीधी विमान सेवा

191. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यूरोप और खाड़ी क्षेत्र से राज्य के लिए सीधी विमान सेवा प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) केरल सरकार ने भारत सरकार से कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए/से विमान सेवाओं के प्रचालन के लिए विभिन्न विदेशी एयरलाइनों के अनुरोध पर विचार करने का अनुरोध किया है। ओमान एयर, कुवैत एयरवेज, गल्फ एयर, श्रीलंका एयरलाइन्स, कतर एयरवेज, अमीरात सऊदीया, सिंगापुर एयर–लाइन्स और यमन एयरवेज नामक 9 एयरलाइनों में से, जिन्होंने कोचीन के लिए/से सेवाओं के प्रचालन में अपनी रुचि दिखाई है, भारत सरकार ने सऊदीया द्वारा अनुरोध किए जाने पर, चैन्नई के स्थान पर कोचीन को एक अवतरण स्थल के रूप में स्वीकृति देने पर सहमति दे दी है। अमीरात को भी त्रिवेन्द्रम अथवा कोचीन को सितम्बर, 2002 तक एक अवतरण स्थल के रूप में दिए जाने की वचनबद्धता दी गई है। भारत की नामित विमान कंपनी के एक साथ वाणिज्यिक करार के आधार पर ओमान, कुवैत और यमन की नामित कंपनियों को भी कोचीन की पेशकश एक अवतरण स्थल के रूप में की गई है।

वाहन प्रदूषण

192. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्ययन के अनुसार ग्रामीण वाहन शहरी वाहनों की तुलना में अधिक प्रदूषण फैलाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण दिन–प्रतिदिन बढ़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) इस मंत्रालय को ऐसे किसी अध्ययन की जानकारी नहीं है। सभी वाहनों को उत्सर्जन के समय ही निर्धारित उत्सर्जन स्तर को सुनिश्चित करना होता है। ट्रैक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में

बहुतायात से प्रयोग किए जाने वाले वाहन हैं और सरकार ने ट्रैक्टरों के लिए अलग उत्सर्जन स्तर निर्धारित किया है जो 1.10.1999 से लागू है। ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों का घनत्व कम होने और ईंधन का स्तर अच्छा होने के कारण वहां बहुत अधिक वाहन प्रदूषण नहीं है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विश्राम क्षेत्रों की स्थापना

193. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा गुंटूर में किसी विश्राम क्षेत्र की स्थापना हेतु किसी स्थान का सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है और कितनी निधियां आबंटित की गई हैं; और

(घ) विश्राम क्षेत्र को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

तेंदू पत्ता श्रमिक

194. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तेंदू पत्ता श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन–किन राज्यों में अध्ययन कराया गया है; और

(घ) कराए गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है और किस एजेंसी द्वारा उक्त अध्ययन कराया गया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बीड़ी श्रमिकों का कल्याण

195. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में बीड़ी श्रमिकों के कल्याण हेतु इस समय चलाई जा रही केन्द्र प्रायोजित कल्याण योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत कितनी निधियां आबंटित की गई हैं;

(ग) क्या बीड़ी श्रमिकों को पहचान पत्र जारी करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो अब तक कितने पहचान पत्र जारी किए गए हैं; और

(ङ) शेष श्रमिकों को कब तक अपने पहचान पत्र मिलने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) महाराष्ट्र सहित देश में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कल्याण स्कीमें बीड़ी कर्मकारों एवं उनके आश्रितों के लाभ के लिए बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियाम, 1976 के अंतर्गत स्वास्थ्य देख–रेख, आवास, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में हैं।

(ख) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अंतर्गत महाराष्ट्र को निधियों की आबंटन 1998–99 में 3.41 करोड़ रुपये, 1999–2000 में 3.52 करोड़ रुपये और 2000–2001 में 5.73 करोड़ रुपये था। चालू वर्ष के लिए आबंटन 7.41 करोड़ रुपये है।

(ग) से (ङ) महाराष्ट्र राज्य में, 2,56,000 अनुमानित बीड़ी कर्मकारों में से 2,04,401 बीड़ी कर्मकारों को परिचय पत्र जारी किए गए हैं। बीड़ी कर्मकारों को पहचान पत्र जारी किया जाना/ उनकी पहचान किया जाना एक सतत प्रक्रिया है।

महादायी बेसिन पर बांध का निर्माण

196. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार का महादयी बेसिन पर बांध का निर्माण करने और उसके पानी को मलप्रभा नदी तक ले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले के समाधान के लिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के सिंचाई सचिवों की एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई है;

(ग) यदि हां, तो बैठक के क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या सभी राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो मामले का किस सीमा तक समाधान किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ङ) कर्नाटक सरकार ने अंतर्राज्यीय महादायी नदी के 7.56 टीएमसी जल को मलप्रभा बेसिन में मोड़ने का प्रस्ताव किया है। इस पर गोवा सरकार द्वारा आपत्ति प्रकट की गई है। इस मुद्दे को हल करने के लिए, केन्द्रीय जल आयोग ने दिनांक 29.5.2001 को गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के प्रतिनिधियों के साथ एक अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केन्द्रीय जल आयोग सुलभ जल क्षमता (वर्जिन येल्ड) का आकलन करने के लिए 3 महीने के अंदर बेसिन का जल विज्ञानीय अध्ययन करेगा जो जल बंटवारे संबंधी किसी अंतर्राज्यीय समझौते के लिए पूर्वापेक्षा है।

[हिन्दी]

गैर-कानूनी हीरा खनन

197. श्री पुन्नू लाल मोहले :
श्री पी. आर. खूंटे :

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि छत्तीसगढ़ के देवभोग में खनन माफिया हीरों के गैर–कानूनी खनन में लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे गैर–कानूनी खनन में लगे पाए जाने वालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील) : (क) से (घ) विभिन्न राज्यों में अवैध खनन के मामले, समय–समय पर, केन्द्र सरकार के ध्यान में लाए जाते हैं। अवैध खनन रोकने का दायित्व, यदि कोई है, राज्य सरकारों का है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में गैर–कानूनी खनन को रोकने के लिए अनेक प्रावधान हैं। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में प्रावधानों को और सुदृढ़ करने के लिए, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में, हाल ही में जोड़ी गई धारा, 23सी के तहत, अवैध खनन रोकने, खनिजों की ढुलाई तथा भंडारण के लिए राज्य सरकारों को नियम बनाने के लिए अधिकार दिए गए हैं।

पक्षी टकराने की घटनाएं

198. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
डा. अशोक पटेल :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 2001 में दिल्ली में विमान के साथ पक्षी टकराने की घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो यह विमान किस एअर लाइन से संबंधित था और उसे कितनी हानि हुई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पक्षी टकराने की कितनी घटनाएं हुईं, और उनसे कितनी हानि हुई; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां। दिल्ली में मई, 2001 में पक्षी की टक्कर की भारतीय सिविल पंजीकृत विमान सहित तीन घटनाएं घटित हुईं।

(ख) इसमें एअर इंडिया के दो विमान तथा इंडियन एयरलाइन्स का एक विमान शामिल था। इन दो दुर्घटनाओं में एअर इंडिया को 49,000 रुपये का घाटा हुआ जबकि इंडियन एयरलाइन्स को कोई घाटा नहीं हुआ चूंकि विमान को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई थी।

(ग) देश के सभी हवाई अड्डों पर गत 3 वर्षों में सिविल विमानों में हुई पक्षी के टकराने की आंकड़े निम्नानुसार हैं :

वर्ष	पक्षी टकराव की घटनाओं की संख्या
1998	136
1999	121
2000	122

गत तीन वर्षों अर्थात् सन 1998 से 2000 तक एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स को पक्षी टक्कर घटनाओं के कारण 18.32 करोड़ रु. का कुल घाटा हुआ।

(घ) विमानक्षेत्र के आस–पास का सर्वेक्षण किया जाता है और पक्षी के आकर्षण स्त्रोत के परिहार हेतु विमानक्षेत्र पर्यावरण प्रबंधन समिति द्वारा उपयुक्त उपाय किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पक्षियों को भगाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं तथा विमान क्षेत्र के भीतर भी उन चीजों को हटाए जाने का भरसक प्रयत्न किया जाता है जिससे पक्षियों के आकर्षित होने की आशंका न रहे।

[अनुवाद]

गया विमानपत्तन की हवाई पट्टी का विस्तार

199. मोहम्मद शहाबुद्दीन :
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के बौद्ध स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु एयरबस 320 को उतारने की सुविधा देने के लिए गया में वर्तमान हवाई पट्टी का विस्तार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लागत कितनी है; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने और चालू होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने गया हवाई अड्डे पर निम्न–लिखित निर्माण कार्य हाथ में लिए हैं जिनके जून, 2003 तक पूरे हो जाने की संभावना है :

(i) 15 करोड़ रुपये की लागत से रनवे का सुदृढ़ीकरण, एप्रन का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, पहुंच मार्ग को चौड़ा करना।

(ii) 17 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नए टर्मिनल भवन का निर्माण जिसमें एक समय में 300 यात्रियों के लिए आधुनिक यात्री सुविधाएं और कार पार्किंग की व्यवस्था होगी।

[हिन्दी]

खतरनाक उद्योगों में बच्चे

200. श्री महेश्वर सिंह : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विनिर्धारित नियमों और विधानों के बावजूद भी भदोही गलीचा उद्योग और कांच उद्योग में अभी भी बहुत से बच्चे काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार खतरनाक उद्योगों से कितने बाल श्रमिकों को मुक्त किया गया और उन्हें पुनर्वासित किया गया?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

इंचमपल्ली बांध परियोजना

201. श्री नरेश पुगलिया : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सरकारें आंध्र प्रदेश की इंचमपल्ली परियोजना पर सहमत हो गई हैं; और केन्द्र सरकार को इस आशय की सूचना दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें मुख्य मुद्दे क्या हैं; और

(घ) इस मुद्दे का हल निकालने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) केन्द्रीय जल आयोग ने आंध्र प्रदेश की इंचमपल्ली बहुउद्देश्यीय परियोजना में शामिल अंतर्राज्यीय मुद्दों अर्थात भूमि की जल मग्नता और लोगों के विस्थापन संबंधी समस्या के समाधान के लिए 6 जुलाई, 2000 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष सदस्य (ज. आ. एवं परि.), केन्द्रीय जल आयोग हैं तथा इसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सरकारों का प्रतिनिधित्व है। इस समिति ने जल संसाधन मंत्रालय को दिनांक 26.6.2001 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसे तीनों राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया है। इस समिति की मुख्य सिफारिशें ये हैं कि राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया जाए कि वे इंचमपल्ली बांध के लिए 95 मीटर तक के पूर्ण जलाशय स्तर (एफ आर एल) से संबंधित अपने निर्णय से अवगत कराएं तथा जल संसाधन मंत्रालय इस परियोजना के लिए एक संयुक्त नियंत्रण बोर्ड के गठन पर विचार कर सकती है।

विमान दुर्घटना का टलना

202. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 मार्च, 2001 को यथाप्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इंडियन एयरलाइन्स की एअर बस–320 फ्लाइट (आईसी–985) और लुफ्थांसा बोईंग जम्बो–747 मालवाहक जेट सलेम से 50 नॉटिकल मील पूरब में आपस में टकराते–टकराते बचे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी जांच के आदेश दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई निदेश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां। 22.3.2001 को इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान संख्या आईसी–985 और लुफ्थांसा कारगो उड़ान डीएलएच–8414 के बीच, बीच आकाश में टक्कर होते–होते बचने की एक घटना हुई।

(ख) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा घटना की जांच की गई है।

(ग) से (ङ) घटना की छानबीन से पता चलता है कि बंगलौर एप्रोच/क्षेत्र यातायात नियंत्रक ने यातायात स्थिति को समझने में चूक की और समय रहते कार्रवाई की। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिकस लिमिटेड, बंगलौर को एप्रोच नियंत्रक और विमान क्षेत्र ऑपरेटर के विरुद्ध कार्रवाई करने की सलाह दी गई है जो इन चूकों के लिए उत्तरदायी थे और यह सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं कि बंगलौर हवाई अड्डे पर टावर, एप्रोच और उड़ान समन्वय केन्द्र के बीच उचित तालमेल बना रहे।

[हिन्दी]

घरेलू उड़ानों के लिए विदेशी एयरलाइनों का निवेदन

203. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी कंपनियों ने देश में घरेलू उड़ानें शुरू करने का आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया; और

(घ) इन विदेशी कंपनियों को किन हवाई मार्गों का आबंटन किया गया या किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

100 सीटों वाला यात्री विमान

204. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस के बीच अंतर्राट्रीय बाजार में संयुक्त रूप से 100 सीटों वाला यात्री विमान बनाने का कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) बहु–उद्देश्यीय परिवहन विमान (एमटीए) परियोजना की साध्यता का निर्धारण करने के लिए संयुक्त रूप से एक विस्तृत परियोजना

रिपोर्ट तैयार करने के लिए 6.6.2001 को हिन्दुस्तान एयरो–नॉटिकस लिमिटेड और 3 रूसी भागीदारों के एक कंसोर्टियम अर्थात (1) फेडरल स्टेट यूनिटेरी इंटरप्राइज, रोजोबोरोनेक्सपोर्ट, (2) इलियूशिन एविएश्न कॉम्प्लेक्स (आईएलएसी) और (3) इरकूटस्क एविएशन इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन (आयटा) के बीच करारों पर हस्ताक्षर किए गए।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजना

205. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में सिंचाई प्रणाली के पुनरुद्धार के लिए सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु, कृषि मंत्रालय को विश्व बैंक से कुल कितनी सहायता मंजूर की गई है; और

(ख) राज्य में इस सहायता राशि से कितनी परियोजनाओं को शुरू किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) अभिज्ञात सिंचाई स्कीमों को पूरा करने और उनमें सुधार करने के वास्ते 467 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता से दो विश्व बैंक वित्तपोषित परियोजनाएं अर्थात आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना–III और आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना (सिंचाई घटक) क्रियान्वित की जा रही है। आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना–III के तहत पूरा करने के लिए श्री सैलम दांयी शाखा नहर और श्री राम सागर परियोजना शुरू की गई है। इसके लिए विश्व बैंक 325 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता मुहैया करा रहा है। इस परियोजना में कृषि सहायता सेवाएं, पुनर्वास और पुनर्स्थापन कार्यक्रम, पर्यावरणीय प्रबंध कार्यक्रम और बांध सुरक्षा कार्य भी शामिल हैं। 142 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता से आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना (सिंचाई घटक) में दस वृहत, तिरेसठ मध्यम और कई लघु सिंचाई स्कीमों का न्यूनतम सुधार कार्य करना शामिल है। इसमें, कृषि संवर्धन कार्यक्रम, सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास विभाग तथा जल उपयोगकर्त्ता संघों और प्रणाली सुधार तथा किसानों के उत्पादन को संस्थागत सहायता देना भी शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन

206. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (89वां सत्र) हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में किए गए विचार–विमर्श का ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या सम्मेलन में कृषि आधारित कामगारों हेतु सुरक्षा के नए मानकों को स्वीकार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, हां। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 89वां सत्र जेनेवा में 5–21 जून, 2001 को आयोजित किया गया था।

(ख) सम्मेलन के दौरान विचारार्थ कार्यसूची मदों में कृषि में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सहकारी समितियों को बढ़ावा दिए जाने से संबंधित मुद्दे थे।

(ग) से (ङ) कृषि में सुरक्षा और स्वास्थ्य मुद्दे पर दूसरे और अंतिम चरण हेतु विचार–विमर्श किया गया जिसमें भारी बहुमत से एक सिफारिश द्वारा अभिपारित अभिसमय को अंगीकार किया गया। इस अभिसमय और सिफारिश में कृषि श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए किए जाने वाले निवारक, संरक्षी और कल्याणकारी उपायों पर बल दिया गया।

भारत ने कृषि में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी इस प्रस्तावित अभिसमय का समर्थन एवं स्वागत किया। इन लिखतों की उनके मूलपाठों के रूप में अंगीकरण की औपचारिक सूचना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से अभी प्राप्त नहीं हुई है।

यमुना में जल-मल व्ययन

207. श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में यमुना नदी में रोजाना लगभग 2,500 एम.एल.डी. जल–मल का व्ययन किया जा रहा है, जिसमें से इस समय केवल 1,270 एम.एल.डी. जल–मल को उपचारिता किया जाता है और शेष जल–मल को उच्चतम न्यायालय के इस आदेश के बावजूद नदी में छोड़ा जा रहा है कि जल–मल

को नदी में प्रवाहित किए जाने से पहले पूरे निकास जल तथा औद्योगिक अपशिष्ट को उपचारित किया जाना सुनिश्चित किया जाए;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) दिल्ली में इस समय लगभग प्रतिदिन 2770 मिलियन लीटर मलजल सृजित होता है तथा प्रतिदिन 1827 मिलियन लीटर की शोधन क्षमता सृजित की गई है। तथापि, ट्रंक सीवरेज प्रणाली में गाद जमने की समस्या और कुछ मलजल शोधन संयंत्रों में मलजल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध न होने के कारण प्रतिदिन 1827 मिलियन लीटर सृजित क्षमता में से प्रतिदिन लगभग 1590 मिलियन लीटर का इस समय उपयोग किया जा रहा है। प्रतिदिन कुल 2770 मिलियन लीटर मलजल में से शेष प्रतिदिन 1180 मिलियन लीटर मलजल को यमुना में बिना उपचार किए विसर्जित कर दिया जाता है। सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में दिनांक 8.11.2000 को दायर अपने शपथ पत्र में यमुना नदी की सफाई के लिए एक स्वीकृत कार्य योजना प्रस्तुत की है जिसे दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी की सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। एकीकृत कार्य योजना में निम्नलिखित कार्य शामिल है :

1. सीवेज शोधन क्षमता को बढ़ाना।
2. नियमित की गई अप्राधिकृत कालोनियों में सीवर बिछाना।
3. ट्रंक सीवेज प्रणाली को पुनः सुधारना।
4. यमुना नदी किनारे और नालों के पास से झुग्गियों को हटाना/पुनः स्थापित करना।
5. 15 सामूहिक बहिस्राव परिशोधन संयंत्रों का निर्माण।

उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10.4.2000 के अपने आदेश में दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को निर्देश दिया है कि वह यमुना नदी में अपेक्षित जल गुणता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाए जाने वाले कदमों के बारे में 31.3.2003 तक बताए। न्यायालय के उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी की सरकार ने निम्नलिखित समय सूची प्रस्तुत की है :

1. दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वर्ष 2002 तक प्रतिदिन 2326 मिलियन लीटर की शोधन क्षमता सृजित की जानी है। इसने 2006 में प्रतिदिन 3298 मिलियन लीटर की कुल शोधन क्षमता आवश्यकता तथा 2001 में 3661 एम एल डी की शोधन क्षमता का अनुमान लगाया है। इन्होंने तदनुसार इन क्षमताओं को क्रमशः 2005 और 2010 में सृजित करने की योजना बनाई है।
2. अनधिकृत/नियमित की गई कालोनियों, पुनर्वास कालोनियों, शहरी गांवों में ट्रंक सीवरों की गाद निकालना, उनका सुधार तथा सीवर लाइनें बिछाना बशर्ते कि 2005 तक तकनीकी क्षमता, छोटे आकार के सीवरों को बदले जाने की योजना पूरी की जाए।
3. दिल्ली नगर निगम के स्लम और झुग्गी झोपड़ी विंग ने नदी किनारे और नालों के किनारे स्थित झुग्गियों की संख्या को 62,000 से संशोधित कर लगभग 75,000 कर दिया है। इन झुग्गियों को हटाने/अन्यत्र बसाने का कार्य भूमि और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
4. इस समय निर्माणाधीन सभी प्रस्तावित 15 सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र दिसम्बर, 2002 तक पूरे हो जाएंगे ।
5. दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना नदी में अशोधित अपशिष्ट जल को गिराने से रोकने के लिए वर्षा जल निकास को सीवरेज प्रणाली से जोड़ने के लिए एक कार्य योजना भी तैयार की है।

खो गए टिकटों की धन वापसी

208. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स का विचार खो गए टिकटों की धन वापसी संबंधी नियमों को बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपभोक्ता फोरम ने इस संबंध में इंडियन एयरलाइन्स को कोई सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) उपभोक्ता विवाद निपटान राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली, गुम हुए टिकट के बाबत धन वापसी के मामले में इंडियन एयरलाइन्स के पक्ष में आदेश जारी करते हुए अभिमत व्यक्त किया कि आज कल के हालात में गुम हुए टिकट के बदले धन–वापसी नहीं करने का नियम पुराना है जबकि जन संपर्क की पर्याप्त व अनेकानेक सुविधाएं हैं और देश में बड़े पैमाने पर कम्प्यूटर नेटवर्क फैला हुआ है।

(ङ) इंडियन एयरलाइन्स में यात्रियों के लेन देन में ओटोमेशन, कम्युनिकेशन और कम्प्यूटरीकरण की सुविधा पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है इसमें बेईमान लोगों द्वारा राजस्व में घाटा करने के लिए दुष्प्रयोग करने की आशंका बनी रहती है। गुम हुए घरेलू टिकटों के मामले में मौके पर ही धन वापसी की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इंडियन एयर–लाइन्स विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर गुम हुए घरेलू टिकट के बदले धन–वापसी करती है। यद्यपि, गुम हुए अंतर्राष्ट्रीय टिकट के बदले धन–वापसी की सुविधा हाथों–हाथ है।

[हिन्दी]

नदी घाटी से जल की उपलब्धता

209. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मानसून के दौरान नदी घाटी से अतिरिक्त जल की उपलब्धता के संबंध में कोई आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो पानी के भंडारण के लिए प्रत्येक घाटी की नदियों पर बनाए गए जलाशयों की क्षमता कितनी है और प्रत्येक नदी घाटी में कितना पानी बर्बाद हो जाता है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) भारत में प्रतिवर्ष औसतन 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) वर्षा होती है जिसमें बर्फ का गलना भी शामिल है। इसमें से, 3000 बीसीएम वर्षा मानसून के दौरान होती है। वर्ष 1993 में केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा किए गए आकलन के अनुसार देश की नदी प्रणालियों में औसत वार्षिक प्रवाह 1869 बीसीएम आंका गया है, इसमें से 1122 बीसीएम उपयोज्य जल है जिसमें लगभग 690 बीसीएम सतही जल और 432 बीसीएम पुनर्भरणीय भूजल शामिल है। इसके अतिरिक्त, लगभग 200 से 250 बीसीएम जल को अधिशेष जल वाली नदी बेसिन से जल की कमी वाले बेसिनों में अंतर बेसिन जल का हस्तांतरण करके उपयोग किया जा सकता है। वर्ष 1995 तक, देश में बड़े बांधों का निर्माण करके 177 बीसीएम सक्रिय भण्डारण क्षमता सृजित की गई है। इसके अतिरिक्त, लगभग 75 बीसीएम अतिरिक्त भण्डारण क्षमता बढ़ाने वाली परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा 132 बीसीएम क्षमता बढ़ाने वाली परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रयोजनों के लिए नदी जल का उपयोग करने के वास्ते बैराजों/वीयरों आदि का निर्माण करके जल को नहरों में भी मोड़ा गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1997 में सतही और भूजल के माध्यम से 605 बीसीएम जल का उपयोग किया गया है। देश के प्रमुख नदी बेसिनों में औसत वार्षिक जल उपलब्धता और जलाशयों की सक्रिय भण्डारण क्षमता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

भारत में बेसिनवार भण्डारण (बिलियन क्यूबिक मीटर)

क्र.सं.	नदी बेसिन का नाम	औसत वार्षिक प्रवाह	सक्रिय भण्डारण क्षमता			
			पूरी की गई परियोजनाएं	निर्माणाधीन परियोजनाएं	कुल	विचाराधीन परियोजनाएं
1	2	3	4	5	6	7
1.	सिंधु (सीमा तक)	73.30	13.83	2.45	16.29	0.27
2.	(क) गंगा	525.02	36.84	17.12	53.96	29.56
	(ख) ब्रह्मपुत्र एवं बराक	585.60	1.09	2.40	3.49	63.35

1	2	3	4	5	6	7
3.	गोदावरी	110.54	19.51	10.65	30.16	8.28
4.	कृष्णा	78.12	34.48	7.78	42.25	0.13
5.	कावेरी	21.36	7.43	0.39	7.82	0.34
6.	पेन्नार	6.32	0.38	2.13	2.51	
7.	महानदी से गोदावरी तथा कृष्णा से पेन्नार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां	22.52	1.63	1.45	3.08	0.80
8.	पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां	16.46	1.42	0.02	1.44	
9.	महानदी	66.88	8.49	5.39	13.88	10.96
10.	ब्राह्मणी और बैतरणी	28.48	4.76	0.24	5.00	8.72
11.	सुवर्णरेखा	12.37	0.66	1.65	2.31	1.59
12.	साबरमती	3.81	1.35	0.12	1.47	0.09
13.	माही	11.02	4.75	0.36	5.11	0.02
14.	लुनी सहित कच्छ, सौराष्ट्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	15.10	4.31	0.58	4.89	3.15
15.	नर्मदा	45.64	6.60	16.72	23.32	0.47
16.	तापी	14.88	8.53	1.01	9.54	1.99
17.	तापी से ताद्री तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	87.41	7.10	2.66	9.76	0.84
18.	ताद्री से कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	113.53	10.24	2.31	12.55	1.70
19.	राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकास क्षेत्र	नगण्य	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	बंगलादेश और म्यांमार में गिरने वाली लघु नदी बेसिनें	31.00	0.31	0.00	0.31	0.00
	कुल	1869.35	173.73	75.42	249.15	132.32

टिप्पणी :

1. केवल 10 मिलियन क्यूबिक मीटर और उससे अधिक की सक्रिय भण्डार क्षमता वाली परियोजनाएं शामिल हैं।
2. 10 मिलियन क्यूबिक मीटर से कम क्षमता वाली प्रत्येक मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 3 बिलियन क्यूबिक मीटर (लगभग) अतिरिक्त सक्रिय भण्डारण क्षमता सृजन करने का अनुमान है। इस प्रकार पूर्ण परियोजनाओं में कुल सक्रिय भंडारण क्षमता लगभग 177 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी।
3. पूर्णांक करने के कारण योग बराबर नहीं हो सकता है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान के लिए खेल नीति

210. श्री शिवाजी माने :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में पाकिस्तान के प्रति अपनी खेल नीति में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या क्रिकेट टीम को पहले पाकिस्तान के साथ खेलने की स्वीकृति नहीं दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मैचों को खेलने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि वर्तमान परिस्थितियों में, भारत और पाकिस्तान के बीच दो राष्ट्रों के टूर्नामेंट में, भारतीय क्रिकेट टीम का भाग लेना उपयुक्त नहीं होगा।

घरेलू विमान सेवाओं से नियंत्रण हटाना

211. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ·

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने क्षेत्रीय एयरलाइनों में वृद्धि को प्रोत्साहित करने और आर्थिक विकास की जरूरत वाले तथा दूरदराज के क्षेत्रों को एअरलाइनों से जोड़ने हेतु घरेलू विमान सेवाओं से नियंत्रण हटाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सीआईआई ने इस संबंध में सरकार को एक सुधार एजेंडा प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सीआईआई द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने और विमानन टरबाइन ईंधन आदि को युक्ति युक्त बनाने के लिए उनके एजेंडे में अन्य सुझाए गए कदम क्या हैं; और

(ङ) सीआईआई की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) चेन्नई में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा दिनांक 30.1.2001 विमान सेवा संपर्क संबंधी अनौपचारिक विचार विमर्श गोष्ठी में प्रादेशिक तथा शार्टहॉल एवं फीडर मार्गों पर सेवाएं विकसित करने के उद्देश्य से विमान सेवाओं के उदारीकरण की सिफारिश की गई है।

(घ) भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने उल्लेख किया कि विमानन टरबाइन ईंधन का मौजूदा मूल्य विमानन उपयोग के लिए घातक है।

(ङ) नई नागर विमानन नीति प्रतिपादित करते समय भारतीय उद्योग परिसंघ की सिफारिशों का ध्यान रखा गया है।

मदुरै विमानपत्तन का स्तरोन्नयन

212. डा. वी. सरोजा : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदुरै विमानपत्तन के स्तरोन्नयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की 400 यात्रियों के लिए एक नया टर्मिनल भवन बनाने तथा ए.बी.–320 श्रेणी के विमान प्रचालनों के लिए धावनपथ का 5900 फुट से 7500 फुट तक विस्तार और सुदृढ़ीकरण करने की योजना है। राज्य सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अपेक्षित भूमि सौंपे जाने के पश्चात यह कार्य आरंभ किए जाने की संभावना है। चूंकि परियोजना अभी प्रारंभिक चरण में है, इस अवस्था में न तो कोई नियत निधि अपेक्षाओं की मंजूरी दी जा सकती है न ही परियोजना को पूरा करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा ही बताई जा सकती है।

[हिन्दी]

सी.आर.एफ. के लिए कैबिनेट की उप-समिति

213. राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क निधि के संबंध में गठित कैबिनेट की उप–समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह रिपोर्ट किस तारीख को सौंपी गई; और

(ग) इस संबंध में कोई कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सड़क निधि के संबंध में सरकार ने किसी मंत्रिमंडलीय उप–समिति का गठन नहीं किया। तथापि, केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 को पहले ही दिसम्बर, 2000 में अधिनियमित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

कन्नूर विमानपत्तन का निर्माण

214. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित कन्नूर विमानपत्तन के निर्माण के लिए अतिरिक्त कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भूमि प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार से संपर्क साधा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) केरल राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी से कन्नूर में नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव दिया था। यद्यपि, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत तकनीकी आर्थिक साध्यता रिपोर्ट के तकनीकी पहलुओं पर विविध दृष्टिकोण तथा नागर विमानन मंत्रालय की उच्च स्तरीय दल की रिपोर्ट को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है कि विशेषज्ञ समिति तकनीकी साध्यता, प्रचालन संरक्षा तथा पड़ोसी हवाई अड्डों की वित्तीय व्यवहार्यता पर पड़ने वाले प्रभाव सहित प्रस्ताव की पुनः जांच की जाए। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि विशेषज्ञ समिति में एक अधिकारी को नामित करें। इस बारे में राज्य सरकार से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

पर्यावरण की दृष्टि से खनन पर प्रतिबंध

215. श्रीमती जस कौर मीणा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में राज्यवार ऐसे कौन–कौन से क्षेत्र हैं जहां खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है; और

(ख) पर्यावरण की दृष्टि से इस संबंध में इस अधिनियम को कारगर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) 1985 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 4677 के तहत उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए हरियाणा में सूरजकुण्ड और बडकल झीलों (पर्यटक स्थलों) के 2 किमी. के भीतर खनन कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहरी परिसर में हरियाणा सरकार के खान, बिक्री कर और पुलिस विभागों के अधिकारियों द्वारा एक स्थाई चैक पोस्ट स्थापित की गई है जिससे कोई अवैध खनन कार्य न हो सुनिश्चित किया जा सके।

दून घाटी (उत्तरांचल), दहानु और मुरुड–जंजीरा (महाराष्ट्र) और तटीय विनियमन क्षेत्रों जैसे पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 1994 की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार 5 हैक्टेयर से अधिक पट्टा क्षेत्र में मुख्य खनिजों की खनन परियोजनाओं के लिए पूर्व स्वीकृति लेना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

तटीय विनियामक जोन के अंतर्गत दिशानिर्देश

216. श्री सुबोध मोहिते : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा तटीय विनियामक जोन (सीआरजैड) के अंतर्गत तटीय विकास संबंधी दिशानिर्देशों को क्रियान्वित न किए जाने की कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय राज्यों से तटीय विनियमन जोन (सीआरजैड) अधिसूचना 1991 के उल्लंघन के बारे में विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों और व्यक्तियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) सरकार ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1996 के अंतर्गत तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरणों और तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरणों का गठन किया है। इन प्राधिकरणों को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के संगत उपबंधों के अंतर्गत हुए उल्लंघनों पर दृष्टि रखने और उन पर आवश्यक कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

[हिन्दी]

दूरभाष सुविधाएं

217. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री बाबूभाई के. कटारा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गुजरात में विशेषकर राज्य के जामनगर और दाहोद जिलों में टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची अभी भी विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की जिलेवार संख्या कितनी है;

(घ) वर्ष 2001–2002 के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक जामनगर और दाहोद जिलों में स्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों की शहर–वार संख्या कितनी है; और

(च) इस पर कितना व्यय किया गया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) 30.6.2001 की स्थिति के अनुसार गुजरात दूरसंचार सर्किल की प्रतीक्षा सूची में 238974 व्यक्ति दर्ज हैं। जामनगर तथा दाहोद राजस्व जिले की प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :

जामनगर	10190
दाहोद	3609

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तारीख तक गुजरात दूरसंचार सर्किल में प्रदान किए गए नए टेलीफोन कनेक्शनों की जिला–वार संख्या निम्नानुसार है :

क्र.सं.	एसएसए	कवर किए गए राजस्व जिले	निम्नलिखित अवधि के दौरान प्रदान किए गए नए टेलीफोन कनेक्शन			
			98–99	99–00	00–01	जून, 01 तक
1	2	3	4	5	6	7
1	अहमदाबाद	अहमदाबाद	36627	90757	83429	7947
		गांधीनगर				1888
2	अमरेली	अमरेली	7289	8560	16146	2055
3	भडुच	भडुच	10006	11269	16098	1244
		नर्मदा				0

1	2	3	4	5	6	7
4	भावनगर	भावनगर	11059	13143	20483	1300
5	भुज	कच्छ	12630	10419	15042	989
6	गोधरा	पुनमहल	4502	6020	13344	1090
		दाहोद				515
7	जामनगर	जामनगर	9807	10651	16598	2435
8	जूनागढ़	जूनागढ़	15693	26402	32313	–536
		पोरबंदर				–435
		दीव (संघ राज्य क्षेत्र)				2
9	मेहसाणा	मेहसाणा	15852	26527	33131	6349
		पट्टन				0
10	नाडियाड	खेड़ा	14011	15243	33803	2199
		आनंद				2068
11	पालनपुर	बनासकांठा	9160	11787	15700	2422
12	राजकोट	राजकोट	26868	27018	32101	1643
13	सूरत	सूरत	26463	38600	57458	6237
14	सुरेन्द्र नगर	एस. नगर	5809	6307	11237	2374
15	हिम्मतनगर	सबरकण्ठ	6301	13438	18194	4065
16	वड़ोदरा	वड़ोदरा	24853	35200	33369	4401
17	वलसाड़	वलसाड़	20458	22681	28355	1701
		नवसरी				1088
		दांग				31
		दमन (संघ राज्य क्षेत्र)				540
		दादरा एवं नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)				178
		कुल	257387	374121	476800	53791

(घ) ब्यौरा निम्नानुसार है

क्र.सं.	एसएसए का नाम	डीईएल के लक्ष्य
1	अहमदाबाद	64967
2	अमरेली	14442
3	भडुच	12263
4	भावनगर	15135
5	भुज	8815
6	गोधरा	19136
7	हिम्मतनगर	21239
8	जामनगर	20302
9	जूनागढ़	28423
10	नाडियाड	25363
11	मेहसाणा	39925
12	पालनपुर	24363
13	राजकोट	30859
14	सूरत	70388
15	सुरेन्द्रनगर	16242
16	वड़ोदरा	24820
17	वलसाड़	29318
	कुल	466000

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तारीख तक जामनगर तथा दाहोद जिले के उन शहरों के नाम जिनमें नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं :

वर्ष	जामनगर		दाहोद	
	एक्सचेंजों की सं.	शहरों के नाम	एक्सचेंजों की सं.	शहरों के नाम
1	2	3	4	5
98–99	शून्य	मेडी, रिनाडी	1	बन्दीबार
99–00	2	हंसथाल	1	बेलनवाडा
00–01	25	केशी	6	बलैया
		समोर		उखरेली
		दुधई		बोरडी
		भोगल		कदवाल
		बगधारा		मुराखेड़ी
		भंडारिया		पेठापुर
		फटसड़		
		हरिपुर		
		खिरासरा		
		राजपाटा		
		बनाना		
		चन्द्रगढ़		
		दलटुंगी		
		लैयाली		
		मजोथ		
		मोतीनगजड		
		सनोसरी		
		मनसर		
		मकजीमेधपार		
		मोटाभादुकिया		
		लालोई		
		कजुराड़ा		
		पिपरटोडा		
		परादवा		
जून, 01 तक	शून्य	—		चोसाला

(च) लगभग 15.3 करोड़ रु.।

[अनुवाद]

बाल्को में उत्पादन

218. श्री जे. एस. बराड़ : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) में उत्पादन सामान्य हो गया है;

(ख) यदि हां, तो बाल्को के विनिवेश के विरोध में हुए आंदोलन की अवधि के दौरान एल्यूमीनियम के उत्पादन और कार्यावधि का कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) बाल्को में एल्यूमीनियम के अधिकतम स्तर को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील) : (क) जी, नहीं। बाल्को के स्मैल्टर प्लांट में 408 पॉट हैं। इनमें से 375 में दुबारा उत्पादन आरम्भ हो गया है। इनमें उत्पादन की जा रही सामग्री की क्वालिटी निरंतर रूप से निम्न शुद्धता वाली ही है।

(ख) आंदोलन अवधि के दौरान एल्यूमीनियम के उत्पादन में 18906 मीट्रिक टन की कमी आई। आंदोलन अवधि के दौरान 20,30,568 श्रम घंटे का नुकसान हुआ।

(ग) बाल्को प्रबंधन ने पोटों को पुनः आरंभ करने हेतु नए तरीकों को अपनाया है। युद्ध स्तर पर संयंत्र को सामान्य स्तर पर लाने हेतु कर्मचारियों को अपना श्रेष्ठतम योगदान देने के लिए प्रेरित करने हेतु कदम उठाए गए हैं।

दूरसंचार की आधारभूत संरचना

219. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) क्रांति के संबंध में दूरसंचार की वर्तमान आधारभूत संरचना का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सूचना प्रौद्योगिकी संवर्द्धन के लिए वर्तमान दूरसंचार सुविधा अपर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो इन सुविधाओं में वृद्धि लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) एक युक्तिसंगत समय-सीमा के भीतर स्वदेशी बैण्डविड्थ की मांग भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) तथा अंतर्राष्ट्रीय बैण्डविड्थ की मांग विदेशी संचार निगम लि. (वीएसएनएल) द्वारा पूरी की जा रही है। इंटरनेट कनेक्शनों की मांग देश के अनेकों इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा पूरी की जा रही है। इस प्रकार मौजूदा दूरसंचार अवसंरचना सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त है।

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को दूरसंचार संबंधी सुविधा पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो। इनमें शामिल कुछ उपाय निम्नलिखित हैं ·

(i) बुनियादी, इंटरनेट, वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल (वी-सैट), वायस मेल, राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) और ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन सिस्टम (जीएमपीसीएस) जैसी दूरसंचार सेवाओं में आपरेटरों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ii) राष्ट्रीय लंबी दूरी नीति के अनुसार अवसंरचना प्रदाताओं (आईपी) की दो श्रेणियां हैं-अर्थात आईपी-I जो डार्क फाइबर, राइट आफ वे, डक्ट स्पेस इत्यादि जैसी परिसम्पतियां प्रदान कर सकता है और आईपी-II जो एक छोर से दूसरे छोर तक बैण्डविड्थ प्रदान कर सकता है।

(iii) इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्राप्त कर लेने के पश्चात उपग्रह तथा समुद्री केबल माध्यम का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट के लिए इंटरनेशनल गेटवेज स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है। इंटरनेट सेवा के लिए इंटरनेशनल गेटवेज स्थापित करने वाले इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं को बैण्डविड्थ बेचने की अनुमति दी गई है।

(iv) मांग पर बैण्डविड्थ उपलब्ध होना सुनिश्चित करने के संबंध में किए गए उपायों पर दूरसंचार विभाग को सलाह देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार उद्योग के प्रख्यात व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक बैण्डविड्थ सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

(v) इंटरनेट ट्रैफिक का संवहन करने के लिए भारत संचार निगम लि. द्वारा नेशनल इंटरनेट बैक बोन की स्थापना।

(vi) प्रमुख शहरों को पर्याप्त बैण्डविड्थ करने के लिए भारत संचार निगम लि. द्वारा संचार सागर परियोजना का शुरू किया जाना।

ऑप्टिकल फाइबर केबल

220. श्री सुरेश रामराव जाधव :
डा. जसवंतसिंह यादव :
श्री राजो सिंह :
श्री जय प्रकाश :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2001–2002 के दौरान टेलीफोन केन्द्रों को ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) से जोड़ने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्यवार कितने टेलीफोन केन्द्रों को ओ एफ सी से जोड़े जाने का प्रस्ताव है;

(घ) देश में अब तक राज्यवार कितने टेलीफोन केन्द्रों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जा चुका है;

(ङ) कितने टेलीफोन केन्द्रों में कार्य प्रगति पर है; और

(च) इन्हें कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। तथापि नई दूरसंचार नीति 99 के अनुसार दूरसंचार विभाग की देश के सभी एक्सचेंजों को संबंधित एक्सचेंज की भौगोलिक अवस्थिति और तकनीकी व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए मार्च, 2002 तक माइक्रोवेव, उपग्रह और ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसे विश्वसनीय माध्यम से जोड़ने की योजना है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के गठन के बाद यह भी नई दूरसंचार नीति 1999 का अनुपालन कर रहा है और इसने सभी एक्सचेंजों को मार्च 2002 तक विश्वसनीय माध्यम से जोड़ने की योजना तैयार की है।

(ख) वर्ष 2001–2002 के दौरान जिन एक्सचेंजों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने की योजना बनाई गई है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) और (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित एक्सचेंजों की संख्या और आज की तारीख तक देश में ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़े गए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या के बारे में राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ङ) कुल 3798 टेलीफोन एक्सचेंजों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से जोड़े जाने का कार्य चल रहा है।

(च) सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को मार्च 2002 तक विश्वसनीय माध्यम से जोड़ दिए जाने की संभावना है।

विवरण-I

क्र.सं.	दूरसंचार सर्किल		वर्ष 2001–2002 के दौरान ओएफसी से जोड़े जाने वाले एक्सचेंजों की संख्या
1	2		3
1.	आंध्र प्रदेश		472
2.	अंडमान–निकोबार		15
3.	असम		40
4.	बिहार		169
5.	झारखंड		125
6.	गुजरात		556
7.	हरियाणा		70
8.	हिमाचल प्रदेश		273
9.	जम्मू–कश्मीर		77
10.	कर्नाटक		575
11.	मध्य प्रदेश		1240
12.	छत्तीसगढ़		295
13.	केरल सहित लक्षद्वीप द्वीपसमूह		26
14.	महाराष्ट्र एवं गोवा		1974
15.	मेघालय	उत्तर पूर्व–I	16
16.	मिजोरम		9
17.	त्रिपुरा		6

1	2		3
18.	अरुणाचल प्रदेश		7
19.	मणिपुर	उत्तर पूर्व–II	3
20.	नागालैंड		5
21.	उड़ीसा		143
22.	पंजाब		445
23.	राजस्थान		847
24.	तमिलनाडु एवं पांडिचेरी		345
25.	उत्तर प्रदेश		950 (उ.प्र.पू. 800 और उ.प्र.प. 150)
26.	उत्तरांचल		95
27.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम		615

विवरण-II

क्र.सं.	दूरसंचार सर्किल	नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ओएफसी से जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित एक्सचेंजों की संख्या	आज की तारीख तक देश में ओएफसी से जोड़े गए एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2469	1997
2.	अंडमान–निकोबार	30	15
3.	असम	277	237
4.	बिहार	659	490
5.	झारखंड	356	227
6.	गुजरात	2020	1464
7.	हरियाणा	776	706
8.	हिमाचल प्रदेश	577	304
9.	जम्मू–कश्मीर	204	127
10.	कर्नाटक	2221	1646
11.	मध्य प्रदेश	2238	998
12.	छत्तीसगढ़	474	179
13.	केरल सहित लक्षद्वीप द्वीपसमूह	974	948
14.	महाराष्ट्र एवं गोवा	3627	1653
15.	मेघालय	26	10
16.	मिजोरम	उत्तर पूर्व–I 16	7
17.	त्रिपुरा	8	2
18.	अरुणाचल प्रदेश	13	6
19.	मणिपुर	उत्तर पूर्व–II 9	6
20.	नागालैंड	9	4
21.	उड़ीसा	927	784
22.	पंजाब	1122	667
23.	राजस्थान	1808	961
24.	तमिलनाडु एवं पांडिचेरी	1662	1317
25.	उत्तर प्रदेश	2550 (उ.प्र.पू. 1900 और उ.प्र.प. 650)	1600 (उ.प्र.पू. 1100 और उ.प्र.प. 500)
26.	उत्तरांचल	267	172
27.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम	1159	554

[हिन्दी]

खराब दूरभाष केन्द्र

221. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड और बिहार में कई दूरभाष केन्द्र गत कई महीनों से खराब पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें कार्यशील बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) झारखंड और बिहार में टेलीफोन एक्सचेंज सामान्यतः संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। तथापि, झारखंड में 9 एक्सचेंज और बिहार में 3 एक्सचेंज आवेरहैड लाइनों पर व्यवधान, उपस्कर/एंटीना में खराबी और उग्रवादियों द्वारा क्षति पंहुचाने के कारण खराब हैं।

(ग) उन्हें प्रचालनात्मक बनाने के लिए निम्नांकित कदम उठाए जा रहे हैं :

(i) ओवरहैड लाइनों के स्थान पर ओएफसी माध्यम की योजना बनाई गई है।

(ii) खराब एंटीना/लाइनों की मरम्मत।

(iii) जल गए एक्सचेंज के स्थान पर नए एक्सचेंज की संस्थापना।

बिहार में ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा

222. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने बिहार के सिमरी बख्तियार–पुर–तेलियाहाट और सहरसा बलवाहाट टेलीफोन केन्द्रों को मार्च, 2001 तक ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित समय में इसे न जोड़े जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) ऑप्टिकल फाइबर केबल उपलब्ध न होने के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

(ग) इस कार्य के मार्च, 2002 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

नालको के कार्यकारियों का वेतन संशोधन

223. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नालको के कार्यकारियों के लिए आईडीए पद्धति पर वेतनमान संशोधन की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) नालको में कार्यपालकों के संशोधित वेतनमान पहले ही क्रियान्वित किए जा चुके हैं।

बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता

224. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अकाल और बाढ़ से प्रभावित राज्यों की संख्या कितनी है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई और इसका वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) वर्ष 1998, 1999 और 2000 के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों की संख्या क्रमशः 16, 14 और 9 है। वर्ष 1998, 1999 और 2000 के दौरान सूखे जैसी स्थिति के कारण प्रभावित राज्यों की संख्या क्रमशः 5, 11 और 9 है।

(ख) योजना आयोग, प्रत्येक वार्षिक योजना के दौरान राज्यों में योजना कार्यों के लिए निधियां आबंटित करता है। विगत 3 वित्तीय वर्षों अर्थात वर्ष 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान राज्यों के लिए बाढ़ नियंत्रण उप क्षेत्र के तहत अनुमोदित परिव्ययों के ब्यौर संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं। अनुदान के रूप में अथवा केन्द्रीय ऋण सहायता के

रूप में केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे भी संलग्न विवरण–I में दर्शाए गए हैं। वर्ष 1998–99 से 2000–01 के दौरान जारी की गई आपदा राहत निधि के केन्द्रीय हिस्से के ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं। वर्ष 1998–99 से 2000–01 के दौरान भारी वर्षा/बाढ़ और सूखे के वास्ते राष्ट्रीय आपदा राहत निधि/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि द्वारा सज्यों को मुहैया कराई गई सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण–III में दिए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा राहत निधि/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से मुहैया कराई गई सहायता आपदा राहत निधि के केन्द्रीय हिस्से की जारी की गई निधि के अतिरिक्त है।

विवरण-I

बाढ़ नियंत्रण उप–क्षेत्र के अंतर्गत राज्यवार परिव्यय और केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1999–98		1999–2000		2000–2001	
		परिव्यय	सहायता	परिव्यय	सहायता	परिव्यय	सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	20.27	–	42.00	–	63.00	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.61	–	4.24	–	3.50	–
3.	असम	20.27	18.00 (के.ऋ.सहा.)	27.57	15.00 (के.ऋ.सहा.)	3.40	शून्य
4.	बिहार	63.00	3.33	110.00	5.18	103.00	13.522
5.	गोवा	0.60	–	00.85	–	1.20	–
6.	गुजरात	5.00	–	5.00	–	5.30	–
7.	हरियाणा	23.40	–	20.00	–	20.00	–
8.	हिमाचल प्रदेश	5.74	–	8.12	–	7.90	–
9.	केरल	24.00	–	24.00	–	22.50	–
10.	महाराष्ट्र	1.16	–	0.99	–	0.70	–
11.	मेघालय	3.00	–	3.00	–	3.00	–
12.	मिजोरम	0.00	–	0.00	–	0.00	–
13.	उड़ीसा	15.00	–	12.63	–	2.00	–
14.	पंजाब	182.83	–	105.39	–	142.00	–
15.	राजस्थान	4.93	–	3.35	–	1.90	–
16	सिक्किम	0.50	–	0.02	–	1.30	–
17.	तमिलनाडु	0.80	–	17.77	–	22.10	–

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	उत्तर प्रदेश	20.00	0.44	23.53	0.46	51.20	5.75
19.	पश्चिम बंगाल	145.90	–	165.30	–	130.90	6.50
20.	चंडीगढ़	0.00	–	0.00	–	0.00	–
21.	दिल्ली	24.00	–	20.00	–	21.30	–
22.	लक्षद्वीप	0.00	–	3.05	–	3.10	–
23.	पांडिचेरी	3.00	–	4.00	–	4.00	–
24.	उत्तरांचल	–	–	–	–	–	1.00

विवरण-II

वर्ष 1998–99 से 2000–01 के दौरान जारी की गई आपदा राहित निधि के केन्द्रीय हिस्से को दर्शाते हुए राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1998–99	1999–2000	2000–2001
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	103.30	107.69	148.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.86	6.10	9.02
3.	असम	41.60	43.37	76.12
4.	बिहार	43.22	33.79	50.22
5.	छत्तीसगढ़	–	–	20.60
6.	गोवा	0.89	0.93	0.47
7.	गुजरात	116.12	121.05	131.14
8.	हरियाणा	20.84	21.73	60.98
9.	हिमाचल प्रदेश	22.42	23.37	32.61
10.	जम्मू व कश्मीर	16.39	17.09	26.18
11.	झारखंड	–	–	42.52
12.	कर्नाटक	34.81	36.29	55.93
13.	केरल	46.08	48.04	17.34
14.	मध्य प्रदेश	42.49	44.29	46.98
15.	महाराष्ट्र	56.73	44.36	117.90
16.	मणिपुर	2.06	1.61	1.56
17.	मेघालय	2.32	2.42	2.95
18.	मिजोरम	1.05	1.10	1.12
19.	नागालैंड	1.41	1.47	0.53
20.	उड़ीसा	40.77	42.50	103.65
21.	पंजाब	45.04	46.96	92.04
22.	राजस्थान	148.92	155.25	196.00
23.	सिक्किम	3.92	4.08	2.95
24.	तमिलनाडु	49.37	51.47	76.98
25.	त्रिपुरा	3.74	3.90	1.41
26.	उत्तरांचल	–	–	7.10
27.	उत्तर प्रदेश	104.07	108.50	32.01
28.	पश्चिम बंगाल	42.69	44.50	75.83
	कुल	996.11	1011.86	1430.75

विवरण-III

भारी वर्षा/बाढ़ और सूखे को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा राहत निधि/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से वर्ष 1998–99 से 2000–2001 के दौरान मुहैया कराई गई सहायता के राज्यवार ब्यौरे

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1998–99	1999–2000	2000–2001
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	26.50	75.36	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	13.47	–	2.00
3.	असम	59.90	–	–
4.	बिहार	11.45	38.18	29.67
5.	छत्तीसगढ़	–	–	40.00
6.	गोवा	–	–	–
7.	गुजरात	–	54.58	85.00
8	हरियाणा	13.27	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	8.29
10.	जम्मू व कश्मीर	–	73.42	–
11.	झारखंड	–	–	–
12.	कर्नाटक	39.78	17.09	–
13.	केरल	–	–	–
14.	मध्य प्रदेश	35.00	38.86	35.00
15.	महाराष्ट्र	–	–	–
16.	मणिपुर	–	4.93	–
17.	मेघालय	–	–	–
18.	मिजोरम	–	6.00	–
19.	नागालैंड	–	–	–
20.	उड़ीसा	–	828.15**	35.00
21.	पंजाब	–	–	–
22.	राजस्थान	21.98	102.93	85.00
23.	सिक्किम	–	–	–
24.	तमिलनाडु	–	–	–
25.	त्रिपुरा	5.05	5.34	–
26.	उत्तरांचल	–	–	–
27.	उत्तर प्रदेश	104.00	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	66.33*	29.52	103.25

*–बाढ़/भूस्खलन के लिए

**–बाढ़/चक्रवात के लिए

[हिन्दी]

खनन के लिए पट्टा अवधि को बढ़ाया जाना

225. श्री रामदास आठवले : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में खुले मुहाने वाले खनन और लघु खनन क्षेत्रों के लिए पट्टे की अवधि बढ़ाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2000 के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों वाले क्षेत्रों के खनन क्षेत्रों में रोजगार सृजन की कितनी संभावना है;

(घ) क्या इसके पट्टे, इसके नवीकरण और स्थानांतरण के लिए मंजूरी प्रदान करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील) : (क) और (ख) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 में, जनवरी, 1994 में हुए, संशोधनों के बाद, सभी प्रमुख खनिजों (अधिनियम की धारा 3(ङ) के

तहत परिभाषित गौण खनिजों को छोड़कर) की पट्टा अवधि को 20 वर्ष, अधिकतम से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया गया है जोकि महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों पर लागू है। गौण खनिजों की पट्टा अवधि संबंधित राज्य सरकारों की गौण खनिज रियायत नियमावलियों द्वारा नियंत्रित की जाती है।

(ग) महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों के खनन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के बारे में, विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के संबंध में, अलग सूचना नहीं रखी जाती। खान मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र, जहां खनन कार्य किया जा रहा है, महाराष्ट्र राज्य में अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, गड़चिरोली, गोंदिया एवं नागपुर; मध्य प्रदेश में बालाघाट, बेतुल, छिन्दवाड़ा, धार, झबुआ, खारगांव एवं सिवनी एवं छत्तीसगढ़ राज्य में जशपुर, कोरबा, जांजगीर, चम्पा, कान्केर, दांतेवाड़ा, रायगढ़, राजनन्दगांव एवं दुर्ग हैं।

(घ) और (ङ) खनिज रियायत नियमावली, 1960 के मौजूदा प्रावधान खनन पट्टा देने, इसके नवीकरण एवं स्थानांतरण के बारे में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करते।

[अनुवाद]

महानगरों से तिरुपति तक सीधी विमान सेवाएं

226. श्री बी. के. पार्थसारथी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक समय सीमा के अंदर देश के सभी महानगरों से तिरुपति तक सीधी विमान सेवाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर एयरलाइन ऑपरेटर किसी भी सेक्टर पर प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, इंडियन एयरलाइन अपनी वर्तमान समय–अनुसूची के अनुसार, सप्ताह में दो बार ए–320 सेवा से तिरुपति को हैदराबाद और चैन्नई से विमान सेवा से जोड़ती है। अन्य शहरों से तिरुपति के लिए इन सेवाओं का लाभ इन स्थानों से उठाया जा सकता है।

[हिन्दी]

विदेश यात्राएं

227. डा. बलिराम : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा की गई विदेश यात्राओं की संख्या कितनी है;

(ख) इसमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात् महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को उक्त अधिकारियों और कर्मचारियों से होने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गैर–तकनीकी कर्मचारियों को विदेश यात्रा पर भेजे जाने से रोकने और इस बढ़ते व्यय को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा की गई विदेश यात्राओं की संख्या निम्नानुसार है :

1. पिछले तीन वर्षों के दौरान – 178
2. चालू वर्ष के दौरान अब तक – 25

(ख) खर्च की गई राशि निम्नानुसार है :

1. पिछले तीन वर्षों के दौरान – 215.58 लाख रुपये
2. चालू वर्ष के दौरान अब तक – 36.76 लाख रुपये

(ग) कर्मचारियों को प्रदर्शनियों, सम्मेलनों, वित्तीय वार्ताओं, बैठकों, उपस्करों की जांच, फैक्टरी निरीक्षणों आदि में भाग लेने के लिए समय–समय पर विदेश यात्राओं पर भेजा गया। कुछ अधिकारियों को प्रबन्धन संबंधी प्रशिक्षण और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली में संस्थापित किये जा रहे सीडीएमए डब्ल्यूएलएल प्रणाली में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इन यात्राओं के लिए नामांकन तभी किये जाते हैं जब यह महसूस किया जाता है कि सहभागिता कम्पनी के हित में पूर्णतः अनिवार्य है और कुल मिलाकर संगठन को इससे लाभ होगा।

(घ) गैर–तकनीकी स्टाफ को विदेश यात्रा पर भेजने के संबंध में रोक लगाना संभव नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वित्त, जन–सम्पर्क और विपणन, कानून जैसे गैर–तकनीकी क्षेत्रों के कर्मचारियों को उन प्रदर्शनियों/सम्मेलनों/सेमिनारों आदि में भाग लेने के लिए भेजना अपेक्षित होता है जहां यात्रा के उद्देश्य के लिए उनकी विशेषज्ञता अधिक प्रासंगिक है। कर्मचारी को भेजने के संबंध में अलग–अलग मामले के आधार पर निर्णय लिया जाता है जो उस उद्देश्य पर निर्भर करता है जिसके लिए यात्रा प्रस्तावित है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय संतुलन का ह्रास

228. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत जैव विविधता के क्षेत्र में 1996–97 के मुकाबले ब्राजील के बाद दूसरे स्थान से दसवें स्थान पर आ गया है; और

(ख) यदि हां, तो देश में प्राकृतिक पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय संतुलन में हो रहे ह्रास की त्वरित प्रक्रिया को रोकने हेतु उठाए गए कदम क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) 1990 में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ (आई यू सी एन), विश्व संसाधन संस्थान और विश्व वन्यजीव निधि ने 12 देशों को महा जैव विविधता देशों के रूप में अभिनिर्धारित किया है। महा जैव विविधता की अवधारणा समृद्ध बहुप्रजातियों और स्थानीय स्तरों पर आधारित है। इन 12 देशों की क्रमबद्धता पुष्पी पादप की संख्या के आधार पर की गई है। इस क्रम से भारत दसवें स्थान पर आता है। अभी तक इस क्रम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

असंगठित घरेलू श्रमिक

229. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार के पास देश भर के असंगठित घरेलू श्रमिकों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य के लिए विधान बनाने हेतु कोई दिशानिर्देश जारी करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन असंगठित घरेलू श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) घरेलू असंगठित श्रमिकों की सेवा शर्तों के विनियमन हेतु कानून अधिनियमित करके उन्हें विधिक संरक्षण देने संबंधी कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के पास नहीं है। तथापि, ऐसे श्रमिक असंगठित श्रमिक ही हैं और 15.10.99 को गठित द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के विचारार्थ विषयों में, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को एक हद तक संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए किसी व्यापक विधान के सुझाव का मामला भी शामिल है।

[हिन्दी]

टेलीफोन टावर

230. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में इस समय जिले–वार कितने टेलीफोन टावर स्थापित हैं;

(ख) दूरसंचार विभाग द्वारा महाराष्ट्र के जालना जिले में बनाए जा रहे टेलीफोन टावरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन टावरों के कब से कार्य शुरू करने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) महाराष्ट्र में टेलीफोन टावरों की कुल संख्या 587 है। जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस वित्तीय वर्ष में जालना जिले में 40 मीटर के छोटे आधार के तीन टावरों के निर्माण की योजना बनायी गयी है। वारूड (बी के) और सुखापुरी में दो टावरों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है और जालना मुख्यालय में तीसरे टावर का निर्माण कार्य चल रहा है।

(ग) इन टावरों पर रेडियो उपस्करों के मार्च, 2002 तक कार्य शुरू कर देने की संभावना है।

विवरण

स्थापित किये गये टावरों का जिलेवार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	टावरों की कुल संख्या
1	2	3
1.	अहमदनगर	32
2.	अकोला	7
3.	अमरावती	18
4.	औरंगाबाद	23
5.	बीद	19
6.	भंडारा	6
7.	बुलधाना	14
8.	चांदपुर	21
9.	धुले	14
10.	गडचिरोली	14
11	जलगांव	21
12.	जालना	14
13.	कल्याण	16
14	कोल्हापुर	23
15.	लातुर	22
16.	नागपुर	13
17.	नांदेड़	41
18.	नासिक	31
19.	ओस्मानाबाद	13
20.	परभनी	14
21.	पुणे	55
22.	रायगढ़	11
23.	रत्नागिरि	17
24.	सांगली	22
25.	सतारा	17
26.	सिंधुदुर्ग	13
27	सोलापुर	20
28	वरोहा	11
29.	यवतमाल	17
30.	गोंडिया	9
31.	नंदुरबार	5
32.	हिंगोली	6
33.	वाशिम	8
	योग	587

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल, 24 जुलाई, 2001 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.23 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 24 जुलाई, 2001/ 2 श्रावण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
सोमवार, 23 जुलाई,2001/ 1 श्रावण,1923 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
31	26	नियंत्रण	नियंत्रक
169	10	श्री एम.वी.एस.मूर्ति	श्री एम.वी.वी.एस.मूर्ति
250	28	वर्षों के	वर्षों से
266	7	गामों	ग्रामों
296	30	लंबी दूरी की राजस्व	लंबी दूरी की कॉलों के लिए राजस्व
303	23	स्थानार	स्थानावार
323	4	वलणीय	लवणीय

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत
प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।